षोदश माला, खंड 38, अंक 15

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2003
1 पौष, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 56
Dated 24/8/04

(खंड 38 में अंक 11 से 16 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 38, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 15, सोमवार, 22 दिसम्बर, 2003/1 पौष, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 285	10-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 281, 286 से 300	37-65
अतारांकित प्रश्न संख्या 2847 से 3040	65-301
सभा पटल पर रखे गये पत्र	302-314
राज्य सभा से संदेश	314
लोक लेखा समिति	
अठावनवां से साठवां प्रतिवेदन	315
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	315
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	316
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	316
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
चौवनवां से चौंसठवां प्रतिवेदन तथा पहला अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	317-318
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पचपनवां प्रतिवेदन	318
श्रम और कल्याण संबंधी समिति	
अड़तीसवां प्रतिवेदन	318-319

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
130वां से 137वां प्रतिवेदन	319-320
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में	2-4, 339-340
(दो) सभी केन्द्रीय विद्यालयों को जनवरी के महीने में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए जारी किए गए आदेश के बारे में	343-344
(तीन) दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने तथा संसद सदस्यों को ऐसी कालोनियों के विकास के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में	352-353
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केरल में विभिन्न चालू रेल परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन की आवश्यकता	324-338
श्री रमेश चेन्नितला	324 327-330
श्री नीतीश कुमार	325-327, 334-338
श्री ई. अहमद	330-331
श्री ए.सी. जोस	331-332
श्री वरकला राधाकृष्णन	332-333
श्री कोडीकुनील सुरेश	333-334
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	334
श्री के. मुरलीधरन	334
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	345
(एक) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	345
(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक	414-415
(तीन) पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक	415
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक—*पारित*	345-350
विचार करने के लिए प्रस्ताव	346
श्रीमती सुषमा स्वराज	345-350
खंड 2 से 9 और 1	350
पारित करने के लिए प्रस्ताव	350
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	356

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले.	357-364
(एक) आदिवासियों के कल्याण के लिए संथाली भाषा मोर्चा और जेडीपी की मांगों पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री सालखन मुर्मू	357
(दो) अहमदाबाद में राष्ट्रीय बचत संगठन का क्षेत्रीय केन्द्र पुन: खोले जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	357
(तीन) उज्जैन-आगर-झालावाड़ के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री थारवचन्द गेहलोत	357-358
(चार) उत्तर से आने वाली गाड़ियों के लिए गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	358
(पांच) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राधानपुर में एक उच्च शक्ति वाले टीवी ट्रांसमिशन केंद्र का निर्माण करने के लिए धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	358-359
(छह) क्विलोन जिले के कोट्टरक्करा में स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के अधीन नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडीकुनील सुरेश	359
(सात) जाली नोटों और अन्य जाली सरकारी दस्तावेजों के परिचालन को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रेणूका चौधरी	359
(आठ) संविधान के अनुच्छेद 371 का संशोधन करके कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी.एस. बसवराज	360
(नौ) त्रिपुरा में सेलुलर/मोबाइल फोन सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	360
(दस) आंध्र प्रदेश में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के. येरननायडू	361
(ग्यारह) बरेली-लखीमपुर-सीतापुर-लखनऊ मीटर गेज रेल लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	361

विषय	कॉलम
(बारह) बिहार के खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन नदियों जिनसे बाढ़ और भू-क्षरण हो रहा है, पर ऊंचे बांध बनाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रेनु कुमारी	362
(तेरह) उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा और बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती तटीय क्षेत्र में क्रीक सिंचाई को पुनः शुरू किए जाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभात सामन्तराय	362-363
(चौदह) महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों को मासिक भत्ता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	363
(पन्द्रह) सी.बी.आई. तथा अन्य जांच एजेंसियों को संसदीय समिति के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता	
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	364
विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक—*राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन*	364-374
श्री दिग्विजय सिंह	364-367, 369-370
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	367-368
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	368-369
खंड 2 और 3	370-373
सहमति के लिए प्रस्ताव	374
नागरिकता (संशोधन) विधेयक—*पारित*	374-382
विचार करने के लिए प्रस्ताव	374
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	374, 381-382
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	375-378
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	378-380
श्री पी.एच. पांडियन	380-381
खंड 2 और 19 और 1	382
पारित करने के लिए प्रस्ताव	382
भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—*पारित*	383-414
विचार करने के लिए प्रस्ताव	383
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	383-386
श्री अरुण शौरी	383, 386-389, 408-410

विषय	कॉलम
श्री पवन कुमार बंसल	390-396
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	396-397
श्री महेश्वर सिंह	398-401
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	401-405
श्री अधीर चौधरी	405-406
श्री मधुसूदन मिस्त्री	406
कुंवर अखिलेश सिंह	406-407
श्री कोडीकुनील सुरेश	407
श्री अनंत गुढे	407
खंड 2 से 6 और 1	413-414
पारित करने के लिए प्रस्ताव	414
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा	415-416
संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक—*पारित* (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	416-469
विचार करने के लिए प्रस्ताव	431
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	416-417
श्री पी.आर. किन्डिया	417-418
श्री अनादि साहू	418-419
श्री बाजू बन रियान	419-420
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	420-421
डा. गिरिजा व्यास	421-422
श्री वी. धनंजय कुमार	422
श्री कीर्ति झा आजाद	422-423
श्री सालखन मुर्मू	423
श्री के. येरननायडू	424
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	424
श्री रूपचंद मुर्मू	425

विषय	कॉलम
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	425
श्री प्रभुनाथ सिंह	425–426
डा. बिक्रम सरकार	426
श्री राशिद अलवी	426
श्री बसुदेव आचार्य	426–427
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	427
श्री चन्द्रकांत खैरे	427–428
श्री पी.एच. पांडियन	428
श्री रामजीलाल सुमन	428
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	428
श्री विष्णु पद राय	428
प्रो. चमन लाल गुप्त	429
श्री रामदास आठवले	429
श्री जी.एम. बनातवाला	429
खंड़ 2 और 1	444
पारित करने के लिए प्रस्ताव	458
नियम 193 के अधीन चर्चा	470–554
शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन	470
श्री मणि शंकर अय्यर	470–491
श्री किरीट सोमैया	491–506
श्री रूपचन्द पाल	507–513
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	513–521
कुंवर अखिलेश सिंह	521–527
श्री पी.एच. पांडियन	527–529
श्री अरुण कुमार	529–532
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	532–542
श्री खारवेल स्वाई	546–554

लोक सभा

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2003/1 पौष, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने गन्ने के समर्थन मूल्य के संबंध में घोषणा की थी। *...(व्यवधान)* कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने क्वैश्चन आवर सस्पैन्ड करने का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिये। मैं आपको एक-एक मिनट दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया गया था कि हज यात्रियों के संबंध में आज ही फैसला हो जाएगा। अब केवल तीन दिन रह गए हैं। 24 तारीख को पहला जहाज जा रहा है लेकिन आज तक हज यात्रियों को पता नहीं है कि उनको किस हालत में जाना पड़ेगा, कहां से जाना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने सदन में कहा था कि वह कैबिनेट में जाकर इस विषय पर पूछेंगे। हम 'जीरो आवर' में इस बारे में बात करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से इस बारे में बयान दिलवाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में, मंत्री जी यहां आएंगे और कैबिनेट में क्या हुआ इस विषय पर कोई निर्णय हुआ, वहां जो कुछ हुआ है, वह बताएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, आप बोलिये। बाकी सदस्य बैठ जाएं। कुंवर जी, केवल एक मिनट में आपको समाप्त करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी 'जीरो आवर' के समय आएं और आपके विषय का जवाब दें।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अगर 'जीरो आवर' ही न हुआ तो?

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा हाइपोथैटिकल प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? मैंने मंत्री जी से कहा है।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 तारीख को उनका पहला जहाज जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया है और मंत्री जी ने सुना भी है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): भारत सरकार के कृषि मंत्री और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कार्य स्थगन

प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में बताया था कि जो कृषि लागत मूल्य आयोग है, उस कृषि लागत मूल्य आयोग ने 73.50 रुपये गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का निश्चय किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिये। इस बारे में खाद्य मंत्री जी जवाब देंगे। मैंने खाद्य मंत्री को मैसेज दिया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: आपने मुझे एक मिनट का समय दिया है, जो बहुत कम है। आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जीरो आवर में कहें। मंत्री जी यहां नहीं हैं, फिर आप बोलने का आग्रह क्यों करते हैं?

कुंवर अखिलेश सिंह: यह बहुत ही गंभीर विषय है। किसानों का गला घोटा जा रहा है। किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी माननीय सदस्य का नोटिस नहीं ले रहा हूं। आप लोग बैठिये।

कुंवर अखिलेश सिंह: अभी तक गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं खाद्य मंत्री को बुला रहा हूं। उस समय आप कहें, जो कुछ कहना चाहते हैं। अभी बोलने से सदन का समय व्यर्थ जाएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं सदन का समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, यह पूरे देश के किसानों के सामने गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने मंत्री जी को बुलाने की बात कही है। मंत्री जी उस समय फ्री होंगे तो सदन में आएंगे, नहीं तो कल यहां आकर जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: यह गन्ना किसानों के साथ धोखाधड़ी है और देश के चीनी मिल मालिकों का सरकार पक्ष ले रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको कोई नोटिस भी नहीं है। आप बैठिये।

कुंवर अखिलेश सिंह: कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की रिकमंडेशन कर चुके हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने इसी सदन में कहा था। यह देश के करोड़ों किसानों का मामला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के किसानों का मामला ही नहीं, पूरे देश के किसानों का मामला है। आज 22 तारीख हो गई और अभी तक गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है। इस सदन में मंत्री जी द्वारा स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये, अभी मंत्री जी खड़े हैं, आप उनको सुनिये।

...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। पिछले सप्ताह खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि दो-तीन दिन के अंदर इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। खाद्य मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन उसमें यह बात सामने आई है कि कई राज्यों के रिप्रेजेंटेशन्स भी खाद्य मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक था। इसलिए केबिनेट ने यह फैसला किया कि माननीय वित्त मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी जल्दी ही इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लें ताकि शुगरकेन की स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस जल्दी ही घोषित किए जा सकें। मेरा विश्वास है कि इसी सप्ताह में निश्चित रूप से उसकी घोषणा कर दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं हो सकती। कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे आपके प्रति कठोर बनने के लिए विवश मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: मैं नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस तरह मत चिल्लाइए। अन्यथा, मैं बहुत कठिन निर्णय लूंगा। इसमें ऐसी क्या बात है कि आप इस तरह चिल्ला रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह नियम नहीं है कि मैं हर माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दूं। जब मैं सोचता हूं कि कोई विषय गंभीर है और उस पर मंत्री जी का उत्तर आना चाहिए तभी मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए कहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है, यहां एडजर्नमेंट मोशन की ही बात चल रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैंने प्रश्न काल समाप्त करने का नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप हर विषय पर अभी चर्चा करेंगे तो जिन लोगों ने दो या तीन सप्ताह पहले नोटिस दिए हैं, उनका क्या होगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अभी आप बैठ जाइए। मैं आपको बाद में बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, हमारा क्या होगा? *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिन्दी बोलने पर मारा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, कल शीत कालीन सत्र समाप्त होने वाला है इसलिए इस समय मैं तात्कालिक महत्व के विषय पर सभा के प्रति सरकार के हस्तक्षेप और वचनबद्धता का आह्वान करता हूं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू बल्कि सम्पूर्ण संसद और राष्ट्र की वनचबद्धता के कारण बना। वर्ष 1981 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संशोधित अधिनियम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को पूरी तरह से स्पष्ट करता है और इसलिए प्रवेश और प्रत्येक बात को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश जारी करने की एकादमिक काउंसिल की सर्वोच्चता का सम्मान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार बनाम श्री सी.एम. पाय मामले में अपना निर्णय सुनाया था *...(व्यवधान)* यह सब क्या है? यह कोई तरीका नहीं है। क्या आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सदस्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल शुरू होना चाहिए, प्रश्न-काल बाधित हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, हम भी इसे सपोर्ट करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, हम भी सपोर्ट करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल शुरू कीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न-काल शुरू करने वाला हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि गैर-सहायता प्राप्त सभी संस्थाओं न कि सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा करायी जानी चाहिए। फिर भी, फैसले की गलत व्याख्या करते हुए, मानव संसाधन मंत्रालय, यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. के माध्यम से

कुलपति और एकादमिक काउंसिल को सामान्य प्रवेश परीक्षा के मार्ग का अनुसरण करने के परिपत्र जानबूझकर जारी कर रहा है। ...*(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): यह सब क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह कोई तरीका नहीं है। वे मुझे वाक्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं। क्या मैं वाक्य पूरा न करूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब माननीय सदस्य बैठ जाइए। मैंने दासमुंशी जी को केवल एक प्वाइंट रखने की इजाजत दी है, भाषण करने की परमीशन नहीं दी है। आप केवल प्वाइंट रखिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप कृपया भगवा सदस्य को नियंत्रित कीजिए जो प्रत्येक वस्तु का भगवाकरण चाहते हैं। हम यह सहन नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: शीशराम जी, आपको यदि प्रश्नकाल चाहिए तो आप प्लीज बैठिये। मैं अब प्रश्नकाल शुरू करना चाहता हूं। एक मिनट में इनका सेंटेंस पूरा हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना तो सिर्फ यह है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। अन्य सदस्य कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं बहुत सह चुका हूं। हर रोज वे हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप अपने विषय पर नहीं बोलेंगे तो मैं सीधे प्रश्न काल आरंभ कर दूंगा। मैंने आपको अनुमति दे दी है। आप अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको मेरी रक्षा भी करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं आपकी पूरी तरह से रक्षा कर चुका हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री को सभा में आना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामलों में यू.जी.सी. का हस्तक्षेप बंद किया जाएगा और साथ ही उक्त परिपत्र को वापस ले लिया जाएगा। अन्यथा, सारी संसद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परिषद के मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप करने के लिए सरकार की भर्त्सना करेगी।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रश्न काल आरंभ करता हूं। प्लीज बैठिये। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। अब मैं सीधे प्रश्न काल पर आता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा के कार्य में विघ्न न डालें। मैं मंत्री जी से सभा में आने के लिए और संक्षिप्त वक्तव्य देने के लिए या तो आज या फिर कल कहूंगा। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिये, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कोई भी एडजर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल आरंभ होता है।

प्रश्न संख्या 281–श्री हरिभाई चौधरी—उपस्थित नहीं

श्री मानसिंह पटेल—उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 282—श्री रवि प्रकाश वर्मा

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सारे नोटिसेज पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। यह कोई पद्धति नहीं है। मैं अभी इस विषय में कुछ नहीं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा के प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी 'शून्य काल' के दौरान आ जाएंगे और सभा में वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनका कार्यकाल भी देखना होगा। यह या तो आज होगा या फिर कल। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री जी को बुलाने वाला हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): यह इतना इम्पोर्टेंट सबजैक्ट है कि क्वैश्चन आवर को सस्पेंड करके इस पर चर्चा की जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, यह प्रश्न काल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस मुद्दे पर पहले ही नोटिस दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप यह निर्णय नहीं ले सकते कि यह प्रश्न काल से अधिक महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये। मैंने कहा है कि जब मंत्री जी आयेंगे, तब आप बोलिये, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। मैं आपको उस समय इजाजत दूंगा। अभी किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी। केवल रवि प्रकाश वर्मा जी का प्रश्न रिकार्ड पर जायेगा। आप प्रश्न पूछिये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): मैंने प्रश्न संख्या बोल दी है। अल्वी जी, थोड़ा रहम करिये, बहुत गम्भीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: महोदय, कल सत्र का अंतिम दिन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अनड्यू एडवांटेज यहां लिया जाता है, जिसे मैं टोलरेट नहीं करूंगा।

श्री राशिद अलवी: इस बात का जवाब देना चाहिए,

[अनुवाद]

मंत्री जी को आज ही आने के लिए कहा जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस समय आपको बोलने की परमीशन दे सकता हूं। जब मंत्री जी यहां आयेंगे, तब मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। लेकिन मंत्री जी कब आयेंगे, यह मैं अभी नहीं कह सकता, अभी सदन में प्रोमिस नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि इस माननीय सदन में प्रोसीजर क्या है। यह या तो आज होगा या फिर कल। उन्हें सूचना भेजी जाएगी। वह कल भी आ सकते हैं। आप कृपया बैठ जाइए। मैं जब इतना सहकार दे रहा हूं तो आप भी दीजिए। कभी न कभी आप भी मंत्री बनेंगे। आप समझिये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.13 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय जल-विवाद

***282. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल-बंटवारे संबंधी विवादों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य पूरा होने तक ऐसे विवादों का समाधान करने के लिए उठाये गए/उठाये जाने वाले प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत केन्द्र सरकार को भेजे गए अंतर्राज्यीय जल बंटवारे संबंधी विवादों का विवरण नीचे दिए अनुसार है:-

क्र.सं.	नदी/नदियां	संबंधित राज्य
1.	रावी एवं ब्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी
3.	मादेई/मंडोवी/महादायी	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
4.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र

(ग) केन्द्र सरकार राज्यों के बीच जल के विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत और आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए सभी प्रयास करती है जिसके असफल होने पर विवादों को अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय के लिए अधिकरण के पास भेज दिया जाता है। उपरोक्त अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन हुआ है जिसके अनुसार अधिकरण द्वारा जल विवाद का अधिनिर्णय समयबद्ध कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, नदी जल विवाद की समस्या हिन्दुस्तान की इतनी महत्वपूर्ण समस्या है, मगर सरकार अभी तक इस बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या सरकार भारतीय नदियों के राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: देश की सभी नदियों को राष्ट्रीयकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आज सबसे महत्वपूर्ण समस्या नदी जल विवाद की है। यहां तक भी नौबत आ रही है कि इससे देश में तनाव पैदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के बाहर भी जिन नदियों से हमारा संबंध है, खास तौर से मैं नेपाल से आने वाली नदियों के बारे में बताना चाहता हूं, मैंने सदन को कुछ दिन पहले भी इस बात से अवगत कराया था कि हाल ही में नेपाल सरकार ने अपनी नदियों का रुख बदला है, वहां उन्होंने भारी परिवर्तन किये हैं। उसके फलस्वरूप जो भारतीय क्षेत्र नेपाल की नदियों से संबंधित है, उनमें एकदम कहर बरपा हो गया है। वहां इस कदर बाढ़ आने लगी है और हमारे शारदा बैराज सरीखे जो सबसे महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वे सब खतरे में पड़ गये हैं। कई चीनी मिलें खतरे में हैं। क्या सरकार ने आज तक इस संबंध में अपनी कोई आपत्ति दर्ज कराई है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, प्रश्न यह है कि: "क्या सरकार को कुछ राज्यों में चल रहे जल बंटवारे संबंधी अन्तर्राज्यीय विवाद की जानकारी है।" यह देश के अंदर चल रहे जल विवाद से संबंधित है और यहां वे नेपाल का हवाला दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन के नियमों के अनुसार आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह मूल प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। मंत्री जी यही कह रहे हैं कि आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अगर प्रश्न महत्वपूर्ण है तो दूसरी डिवाइस के जरिये आप यहां प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं। *...(व्यवधान)* मंत्री जी ने उसके जवाब भी दिये हैं लेकिन *...(व्यवधान)*

श्रीमती रीना चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमारे प्रश्न ''ग'' का उत्तर दिया है कि इस प्रश्न को सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत और आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाने के सारे प्रयास असफल होने के बाद आपने इन विवादों को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अधिकरण के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद वर्ष 2002 में इन जल विवादों को समयबद्ध कर दिया गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि समयबद्ध करने के बाद, क्या इन विवादों को समय सीमा के अंदर सुलझाया गया है? अगर नहीं तो आप इस संबंध में क्या प्रयास कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, इस अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था। इस बीच कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और न ही किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सरकार के सामने कोई मुद्दा आया है। हालांकि, सरकार इस बात के लिए बहुत इच्छुक है कि नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे अन्तर्राज्यीय विवाद को बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग में सुझलाया जाए। हम चाहते हैं कि इस तरह के सभी विवाद मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल किए जाएं। भारत सरकार समस्या को हल करने में एक बहुत बड़ी मददगार के रूप में काम कर रही है।

श्री वी. धनंजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि न्यायाधिकरण के हवाले किए गए चार लंबित विवादों में तीन ऐसे विवाद हैं जिनमें कर्नाटक एक पक्ष है। कावेरी, कृष्णा और मदेई/मन्डोई/महादायी से संबंधित तीन बड़े विवादों में कर्नाटक एक पक्ष है।

महोदय, जैसाकि सभा और आप भी इस बात से अवगत हैं कि हमारा राज्य अभाव से ग्रस्त है। हमारे यहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती हैं। दुर्भाग्य से हम पिछले तीन वर्षों से कर्नाटक में भयंकर सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिस्प्युट एक्ट में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया है जिससे न्यायाधिकरण से जल विवाद का अधिनिर्णय समयबद्ध हो गया है।

महोदय, जैसाकि आपको भी इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक सत्र में एक ओर कर्नाटक और तमिलनाडु के सदस्यों के बीच गरमा-गरम बहस होती है और जहां तक कृष्णा नदी जल का सवाल है तो दूसरी ओर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सदस्यों के बीच जोरदार बहस होती है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वी. धनंजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, आप जिस राज्य से आते हैं, वह महाराष्ट्र है और यदि आप कुछ कारण बताते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महाराष्ट्र हमें ज्यादा पानी देगा तभी हम थोड़ी देर तक बच सकते हैं।

[अनुवाद]

मेरा प्रश्न यह है कि न्यायाधिकरण में लंबित विवादों को शीघ्र सुलझाने और न्यायाधिकरण से एक निर्धारित समय में अन्तिम रूप से निर्णय कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं? इसे एक बार में और हमेशा-हमेशा के लिए सुलझा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, एक दूसरा भाग है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न जल्दी समाप्त करें।

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, नदियों को जोड़ने से संबंधित एक दूसरा भाग है *...(व्यवधान)* नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कर्नाटक को पर्याप्त पानी मिल सके।

श्री अर्जुन चरण सेठी: माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

जहां तक विभिन्न न्यायधिकरणों में लंबित पड़े विवादों को शीघ्र सुलझाने का सवाल है तो सरकार इस मामले में बहुत ही गंभीर है। इसलिए इसमें संशोधन लाया गया था, और अब हम लोगों ने एक समय सीमा तय की है जिससे कि सरकार द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण विवादों का समय से निर्णय दे सके।

श्री वी. धनंजय कुमार: वह समय सीमा क्या है जिसमें न्यायाधिकरण अपना निर्णय दे सके?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह समय सीमा यथासंभव कम हो सकती है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, यह समय सीमा छह साल की होगी।

श्री वी. धनंजय कुमार: अधिनियम में जब हम कोई प्रावधान करते हैं, तो वह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, अधिनियम में पांच साल का प्रावधान किया गया, न्यायाधिकरण इसी समय सीमा में निर्णय देगा। यदि पांच साल में निर्णय करना संभव नहीं हुआ तो उसे एक साल का समय और दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार: सात साल के बाद हमें क्या न्याय मिलेगा। अभी तो वैसे ही लम्बा खिंच गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: महोदय, मैं अपना ध्यान कावेरी नदी जल विवाद तक ही सीमित रखना चाहता हूं क्योंकि यह एक लम्बे समय से लंबित मामला है; यह करीब-करीब एक स्थायी मसला बन गया है। माननीय मंत्री जी तो बड़ी चतुराई से इसका यथासंभव संक्षेप में जवाब दे जाते हैं। वे 4-5 विवादों का निपटारा कर रहे हैं, किन्तु उन्होंने जवाब केवल 4-5 पंक्तियों में ही दिए हैं। वे बहुत ही संक्षेप में जवाब देने में माहिर हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विवादों को सुलझाने में 'सभी प्रयास' कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे केन्द्र सरकार ने सभी प्रयास किए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार भरसक प्रयास करने में सक्षम है। 'सभी प्रयास' और 'भरसक प्रयास' में अन्तर है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उसने 'भरसक प्रयास' किया है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, यह विवाद लम्बे समय से चलता आ रहा है; इसमें गतिरोध आ गया है। जब कभी हमारे कर्नाटक के मित्र कहते हैं, तो मुझे उस पीड़ा और ग्लानि को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती है जिसे हम तमिलनाडु में झेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न करें।

श्री के. मलयसामी: समस्या पहले ही खड़ी की जा चुकी है और समस्या खड़ी करने वाले कर्नाटक के लोग हैं *...(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, मैं तमिलनाडु के अपने दोस्तों को भी यह कह सकता था। किन्तु, मैंने ऐसा नहीं किया। *...(व्यवधान)*

श्री के. मलयसामी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार कब समस्या को दूर करने जा रही है? *...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि वह इसे एक निर्धारित समय-सीमा में करे जिससे कि उसे शीघ्र सुलझाया जा सके। नहीं तो ऐसा कहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि वह बातचीत कर रही है, वह मामले का समाधान ढूंढ़ रही है और उनके लिए बेहतर प्रयास कर रही है। ऐसे शब्द ख्याली पुलाव होते हैं और इनसे कोई हल नहीं निकलने जा रहा है। यदि वह सचमुच में कुछ ठोस करना चाहती है, तो उसे 'भरसक प्रयास' करने होंगे और वह भी एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, मैं अपने मित्र श्री धनंजय कुमार को दिए पहले प्रश्न के जवाब में संशोधन करना चाहूंगा। *...(व्यवधान)* मैं बस स्पष्टीकरण दे रहा हूं। श्री मलयसामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं अपने माननीय मित्र श्री धनंजय कुमार को स्पष्ट करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्यपाल कैसे इस सभा में आ सकते हैं?

श्री अर्जुन चरण सेठी: इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिस्प्युट एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि विवादों को पहले तीन साल की अवधि में सुलझाया जाएगा और यदि इस अवधि में ऐसा करना संभव नहीं हुआ तो उन्हें अगले दो साल का समय और दिया जाएगा और तत्पश्चात् एक साल का समय और भी दिया जा सकता है। इस प्रकार, कुल छह साल का समय होगा।

जहां तक कावेरी नदी जल के बारे में श्री मलयसामी के प्रश्न का सवाल है तो यह न्यायाधिकरण में लंबित है। नि:संदेह न्यायाधिकरण ने इसमें बहुत अधिक समय लिया है। हम आशा करते हैं कि अब यह अंतिम चरण में होगा और अंतिम फैसला अगस्त, 2004 तक आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: सभा के सदस्य श्री मदन लाल खुराना यहां हैं। पता चला है कि उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। मैं उन्हें अग्रिम बधाई देना चाहता हूं।

श्री के. मलयसामी: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बड़ा लम्बा प्रश्न पूछ लिया। आमतौर पर मैं लम्बे प्रश्नों की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, श्री खुराना समिति के चेयरमैन रहे हैं और मैं उस समिति का सदस्य हूं। मैं आशा करता हूं कि जब वे राजस्थान जाएंगे तो रक्षा मामलों की स्थायी समिति को विशेष दर्जा मिलेगा।

श्री ए.सी. जोस: राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर पहले मैं श्री खुराना को बधाई देना चाहता हूं। उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: खुराना जी, सदस्यगण आपको बधाई दे रहे हैं।

श्री ई. अहमद: महोदय, अब राजस्थान की यात्रा पर जाने वाले किसी भी सदस्य को राजभवन में जगह मिल सकेगी।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, कावेरी विवाद के संबंध में क्रम सं. 2 के उत्तर में संबंधित राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का उल्लेख किया गया है। हां, कावेरी मामले में विवाद है। इसके अलावा, हमारे पास मुल्लई पेरियार डैम का विवाद भी है, जो 99 साल पुराना है और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुए समझौते के अनुसार यह तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और अब इसमें केरल भी आ गया है। यह विवाद भी लंबित पड़ा हुआ है। हमारे अधिकांश बांधों से जल को चुराकर केरल से तमिलनाडु ले जाया जाता है। संयोग से एक न्यायाधिकरण बनाया गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि न्यायाधिकरण बनाए जाने के बजाय क्या इसके लिए हमारे पास कोई स्थायी व्यवस्था हो सकेगी। हर दिन जल विवाद उठ रहा है, यदि कोई बड़ा विवाद नहीं होता है तो कम से कम छोटे-छोटे विवाद तो हमेशा उठते ही रहते हैं। इसके बाद भी क्या सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे जल विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण बनाया जाए?

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, इसके साथ ही, इससे जुड़ा आज एक और मसला है, और वह है पम्पा-अचनकोइल-वाइपर लिंक जो केरल से संबंधित है। इस लिंक को अन्तर्राज्यीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया है और नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है।

केरल सरकार के लिए यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पम्पा-अचनकोइल-वाइपर सम्पर्क परियोजना पर अभी कार्य चल रहा है अथवा बंद कर दिया गया है। *...(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सम्पूर्ण केरल राज्य इस बारे में चिंतित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप श्री जोस और श्री चेन्नितला द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप उत्तर देना क्यों नहीं शुरू करते?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब मंत्री जी का उत्तर सुनें अन्यथा मैं अगले प्रश्न पर विचार करूंगा और आप उत्तर सुनने से वंचित हो जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: महोदय, देश के कुछ राज्यों में विवाद हो सकते हैं किंतु ये विवाद स्वत: पैदा नहीं होते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा जी, आप खड़े क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ये विवाद हमें भेजे जाते हैं। जब तक ये विवाद हमें नहीं भेजे जाते हैं तब तक *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप अपना उत्तर पूरा करें। मात्र आपका उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। सदस्य आपका उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। मात्र आपका उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री अर्जुन चरण सेठी: जब तक ये विवाद हमें नहीं भेजे जाते, तब तक ये स्वत: अधिकरण के पास नहीं जाते हैं। संबंधित

राज्यों को इस विषय में हम से अनुरोध करना चाहिए ताकि अधिनिर्णयन हेतु अधिकरण गठित किया जा सके।

[हिन्दी]

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु योजनाएं

*283. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों ने अधिकतम संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं से पर्यटन क्षेत्र को कितना लाभ हुआ है; और

(घ) देश में विदेशी राजस्व की कुल आय में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत है?

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान जिन राज्यों ने विदेशी पर्यटकों की अधिकतम संख्या आकर्षित की है वे क्रमश: दिल्ली, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु हैं।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार अपने 13 विदेशी कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में पर्यटन संवर्धन गतिविधियां संचालित करता है। विभाग, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास तथा उत्पाद/ अवसंरचना एवं गंतव्य विकास की अपनी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना के निर्माण में मदद देता है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग, सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण की योजना के अंतर्गत और होटल प्रबंध संस्थानों के माध्यम से मानव संसाधन विकास की गतिविधियां भी संचालित करता है।

(ग) उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ किए गए अन्य उपायों के कारण भी पर्यटन के माध्यम से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय जनवरी से नवम्बर, 2003 की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित की गई 2594 मिलियन यू एस डालर से बढ़कर 3175 मिलियन यू एस डालर हो गई है, जो 22.4% की वृद्धि दर्शाता है।

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा यात्रा क्षेत्र के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में यात्रा के माध्यम से अर्जित विदेशी आय का हिस्सा 3.2% है।

[अनुवाद]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: महोदय, भारत में न केवल बहुत अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं अपितु 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने के कारण देशी पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। इन देशी पर्यटकों विशेषकर किसानों जैसे स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[हिन्दी]

आम किसान सब तीर्थ स्थानों पर जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा पैसा बच जाता है तो वह छुट्टियों में और कहीं जाना चाहता है। देश की जनता धार्मिक स्थलों पर जाती है। उनको सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे देश में सबसे बड़ी ट्यूरिस्ट मार्केट हमारे देश की जनता है, जो हर जगह जाती है। तीर्थ यात्रियों को एवम् विदेशियों को हमारी सरकार काफी सुविधाएं दे रही है, लेकिन हमारे जो आसपास के देश हैं, वे इस क्षेत्र में हमारे सबसे बड़े कम्पीटीटर्स हैं, क्योंकि वे ट्यूरिस्ट्स को हमसे अधिक सुविधाएं दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्ष में क्या कार्य योजना बनाने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: महोदय, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछले दो-एक वर्षों में हमने कई नई पहलें शुरू की हैं और सम्पूर्ण देश में नए केन्द्रों में संस्कृति के घटकों, पर्यटन के घटकों, साफ-सुथरे नागरिक जीवन के घटकों तथा उन्नत पर्यावरण के घटकों का समीकरण किया जा रहा है। मेरे पास एक मानचित्र है जिसमें वे सभी क्षेत्र दर्शाए गए हैं जिनका हमने अधिग्रहण किया है। हम विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इन सभी के परिणाम बड़े ही उत्साववर्द्धक रहे हैं।

वर्ष 2003 के दौरान एक ही वर्ष में घरेलू पर्यटकों की संख्या में तीन करोड़ की वृद्धि हुई है। यह जबर्दस्त वृद्धि है। मैं आपको तीर्थाटन का एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास कुरूक्षेत्र, अजंता, लालकिला आदि के बारे में कुछ पुस्तिकाएं हैं और मैं इन्हें सभी सदस्यों को भेजूंगा। सदस्यगण इनसे सभी मानचित्रों और विकसित किए जा रहे केन्द्रों की जानकारी ले सकते हैं। इनमें से कुछ केन्द्रों का कार्य वास्तव में पूरा भी हो चुका है। घरेलू पर्यटन भी अन्य के समान ही सर्वत्र फल-फूल रहा है। परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में 3 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।

दूसरी बात, जहां तक विदेशी पर्यटकों का संबंध है, इसमें भी प्रतिवर्ष 14 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटकों से हमारी विदेशी मौद्रिक आय में 23 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इससे देश को 15,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। अत: मुझे आशा है कि यह गर्व की बात है। मैं सभी संसद सदस्यों में पुस्तिका बांटूगा। इसमें किए गए कार्यों का ब्यौरा होगा। इसमें नीतियों का विवरण और किए गए कार्यों का ब्यौरा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकमात्र नीति का ही महत्व नहीं है। सुविचारित कार्यान्वयन तथा शासन पद्धति का भी महत्व है। मेरे विचार से यह सहकारी संघात्मकता का ऐसा नायाब उदाहरण है जिसमें केन्द्र और सभी राज्य, तथा स्थानीय निवासी एवं एजेंसियां सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं।

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: हमें मंत्री जी से यह सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे देश के पर्यटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और घरेलू क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में 3 करोड़ की वृद्धि हुई हैं।

मेरा विचार है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि में पर्यटन से काफी संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे कई पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाएं केवल पर्यटन से ही विकसित हुई हैं। इन देशों की असीम वित्तीय सफलता में औद्योगिक प्रगति के पश्चात् पर्यटन ही सबसे बड़ा कारक रहा है। मेरा विचार है कि हमें और विशेषकर, हमारी राज्य सरकारों को इस क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर देना चाहिए तथा रुचि लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, परन्तु इनका पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है। अत: हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाएं। अधिकांश धार्मिक स्थल इस राज्य में स्थित हैं तथापि इन्हें पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।

श्री जगमोहन: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से तथा रोजगार के और अधिक सामान्य अवसर पैदा करने की दृष्टि से तथा जहां काम की संभावनाएं हैं वहां लोगों को रखने की दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमारी संस्कृति के मूल तत्व को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम ऐसे क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं जो भारतीय जनमानस के तेज और बल तथा दिलों की गहराई को प्रदर्शित करे। उदाहरणार्थ हमने अजंता को वरीयता क्यों दी? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चित्रण तथा कन्दरा प्रौद्योगिकियों एवं ऐसी अन्य कई बातें प्रदर्शित की गई हैं जो भारतीय जनमानस को दर्शाती है।

यदि आप धौला वीरा जाएं तो आपको पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता तथा उस अवधि में हुए शहरी विकास के प्रतिरूप का पता चलेगा। हमारी सरकार ने यह सब कार्य किए हैं। मैंने जिन पुस्तिकाओं का जिक्र किया था। उसमें इन सबका विवरण दिया गया है और मैं आप सभी सदस्यों को ये पुस्तिकाएं भिजवाऊंगा।

मैं उत्तर प्रदेश के बारे में यह बताना चाहता हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी जब यहां थे तो उनसे कुछ विचार-विमर्श किया था। मैं स्वयं भी वहां गया था। मैं वहां वृंदावन और इसी तरह के अन्य स्थानों पर दो-तीन बार गया हूं। मैंने कुछ स्थलों का चयन किया है। हम आगरा पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। बलिया पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। वृंदावन के इलाके में भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों के परिणामों के बारे में आप कुछ ही महीनों में रूबरू हो जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रत्येक राज्य लाभान्वित होगा। यह एक बड़ा प्रोत्साहन है और मैंने पुस्तिका में इन प्रोत्साहनों का जिक्र किया है और सभी को आपके पास भिजवाऊंगा।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद और उसके आसपास के क्षेत्र में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और निर्वाण-स्थली कुशीनगर पड़ती है। सारनाथ भी गोरखपुर के पास ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त संत कबीर की निर्वाणस्थली मगहर गोरखपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान महावीर की निर्वाण-स्थली 50 किलोमीटर दूर पाहवा में स्थित है। इन सभी पर्यटन-स्थलों और तीर्थ-स्थलों और तीर्थ-स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। स्वर्गीय बीर बहादुर सिंह जी जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय इन क्षेत्रों में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाएं प्रारम्भ की गयी थीं, लेकिन उनकी अकस्मात् मृत्यु होने के बाद वे सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं, रुकी पड़ी हैं। जब

भी पर्यटक-स्थलों की बात आती है तो माननीय मंत्री जी केवल आश्वासन दे देते हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। गोरखपुर और उसके आस-पास के बुद्ध, जैन और अन्य प्रमुख पर्यटक-स्थलों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने अब तक नहीं की है। माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में पहले भी आश्वासन दिया था, मैं जानना चाहता हूं कि कब माननीय मंत्री जी गोरखपुर जा रहे हैं और हिंदू, जैन, बुद्ध या अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों के विकास के लिए उनकी क्या योजना है?

श्री जगमोहन: अध्यक्ष जी, इस देश में पर्यटन-स्थलों की इतनी जगह हैं कि सब जगहों को हम टेक-ओवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की जन्म-स्थली और निर्वाण-स्थली एक ही है। ...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: अध्यक्ष जी, बुद्धिस्ट सर्किट सैंक्शन्ड हैं। गया, कुशीनगर और सारनाथ में बुद्धिस्ट सर्किट के हिसाब से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। यह कहना कि बुद्धिस्ट स्थलों को बढ़ावा नहीं दिया गया, गलत है। बल्कि वास्तविकता इसके उलट है कि बुद्धिस्ट सर्किट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सब जगह कार्य हो रहा है और हम एक इंटरनेशनल गैदरिंग बुद्धिस्ट सर्किट के लिए फरवरी के महीने में कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह फरवरी के महीने में किया जाएगा और यह बौद्ध क्षेत्रों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर दर्शाएगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: अध्यक्ष महोदय पर्यटन के कारण विदेशी मुद्रा में जो जर्बदस्त बढ़ोत्तरी हुई है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, किन्तु मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी मुझे भी कुछ अच्छे सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देनी पड़ती है।

...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी कुछ अच्छे सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति मैं जरूर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पर्यटन से अर्जित कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है और कुल आय की प्रतिशतता कितनी है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: हमें प्रति वर्ष लगभग 14000 करोड़ रु. मिल रहे हैं। किन्तु इस वर्ष लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: विदेशों में पर्यटन को प्रोत्साहन के बारे में पर्यटकों को आकर्षित करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

श्री जगमोहन: हम उस पर इतनी अधिक धनराशि खर्च नहीं कर रहे हैं। हम इस विदेशी प्रचार स्थानीय प्रार और ऐसे प्रचारों के लिए कुल बजट के 60 करोड़ रु. खर्च करते हैं। अधिक निवेश नहीं है जिसके परिणामस्वरूप हमें यह धनराशि मिल रही है। अनेक केन्द्र हैं। उदाहरणार्थ जब हम अपने उत्पादों में सुधार कर रहे हैं। अपने सर्किटों में सुधार कर रहे हैं। अपने सम्पर्क में सुधार कर रहे हैं, तो इन उपायों के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: प्रतिशतता तो बहुत कम होगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अनेक सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अगले सत्र में इस मुद्दे पर आप को वाद-विवाद की अनुमति देने की स्थिति में पाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या पर्यटक स्थल से आए हुए संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं पर्यटन विषय पर डिबेट के लिए आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: इससे क्या नहीं लगता है कि पर्यटन के बारे में हम कितने गम्भीर हैं। मैं आपसे शुरू से निवेदन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 284 - श्री अरुण कुमार।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 284 *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: अरुण कुमार जी, आप एक मिनट रुकिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनके बाद एक प्रश्न मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही होता है। इसीलिए मैं मौका नहीं देता हूं। इसलिए अरुण कुमार जी आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं आपको अनुमति दूं तो अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, पर्यटक स्थलों से आए हुए सांसदों को मौका नहीं मिलेगा, तो क्या यह न्याय नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय पर चर्चा देने के लिए नोटिस दीजिए। आप जब न्याय की बात करते हैं, तो आपको चर्चा मांगने का अधिकार है। यह अन्याय नहीं है। मैं अगले सैशन में चर्चा की अनुमति दूंगा। आपने अभी तक चर्चा क्यों नहीं मांगी। कल सत्र का अंतिम दिन है। आप पहले चर्चा मांग सकते थे और मैं चर्चा की अनुमति दे सकता था।

श्री अरुण कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न चल रहा था, तभी मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं एक बात कहूंगा कि हर पार्टी को मौका देना मेरा कर्त्तव्य है। अभी तक आप देख रहे हैं कि बड़ी पार्टी को एक प्रश्न पूछने का मौका देता हूं। रेयरली श्री सेनगुप्ता जी जैसे माननीय सांसदों को मौका देना चाहिए। छोटी पार्टीज को भी मौका देना चाहिए, लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे विषयों पर चर्चा की आप अनुमति मांगिए। आप नोटिस दीजिए, मैं चर्चा दूंगा।

[अनुवाद]

यदि आपकी रुचि में सच्चाई है और ईमानदारी है तो आपको इस मुद्दे पर वाद-विवाद के लिए अवश्य अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। आप मुझे अपना वाक्य पूरा करने की अनुमति नहीं देते। यदि आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो मैं इस मुद्दे पर वाद-विवाद की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

आप नोटिस दीजिए, मैं चर्चा स्वीकृत करूंगा। आपके प्रति मेरे मन में सम्मान है।

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय अन्तर्संबंधित मंत्रालय हैं। दोनों मंत्रालयों के मंत्री यहां उपस्थित हैं और इसीलिए मैं प्रश्न पूछना चाहता था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसे विषयों पर कोई सदस्य डिबेट नहीं करते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों द्वारा भविष्य निधि का जमा न किया जाना

***284. श्री अरुण कुमार:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि की राशि को जमा कराने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या कुछ सरकारी उपक्रम कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि को उनके खाते में जमा नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भविष्य निधि की राशि को निर्धारित समय में कर्मचारियों के खाते में जमा करा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित सभी प्रतिष्ठानों द्वारा जिस माह के लिए वेतन देय हो जाता है उस माह के समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के अन्दर भविष्य निधि धनराशि जमा करवाया जाना आवश्यक है।

(ख) जी हां। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपने कामगारों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि राशि को जमा कराने में चूक कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि धनराशि जमा न कराने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गयी है।

(घ) सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों से बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए कदमों में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों; तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रभारी केन्द्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा जाना शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रतिष्ठानों द्वारा बेहतर अनुपालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से कार्यरत पद्धति के माध्यम से माह दर माह आधार पर प्रतिष्ठान के अनुपालन को मानीटर करने एवं कोई कमी पाये जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

अनुबंध

क्र.सं.	क्षेत्र	चूक करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (31 अक्तूबर 2003 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	25	52	56
2.	बिहार	12	27	32	30
3.	छत्तीसगढ़	0	2	3	2
4.	दिल्ली	5	4	1	1
5.	गुजरात	14	25	24	14
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	हरियाणा	3	5	5	5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	4	2	1
9.	झारखंड	0	9	8	4

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	11	20	30	26
11.	केरल	7	36	40	39
12.	मध्य प्रदेश	13	39	46	40
13.	महाराष्ट्र	38	46	46	46
14.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	3	35	35	50
15.	उड़ीसा	3	147	124	182
16.	पंजाब	3	20	23	93
17.	राजस्थान	4	8	13	9
18.	तमिलनाडु	14	32	31	31
19.	उत्तरांचल	0	7	22	24
20.	उत्तर प्रदेश	21	54	98	94
21.	पश्चिम बंगाल	60	83	68	81
	कुल	221	628	703	828

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो जवाब आया है, वह अपने आप में कान्ट्राडिक्ट्री है। मंत्री महोदय ने कहा कि पीएसयूज के एम्पलाइज की सैलरी 15 दिन में जमा हो जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें बहुत सारी कम्पनियों ने चूक की है जिन की मानिटरिंग हो रही है लेकिन डाटा से स्पष्ट है कि चूक करने वाली कम्पनियों की संख्या 2000-01 में 221, 2001-2002 में 628, 2002-2003 में 703 और अक्तूबर तक 2003 में 828 है। मानिटरिंग का परिणाम यह हो रहा है कि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह संख्या असैडिंग आर्डर में न जाकर डिसैंडिंग आर्डर में कैसे आएगी? पीएसयूज की मनमानी के कारण कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का धन उन तक नहीं पहुंचता है और उसका दुरूपयोग हो रहा है। सारे लोग नियमों के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं और कब तक इसमें सुधार होगा?

डा. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मानिटरिंग का क्या फायदा हो रहा है। यदि मैं थोड़े में बताऊं तो उनको पता चलेगा कि 1990-91 से लेकर 1998-99 तक जो कम्पनियां डिफाल्ट में थीं, हम उनसे कुल मिला कर 778 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाए, लेकिन हमने जब से सख्ती से मानिटरिंग शुरू की, अकेले 1999-2000 में 626 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 796 करोड़ रुपए, 2001-2002 में 858 करोड़ रुपए, 2002-2003 में 885.99 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। 1999 से लेकर अभी 31 अक्तूबर 2003 तक टोटल कालैक्शन 3936 करोड़ रुपए हुई है जबकि 1990-91 से 1998-99 तक केवल 778 करोड़ रुपए वसूल कर पाए थे उसकी तुलना में 1999 से लेकर 31 अक्तूबर 2003 तक 3936.23 करोड़ रुपए वसूल कर पाए हैं। यह बात सही है कि यूनिट्स की संख्या बढ़ी है लेकिन केवल साढ़े चार साल में पैसे की वसूली पांच गुना कर पाए हैं जो 778 से 3936 करोड़ रुपए हो गई। वह 1999 से आठ साल में कुल मिला कर 778 करोड़ रुपए थी और केवल विगत चार साल में लगभग 3936 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाए।

श्री अरुण कुमार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए, वे सही हैं और इनके प्रयास से काफी धन इकट्ठा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ जो संख्या बढ़ती जा रही है और चूक करने वाली कम्पनियों की मनमानी बढ़ती जा रही है उससे हम चिंतित हैं। चूंकि पिछले वर्षों में 1990-1999 तक जो स्थिति रही वह बड़ी हारिबल थी। पिछले साढ़े चार वर्षों में इसमें काफी सुधार हुआ है लेकिन 828 चूककर्त्ताओं की संख्या बढ़ी है जिससे चूक करने वाली कम्पनियों के कर्मचारियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है। वह इसे कैसे नियंत्रित करेंगे, हम इससे चिंतित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसे दुरुस्त किया जाएगा।

डा. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी मुख्यमंत्रियों को खासतौर पर स्टेट पीएसयूज या दूसरे आर्गेनाइजेशन्स के बारे में पत्र लिखे और व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर वार्ता की। मैंने आज सुबह पांच राज्यों—वैस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा कि इतना पैसा बकाया है। मैंने इसके पहले पत्र भी लिखा है, इनमें जानकारी दीजिए और पैसा दिलवाइए। इसी का फल है, जैसा मैंने आपको बताया कि जहां हमने पहले आठ साल में 778 करोड़ रुपए वसूल किए थे, डिफाल्ट में जो पैसा था, वह अब साढ़े चार साल में पांच गुना बढ़ गया। आठ साल में जो लिया था, उसकी तुलना में चार साल में उसका पांच गुना इकट्ठा कर पाए हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। पहले धारा-7 के अंतर्गत भविष्य निधि की कार्यवाही निर्धारित करके चूककर्त्ताओं को हम मांग नोटिस देते हैं और धारा-8 के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं। भुगतान के प्रति बैंकरों सहित तीसरे पक्ष के प्रति, उसके भविष्य निधि के प्रति नियोजित करने के लिये बैंकों को निर्देश करते हैं और उन्हें अरैस्ट करवाते हैं। कई-कई जगह तो यहां तक किया गया है कि कुछ पी.एस.यूज. का हम एकाऊंट अटैच करवा देते हैं। थोड़ा-बहुत चल रहा था लेकिन अब वह भी चलते-चलते बंद हो रहा है। इसलिये हम इतनी सख्त कार्यवाही करते हैं। सख्त कार्यवाही करने से ज्यादातर लोग परेशान हो चुके हैं। क्योंकि मजदूरों का पैसा है, इसलिये स्टेट पी.एस.यूज. से उनके ड्यूज लेने की कोशिश करते हैं।

संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन

***285. श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने की संभावनाओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने की अलग-अलग वार्षिक दर क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपर्युक्त क्षेत्रों में अलग-अलग दोनों क्षेत्रों द्वारा कुल कितने कामगारों को लगाए जाने का अनुमान है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेष समूह ने सभी संगत अध्ययनों, रिपोर्टों, कार्यवाहियों तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करते हुए देश में हो रहे रोजगार सृजन की जांच की तथा 10वीं योजनावधि के दौरान 10 मिलियन प्रति वर्ष की दर से 50 मिलियन लाभप्रद रोजगार अवसरों के सृजन हेतु कार्यनीतियां एवं कार्यक्रम सुझाए। तदनुरूप, 10वीं योजनावधि के दौरान 50 मिलियन रोजगार (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों पर विचार करते हुए) सृजित करने की परिकल्पना की गई है। इन 50 मिलियन रोजगारों में से, सकल घरेलू उत्पाद की 8% वार्षिक वृद्धि दर मानते हुए 30 मिलियन रोजगार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया तथा 20 मिलियन रोजगार अवसर विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित होंगे। 10वीं योजनावधि के अंत तक, चालू दैनिक स्थिति (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों पर विचार करते हुए) आधार पर देश में अनुमानित कार्यबल 392.35 मिलियन के लगभग होगा।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि 10वीं योजनावधि के दौरान 10 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से 50 मिलियन लाभप्रद रोजगार अवसरों के सृजन हेतु कार्यनीतियां एवं सुझाव हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार के मामले में संगठित क्षेत्र में 8 प्रतिशत और असंगठित क्षेत्र में 92 प्रतिशत कार्यरत हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 8 प्रतिशत वाले संगठित क्षेत्र में रोजगार की अधिकतम सुरक्षा है, वहां इनसैंटिव भी मिलता है जबकि असंगठित क्षेत्र के रोजगार में न तो सुरक्षा होती है और न ही इनसैंटिव मिलता है। क्या सरकार संगठित क्षेत्र में 8 प्रतिशत को बढ़ाकर 30-40 प्रतिशत तक ले जायेगी और इस ओर ध्यान देगी जिससे संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेगी। क्या सरकार उस वायदे को पूरा करने के लिये संगठित क्षेत्र के माध्यम से प्रयास कर रही है?

डा. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक संगठित और असंगठित क्षेत्र का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि संगठित क्षेत्र के रोजगार हम अधिक नहीं बढ़ा पा रहे हैं लेकिन पिछले एक वर्ष में जिस तरह से देश की आर्थिक नीति के कारण उछाल आया है, गत एक साल का असैसमैंट अभी नहीं आ पाया है, फिर भी हमारी जानकारी के मुताबिक इस एक वर्ष में असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। उस एक वर्ष का स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं आया है कि कितना बढ़ा है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। यह बात सही है कि संगठित क्षेत्र में हम रोजगार ज्यादा नहीं बढ़ा पाये

हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ा पाये हैं। यह सही है कि संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र में अनिश्चितता ज्यादा है, सामाजिक सुरक्षा कम है, इसलिये हम संगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार बढ़ायें। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा अधिक मिलेगी। इसके लिये माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणा हो चुकी है और ग्रुप आफ मिनिस्टर्स फैसला कर चुके हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, यहां तक कि जो सैल्फ-एम्प्लायड हैं, जिनके संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है कि देश के अंदर 92 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा देने का फैसला सरकार ने किया है। इस मामले में बहुत जल्दी फैसला होने वाला है, ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स निर्णय ले चुके हैं और जल्दी ही हम एक कानून बनायेंगे जिसमें देश के कुल 36-37 करोड़ लोग कवर हो जायेंगे। जैसा माननीय सदस्य को मालूम होगा कि देश के आजाद होने के बाद उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है, सैल्फ-एम्प्लायड लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है, अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, उन्हें मैडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, उनकी डैथ पर इन्श्योरेंस का एक लाख रुपया मिलेगा, जब वे साठ साल के हो जायेंगे, तब भी उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तथा पेंशन मिलेगी और उन्हें फैमिली पैंशन भी मिलेगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी व्यवस्था के लिये सरकार ने नेशनल लेबर कमीशन बिठाया, उसकी रिपोर्ट ली है। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा सैक्रेटरीज के साथ मीटिंग की, जिसमें यह तय किया गया कि देश के अंदर अम्ब्रेला रिजोल्यूशन लाया जाये, जिसके लिये व्यवस्था हो रही है। जैसा मैंने बताया कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स इस योजना की क्लीयरेंस कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न और जवाब दोनों छोटे होने चाहिए।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संगठित क्षेत्र में 92 फीसदी कर्मियों के संबंध में विवरण दिया और कहा कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, उससे मैं भी सहमत हूं, लेकिन मैं इस विषय पर चिंता प्रकट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है, उसकी मूल अवधारणा से संगठित क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोत्तरी के संबंध में एक संदेश बेरोजगारों के बीच में गया है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगारों की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि मंत्री जी असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की बात सोच रहे हैं और उसे लागू करने वाले हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की मान्यता है कि असंगठित क्षेत्र में सिक्युरिटी और इन्सैन्टिव पूरी तौर पर संभव नहीं हो सकते, क्योंकि वह असंगठित क्षेत्र है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। यदि यह संभव नहीं है तो हम चाहते हैं कि देश में संविधान संशोधन करके श्रम को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की स्वीकृति देने का काम सरकार करे। क्या सरकार में इस बारे में विचार हो रहा है कि श्रम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करके सबको रोजगार देने का काम किया जाए।

डा. साहिब सिंह वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता सही है और उनका यह कहना कि संगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार बढ़ने चाहिए, यह सही है। सरकार इस दिशा में चिंतित है। मैंने सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर यह कहा है। कुछ प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने हमसे स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाकर असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की बात कही है और हमने तुरंत उसकी स्वीकृति दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: किसी भी मुख्यमंत्री की इसमें रुचि नहीं है *...(व्यवधान)* उन्होंने भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याणकारी कोष के बारे में लिखना प्रारम्भ किया *...(व्यवधान)* मंत्री महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि इसका हल निकालने के लिए आप मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखें अथवा संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलाएं *...(व्यवधान)* किन्तु कोई काम नहीं कर रहा है। यह इस बारे में बात करने का अच्छा तरीका है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। अभी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी है। जो प्रश्न का उत्तर शुरू है, वही पूरा कीजिए।

श्री नवल किशोर राय: मंत्री जी, मैंने श्रम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की बात कही है।

डा. साहिब सिंह वर्मा: मैं वह भी बताऊंगा। महोदय, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, प्रथम, माननीय सदस्य का कहना है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने चाहिए। संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि स्पेशल इकोनोमिक जोन का एक कान्सैप्ट देश में चालू है। कुछ मुख्य मंत्री, जो बहुत तेजी से अपने प्रदेशों में काम करना चाहते हैं, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रदेश शामिल हैं। उन मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए कुछ खास परमीशन हमसे लेने के लिए कहा। हमने लगभग सभी को वह परमीशन दे दी है। श्रीनगर में जो इंटर-स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि किसी भी राज्य से अगर इस प्रकार का सुझाव, जो फ्लैक्सिबिलिटी आफ लेबर लाज के बारे में हो या किसी तरह की सैंक्शन लेने के बारे में हो, उसे हम तीन दिन

के अंदर स्वीकृति देकर भिजवा दें। इस तरह के प्रस्ताव को हमने तीस दिन के अंदर स्वीकृति देने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय: मि. बराड़, आप बोलिये।

डा. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ।

श्री जे.एस. बराड़: अध्यक्ष महोदय, ने मुझे बोलने की इजाजत दी है।

डा. साहिब सिंह वर्मा: मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है, मेरा जवाब अधूरा है। दूसरी बात यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए हमने एक फिक्स्ड टर्म आफ अपाइंटमैन्ट का नोटिफिकेशन किया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्वैश्चन आवर पूरा हो रहा है, आप समाप्त कीजिए।

डा. साहिब सिंह वर्मा: हमने सब मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे अपने प्रदेश में फिक्स्ड टर्म आफ अपाइंटमैन्ट को लागू करें, ताकि संगठित क्षेत्र में उनके यहां रोजगार बढ़ सकें। अभी माननीय सदस्य ने मौलिक अधिकार की बात कही।

अध्यक्ष महोदय: पहले जो उत्तर आया था, उसमें यह बात आई थी।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मंत्री जी मौलिक अधिकार के बारे में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर मिलेगा, अभी आप बैठिये। मि. बराड़, आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिये।

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है *...(व्यवधान)* आज बेरोजगारी की समस्या देश में महत्वपूर्ण विषय है। इस देश में 42 मिलियन खेतीहर मजदूर हैं *...(व्यवधान)* राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार/भा.ज.पा. सरकार इस मोर्चे पर कुछ करने में बुरी तरह विफल हुई है। मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार द्वारा दो कृतिक बल समितियों की स्थापना की गई थी। जिनमें एक समिति की अध्यक्षता श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया और दूसरी समिति की अध्यक्षता श्री गुप्ता ने की थी। इन समितियों की क्या रिपोर्ट आई? क्या शिक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण का अभिविन्यास करने हेतु कोई सुझाव है?

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: श्री बराड़, पहले ही बारह बज चुके हैं और यदि इस जैसा लम्बा प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, 42 मिलियन नौकरी तलाश करने वालों को कठिनाई हो रही है। सरकार उनके लिए क्या कर रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसी प्रश्न के साथ रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने का जो प्रश्न है, उसका भी उत्तर दीजिए।

डा. साहिब सिंह वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात है, *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: क्या इसके लिए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कोई कार्रवाई की है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं।

डा. साहिब सिंह वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की जहां तक बात है, शुरू से ही *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, प्रश्न काल समाप्त हो रहा है। कृपया संक्षेप में उत्तर दें।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा: मैं संक्षेप में उत्तर देता हूं। इसे मौलिक अधिकारों में शामिल करने के प्रश्न पर सरकार चिन्तित है और कार्रवाई कर रही है कि किस प्रकार से रोजगार मौलिक अधिकार बने, किस प्रकार से बेरोजगारों को भत्ता मिले, किस प्रकार से राज्यों से तालमेल हो, इस पर पहले चर्चा चली थी। राम विलास जी ने भी एक दिन यह सवाल उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है।

डा. साहिब सिंह वर्मा: उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और जो आपने कही है कि किस तरह से हम रोजगार बढ़ा रहे हैं। एस.पी. गुप्ता और मौन्टेक सिंह आहलूवालिया समितियों की जो रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें कहा गया कि 10 मिलियन जाब हर साल बढ़ाएंगे और आपकी जानकारी के

लिए मैं बताना चाहता हूं कि उसी रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें उन्होंने सुझाई थीं, 2002-2003 के अंदर हमारा जो 4.3 प्रतिशत ग्रोथ रेट बढ़ा था, उससे हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2.77 लाख, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर 4.83 लाख, प्रधान मंत्री रोजगार योजना पर 3 लाख, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1.6 लाख और स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना 3.2 लाख - इस प्रकार कुल मिलाकर 1 मिलियन रोजगार तैयार किये गये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

*281. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं;

(ख) क्या देश के आकार और विमान यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर यह संख्या अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की आवश्यकता है और कितने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए निर्माण योजनाएं तैयार की जा रही हैं; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) देश में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

(ख) सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने के लिए सीमा-शुल्क और आव्रजन सुविधाओं वाले नौ अन्य अंतर्देशीय हवाई अड्डों सहित वर्तमान 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बढ़ते यात्री यातायात को हैंडल करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जहां कहीं आवश्यकता है, टर्मिनल क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा, बंगलौर और हैदराबाद में निजी सैक्टर की भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की निर्माण योजना बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए श्रीनगर हवाईअड्डे पर सुविधाओं का उन्नयन भी किया जा रहा है। सरकार ने गोवा में मोपा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(घ) बंगलौर के मामले में, सीमेन्स, जर्मनी के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम का चयन रणनीतिक संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में किया गया है। बंगलौर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी को जनवरी, 2001 में निगमित किया गया। शेयर होल्डर्स करार पर 23.1.2002 को हस्ताक्षर किए गये। रियायत, सीएनएस/एटीएम, राज्य सहायता तथा भू-पट्टा करार जैसे निर्णायक करार इस समय पूरी होने वाली बहुत अग्रिम अवस्थाओं में हैं। वित्तीय व्यवस्थाएं (फाइनैनशियल क्लोजर) दिसम्बर, 2003 तक पूरी होने की आशा है और इसके तुरन्त बाद ही वास्तविक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हैदराबाद के संबंध में, मैसर्स जीएमआर-एमएएचबी को अधिमत बोली लगाने वाला चुना गया है। हैदराबाद इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से एक कम्पनी निगमित की गई है। शेयर होल्डर्स करार, भू-पट्टा करार तथा राज्य सहायता करार को 30.9.2003 को निष्पादित किया गया है। वित्तीय व्यवस्थाएं (फाइनैनशियल क्लोजर) पहली सितम्बर, 2004 तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। मोपा, गोवा के मामले में, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के माध्यम से किए गए व्यवहार्यता अध्ययन को प्राप्त कर रही है।

[अनुवाद]

कपास के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

*286. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपास का उत्पादन बढ़ाने और कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु शुरू किए गए प्रौद्योगिकी मिशन का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कपास की फसल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किये गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने हेक्टेयर भूमि कपास की खेती के अंतर्गत लाई गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को कपास के नकली बीजों की आपूर्ति की जा रही है जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि उन से कपास का कम उत्पादन होता है और कीटनाशक भी अधिक लगते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कपास के नकली बीजों की आपूर्ति रोकने और किसानों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार ने कपास का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए फरवरी 2000 में, कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था। इस मिशन के चार मिनि मिशन हैं। मिनि मिशन-1 प्रौद्योगिकी के अनुसंधान तथा सृजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अपने संस्थानों के माध्यम से कपास उत्पादन के लिए नई स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का सृजन कर रहा है। मिनि मिशन-2 प्रौद्योगिकी के अन्तरण और महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तेरह कपास उत्पादक राज्यों में राज्य कृषि विभागों के माध्यम से कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मिनि मिशन-3 और 4 का कार्यान्वयन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मिनि मिशन-3 बाजार अवसंरचना के विकास जैसे मण्डी यार्डों, नीलामी केन्द्रों, श्रेणीकरण सुविधाओं, कपास की इक्विटी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के निर्माण आदि के लिए है और मिनि मिशन-4 ओटाई (गिनिंग) तथा प्रैसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के कार्यों में लगा है।

किसानों को कपास की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के मिनि मिशन-2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदानों जैसे क्वालिटी बीजों, स्प्रेयरों, छिड़कावकों तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जैव-एजेन्टों फैरोमोन ट्रैपों आदि की आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्पादन और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकारों द्वारा फील्ड प्रदर्शनों और कृषकों/विस्तार कर्मियों/डीलरों के प्रशिक्षण तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, जैव-एजेन्ट उत्पादन इकाइयों की स्थापना और फाहा से बीज अलग करने वाले संयंत्रों (सीड डी-लिंटिंग प्लांटस) की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। आदान आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा शोषण से किसानों को बचाने के लिए निर्मुक्त कपास कल्टीवरों के प्रमाणित बीज, समेकित कृमि प्रबन्धन और समेकित पोषक तत्व प्रबन्धन का संवर्धन और कपास उत्पादक राज्यों के कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। इस प्रकार, गुणवत्ता युक्त कपास की उत्पादकता (प्रति इकाई उत्पादन) बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का लक्ष्य कपास की निरंतर वृद्धि करना है।

गत तीन वर्षों के दौरान, देश में कपास के अंतर्गत कवर किया गया कुल क्षेत्र नीचे दिया गया है:-

वर्ष	क्षेत्र (000 हैक्टेयर में)
2000-01	8534.60
2001-02	9097.20
2002-03	7476.00 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे नकली बीजों की आपूर्ति में संलिप्त गलती करने वाले बीज डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अपने प्रवर्तन तन्त्रों को तेज करें और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों के अनुसार दाण्डिक कार्रवाई करें। राज्यों में बीज परीक्षण सुविधाएं सृजित करने के लिए कई बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के मिनि मिशन-2 के अंतर्गत प्रजनक, आधारी बीजों के उत्पादन के साथ-साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विमान परिचारिकाओं के प्रति भेदभाव

***287. श्री सुनील खां:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस ने 50 वर्ष से अधिक आयु की विमान परिचारिकाओं को विमान संचालन संबंधी सेवाओं से अलग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला पायलटों को 60 वर्ष की आयु तक विमान उड़ाने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो महिला कर्मचारियों की इन दो श्रेणियों के बीच भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सकार एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस को ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए निर्देश देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इंडियन एयरलाइंस की विमान परिचारिकाएं 58 वर्ष की आयु तक विमान संचालन संबंधी सेवाएं कर रही हैं। एअर इंडिया ने 50 वर्ष से अधिक आयु की विमान परिचारिकाओं को विमान संचालन संबंधी सेवाओं से अलग कर भू-कार्यालयों में लगा दिया है।

(ख) जी, नहीं। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में पुरुष व स्त्री दोनों तरह के पायलटों को 58 वर्ष की आयु तक विमान संचालन संबंधी सेवाएं करने की अनुमति है।

(ग) से (ङ) सरकार ने बाद में एअर इंडिया को निर्देश दिया कि इस संबंध में निर्धारित सामान्य शर्तों का अनुपालन करते हुए परिस्थितियों की अनिवार्यता तथा एअर इंडिया के प्रचालनों के हित को ध्यान में रखते हुए महिला केबिन क्रू को 58 वर्ष की आयु तक विमान संचालन संबंधी सेवाएं करने की अनुमति दी जा सकती है।

एयर इंडिया का बाजार हिस्सा

***288. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार हिस्सा बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार के पास वर्तमान में एयर इंडिया के बाजार हिस्से के कम प्रतिशत के मद्देनजर इसकी क्षमता और बाजार हिस्से में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या पहल की गई है; और

(घ) प्रस्तावित नए गंतव्य स्थलों और क्षमता संवर्द्धन संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। भारत के लिए/यहां से अंतर्राष्ट्रीय एयर मार्किट में एअर इंडिया का मार्किट शेयर वर्ष 2002 में 19.9 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने दिनांक 8.11.2003 को हुई अपनी बैठक में 10,589 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 10 मध्यम क्षमता लम्बी दूरी के (ए 340-300) तथा 18 कम क्षमता कम दूरी के (बी 737-800) विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से संबंधित परियोजना रिपोर्ट सरकार को अभी तक नहीं मिली है।

एयर इंडिया ने कुल 12 विमान अर्थात् 2 बी 747-400 और 10 ए310-300 विमान ड्राईलीज पर अपने बेड़े में शामिल किए हैं। शीघ्र ही एक और बी747-400 विमान तथा एक और ए310-300 विमान ड्राईलीज पर ले लिए जाएंगे।

एअर इंडिया ने मार्किट शेयर में वृद्धि करने के लिए ड्राईलीज पर लिए गए विमानों को बेड़े में शामिल करने के अलावा, विभिन्न मार्किटिंग पहल भी शुरू की हैं।

(घ) अतिरिक्त ड्राईलीज पर लिए गए विमानों को बेड़े में शामिल करने के साथ, एअर इंडिया का ग्रीष्मकालीन-2004 अनुसूची में एक नए गंतव्य-स्थल के रूप में लागोस के लिए सेवा प्रचालित करने का प्रस्ताव है। हाल ही के दिनों में एअर इंडिया ने शंघाई के लिए सप्ताह में दो उड़ानें शुरू की हैं तथा अमेरिका के लिए प्रति सप्ताह पांच उड़ानें और कर दी हैं।

गन्ना उत्पादकों को सहायता

***289. श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लिए 678.06 करोड़ रुपये के एकमुश्त सहायता पैकेज को स्वीकृत किया है;

(ख) क्या यह सहायता उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब और बिहार को ही दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों के गन्ना उत्पादकों के साथ भेदभाव करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य राज्यों ने भी केन्द्रीय सहायता की मांग की है और यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं; और

(ङ) इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को उन गन्ना किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कृषि मंत्रालय के माध्यम से 4% वार्षिक दर पर ऋण के रूप में 678.06 करोड़ रु. की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पंजाब और हरियाणा जहां राज्य परामर्शी मूल्य प्रचलन में थे, में निजी क्षेत्र की चीनी फैक्टरियों के मामले में सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) और राज्य परामर्शी मूल्य (एस.ए.पी.) के बीच अन्तर से उद्भूत वर्ष 2002-03 के मौसम के लिए गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनार्टक और गुजरात राज्यों ने भी केन्द्रीय सहायता की मांग की है। गन्ने के लिए राज्य परामर्शी मूल्य (एस.ए.पी.) घोषित न करने वाले राज्यों में सभी चीनी मिलों के लिए तथा एस.ए.पी. राज्यों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के चीनी मिलों के लिए केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक अलग पैकेज अनुमोदित किया गया है। इस पैकेज के तहत वर्ष 2002-03

के गन्ना मौसम के गन्ना मूल्य की बकाया राशि का निपटान करने के लिए चीनी फैक्टरियों की मदद करने के लिए बाजार उधार के रूप में राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बाजार से अतिरिक्त उधारों के माध्यम से प्राप्त बांडों की कूपन पर तथा 4% दर, जिस पर इन राज्य सरकारों द्वारा चीनी मिलों को ऋण दिया जाएगा, के अंतर की सीमा तक ब्याज देयता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकारों को खुले बाजार से अतिरिक्त उधार प्राप्त करने की अनुमति मांगते हुए वित्त मंत्रालय को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। केन्द्रीय सरकार ने 300 करोड़ रुपये की राशि खुले बाजार से अतिरिक्त उधार के रूप में प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

जल संसाधनों को बढ़ाना

***290. श्री अशोक ना. मोहोल:**
डा. अशोक पटेल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल संसाधनों को बढ़ाने हेतु कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक/ वित्तीय संस्थाओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) और (ख) विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की अनुमानित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों का निम्नलिखित के जरिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) निर्माणाधीन जल संसाधन परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ लगभग 75 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) जल के अतिरिक्त जल भंडारणों का सृजन करना;

(2) आयोजनाधीन और अन्वेषणाधीन जल संसाधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित लगभग 132 बीसीएम जल के अतिरिक्त भंडारणों का सृजन करना;

(3) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास नामक दो घटकों वाली राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना; और

(4) वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संबंधी उपायों को अपनाना।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1,52,429 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत स्कीमों की लागत लगभग 5,60,000 करोड़ रुपये के बराबर आंकी गई है।

(ग) विशिष्ट स्कीमों की विस्तृत जांच के पश्चात इनके लिए विश्व बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए सरकार द्वारा विचार किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गंगा और अन्य नदियों में प्रदूषण

***291. श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार गंगा देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) देश में अन्य नदियों की राज्यवार स्थिति क्या है और किन-किन क्षेत्रों में नदियां अधिक प्रदूषित हैं; और

(घ) इन नदियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा 34 स्थानों पर किए गए जल गुणता मानीटरिंग अध्ययनों के आधार पर गंगा नदी अपने पूरे मार्ग में प्रदूषित नहीं है। परन्तु कन्नौज और वाराणसी के उर्ध्वप्रवाह में गंगा नदी के भाग को प्रदूषित भाग के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। इन भागों में जल गुणता जैव

रसायन आक्सीजन मांग और कुल कोलीफार्म बैक्टीरिया के अपेक्षित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

(ख) औद्योगिक एवं अशोधित/आंशिक शोधित घरेलू मलजल का नदी में बहाया जाना ही प्रदूषण का मुख्य कारण है। कन्नौज में काली नदी एवं राम गंगा के माध्यम से निस्तारण होता है। इसके अतिरिक्त कानपुर और कन्नौज से सीवेज और औद्योगिक बहिस्राव भी नदी को प्रदूषित करते हैं। वाराणसी के उर्ध्वप्रवाह के मामले में मलजल एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल का इसमें निस्तारण होता है।

(ग) विभिन्न नदियों के 514 स्थानों पर किए गए जल गुणता मानीटरिंग के आधार पर विभिन्न राज्यों के प्रदूषित भागों के रूप में अभिनिर्धारित किए गए अन्य नदी भाग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को 18 राज्यों में 31 प्रदूषित नदियों के किनारे स्थित 157 शहरों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों की अनुमोदित लागत 4688 करोड़ है। योजना पर अब तक 1335 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

विवरण

प्रदूषित नदी क्षेत्रों की राज्यवार सूची

नदी		प्रदूषित क्षेत्र
1		2
		आंध्र प्रदेश
गोदावरी	*	पोलबरम से राजामुन्दरी अधोप्रवाह
नागावल्ली	*	नागावल्ली के किनारे थोटापल्ली रेगुलेटर
मुसी	*	हैदराबाद का अधोप्रवाह
		असम
कोलोंग	*	एलंगाबील प्रणाली
भारालु	*	गुवाहाटी अधोप्रवाह
		दिल्ली
यमुना	*	वजीराबाद से ओखला
		झारखण्ड
सुवर्णरेखा	*	रांची से जमशेदपुर अधोप्रवाह
		गुजरात
साबरमीत	*	अहमदाबाद से वोथा अधोप्रवाह
	*	कनकोरिया झील अहमदाबाद
अमलाखाड़ी	*	अंकेश्वर के किनारे
शहडी	*	खेड़ा के किनारे
दमनगंगा	*	वापी अधोप्रवाह से समुद्र में संगम
अम्बिका	*	बिल्लीमोरा अधोप्रवाह
भद्रा	*	जैतपुर से रतिया (जूनागढ़)
खारी	*	लालीगांव अहमदाबाद
कोलाक	*	वापी से पटालिया
पार	*	वापी से पटालिया
		हरियाणा
घग्गर	*	पंजाब के साथ अंतर-राज्यीय सीमा से सिरसा में ओट्टू वायर
यमुना	*	ओखला से कोसीकलान
गाला नं. 8	*	सोनीपत से यमुना के साथ संगम
		हिमाचल प्रदेश
मार्कण्डा	*	काला अम्बाला से हरियाणा सीमा अधोप्रवाह
		कर्नाटक
भद्रा	*	मालेश्वरम से भद्रावती का अधोप्रवाह
तुंगा	*	शिमोगा अधोप्रवाह
काली	*	डान्डली शहर के किनारे
तुंगभद्रा	*	हरीहर अधोप्रवाह से इहाली ब्रिज
		मध्य प्रदेश
खान नदी	*	इन्दौर शहर से क्षिप्रा के साथ संगम
क्षिप्रा	*	उज्जैन से चम्बल संगम
चम्बल	*	नागदा अधोप्रवाह
तापी	*	नापानगर अधोप्रवाह से बुरहानपुर शहर

1		2
		महाराष्ट्र
गोदावरी	*	नासिक से (रहेर) नान्देड़
कालु	*	अटाले गांव से उल्हास संगम तक
उल्हास	*	मोहने से बादापुर
वैनगंगा	*	अस्हती अधोप्रवाह
पंचगंगा	*	इचालकरंणी के किनारे
वार्धा	*	राजोरा गांव के किनारे
भीमा	*	परगांव से दोन्द नदी संगम
मूला और मुथा	*	पुणे शहर अधोप्रवाह
भातसा	*	शाहपुर औद्योगिक शहर अधोप्रवाह
पातालगंगा	*	खोपाली से नदीमुख क्षेत्र
कुन्डालिका	*	रोहा शहर किनारे
कृष्णा	*	धोमदाम से सांगली
तापी	*	मध्य प्रदेश सीमा से भुसावल
गिरना	*	मालेगांव से तापी संगम
नीरा	*	पुलगांव किनारे
खरखाला	*	सुतंगा खिलैरी, जैनतिया पहाड़ों के निकट
		उड़ीसा
ब्राह्मणी	*	पनपोश अधोप्रवाह से धर्मशाला
इब	*	सुन्दरगढ़ से महानदी संगम
महानदी	*	कटक अधोप्रवाह
कुआखाई	*	भुवनेश्वर किनारे
काथजोड़ी	*	कटक किनारे
		पंजाब
सतलज	*	लुधियाना अधोप्रवाह
ब्यास	*	मुकेरियां अधोप्रवाह
घग्गर	*	मुबारकपुर से शरदूलगढ़

1		2
		राजस्थान
घग्गर	*	ओटु वीर से हनुमानगढ़
चम्बल	*	कोटा शहर अधोप्रवाह
बनास/बीराचनदी	*	उदयपुर से चित्तौड़गढ़
		तमिलनाडु
वैगई	*	मदुरई किनारे
पालार	*	वैनयमबादी
अडयार	*	चैन्नई किनारे
क्यूम	*	चैन्नई किनारे
ताम्बरनी	*	पापविनाशन से अरनगनेरी
नौय्याल	*	कोयम्बतूर, त्रिपुरा
कावेरी	*	मैटुर बांध अधोप्रवाह से इरोड़ शहर
		सिक्किम
रानीचू	*	रानीपुर किनारे
		उत्तर प्रदेश
यमुना	*	कोसी कलां से चम्बल संगम
हिण्डन	*	सहारनपुर से यमुना संगम
पश्चिम काली	*	मुजफ्फरनगर से हिण्डन संगम
बूढ़ी यमुना	*	पिलखानी से यमुना संगम
काली नदी पर्व	*	मेरठ से कन्नौज
गोमती	*	लखनऊ से गंगा संगम
गंगा	*	कन्नौज से कानपुर अधोप्रवाह
	*	वाराणसी अधोप्रवाह
		पश्चिम बंगाल
दामोदर	*	दुर्गापुर से हल्दिया

पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास

*292. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आगामी सर्दियों के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी की अपेक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं सृजित की गयी हैं;

(ग) किन क्षेत्रों और प्रदेशों द्वारा सर्वाधिक विदेशी तथा देशी पर्यटकों को आकर्षित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों में तथा उसके आसपास विशेष रूप से महिला पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। जनवरी से नवम्बर 2003 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों एवं विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 14.6% तथा 22.4% रही। यह प्रवृत्ति जारी रहने की सम्भावना है।

(ख) विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अवसंरचना सुविधाओं के सृजन सहित पर्यटक स्थानों का विकास मुख्यतया निजी क्षेत्र तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से एकीकृत पर्यटन परिपथों, उत्पाद/अवसंरचना, गंतव्य विकास परियोजनाओं, आदि का विकास करता है।

(ग) वर्ष 2002 के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर घरेलू पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पांच प्रमुख राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरांचल तथा महाराष्ट्र और विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पांच प्रमुख राज्य हैं: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा स्वच्छ नागरिक प्रशासन के तत्वों का समन्वय करते हुए पर्यटन हबों एवं एकीकृत परिपथों का विकास कर रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि विकसित अवसंरचना के साथ ये हब/परिपथ अधिकतम पर्यटक आगमन आकर्षित करेंगे।

(घ) पर्यटकों सहित सभी को सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की जाती है। भारत सरकार की सलाह पर केरल, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश की सरकारों ने महिला पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं उनके बचाव के लिए पर्यटक पुलिस बल भी गठित किए हैं।

रोजगार प्राप्त बच्चों के लिए पुनर्वास योजना

*293. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सहित कुछ राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं में बच्चों से भी कार्य करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे राज्यों के साथ इस मुद्दे को उठाया है तथा पूरे देश में खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे चार लाख बच्चों के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्वास योजना भी प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए योजना आयोग द्वारा भी कुछ धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा उनकी परियोजनाओं में बच्चों को नियोजित किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य सरकार की परियोजनाओं में किसी भी बच्चे को नियोजित नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) बाल श्रम उन्मूलन के मुद्दे को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित रूप में राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है। एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार याचिका सं. 465 के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण की योजना नामक एक योजना तैयार करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस योजना का उद्देश्य कार्य करने वाले बेसहारा बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सहित अवसर प्रदान करना है किन्हीं ताकि स्कूल में शिक्षा प्राप्त न कर सके अथवा किन्हीं कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश/पुन:प्रवेश करने में मदद

की जा सके। यह योजना उन शहरी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करेगी जिन्हें श्रम मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के दायरे में पहले से शामिल नहीं किया गया है। यह योजना बंधुआ श्रमिकों और सक्षम बाल श्रमिकों, विशेषकर ऐसे बच्चों के सम्पूर्ण विकास में सहयोग करेगी जिन्हें परिवार से कोई सहयोग नहीं मिलता अथवा बहुत मामूली सहयोग प्राप्त होता है।

सरकार पहले ही देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चला रही है। नवीं योजना में उपर्युक्त योजना को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले बाल श्रम के उन्मूलन के लिए 100 जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के दायरे में शामिल किया गया था।

दसवीं योजना के अंतर्गत योजना की शेष अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के दायरे में 150 अतिरिक्त जिलों को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की उपर्युक्त योजना के लिए दसवीं योजना (2002-07) के लिए परिव्यय 45 करोड़ रुपए है।

नवीं योजना के दौरान देश में रा.बा.श्र. परियोजनाओं के लिए परिव्यय 249 करोड़ रुपए तथा और 10वीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 602 करोड़ रुपए है।

योजना को कार्यान्वित किए जाने के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अभिसमय संख्या 151 का अनुसमर्थन

*294. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और श्रम संगठनों को लोकतांत्रिक और राजनैतिक अधिकर देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) की अभिसमय संख्या 151 का अनुसमर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी श्रमिकोन्मुखी अभिसमयों का अनुसमर्थन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया गया है क्योंकि अभिसमय के उपबंध मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों एवं पद्धतियों के पूरी तरह अनुरूप नहीं हैं।

(घ) सभी अभिसमयों के अनुसमर्थन पर तभी विचार किया जाता है जब राष्ट्रीय कानूनों एवं पद्धतियों को अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कर लिया जाता है।

वायु क्षेत्र की निगरानी

*295. **डा. रमेश चन्द तोमर:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अमरीका में 11 सितम्बर के हमले के बाद से बढ़े आतंकवादी खतरे के मद्देनजर पूरे भारतीय वायु क्षेत्र की राडारों से निगरानी करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान यातायात की निगरानी हेतु स्थापित वर्तमान राडार मानक स्तर के नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर अत्याधुनिक राडारों को स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) 8 हवाईअड्डों पर लगाए गए प्रमुख राडार विमान के पहुंच और अवतरण स्थितियों के दौरान निगरानी कवरेज करते हैं। 14 स्थानों पर लगाए गए सहायक राडार भारत के सभी प्रमुख वायु मार्गों की समग्र निगरानी कवरेज करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के संचार, दिक्चालन, निगरानी/वायु यातायात प्रबन्धन योजना के अनुसार हैं और वायु सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरी तरह, पूरा करते हैं।

(ग) विभिन्न स्थानों पर संस्थापित सभी राडार अत्याधुनिक हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई सी ए ओ) की विशिष्टताओं के अनुसार मोड-एस क्षमता तथा न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई चेतावनी जैसे सुरक्षित उपकरणों से लैस हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटर-बेसिन नदी संपर्क

*296. **श्री पी. राजेन्द्रन: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सूखा-प्रवण क्षेत्रों को होने वाली समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान के लिए कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन 30 इंटर-बेसिन नदी संपर्कों और बेसिनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके पास श्रेणीवार कितना ऐसा अतिरिक्त पानी है जिसका बंटवारा हो सकता है; और

(ग) प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पानी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) जी, हां।

(ख) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन कम करने एवं उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का अंतर्बेशिन हस्तांतरण करने की योजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक नामत: हिमालयी नदी विकास घटक एवं प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जल संतुलन एवं व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन के आधार पर व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16) की पहचान की गई है। जल हस्तांतरण संपर्कों की सूची विवरण I और II में दी गई है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा बेसिनवार/उप बेसिनवार किए गए जल संतुलन अध्ययन के अनुसार, निम्नलिखित वृहद बेसिनों/उप बेसिनों की पहचान जल की अधिकता वाले बेसिनों के रूप में की गई है:-

* प्रायद्वीपीय घटक : महानदी, गोदावरी, केन, पारबती, काली सिंध, पार तथा पार एवं तापी के मध्य पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां, दमनगंगा, पंबा, अचनकोविल, नेत्रावती और बेदती।

* हिमालयी घटक : कोसी, शारदा, घाघरा, गंडक, मानस, संकोश, अई, रायदक, टोरसा और जलढाका।

(ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत 174 प्रायोगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। गत तीन वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गई निधि सहित प्रायोगिक परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय जल निकास अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए हिमालयी घटक के अंतर्गत अभिज्ञात जल हस्तांतरण संपर्कों की सूची

क्र.सं.	संपर्क का नाम	लाभग्राही राज्य
1	2	3
1.	कोसी-मेची संपर्क	बिहार
2.	कोसी-घाघरा संपर्क	बिहार और उत्तर प्रदेश
3.	गण्डक-गंगा संपर्क	उत्तर प्रदेश
4.	घाघरा-यमुना संपर्क	उत्तर प्रदेश
5.	शारदा-यमुना संपर्क	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
6.	यमुना-राजस्थान संपर्क	हरियाणा और राजस्थान
7.	राजस्थान-साबरमती संपर्क	राजस्थान और गुजरात

1	2	3
8.	चुनार-सोन बराज संपर्क	बिहार और उत्तर प्रदेश
9.	सोनबांध-गंगा की दक्षिणी वितरिकाएं संपर्क	बिहार और झारखंड
10.	ब्रह्मपुत्र-गंगा संपर्क (मानस-सनकोश-तीस्ता-गंगा)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार (एल्ट. टू एम एस टी जी)
12.	फरक्का-सुन्दरबन संपर्क	पश्चिम बंगाल
13.	गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुबर्णरेखा संपर्क	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड
14.	सुबर्णरेखा-महानदी संपर्क	पश्चिम बंगाल और उड़ीसा

विवरण II

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत अभिज्ञात जल हस्तांतरण संपर्कों की सूची

क्र.सं.	नाम	लाभग्राही राज्य
1.	महानदी (मणिभद्र)-गोदावरी (दोइलैश्वरम) संपर्क	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा
2.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क	आंध्र प्रदेश
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क	आंध्र प्रदेश
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली निचला बांध-कृष्णा नागार्जुनसागर टेल पांड) संपर्क	आंध्र प्रदेश
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सामसीला) संपर्क	आंध्र प्रदेश
6.	कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार (प्रोदत्तुर) संपर्क	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
7.	कृष्णा (अलमाटी)-पेन्नार संपर्क	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
8.	पेन्नार (सोमसीला)-कावेरी-(ग्रैण्ड एनिकट) संपर्क	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी
9.	कावेरी (कट्टालई)-वैगई-गुंडार संपर्क	तमिलनाडु
10.	पारबती-कालीसिंध-चंबल संपर्क	मध्य प्रदेश और राजस्थान
11.	दमनगंगा-पिंजाल संपर्क	महाराष्ट्र (मुंबई के लिए एकमात्र जल आपूर्ति)
12.	पार-तापी-नर्मदा संपर्क	गुजरात
13.	केन-बेतवा संपर्क	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
14.	पम्बा-अचनकोविल-वैप्पार संपर्क	तमिलनाडु
15.	बेदती-वर्दा संपर्क	कर्नाटक
16.	नेत्रावती-हेमावती संपर्क	कर्नाटक

विवरण III

राज्य सरकारों को प्रायोगिक परियोजनाओं सहित मुहैया कराई गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की अनुमोदित लागत	वर्ष 2001-02 में आबंटित निधि	वर्ष 2002-03 में आबंटित निधि	वर्ष 2003-04 में आबंटित निधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55	9.50	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	20.00	20.00	0.00	0.00
3.	असम	1	63.50	0.00	33.50	0.00
4.	बिहार	2	10.52	3.84	0.00	0.00
5.	चंडीगढ़	7	64.23	48.26	0.00	3.74
6.	दिल्ली	18	96.07	57.02	0.00	8.61
7.	गुजरात	3	20.05	9.05	0.00	0.00
8.	हरियाणा	8	107.17	3.00	36.41	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	17.11	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	8	78.96	29.36	0.00	0.00
11.	झारखंड	5	25.73	25.73	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	2	43.30	21.75	14.55	0.00
13.	केरल	13	88.18	34.95	13.11	0.00
14.	मध्य प्रदेश	5	43.85	4.16	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	4	126.63	7.30	0.00	0.00
16.	मेघालय	1	20.32	8.65	0.00	0.00
17.	मिजोरम	1	28.00	14.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	3	116.43	60.00	25.47	5.96
19.	उड़ीसा	8	1508.29	676.53	474.41	37.31
20.	पंजाब	17	361.92	112.24	88.98	0.00
21.	राजस्थान	18	122.80	31.59	30.52	0.00
22.	तमिलनाडु	10	161.14	69.81	15.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7
23.	उत्तर प्रदेश	10	139.07	68.97	27.34	0.00
24.	उत्तरांचल	1	2.00	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	7	154.09	50.03	0.42	0.00
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	12.92	8.39	0.00	0.00
27.	लक्षद्वीप	2	19.85	8.00	11.85	0.00
	कुल	174	3581.22	1399.24	771.76	57.27

[हिन्दी]

सूखे पत्ते जलाना

***297. श्री अधीर चौधरी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखे पत्ते जलाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद पूरे देश में सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों टन सूखे पत्ते जलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी घटनाओं की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन राज्य सरकारों/संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) सरकार को सूखे पत्तों को जलाने पर रोक लगाने के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश की जानकारी नहीं है। परन्तु सूखे पत्तों और कूड़ा अपशिष्ट को दिनांक 25 सितम्बर, 2000 की का.आ.सं. 908(अ) के तहत अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियम 2000 (एम एस डब्ल्यू नियम 2000) की अनुसूची-2 के तहत निषिद्ध किया गया है।

(ख) से (च) नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका प्राधिकारियों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके लिए विस्तृत मानदण्ड और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों को इस संबंध में जागरूकता पैदा करने सहित आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।

दिल्ली सरकार ने बायोमास अपशिष्ट को जलाने पर रोक लगाने के लिए विशिष्ट प्रशासनिक आदेश अधिसूचित किए हैं और सूखे पत्तों को जलाने के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया है।

[अनुवाद]

प्राचीन बौद्ध कलाकृतियों का संरक्षण

***298. श्री ए. बह्मनैया:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बौद्ध स्थलों से उत्खनित कुछ प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां विभिन्न स्थानों पर असंरक्षित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को, विशेषकर कुछ दक्षिणी राज्यों से, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त उक्त अभ्यावेदनों का स्वरूप क्या है;

(घ) सभी संबंधित नागरिकों से संपर्क करके उक्त प्राचीन कलाकृतियों का संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त मामलों हेतु कब तक कोई नीति घोषित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं। वास्तव में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) द्वारा केन्द्रीय संरक्षित बौद्ध स्थलों से उत्खनित प्राचीन बौद्ध शिल्पकृतियां भली-भांति संरक्षित रखी जाती हैं और नागरिकों के लाभ के लिए चुनिन्दा सामग्री स्थल संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती हैं।

(ख) से (घ) घण्टाशाला, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश) में नव-निर्मित भवन में, बनवासी, जिला उत्तर कन्नड (कर्नाटक) में पर्यटन परिसर में और पश्चिम गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश) में पेड्डावेगी में मूर्तियों के प्रदर्शन के लिए अभिवेदन प्राप्त होते हैं। जबकि प्रथम दो कार्यों में दो वर्ष का समय लग सकता है, किन्तु पेड्डावेगी के लिए कोई समय-अनुसूची नहीं बताई जा सकती क्योंकि वहां भूमि का अधिग्रहण, एक भवन का निर्माण तथा बीथियों का व्यवस्थापन किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) सरकारी नीति दाय स्थलों पर संस्कृति, पर्यटन तथा अच्छे नागरिक जीवन के तत्वों को संश्लेषित करने की है।

मगरमच्छों की तस्करी

*299. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड के अनधिकृत शिकारी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के भारत के समुद्री क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर रहे हैं तथा मगरमच्छों और अन्य प्रजातियों की तस्करी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे क्रियाकलापों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) म्यांमार इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य पड़ोसी देशों से जलयान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दौरा करते हैं और कभी-कभी समुद्री उत्पादों को पकड़ लेते हैं। कभी-कभी वृक्षों की कटाई भी अपने शिविर की आवश्यकताओं को पूरा करने और नौकाओं की मरम्मत एवं निर्माण के लिए करते हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु की गई कार्रवाई में शामिल है:-

1. संघशासित क्षेत्रों के वन विभागों द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाना।
2. गहरे समुद्र में तटरक्षकों और भारतीय नौ-सेना द्वारा गश्त लगाया जाना।
3. दूर-दराज के द्वीपसमूह में पुलिस द्वारा शिविर लगाना।
4. भारत सरकार द्वारा सुरक्षित क्षेत्रों के वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन को तकनीकी और वित्तीय सहायता देना।

वन्य जीवों का अवैध व्यापार

*300. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वन्य जीव उत्पादों एवं इनसे बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वन्य जीव माफिया द्वारा अवैध शिकार और वन्यजीव और इससे बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार को कम करने हेतु क्या निवारक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश भर में वन्य जीव प्रजातियों और उनके उत्पादों तथा इससे बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार के आंकड़ों को रखती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के उक्त आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सूचना को कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान वन्यजीवों, इनके उत्पादों और व्युत्पन्नों के पकड़े जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तथापि, इस प्रकार की वृद्धि का प्रमुख कारण विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सक्रिय और सम्मिलित कार्रवाई किया जाना है। प्रवर्तन एजेंसियों की सफलता से यह जरूरी नहीं कि यह इंगित हो कि अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है।

(ख) वन्यजीवों और इसके व्युत्पन्नों का वन्यजीव माफिया द्वारा अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय शामिल हैं:-

(1) राज्य स्तर पर

(1) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समन्वय समितियां अनेक राज्यों में स्थापित की गई हैं।

(2) पशु उत्पादों के डीलरों के स्टाक की राज्य वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर

(1) भारत सरकार ने देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीवों और उनके अंगों और उत्पादों की तस्करी रोकने हेतु क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(2) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की गई है।

(3) वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है।

(4) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और इसके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

(1) भारत सरकार वाइल्ड फ्लोरा और फाऊना की परिसंकटमय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन की हस्ताक्षरकर्त्ता है।

(2) वन्यजीवों के सीमा पारीय अवैध व्यापार की मानीटरी के लिए नेपाल सरकार और चीन गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था की गई है।

(3) भारत, बाघ संरक्षण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के निदान के लिए सृजित बाघ रेंज के देशों का ग्लोबल टाइगर मंच का एक सदस्य है।

(ग) से (ङ) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अवैध शिकार, अवैध व्यापार और इसमें लिप्त व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ा राज्य सरकारों के स्तर पर रखा जाता है। प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों, उनके अंगों और उत्पादों के नाम जिनका कानूनी रूप से देश में व्यापार किया जाता है, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों, उनके उत्पादों तथा इससे बनी वस्तुओं जिनका अवैध व्यापार किया जाता है, से संबंधित विवरण

क्र.सं.	वन्यजीव प्रजातियां	उत्पाद तथा इससे बनी वस्तुएं
1	2	3
1.	बाघ	खाल, हड्डियां, नाखून, पंजा, लिंग
2.	तेंदुआ	खाल, हड्डियां, नाखून, पंजा, लिंग
3.	भालू	पित्ताशय, पित्त
4.	कस्तूरी मृग	कस्तूरी
5.	हाथी	हाथी दंत, मांस
6.	गैंडा	सींग
7.	तिब्बती बारहसिंगा	ऊन (शहतूस)
8.	ग्रे जंगल पक्षी	पंख
9.	नेवला	बाल
10.	मकड़ी	जीवित
11.	हार्स सू क्रैब	जीवित

1	2	3
12.	सरीसृप (सांप, मगरमच्छ, छिपकली, टर्टल तथा कछुए)	खाल, विष, पृष्ठ वर्म
13.	स्विफटलैट	घोंसले
14.	प्रवाल	जीवित एवं मृत
15.	मोर	मोर पंख, मांस, तेल
16.	भारतीय वानर	जीवित
17.	हूकलोक गिब्बन	जीवित
18.	फाल्कन	जीवित
19.	वैराकीट्स एलेक्जन्डराईन ब्लासम हैडिड आदि	जीवित
20.	टर्टल	जीवित
21.	शार्कस और रेज	फिन, लीवर
22.	होलोथुरियनस	सूखे प्रतिरूप
23.	तितलियां और मोथ्स	सूखे प्रतिरूप
24.	डियर्स और एन्टिलोपस	ऐन्टलर, मांस
25.	सासारेया लपा (कुठ)	जड़
26.	रोवोलफिया सरपेन्टिया	जड़
27.	टैक्सस वालिचियाना	पत्ते तथा छाल
28.	नारडोस्टाचिस ग्रान्डिफ्लोरा (इन्डियन नार्ड)	तेल
29.	आर्चिड प्रजातियां	पौधा, कंद
30.	सन्दल वुड	मसाले, चिप्स, पाऊडर
31.	एक्विलारिया मालासेनसिस (अग्रवुड)	मसाले, चिप्स, पाऊडर
32.	प्टेरोकेरपस सन्तालिनस (रेड सेंडर्स)	मसाले, चिप्स, पाऊडर

लौह-अयस्क का उत्पादन

2847. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान बैलाडीला खान से लौह अयस्क के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त खान से विभिन्न इस्पात संयंत्रों को कुल कितना लौह अयस्क भेजा गया;

(ग) क्या लौह अयस्क का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बैलाडीला खान से लक्षित उत्पादन प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001-02 और 2002-03 में

बैलाडिला खान में लौह अयस्क का उत्पादन क्रमश: 115.20 लाख डब्ल्यू एम टी और 128.48 लाख डब्ल्यू एम टी हुआ।

बैलाडिला खान से विभिन्न इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क का कुल प्रेषण 2001-02 में 137.90 लाख डब्ल्यू एम टी और 2002-03 में 153.88 लाख डब्ल्यू एम टी हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी-मुम्बई उड़ान

2848. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुवाहाटी-मुम्बई उड़ान को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में उक्त उड़ान को पुन: चालू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जहां इंडियन एयरलाइंस गुवाहाटी से मुम्बई के लिए कोई नियमित हवाई सेवाएं प्रचालित नहीं कर रही है, वहीं एअर इंडिया ने कम यातायात की वजह से अक्तूबर, 2003 से मुम्बई-गुवाहाटी-मुम्बई मार्ग पर सप्ताह में एक बार प्रचालित होने वाली उड़ान को बंद कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट विमानपत्तन का विकास

2849. श्री टी. गोविन्दन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में कालीकट विमानपत्तन पर कोई विकास कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) केरल के कालीकट हवाईअड्डे पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) रनवे का 9380 फुट तक, एप्रन तथा टैक्सी मार्ग का विस्तार/सुदृढ़ीकरण कार्य अगस्त, 2002 में पूरा किया गया।

(2) लिंक टैक्सी-मार्ग के साथ-साथ आइसोलेशन बे का निर्माण कार्य, मार्च, 2003 में पूरा किया गया।

(3) श्रेणी-9 के अग्नि शमन केंद्र का निर्माण कार्य, अप्रैल, 2004 में पूरा होने की आशा है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू टर्मिनल भवनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण का कार्य दिया गया और इसे मई, 2005 तक पूरा किए जाने की आशा है।

(5) अवरोध स्पष्ट रूप से दिखायी पड़े इसके लिए पास के पर्वत शिखरों पर तीन अतिरिक्त अवरोधन रोशनियों (आब्सट्रक्शन लाइट्स) की व्यवस्था करने तथा रनवे 28 के एप्रोच मार्ग पर लीड-इन-लाइट्स की व्यवस्था करने जैसे विद्युत संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं।

कालीकट में रात्रि अवतरण (नाइट लैंडिंग) की सुविधा

2850. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** 28.04.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5469 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन पर रात में उतरने (नाइट लैंडिंग) की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त रोशनियों की व्यवस्था अब परिचालित हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) कालीकट हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था पहले से ही चालू कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पटना में एयर कार्गो का निर्माण

2851. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलों और सब्जियों की भारी मात्रा में उत्पादन और निर्यात के मद्देनजर पटना में एयर कार्गो का निर्माण आवश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पटना हवाई अड्डे पर एयर कार्गो के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पिछले पांच वर्षों से सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) मामले में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक संयुक्त उद्यम कंपनी के अधीन, एक एयर कार्गो काम्पलेक्स की स्थापना के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के लिए बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा भूमि अर्जित करके सौंपी जानी है तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी निगमित की जानी है। इसके लिए एक परियोजना संचालन समिति गठित की गई है।

(ङ) बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा भूमि अर्जन तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पटना में 'डिपोजिट कार्य' के रूप में एयर कार्गो काम्पलैक्स का विकास कार्य शुद्ध करेगा जिसमें कार्य सौंपे जाने की तारीख से दो वर्षों का समय लगने की आशा है।

इस्पात संयंत्र

2852. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चल रहे इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा अब तक कितना लाभ अर्जित किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) देश में प्रचालनरत सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के राज्य-वार इस्पात संयंत्र नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	इस्पात संयंत्र	राज्य
1	2	3
I. सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र		
1.	बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो	झारखण्ड
2.	भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	छत्तीसगढ़
3.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
4.	मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
5.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि., बर्नपुर	पश्चिम बंगाल
6.	राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला	उड़ीसा
7.	सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम	तमिलनाडु
8.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती	कर्नाटक

1	2	3
9.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
II. प्रचालनरत निजी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात संयंत्र		
1.	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि., जमशेदपुर	झारखण्ड
2.	ऊषा मार्टिन लि., आदित्यपुर	झारखण्ड
3.	जिंदल स्टील एंड पावर लि., रायगढ़	छत्तीसगढ़
4.	एस्सार स्टील लि., हजीरा	गुजरात
5.	शाह एलायज लि.	गुजरात
6.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि., रायगढ़	महाराष्ट्र
7.	मुकुंद लि., कालवे	महाराष्ट्र
8.	कल्याणी कारपलेन्टर लि., पूना	महाराष्ट्र
9.	लायड्स स्टील इंडस्ट्रीज लि.	महाराष्ट्र
10.	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	महाराष्ट्र
11.	महिन्द्रा उजाइन स्टील कंपनी लि.	महाराष्ट्र
12.	जिंदल स्ट्रिप्स लि.	हरियाणा
13.	स्टार वायर (इंडिया) लि.	हरियाणा
14.	मार्डन स्टील लि.	पंजाब
15.	अपर इंडिया मैनु. एंड इंजी. कंपनी लि.	पंजाब
16.	जिंदल विजयनगर स्टील लि., बेल्लारी	कर्नाटक
17.	हास्पेट स्टील लि., हास्पेट	कर्नाटक
18.	साउदर्न आयरन एंड स्टील कंपनी लि., सेलम	तमिलनाडु

निजी क्षेत्र के उपरोक्त उल्लिखित इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण देश में फैली काफी विद्युत चाप भट्टी इकाइयां और इस्पात संयंत्र आधारित प्रेरणा भट्टियां हैं।

(ख) 2002-2003 और 2003-2004 (30.9.2003 तक) के दौरान विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा अर्जित निवल लाभ क्रमशः 521 करोड़ रुपए और 465 करोड़ रुपए है।

पौधों और पशुओं की तस्करी और उन्मूलन

2853. श्री सुरेश चन्देल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पौधों पर जंगली पशुओं की प्रजातियों और उप-प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या जंगली पशुओं का अत्यधिक अवैध व्यापार हो रहा है और मौजूद कानूनों और प्रतिबंधों के बावजूद जंगली पशुओं की हत्या अबाध रूप से जारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जंगली पशुओं और पौधों को उन्मूलन से बचाने और उनकी तस्करी को रोकने हेतु कठोर कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो जंगली पशुओं और पौधों को बचाने हेतु कौन-सी कार्य प्रणाली अपनाई गई है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, अनुमान है कि देश में पौधों की लगभग 48,000 प्रजातियां और पशुओं की 81,000 प्रजातियां हैं।

(ख) से (घ) विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा जंगली पशुओं की हत्या की घटनाओं, उनके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार की सूचना समय-समय पर दी जाती है। सरकार ने हाल में वन्यजीव सुरक्षा और अवैध व्यापार रोकने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया है और दण्ड में वृद्धि की गई है तथा अन्य कदम उठाये हैं। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दण्ड में वृद्धि और अन्य उपाय

(1) वन्य प्राणियों (उनके अंगों और उत्पादों) से संबंधित अपराधों, जो अनुसूची-2 की अनुसूची-1 में अथवा भाग-2 में शामिल है और वे जो शिकार से संबंधित है अथवा राष्ट्रीय उद्यान अथवा किसी अभ्यारण्य की सीमाओं को बदलने के संबंध में है, इसके लिए तीन साल से सात साल की कैद और न्यूनतम 10 हजार रु. का जुर्माना निर्धारित किया गया है। दूसरी बार अथवा उसके बाद उपर उल्लिखित प्रकृति के अपराध करने पर तीन वर्ष से कम की अवधि की कैद नहीं होगी लेकिन इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ 25000/- रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्राधिकृत किया गया है कि वन्य प्राणियों के अपराधों का संज्ञान ले और अवैध शिकार तथा अवैध व्यापार के अपराधियों पर मुकदमा चलाए।

(3) कोई भी उपकरण, वाहन अथवा हथियार जो वन्य जीव अपराध करने में उपयोग में लाया जाएगा उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

(4) संयोजन राशि को 2000 रु. से बढ़ाकर 25000 रु. कर दिया गया है।

(5) सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने का प्रावधान में क्रमशः जुर्माने और संयोजन धनराशि के मौजूदा 20% को बढ़ाकर प्रत्येक मामले में 50% कर दिया गया है। इसके अलावा, सूचना देने वाले और अन्यों को जो अपराध का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने में सहायता देते हैं, उन्हें 10000 रु. तक का ईनाम दिया जा सकता है।

(6) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वन्यजीवों की सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के लिए राज्यों को वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

2854. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-01 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 44,300 अतिरिक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार द्विवर्ष 2000-01 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाल श्रम उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 63191 बच्चों का पुनर्वास किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम के माध्यम से नौवीं योजना के दौरान 100 जिलों में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु परियोजनाएं क्रियान्वित की गयी।

चीरू का अवैध शिकार

2855. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत चीरू के मारे जाने पर प्रतिबंध के बावजूद समृद्ध शहतूश व्यापार को चलाने के लिए चीरू का अभी भी वध किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीरू के वध को रोकने और इसे उन्मूलन से बचाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) भारत की अपनी रेंज की तरफ से चीरू के अवैध शिकार की किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा, चीरू के अवैध शिकार और इसके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बचावकारी उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 में संशोधन किया है जिसमें चीरू को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है और इसके उत्पादों के निर्माण और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है।

(2) चीरू को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इसलिए इसे उच्च दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रकार के अपराध करने पर दण्ड की सीमा को हाल में बढ़ाकर न्यूनतम 3 वर्ष की कैद और 10000 रु. का जुर्माना रखा गया है।

(3) शहतूश की शालों और अन्य मदों के उपयोग से बचाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद से लोगों में जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।

आई.टी.डी.सी. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2856. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी.डी.सी. ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों सहित मुख्यालय के कर्मचारियों (कार्यकारी और गैर-कार्यकारी) के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम में गुजरात पैटर्न पर आधारित एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना प्रबंधन द्वारा वापिस लेने, आस्थगन करने, पुन: प्रारम्भ करने की शर्त पर, 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2003 तक लागू है।

(ग) योजना की समाप्ति की तारीख, अर्थात् 31 दिसम्बर, 2003 के पश्चात् ही कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का पता लगेगा।

मुम्बई में टैक्सी ट्रैक

2857. श्री किरीट सोमैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** 21.07.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई विमानपत्तन पर टैक्सी ट्रैक के निर्माण में 12 महीने से ज्यादा विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गरीमारी क्षेत्र में टैक्सी ट्रैक के निकट झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों के पुनर्वास कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में विमानपत्तन प्राधिकरण, मुंबई, एस.पी.पी.एल. और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार वैध झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों का पुनर्वास किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो अवरोध पैदा करने वाले झुग्गी-झोंपड़ी माफिया के विरुद्ध वैध कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) महाराष्ट्र सरकार, एस.पी.पी.एल. और विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हुए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) धावन पट्टी संबंधी कार्य में तेजी लाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) रफीग नगर (जारी मारी), मुम्बई से लगभग 2500 अतिक्रमणकर्त्ताओं को हटाने के लिए फरवरी, 2001 में झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण (एस.आर.ए.), शिवसाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. (एस.पी.पी.एल.), तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार पुनर्वास अतिक्रमण हटाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी शिवसाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. (एस.पी.पी.एल.) द्वारा अवैध अतिक्रमणकर्त्ताओं को हटाए न जाने के कारण यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा 125 अवैध झुग्गियों को अभी हटाया जाना बाकी है क्योंकि इनमें से कुछ अतिक्रमणकर्त्ताओं ने अदालत से स्टे ले लिया है तथा सुनवाई की अगली तारीख 17.1.2004 निश्चित है।

(च) बी-3 टैक्सी ट्रैक के विस्तार की प्रचालनात्मक आवश्यकता, जिसके परिणामस्वरूप, मुम्बई में मुख्य रनवे की रनवे क्षमता में वृद्धि होगी, के कारण जारी मारी क्षेत्र से लगभग 2500 अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फरवरी, 2001 में महाराष्ट्र सरकार के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी शिवसाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. (एस.पी.पी.एल.) तथा झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र अतिक्रमणकर्ता को पुनर्वास के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाने थे तथा अन्य जो पात्र नहीं थे उन्हें शिवसाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. द्वारा हटाया जाना था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सर्वेक्षण तथा सामुदायिक विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा शिवसाही पुनर्वास प्रकल्प लि. द्वारा 50:50 के अनुपात में प्रति झुग्गी 5000 रुपए दिए जाने थे। लगभग 1857 झुग्गी वासियों को पुनर्वास सुविधा/अन्य स्थान उपलब्ध कराया गया है।

(छ) ज्योंही अतिक्रमणयुक्त क्षेत्र साफ होकर उपलब्ध हो जाएगा उसके पश्चात् ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा साइट पर निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।

मंदिरों के हाथियों का उत्पीड़न

2858. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार के आदेश से तथाकथित ''पुनरुद्धार शिविर'' के लिए मुदुमलाई अभ्यारण्य में मंदिर के हाथियों के जबरन परिवहन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने मीडिया रिपोर्टों की ओर ध्यान दिया है जिसमें राज्य सरकार के निर्देशों के तहत मंदिर के हाथियों को मुदुमलाई अभ्यारण्य ले जाते समय क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया है। तदनुसार, तमिलनाडु के मुख्य सचिव को आगे से हाथियों को आवाजाही रोकने का अनुरोध किया गया है।

लंबित नदी बांध परियोजनाएं

2859. श्री परसुराम माझी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नदी बांध परियोजनाएं विशेषकर उड़ीसा की कुछ परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिंचाई और बांध परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत सिंचाई और बांध परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन की तत्परता पर निर्भर करता है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	वृहद					मध्यम					कुल				
		क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	–	2	–	–	2	7	8	–	–	15	7	10	–	–	17
2.	बिहार	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	1	–	–	2
4.	गुजरात	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	हरियाणा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1
6.	हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
7.	झारखंड	3	2	–	–	5	–	–	–	–	–	3	2	–	–	5
8.	कर्नाटक	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3
9.	केरल	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	2
10.	मध्य प्रदेश	2	4	–	–	6	–	–	–	–	–	2	4	–	–	6
11.	महाराष्ट्र	10	5	–	–	15	24	6	–	–	30	34	11	–	–	45
12.	मणिपुर	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
13.	नागालैंड	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
14.	उड़ीसा	–	3	–	–	3	–	8	–	–	8	–	11	–	–	11
15.	राजस्थान	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3	1	2	–	–	3
16.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
17.	उत्तर प्रदेश	2	4	–	–	6	1	–	–	–	1	3	4	–	–	7
18.	उत्तरांचल	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
19.	पश्चिम बंगाल	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	कुल जोड़	20	27	1	–	48	37	26	–	–	63	57	53	1	–	111

(क) मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के तहत परियोजना।
(ख) कुछ शर्तों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
(ग) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।
(घ) निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को संस्तुत।

विवरण II

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लाभ (हजार हेक्टे.)	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	वम्सधारा परियोजना चरण-2 का फेज-1 (दायी मुख्य नहर)	वृहद	123.936	35.030	02.01.2002
2.	जागलनाडु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	वृहद	43.050	14.165	08.6.2001

1	2	3	4	5	6
असम					
3.	पगलादिया बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना	वृहद	542.900	54.160	03.01.2001
छत्तीसगढ़					
4.	महानदी जलाशय परियोजना	वृहद	566.880	264.000	01.07.2003
जम्मू-कश्मीर					
5.	जैनगीर नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम	13.660	2.140	08.06.2001
6.	राफियाबाद सिंचाई नहर	मध्यम	35.600	2.932	27.09.2001
कर्नाटक					
7.	ऊपरी कृष्णा चरण-2 बहुउद्देश्यीय परियोजना	वृहद	2358.860	227.000	13.12.2000
मध्य प्रदेश					
8.	बाण सागर नहर परियोजना इकाई-2	वृहद	344.660	249.359	29.11.2001
9.	महान (गुलाब सागर) सिंचाई परियोजना	वृहद	140.510	19.740	24.09.2003
10.	ओमकारेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना	वृहद	1784.290	283.320	15.05.2001
महाराष्ट्र					
11.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना फेज-1	मध्यम	23.467	3.622	29.07.2002
12.	किरमिरी दारूर एलआईएस (मध्यम)	मध्यम	27.890	2443.000	13.10.2003
13.	सोनापुर तोम्ता एलआईएस मध्यम	मध्यम	32.180	2441.000	13.10.2003
उड़ीसा					
14.	सैसन नहर प्रणाली का सुधार	वृहद	34.920	26.051	29.07.2002
15.	कानुपुर सिंचाई परियोजना	वृहद	428.320	47.709	16.09.2002
16.	छेलीगादा बांध	मध्यम	52.960	3.120	11.09.2003
17.	रेत सिंचाई	मध्यम	86.140	9.775	17.10.2003
18.	तेलंगिरी	मध्यम	106.180	13.830	25.02.2003
19.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना	वृहद	136.670	41.794	18.03.2003
पंजाब					
20.	यूबीडीसी प्रणाली के चैनलों की रिमाडलिंग	वृहद	177.800	543.000	13.12.2000
21.	होशियारपुर से बालाचौर तक कांडी नहर विस्तार	वृहद	147.120	23.326	05.04.2002

1	2	3	4	5	6
22.	रावी परियोजना यूनिट-1 (शाहपुर कांडी बांध परियोजना यूबीडीसी हाइडल परियोजना चरण-2 सहित रंजीत सागर (थीन) बांध	वृहद	5065.480	--	05.11.2001
राजस्थान					
23.	गंगनगर प्रणाली का आधुनिकीकरण	वृहद	445.790	48.192	29.09.2000
उत्तर प्रदेश					
24.	बेवर पोषकनहर	वृहद	53.310	9.900	25.07.2001
25.	पूर्वी यमुना (हथनीकुंड) संपर्क चैनल	वृहद	22.440	-	17.09.2001
26.	शारदा सहायक परियोजना (आरई)	वृहद	1299.120	1925.00	11.09.2001
27.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	वृहद	71.620	50.000	11.02.2003
28.	हिंडन कृषि दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना (आरईवी)	वृहद	39.420	31.420	07.12.2000
29.	राजघाट नहर परियोजना	वृहद	126.430	270.520	23.03.2001

[हिन्दी]

दिल्ली और मुंबई विमानपत्तन पर प्रवेश शुल्क

2860. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मुंबई विमानपत्तन पर विजीटर्स से कितना प्रवेश शुल्क लिया जाता है; और

(ख) दिल्ली और मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय विमान टर्मिनल पर विजीटर्स से प्रत्येक दिन औसतन कितना प्रवेश शुल्क प्राप्त होता है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर 50 रुपए और घरेलू टर्मिनलों पर 20 रुपए प्रवेश शुल्क वसूला जाता है।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर दैनिक औसत प्रवेश शुल्क 1,06,300.00 रुपए तथा मुंबई हवाई अड्डे पर यह शुल्क प्रतिदिन 66,000.00 रुपए प्राप्त किया जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के आवासीय विद्यालयों में जल की कमी

2861. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में टैंकरों द्वारा जल की बिक्री पर प्रतिबंध के कारण पंचगनी पर्वतीय स्थल के आवासीय विद्यालयों को अत्यधिक जलाभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या परिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र संबंधी निगरानी समिति के समक्ष आवासीय विद्यालयों को जलापूर्ति के लिए वाणिज्यिक कूपों की पहचान का प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कूपों की पहचान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) महाराष्ट्र के महाबालेश्वर-पंचगनी में जल संकट का कारण होटलों,

स्विमिंग पूलों आदि जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल की अंधाधुंध निकासी के परिणामस्वरूप क्षेत्र की भू-जल तालिका में कमी होना है। इस क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों के लिए टैंकरों द्वारा जल की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाबालेश्वर पंचगनी के लिए उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार बोर कुओं के जल का उपयोग केवल पीने, घरेलू उपयोग एवं वास्तविक कृषि प्रयोजनों के लिए ही किया जाए। होटलों, लाजों एवं विद्यालयों को वर्षा जल संरक्षण अवसंरचना एवं अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आवासीय विद्यालयों को जल आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक कुओं के अभिनिर्धारण के सभी प्रस्तावों को 9 दिसम्बर, 2003 को महाबालेश्वर-पंचगनी पारि-संवेदी क्षेत्र की उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

आलू और प्याज संबंधी बाजार हस्तक्षेप योजना

2862. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार के पास धनराशि जारी करने के लिए आलू और प्याज संबंधी बाजार हस्तक्षेप योजना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दिनांक 20 जनवरी, 2002 के अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान नाफेड (एन.ए.एफ.ई.डी.) और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीदे गए आलू और प्याज की वित्त मंत्रालय में जांच की जानी है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने दिनांक 6 मार्च, 2002 को उक्त योजना के अंतर्गत हुई हानि का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से यथाशीघ्र जारी करने का पुन: अनुरोध किया है लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक धनराशि जारी नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य सरकार को धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार को इस मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2003 के पत्र के अनुसार सूचित किया गया था कि वित्त मंत्रालय लेखों की जांच कर रहा है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने अपने दिनांक 6 मार्च, 2003 के पत्र के अनुसार अनुरोध किया है कि हानि के 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाए। वर्ष 1996-97 के लिए 41,654.00 रुपए और वर्ष 1997-98 के लिए 40,36,105.00 रुपए की केन्द्रीय हिस्से की अनुज्ञेय हानि की राशि कर्नाटक सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू के उत्पादन में लगे कामगारों की भविष्य निधि अंशदान को जमा न करना

2863. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काजू की उन फैक्ट्रियों के प्रबंधन का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपना भविष्य निधि शेयर तथा कामगारों के भविष्य निधि लेखों में उनकी भविष्य निधि का अंशदान भी जमा नहीं कराया है;

(ख) क्या सरकार ने काजू फैक्ट्रियों के प्रबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) क्षेत्रवार विवरण निम्नांकित है:

क्र.सं.	क्षेत्र	चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों की संख्या
1.	गोवा	1
2.	कर्नाटक	4
3.	केरल	40
4.	महाराष्ट्र	12
5.	उड़ीसा	7
6.	तमिलनाडु	47
	कुल	111

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुरूप, चूककर्त्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:

क्रम सं.	क्षेत्र	धारा 14 के तहत तहत अभियोजन	भारतीय दंड संहिता 406/409	बैंक खातों की कुर्की	गिरफ्तारियां
1.	कर्नाटक	–	–	2	–
2.	केरल	12	13	22	–
3.	महाराष्ट्र	–	–	12	–
4.	उड़ीसा	–	–	3	3
5.	तमिलनाडु	3	8	–	–
	कुल	15	21	39	3

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास

2864. श्रीमती रानी नरह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य ने अपने राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन कलेंडर और संबंधित कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए पर्यटन समिति गठित नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों को परिपथों के एकीकृत विकास एवं उत्पाद अवसंरचना तथा गंतव्य विकास की योजना के अंतर्गत निधियां स्वीकृत की जाती हैं। इसके अलावा, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन संवर्धन गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान करता है। पर्यटन विभाग के कुल योजना आवंटन में से 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु चिन्हित किया जाता है। अनुमोदित परियोजनाओं की निरंतर समीक्षा और मानीटरिंग की जाती है।

सूखा नियंत्रण संबंधी नीति

2865. श्री शशि कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सूखा नियंत्रण संबंधी नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, सूखा तथा बाढ़ प्रबन्धन से संबंधित राष्ट्रीय कृषि नीति-2000 में निम्न व्यवस्था है:-

"कृषि में जोखिम को कम करने और सूखा तथा बाढ़ के खिलाफ भारतीय कृषि में अधिक शक्ति के संचार के लिए बाढ़ प्रवण खेती को बाढ़ से बचाने की अधिक क्षमता तथा वर्षासिंचित खेती को सूखे से बचाने की अधिक क्षमता प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों को प्रकृति की अनिश्चितताओं से बचाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए आकस्मिक कृषि नियोजन, सूखा बाढ़ प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास, पनधारा विकास कार्यक्रमों, सूखा प्रवण क्षेत्र और मरूभूमि विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण अवसंरचना विकास कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।"

इसी प्रकार सूखा प्रवण क्षेत्र विकास से संबंधित राष्ट्रीय जल नीति-2002 में निम्न व्यवस्था है:-

"मृदा-आर्द्रता संरक्षण उपायों, जल संचयन प्रणालियों, वाष्पण हानियों के न्यूनीकरण, भूगत जल की क्षमता के विकास

जिसमें पुन: भरण और जहां व्यवहार्य और उचित है, अतिरिक्त क्षेत्रों से सतही जल का अन्तरण शामिल है, के माध्यम से सूखा संबंधी समस्याओं के प्रति सूखा प्रवण क्षेत्रों को कम असुरक्षित बनाया जाए। चारागाह, वानिकी अथवा विकास के अन्य तरीकों, जो तुलनात्मक रूप में कम पानी की मांग रखते हैं, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संसाधन विकास परियोजनाओं के नियोजन में सूखा प्रवण क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।''

साहित्य अकादमी पुरस्कार

2866. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो साहित्य अकादमी ने अपने पुरस्कारों के चयन हेतु कतिपय नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) साहित्य अकादमी एक स्वायत्तशासी संगठन है। पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया का संचालन अकादमी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है जिनकी आवधिक समीक्षा की जाती है। पुरस्कार को संचालित करने वाले नियम और प्रक्रिया संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) साहित्य अकादमी पुरस्कारों को संचालित करने वाले नियम और प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन
35, फीरोजशाह मार्ग,
नई दिल्ली 110 001

दूरभाष : 091-11-23386626, 091-11-3387064 फैक्स : 091-11-23382428

18 मार्च 1999

सा.अ. 61/99/पु.

वार्षिक साहित्य अकादेमी पुरस्कार नियम

1. सामान्य

(1) उप-नियम (2) के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले पांच वर्षों में साहित्य अकादेमी (इसके पश्चात् जिसे अकादेमी कहा जाएगा) द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषाओं में से किसी भी भाषा में भारतीय लेखक की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। यथा 1999 के पुरस्कार के लिए 1993 से 1997 के मध्य प्रथम प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

(2) उप-नियम (5) के अंतर्गत गठित जूरी की राय में यदि किसी भाषा में पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती तो उस वर्ष उस भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

(3) पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जाएगी, जितनी अकादेमी समय-समय पर निर्धारित करेगी। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति-पत्र भी

प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें पुस्तक के वैशिष्ट्य तथा अपनी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।

(4) जहां दो या अधिक पुस्तकें समान योग्यता की पाई जाएंगी, वहां पुरस्कार-निर्धारण के समय उनके लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान और सम्बद्ध भाषा में उनकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाएगा।

2. पुरस्कार के लिए विचारणीयता के मानदण्ड

(1) पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिए पुस्तक का सम्बद्ध भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट योगदान होना चाहिए। पुस्तक सर्जनात्मक या समालोचनात्मक हो किन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए:

(क) अनूदित कृति, अथवा

(ख) संचयन, अथवा

(ग) संक्षिप्त या संकलन या टीका, अथवा

(घ) पूर्वप्रकाशित रचनाओं के संशोधित संस्करणों के पुस्तक रूप में प्रकाशित लेखन का नया संग्रह (इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पुस्तक उस स्थिति में पुरस्कार के लिए विचारणीय हो सकती है, यदि वह नियम 1 (1) में अंकित अवधि में प्रकाशित हुई हो और यदि प्रारम्भिक पैनल तथा जूरी के निर्णायकों के विचार में वह पुरस्कार के विचारणीय बनने के लिए तर्कसंगत हो)

अथवा

(ङ) अपूर्ण कृति (लेकिन यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आप में पूर्ण हो तो वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है)

अथवा

(च) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया गया प्रबंधन या शोध-कार्य

अथवा

(छ) ऐसे लेखक की कृति, जिसे पहले पुरस्कार मिल चुका है

अथवा

(ज) ऐसे लेखक की कृति जो अकादेमी के कार्यकारी मण्डल का सदस्य है।

(2) लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति केवल तभी पुरस्कार के लिए विचारार्थ होगी, जब वह लेखक की मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर प्रकाशित हुई हो।

(3) ऐसी पुस्तक पुरस्कार के अयोग्य होगी, जिसके संबंध में कार्यकारी मण्डल को विश्वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।

3. आधार-सूची का निर्माण तथा भाषा परामर्श मण्डल के सदस्यों की संस्तुतियां प्राप्त करना

(1) अकादेमी हर वर्ष प्रत्येक मान्यता प्रदत्त भाषा की विचारणीय पुस्तकों की एक आधार सूची तैयार कराएगी जिसका निर्माण-कार्य एक विशेषज्ञ अथवा अकादेमी के अध्यक्ष के विवेक पर दो विशेषज्ञों को सौंपा जा सकता है। संस्कृत के संबंध में विशेषज्ञों की संख्या दो से कम या तीन से अधिक नहीं होगी। विशेषज्ञों के मानदेय की राशि समय-समय पर अकादेमी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) भाषा परामर्श मण्डल का प्रत्येक सदस्य अधिक-से-अधिक पांच नामों का एक पैनल भेजेगा और अकादेमी के अध्यक्ष (जिन्हें इसके बाद अध्यक्ष कहा जाएगा) इस प्रकार प्राप्त पैनलों में से विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का चुनाव करेंगे।

(3) आधार-सूची तैयार करते समय विशेषज्ञ नियमों में सुनिश्चित विचारणीयता के मानदण्डों का कड़ाई से पालन करेंगे। इस प्रकार निर्मित आधार-सूची, जिसमें गत वर्ष संस्तुत कृतियां भी सम्मिलित होंगी, सम्बद्ध भाषा परामर्श मण्डल के (संयोजक सहित) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादेमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य

(क) आधार-सूची से दोनों पुस्तकें, अथवा

(ख) एक पुस्तक आधार-सूची से और दूसरी अपनी रुचि की, अथवा

(ग) दोनों पुस्तकें अपनी रुचि की चुन सकता है।

4. प्रारम्भिक पैनल तथा उसके कार्य

(1) प्रारम्भिक पैनल में देस निर्णायक होंगे जिनका चयन अध्यक्ष द्वारा सम्बद्ध भाषा परामर्श मण्डल के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा।

(2) भाषा परामर्श मण्डल के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियों को संकलित करके प्रत्येक निर्णायक को भेजा जाएगा।

(3) प्रत्येक निर्णायक दो पुस्तकें अनुमोदित करेगा। ये पुस्तकें पूर्ववर्ती उप-नियम के अनुसार या तो सूची में से चुनी जा सकती हैं अथवा निर्णायक द्वारा स्वयं अपने विवेक से।

(4) प्रत्येक निर्णायक को अकादेमी द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा।

5. जूरी और उसके कार्य

(1) प्रारम्भिक पैनल के निर्णायकों की संस्तुतियों पर एक त्रि-सदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त सम्बद्ध परामर्श मण्डल के सदस्यों की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।

(2) प्रारम्भिक पैनल के निर्णायकों द्वारा अनुशंसित पुस्तकें खरीद कर अकादेमी जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।

(3) संयोजक, जूरी और अकादेमी के बीच सम्पर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप से सम्पन्न हो। वह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

(4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिए एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है। कोई सदस्य यदि किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो वह अपना विचार लिखित रूप में भेज सकता/सकती है।

(5) जूरी के सदस्यों और संयोजक को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त दैनिक भत्ते और बैठक भत्ते का भुगतान उसी दर से किया जाएगा, जिस दर से कार्यकारी मण्डल के सदस्यों को किया जाता है।

6. पुरस्कार की घोषणा

जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिए कार्यकारी मण्डल के समक्ष रखा जाएगा। पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।

7.	विविध	(1) यदि भाषा परामर्श मण्डल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय-सीमा की अनदेखी की जाती है, तो अकादेमी यह मानकर चलेगी कि उसका/उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार-प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादेमी समय-सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढ़ाती हो।
		(2) कार्यकारी मण्डल के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा।

सचिव
साहित्य अकादेमी

[हिन्दी]

नरभक्षी बने बाघों के संबंध में अध्ययन

2867. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरांचल में बाघों के नरभक्षी बनने के कारणों का अध्ययन करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संरक्षित क्षेत्रों में इन वन्य पशुओं की संख्या कम हो रही है लेकिन पर्यावरण के निकट यह संख्या बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/सुझाए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) भारत सरकार ने उत्तरांचल में बाघों के नरभक्षी होने के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान में कोई अध्ययन शुरू नहीं कराया है। परंतु भारतीय वन्यजीव संस्थान ने चीतों के संबंध में ऐसा एक अध्ययन शुरू किया था। ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं जिससे यह कहा जा सके कि संरक्षित क्षेत्रों में इनकी संख्या कम हो रही और वासस्थलों के निकट बढ़ रही है।

[अनुवाद]

विदेश यात्रा करने हेतु उत्प्रवास जांच

2868. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश यात्रा करने हेतु उत्प्रवास जांच की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उत्प्रवास जांच कराने के लिए कोई प्रावधान है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विमानपत्तन पर ही ऐसी उत्प्रवास जांच सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट पर 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' पृष्ठांकित होता है वे यदि रोजगार के लिए विदेश जा रहे हों, तो उन्हें संबंधित उत्प्रवास संरक्षी से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। रोजगार के अलावा अन्य उद्देश्य से विदेश जाने वाले व्यक्तियों को संबंधित उत्प्रवास संरक्षी से 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' का ही अस्थायी रूप से निलम्बन कराने की जरूरत होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उत्प्रवास अनुमति प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और निर्धारित प्रभार/शुल्क का जमा कराया जाना अपेक्षित होता है। ये सुविधाएं हवाई अड्डों पर प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी. द्वारा हड़ौती सर्किट के पर्यटन स्थलों का अधिग्रहण

2869. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने राजस्थान के हड़ौती सर्किट में पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का अधिग्रहण करने हेतु कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या हड़ौती सर्किट का पर्यटन स्थल के रूप में प्रचार करने हेतु इस पर एक वृत्तचित्र बनाने का कोई प्रस्ताव था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा के विकास हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) स्वीकृत परियोजनाओं तथा इन स्थानों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को मुहैया की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	1998-99	हड़ौती क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थलों का एकीकृत विकास-बूंदी में तथा कोटा के निकट	82.00
2.	1998-99	कोटा संग्रहालय में सामान्य शौचालय तथा मैदानों का विकास	3.20
3.	2000-2001	गढ़ स्थल, झालावाड़ में रासायनिक संरक्षण कार्य	8.30

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष का केन्द्रीय भण्डार के कार्यालयों का निरीक्षण

2870. श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष, जो केन्द्रीय जल आयोग में कैम कर रहे हैं, को निदेशक मण्डल कार्यकारी समिति की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त कार्यालय अवधि के समय केन्द्रीय भण्डार के कार्यालय आने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कार्यालय समय के दौरान केन्द्रीय भण्डार के कार्यालयों में आने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, केन्द्रीय भण्डार के निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें 20.10.2003 को आधे दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर की गई थी।

जैव संसाधित फसलों के दुष्प्रभाव

2871. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषकों को जैव संसाधित फसलों के दुष्प्रभावों के बारे में बताने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों और लोगों की किस हद तक सहायता कर रही है जो देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) ऐसे प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने अगस्त 2002 से फरवरी 2003 के दौरान देश के विभिन्न भागों में आठ प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि किसानों को कृषि में बायोप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लाभों, आनुवांशिक रूप में संशोधित फसलों की स्वीकृति हेतु नियामक व्यवस्था और जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बी.टी. कपास का रोपण करते समय बरती जाने वाली एहतियातों के बारे में शिक्षित किया जा सके। इस वर्ष भी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने छह राज्यों में, जहां बी.टी. कपास की खेती की जाती है, ऐसा ही कार्य किया है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जर्म-प्लाज्म के संग्रहण, स्वदेशी पारम्परिक जानकारी के प्रलेखन और आधार स्तर पर जागरूकता सृजन करने में गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2003 की अवधि में 25 गैर-सरकारी संगठनों को 22.69 लाख रुपए का वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया। इसी अवधि के दौरान जनजातीय, पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परिवार खाद्य तथा पोषणिक सुरक्षा संबंधी उप-परियोजना के अंतर्गत 3 गैर-सरकारी संगठनों को 99.58 लाख रुपए का वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में विज्ञापन संबंधी व्यय

2872. श्री विष्णु पद राय: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा गत दो वर्षों के दौरान पर्यटन विकास के बारे में स्वदेशी मैग्जीन, अंतर्राष्ट्रीय मैग्जीनों और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्तावधि के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि के मुकाबले कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भीत्ति तथा डेस्क कलैंडरों की छपाई तथा डायरियों की छपाई में आई.पी. एण्ड टी. पोर्ट ब्लेयर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार पर्यटन संवर्धन पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए व्ययों से संबंधित सूचना नहीं रखता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समुद्रों/नदियों के जल में खारापन

2873. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्रों/नदियों के जल का खारापन कम करने हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार गुजरात के जामनगर शहर तक किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए समुद्री जल से प्रतिदिन 1800 घट मी. अलवणीकृत जल के उत्पादन के लिए एक संयंत्र कलपक्कम, तमिलनाडु में आरंभ किया गया है। प्रतिदिन 4500 घन मी. की क्षमता वाला एक अन्य संयंत्र भी निर्माण के अंतिम चरण में है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने समुद्री/नदियों के जल में लवणता कम करने संबंधी कोई स्कीम नहीं बनाई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों का द्विपक्षीय समझौता

2874. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्विपक्षीय विमान यात्रा अधिकार समझौता के अंतर्गत विदेशों के साथ विमान सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर करने हेतु निजी कंपनियों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस को पहले से दिए किन्हीं अधिकारों को नए समझौता को देखते हुए विकास ले लिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस ने और अधिक विदेशी मार्गों की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और नई योजना में इनकी प्रासंगिकता क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) द्विपक्षीय विमान सेवा करारों पर सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए जाते हैं। तथापि यह निर्णय लिया गया है कि भारत की निजी एयरलाइनों को विमान सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार, सार्क देशों को प्रचालन करने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सार्क देशों को निजी एयरलाइनों के प्रचालन भारत की अप्रयुक्त हकदारी के तहत भी होंगे।

(ङ) और (च) वर्तमान नीति के अधीन, जहां तक नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन का संबंध है, अभी तक इसे मना करने का पहला अधिकार एअर इंडिया का है और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर इंडियन एयरलाइंस के अनुरोधों पर, वर्तमान नीति के अधीन मामला दर मामला आधार पर तथा दो राष्ट्रीय वाहकों के प्रचालनों में बेहतर सहयोग प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विचार किया जाता है।

ई.एस.आई. का विस्तार

2875. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नए क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र में चरणबद्ध ढंग से कर्मचारी राज्य बीमा का विस्तार करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को सहायता प्राप्त करने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम को नए क्षेत्रों में सहजतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए एक साथ दो वर्ष के लिए अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के परामर्श से एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) राज्य सरकारों को भेजा गया वर्ष 2003-04 (संशोधित) और वर्ष 2004-05 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के कार्यान्वयन का चरणबद्ध कार्यक्रम विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र जहां चिकित्सा देख-रेख की सुविधा सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाती है को छोड़कर चिकित्सा देख-रेख की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार का सांविधिक दायित्व है। चरणबद्ध कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया जाता है क्योंकि राज्य सरकारें प्राय: कवर किए जाने योग्य कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देख-रेख की सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था पूरी करने में असमर्थ होती है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम को नए क्षेत्रों में सहजतापूर्वक शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रथम तीन वर्षों में कवर किए जाने योग्य कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देख-रेख की सुविधा देने पर होने वाले समस्त व्यय को वहन करने का निर्णय लिया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान नए क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु संशोधित चरणबद्ध कार्यक्रम

	राज्यों के नाम	कवर किए जाने वाले क्षेत्रों की संख्या	
		2003-04	2004-05
1	2	3	
1.	आंध्र प्रदेश	13	9
2.	बिहार	1	–
3.	छत्तीसगढ़	2	1
4.	हरियाणा	3	1
5.	झारखंड	3	4
6.	कर्नाटक	5	4
7.	केरल	3	4

	1	2	3
8.	मध्य प्रदेश	4	5
9.	महाराष्ट्र	15	6
10.	उड़ीसा	3	3
11.	पंजाब	3	2
12.	राजस्थान	6	–
13.	तमिलनाडु	15	13
14.	उत्तर प्रदेश	5	5
15.	उत्तरांचल	2	–
16.	पश्चिम बंगाल	3	2
	कुल	86	59

सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति

2876. श्री रामजी मांझी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन/केन्द्रीय भण्डार जैसे चुनाव लड़ने वाले/चुनाव में खड़े सरकारी कर्मचारियों को अपने विभागों से पूर्वानुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता है और इस अनुमति को नामांकन की जांच से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ता है और ऐसी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र न होने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भण्डार में चुने गए निदेशकों का पद धारण करने वाले कर्मचारी और केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष पद हेतु लड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों ने अपने विभाग से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया था और इसे अपने नामांकन की जांच से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन सरकारी कर्मचारियों का नामांकन रद्द कर दिया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रभारी मंत्री की अनुमति प्राप्त की गई थी, यदि हां, तो मंत्री से अनुमति प्राप्त करने के क्या कारण हैं और विभाग से अनुमति लेना कब अपेक्षित है; और

(ङ) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभापटल पर रख दी जाएगी।

चार्टर्ड उड़ानें

2877. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चार्टर्ड उड़ानों के प्रवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे इंडियन एयरलाइन्स पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) मौजूदा मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार, 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अलावा, उन सभी हवाई अड्डों के लिए पर्यटक चार्टर उड़ानें भी प्रचालित की जा सकती हैं जहां कस्टम और इम्मीग्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया गया है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचालित की गई अनुसूचित सेवाओं पर पर्यटक चार्टर उड़ानों के प्रचालन का कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है।

धावन पट्टियों का विस्तार

2878. श्री अम्बरीश:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से बाइंग 737/ए 320 विमान प्रचालनों हेतु धावन पट्टी का विस्तार करने के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां बोइंग विमान के सुचारू प्रचालन हेतु धावन पट्टी का विस्तार किया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य लंबित अनुरोधों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान बी-737/ए-320 विमान के प्रचालन के प्रयोजन से रनवे के विस्तार के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष 2001 - छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट के लिए तथा उत्तरांचल के देहरादून एयरपोर्ट के लिए।

वर्ष 2002 - उत्तरांचल राज्य के पन्त नगर एयरपोर्ट के लिए तथा गुजरात राज्य के सूरत एयरपोर्ट के लिए।

वर्ष 2003 - कोई भी नया अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) बी 737/ए-320 विमान के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार किए गए हवाई अड्डों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

जम्मू - 6000 फुट से 6700 फुट तक

जबलपुर - 4500 फुट से 6500 फुट तक

लीलाबाड़ी - 6000 फुट से 7500 फुट तक

निम्नलिखित हवाईअड्डों पर ए-320 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे के विस्तार (7500 फुट/8000 फुट) का कार्य किया जा रहा है/योजना स्तर पर है:-

भोपाल, भावनगर, डिब्रूगढ़, मदुरै, देहरादून, रायपुर, राजकोट, त्रिची, सिल्चर, मंगलौर एयरपोर्ट पर नया रनवे।

अगरतला - 7000 फुट तक रनवे के विस्तार का कार्य पूरा होने की स्थिति में है।

खजुराहो - 7000 फुट तक रनवे के विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

विजयवाड़ा - आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) यातायात की जरूरतों एवं एयरलाइनों की मांग के आधार पर, पन्तनगर तथा सूरत हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार की जांच की जानी है।

एरियल रोपवे-केबल कार प्रणाली

2879. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों विशेषकर दक्षिणी राज्यों से जंगलों में एरियल रोप वे-केबल कार प्रणाली शुरू करने हेतु कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) सरकार को विभिन्न राज्यों से एरियल रोपवे के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसका ब्यौरा और की-गई-कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावों की कुल संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	परिवर्तित कुल वन क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	2	29.6
2.	बिहार	1	0	0
3.	गुजरात	3	3	1.8519
4.	हिमाचल प्रदेश	3	2	1.3744
5.	कर्नाटक	2	2	10.22

1	2	3	4	5
6.	मध्य प्रदेश	2	2	2.029
7.	महाराष्ट्र	4	4	4.722
8.	सिक्किम	2	2	0.887
9.	उत्तर प्रदेश	5	5	6.6205
10.	उत्तरांचल	2	1	0.09
	योग	27	23	57.3948

[हिन्दी]

भारतीय बालिकाओं का खाड़ी देशों में शोषण

2880. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से निर्धन बालिकाओं को नौकरी दिलाने का लालच देकर खाड़ी देशों में भेजने की घटनाओं कां जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या इन बालिकाओं का शारीरिक शोषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समर्थन मूल्यों का निर्धारण

2881. श्री वाई.वी. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धान और तम्बाकू का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिर्च का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। सरकार ने 2003-04 मौसम के लिए धान (सामान्य) की अच्छी औसत क्वालिटी (एफ.ए.क्यू.) के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही 550 रुपए प्रति क्विंटल और धान (श्रेणी ए) के लिए 580 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार, सरकार ने तम्बाकू (एफ -2 श्रेणी) और तम्बाकू (एल-2 श्रेणी) की अच्छी औसत क्वालिटी के लिए 2003-04 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 31 रुपए और 33 रुपए प्रति कि.ग्रा. निर्धारित किए हैं।

(ख) और (ग) मिर्चों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निधारित करने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर 2000-01 में मिर्चों की अधिप्राप्ति के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की गई थी। आंध्र प्रदेश में 20 मार्च 2001 से 30 जून, 2001 तक 24,000 प्रति मीटरी टन के अधिप्राप्ति मूल्य पर 144.48 लाख रुपए मूल्य की 602 मीटरी टन मिर्च की अधिप्राप्ति की गई थी। वर्तमान वर्ष में मिर्चों के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

क्रोमाइट खानें

2882. श्री के. येरननायडू: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रोमाइट खानों का काफी बड़ा क्षेत्र जो मूलत: टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) को पट्टे पर दिया था अब चार फैरो क्रोम उत्पादकों को इस आबंटित क्षेत्र से उत्पादित क्रोम अयस्क की खपत हेतु आबंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन रक्षित खानों में क्रोम के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन रक्षित खानों में क्रोम अयस्क के उपयोग से कितने फैरो क्रोम का उत्पादन किया गया;

(ङ) डी टी ए में कितना अयस्क बेचा गया और कितना निर्यात किया गया;

(च) अन्य रक्षित खानों के क्रोम के उपयोग से कितने फैरो क्रोम का उत्पादन किया गया; और

(छ) सरकार ने क्रोम अयस्क के निर्यात को प्रतिबंधित करके मूल्य संवर्धित फैरो क्रोम के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और ऐसे फैरो क्रोम उत्पादकों जिनकी अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वयं की खानें नहीं हैं, की समस्याओं के समाधान हेतु क्या प्रयास किए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) की सुकिण्डा क्रोमाइट खान का मूल पट्टा क्षेत्र 1261.476 हैक्टेयर था। इस खनन पट्टे के द्वितीय नवीकरण के समय क्षेत्र को घटाकर 406 हैक्टेयर कर दिया गया। शेष 855.476 हैक्टेयर में से निम्नलिखित चार कंपनियों को उनके निजी उपयोग के लिए खनन पट्टे आबंटित किए गए हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्षेत्र हैक्टेयर में	पट्टे के निष्पादन की तारीख
1.	मै. इंडियन मैटल्स एंड फैरो एलायज लि./आईसीसीएल	116.76	4.9.1999
2.	मै. इस्पात एलायज लि. (जिसका नाम अब बालासोर एलायज लि. है)	64.463	15.7.2000
3.	मै. जिंदल स्ट्रिप्स लि. (जिसका नाम अब जिंदल स्टेनलैस लि. है)	89.00	4.1.2002
4.	मै. फैरो एलायज कारपोरेशन लि.	39.18 (अभी पट्टा निष्पादित किया जाना है जिसके लिए आईबीएम द्वारा 17.10.2002 को खनन योजना मंजूर कर दी गई थी)	उपलब्ध नहीं

यह आबंटन माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 4 अप्रैल, 1995 को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। मैसर्स टिस्को द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष इजाजत याचिका 23 जुलाई, 1996 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गई कि केन्द्र सरकार का आदेश औचित्यपूर्ण है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) सरकार की नीति घरेलू उपयोगकर्त्ताओं के लिए उच्च ग्रेड के क्रोम अयस्क का संरक्षण करने की है। क्रोम अयस्क के संबंध में निर्यात नीति के अनुसार सरकार ने 42% क्रोमियम आक्साइड तक के फीड ग्रेड वाले सज्जीकृत क्रोम अयस्क चूरे/सांद्रण, न्यून सिलिका फ्राईएबल/फाइन क्रोमाइट अयस्क जिसमें क्रोमियम आक्साइड 54% से अधिक नहीं हो और सिलिका 4% से अधिक हो और क्रोम अयस्क डले जिसमें क्रोमियम आक्साइड 40% से अधिक नहीं हो, को छोड़कर उच्च ग्रेड के सभी अयस्कों को प्रतिबंधित सूची में रखा है। इसके अतिरिक्त, इन न्यून सिलिका फ्राइएबल/फाइन क्रोमाइट अयस्क और क्रोमाइट डलों का निर्यात 4 लाख टन वार्षिक की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर एम एम टी सी लिमिटेड के जरिए किया जाता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

2883. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की वर्तमान उत्पादकता, लाभ/हानि कितनी है;

(ख) इस संयंत्र में इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त संयंत्र का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 (प्रथम छमाही) के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) की श्रम उत्पादकता 121 टन अपरिष्कृत इस्पात/व्यक्ति/वर्ष है।

वर्ष 2002-03 और 2003-04 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की लाभप्रदता की स्थिति नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपए)

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आय	2002-03	2003-04 (अप्रैल से सितंबर)
कारोबार	2357	1246
सकल मार्जिन (ईबीडीआईटी)*	179	226
निवल लाभ (+)/हानि(-)	-247	31
नियोजित पूंजी**	3814	3661
लाभप्रदता अनुपात		
सकल मार्जिन (ईबीडीआईटी)/कारोबार	7.6%	18.1%
सकल मार्जिन (ईबीडीआईटी)/नियोजित पूंजी	4.7%	***12.3%

*मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ
**निवल अचल परिसम्पत्ति + कार्यचालन पूंजी
***वार्षिकीकृत सकल मार्जिन

(ख) 31.10.2003 की स्थिति के अनुसार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कुल श्रमशक्ति 17301 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोलकाता-कूच बिहार उड़ान

2884. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री दानवे राव साहेब पाटील:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोलकाता-कूच बिहार और मुम्बई-औरंगाबाद-नागपुर के बीच नियमित उड़ानें शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या निजी विमान कम्पनियों से इस बारे में बातचीत की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) कोलकाता और कूच बिहार के बीच विमान सेवा शुरू किए जाने के विषय में पश्चिम बंगाल सरकार से मई, 2003 में अनुरोध प्राप्त हुआ था। मुम्बई-औरंगाबाद-नागपुर मार्ग पर विमान सेवा शुरू किए जाने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) शेड्यूलिंग तथा विमान क्षमता की कमियों के कारण, इंडियन एयरलाइंस नए मार्गों पर सेवाएं शुरू करने में असमर्थ है।

(घ) और (ङ) देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विमान यातायात सेवाओं के संबंध में बेहतर समंजन (रेगुलेशन) प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित

किए गए हैं। बहरहाल, यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा सुलभ कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशानिर्देश के अनुपालन की शर्त पर, देश में किसी भी स्थान से विमान प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तटीय भागों में इस्पात संयंत्र की स्थापना

2885. **श्री रामदास आठवले:**
श्री परसुराम मांझी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के तटीय भागों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितने स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) सरकार उपर्युक्त संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में समुद्र तट पर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर इस्पात उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है और इसे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है। अत: औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है और प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर उद्यमी देश में कहीं भी इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

एफ.पी.आई. के केंद्र प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

2886. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में चलाये जा रहे केंद्र प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय तौर पर प्रायोजित खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चला रहा है। किंतु दसवीं योजना के अंतर्गत मानव संस्थान विकास संबंधी स्कीम के तहत ऐसे कार्यक्रमों के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्कीम के निम्नलिखित चार संघटक हैं अर्थात्:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।

(2) खाद्य प्रसंस्करण संबंधी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(4) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम।

(ख) मंत्रालय की स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य या क्षेत्र विशिष्ट। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जारी की गई सहायता का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) चूंकि मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम का स्वरूप संवर्धनात्मक है इसलिए ऐसी कोई सूचना केंद्रीय तौर पर नहीं रखी गई है।

विवरण

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जारी की गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	0.300	–	1.600
असम	–	–	25.000

1	2	3	4
बिहार	6.440	1.436	2.000
दिल्ली	0.771	1.380	0.175
गोवा	–	–	–
गुजरात	0.186	–	62.180
हरियाणा	–	24.900	26.250
हिमाचल प्रदेश	0.512	0.850	–
जम्मू-कश्मीर	–	0.420	1.990
कर्नाटक	23.45	45.380	14.300
केरल	8.100	–	19.000
मध्य प्रदेश	4.820	18.673	19.716
महाराष्ट्र	6.500	9.166	27.000
उड़ीसा	0.998	–	0.540
पंजाब	0.440	4.985	4.709
राजस्थान	1.200	–	0.512
सिक्किम	–	–	1.200
तमिलनाडु	34.750	32.841	4.247
त्रिपुरा	6.050	0.430	20.350
उत्तर प्रदेश	3.119	28.200	61.528
पश्चिम बंगाल	–	–	–
मणिपुर	–	–	2.546
उत्तरांचल	–	12.00	3.145
छत्तीसगढ़	–	–	4.236
मिजोरम	–	–	–
	97.636	180.611	262.758

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2887. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत अग्रणी अनुसंधान संस्थानों की मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अनुसंधान संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पहले ही मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है और इस समय कितने संस्थानों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) अनुसंधान संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त संस्थानों ने इस अवधि के दौरान कौन सी प्रमुख योजनाएं अथवा कार्य पूरे किए हैं;

(ङ) सरकार ने उपर्युक्त अनुसंधान संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(च) क्या सरकार को विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में वर्ग क ख और ग में अन्य पिछड़े वर्गों के वर्तमान प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मिली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र (पी.पी.आर.सी.) नामक एक स्वायत्तशासी सोसाइटी इस मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त अनुसंधान संस्थान है। इस मंत्रालय ने उक्त संस्थान के कार्यकलापों के क्षेत्र का विस्तार करने और कतिपय पाठ्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है जिससे अंततोगत्वा उक्त संस्थान मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।

(घ) गत तीन वर्षों के लिए धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र को आबंटित निधियों के ब्यौरे:

वर्ष	धनराशि (लाख रु. में)
2000-01	80.00
2001-02	175.00
2002-03	380.00

गत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं/कार्य:-

(1) धान एवं चावल भंडारण में सोसिड्स हेतु एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का विकास।

(2) चावल मिलों की तकनीकी-आर्थिक स्वरूप संबंधी जांच।

(3) मिल में बनाए गए चावल में पौष्टिकता बनाए रखने हेतु ब्राउन राइस का प्रसंस्करण तथा उसका भंडारण।

(4) प्रोटीन-पुष्ट चावल सेवई (वर्मिसेली) के उत्पादन पर पायलट अध्ययन।

(ङ) अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस संस्थान में पद आधारित आरक्षण रोस्टर बनाया गया है।

(च) जी हां।

(छ) जहां रोस्टर के अनुसार, केवल एक ग्रुप 'ए', एक ग्रुप 'बी' और पांच ग्रुप 'सी' पद अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने हैं, वहां संस्थान ने आवश्यकतानुसार न केवल इन पदों को भर दिया है बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से तीन और ग्रुप 'ए' पद तथा 15 ग्रुप 'सी' पद भी भरे हैं।

गुवाहाटी से उड़ानें बंद करना

2888. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ान गुवाहाटी-बैंकाक उड़ान को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार गुवाहाटी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) सरकार का विचार लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को कब तक एटीआर-42 विमान सेवाओं का केन्द्र बनाने का है;

(घ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) पूर्वोत्तर की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) एअर इंडिया ने 4 अप्रैल, 2002 से गुवाहाटी से बैंकाक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रारंभ कर दिया था। बहरहाल, उन्होंने ईंधन की कीमतों में वृद्धि, नागर विमानन उद्योग पर सार्स के प्रभाव तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता में कमी के कारण इन उड़ानों को 27 अप्रैल, 2003 से बंद कर दिया था।

(ख) इस समय एअर इंडिया की गुवाहाटी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर एलाइंस एयर की गुवाहाटी में एक एटीआर विमानन के रात्रि पड़ाव की योजना है।

(ङ) इस समय एअर इंडिया अपने नेटवर्क में यूके/अमेरिका तथा खाड़ी के स्थानों से सुलभ संपर्क उपलब्ध कराने के लिए कोलकाता से मुम्बई के लिए सप्ताह में एक उड़ान प्रचालित कर रहा है। इस समय इंडियन एयरलाइंस की गुवाहाटी से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आरंभ करने की कोई योजना नहीं है। इंडियन एयरलाइंस कोलकाता तथा दिल्ली, जो भारत के पूर्व तथा उत्तर क्षेत्र के हब हैं, से गुवाहाटी को जोड़ने के लिए दैनिक आधार पर उड़ानें प्रचालित कर रही है।

कूच-बिहार विमानपत्तन

2889. श्री अमर रायप्रधान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कूच-बिहार विमानपत्तन कब से बंद है;

(ख) क्या सरकार को इस विमानपत्तन को प्रचालनीय बनाने के लिए अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अत्यधिक व्यय करने के बावजूद भी इस विमानपत्तन को प्रचालनीय बनाने में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इसे कब तक प्रचालनीय बनाने और बागडोगरा/कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इस हवाई अड्डे को 2002 से बन्द कर दिया है।

(ख) और (ग) इस हवाई अड्डे को प्रचालनीय बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बहराल किसी भी एयरलाइन ने इस हवाई अड्डे से अपना प्रचालन शुरू करने की योजना जाहिर नहीं की है।

(घ) एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक तथा प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी सेक्टर के लिए अपनी उड़ानें प्रचालन करने की योजना बनाती हैं।

ग्लोबल एविएशन अलायन्स में एअर इंडिया

2890. श्री उत्तम राव पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने ग्लोबल एविएशन अलायन्स में शामिल होने संबंधी योजना को अब अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे एअर इंडिया को कितना लाभ होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) इस समय एअर इंडिया की किसी ग्लोबल एलाइंस में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। तथापि, इसने दीर्घावधिक सहयोग करने के लिए लुफ्थांसा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बीजों का उत्पादन

2891. श्री खगेन दास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई संस्थानों द्वारा बीजों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों की आज की तिथि तक ऐसी कितनी संस्थाएं हैं;

(ग) क्या इन संस्थानों द्वारा उत्पादित बीज किसानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.), भारतीय राज्य फार्म निगम लि. (एस.एफ.सी.आई.), भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि. (इफ्को), कृषक भारती सहकारी समिति लि. (कृभको), राज्य बीज निगम, तिलहन उत्पादक सहकारी परिसंघ और विभिन्न राज्यों के कृषि और बागवानी विभाग बीज उत्पादन करने में लगे हैं। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों और फार्म रक्षित बीजों के माध्यम से भी बीजों की मांग पूरी की जाती है।

दूध उत्पादन

2892. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार उत्पादित दुग्ध की मात्रा और मांग कितनी थी; और

(ख) देश में दूध की मांग को पूरा करने के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) दुग्ध उत्पादन के अनुमान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दूध की अनुमानित मांग संबंधी ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) देश में दुग्ध उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है-

(1) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना

(2) आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

(3) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(4) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(5) गैर-आपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

(6) व्यावसायिक दक्षता विकास

इसके अलावा, प्रसंस्करण तथा निर्माण सुविधाएं संबंधी क्रिया-कलापों, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में सहकरी दुग्ध संघों/परिसंघों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दीर्घावधि योजनाएं तैयार की हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दुग्ध उत्पादन संबंधी आंकड़े वर्ष 2000-01 से 2002-03		
	दूध (000 टन) (2000-01)	दूध (000 टन) (2001-02)	दूध** (000 टन) (2002-03)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5521	5814	6122
अरुणाचल प्रदेश	41	46	51
असम	670	751	841
बिहार*	2489	2632	2783
गोवा	44	47	50
गुजरात	5312	5876	6500

1	2	3	4
हरियाणा	4850	4977	5108
हिमाचल प्रदेश	760	763	766
जम्मू-कश्मीर	1321	1357*	1394
कर्नाटक	4599	4784	4976
केरल	2605	2718	2835
मध्य प्रदेश@	4761	5284	5864
महाराष्ट्र	5849	6093	6347
मणिपुर	68	71	74
मेघालय	64	66	68
मिजोरम	14	14	14
नागालैंड	50	54*	58
उड़ीसा	875	929	986
पंजाब	7777	8375*	9019
राजस्थान	7455	6330*	5375
सिक्किम	36	46*	59
तमिलनाडु	4909	4990	5073
त्रिपुरा	78	79*	80
उत्तर प्रदेश@	13858	15440*	17203
पश्चिम बंगाल	3470	3515	3561
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23	25*	28
चण्डीगढ़	43	43	44
दमन एवं दीव	10	11	12
दादरा एवं नागर हवेली	1	1	1
दिल्ली	292	321*	353
लक्षद्वीप	1	1	1
पाण्डिचेरी	36	35	34
छत्तीसगढ़**	777	807	838
उत्तरांचल**	1026	1066	1108
झारखण्ड**	1389	1436	1485
कुल	81074	84797*	89111

@पुनर्गठित *अनन्तिम **प्रत्याशित उपलब्धि

एचएससीएल, बीएसएल और सेल में अनुबंध पर श्रमिक

2893. श्री बसुदेव आचार्य: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एचएससीएल, बीएसएल और सेल के स्टोर विभाग में कार्यरत अनुबंध श्रमिकों को वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् हटा दिया गया और उनके स्थान पर विभागीय श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य श्रमिक विभाग ने भी ऐसी प्रतिस्थापन को नियमों के विरुद्ध माना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2003 के दौरान छंटनी किए गए अनुबंध श्रमिकों को अनुमति देने की बजाए नए श्रमिकों को अनुबंध पर कार्य करने हेतु रखा गया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसा करने से श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है;

(ज) क्या छंटनी किए गए पुराने श्रमिकों ने नए श्रमिकों द्वारा अपनी प्रतिस्थापन के विरुद्ध बारम्बार अभ्यावेदन भी दिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

एटीएफ के मूल्य में कमी

2894. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2003 में एटीएफ के मूल्य में 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए एटीएफ और अंतरदेशीय विमान यात्रा कर (आईएटीटी) के कारण इंडियन एयरलाइंस द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके देश भर में एटीएफ के मूल्य में कमी करने और समान मूल्य लागू करने के सरकारी प्रयास असफल हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने एटीएफ पर केन्द्रीय बिक्री कर में कमी के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्रालय के सामने उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। घरेलू उड़ानों के लिए विमान टर्बाइन ईंधन की कीमत में अक्तूबर, 2003 की तुलना में नवम्बर, 2003 में 5.10% की वृद्धि हुई है। बहरहाल, विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) एक विनियंत्रित उत्पाद है। विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्यनिर्धारण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

(ख) नवम्बर, 2003 में विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप नवम्बर, 2003 के दौरान एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस के प्रचालन में ईंधन की लागत में लगभग 6 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। सरकार निजी एयरलाइनों द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर होने वाले खर्च का ब्यौरा नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त, अंतरदेशीय विमान यात्रा कर (आईएटीटी) में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) नागर विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर की दर को कम करने पर विचार करें। केवल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की सरकारों ने एटीएफ पर बिक्री कर की दरों को कम किया है। अन्य राज्यों की सरकारों ने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन टर्बाइन ईंधन पर करों के युक्तिकरण के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है।

न्यूनतम मूल्य

2895. श्री एन.एन. कृष्णा दास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य घोषित करके कितने कृषि उत्पादों के उत्पादकों को संरक्षित किया जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य की घोषणा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर धान उत्पादक किसानों की सुरक्षा हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार प्रत्येक मौसम में बड़ी कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करती है और राज्य सरकारों द्वारा गठित अन्य एजेन्सियों के अलावा, सार्वजनिक और सहकारी एजेन्सियों जैसे—भारतीय खाद्य निगम (धान, गेहूं और मोटे अनाज), भारतीय जूट निगम (जूट), भारतीय कपास निगम (कपास), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (तिलहन और दलहन) और तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) के माध्यम से खरीद प्रचालनों का आयोजन करती है। चालू खरीफ मौसम 2003-04 के दौरान, सरकार ने 103.83 लाख टन चावल, 5.97 लाख टन मोटा अनाज और 1.00 लाख टन उड़द की अधिप्राप्ति की। 2088 टन मूंग की मात्रा की भी अधिप्राप्ति की गई। 17.36 लाख क्विंटल जूट (9.64 लाख गांठ) की भी अधिप्राप्ति की गई। रबी विपणन वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 158.00 लाख टन गेहूं की भी अधिप्राप्ति की गई।

(ख) सरकार ने विगत खरीफ विपणन मौसम 2002-03 और चालू विपणन मौसम 2003-04 के दौरान गैर-परम्परागत राज्यों में धान की अधिप्राप्ति को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। किसानों की कठिनाइयों को कम करने और विपत्ति में की गई धान की बिक्री को रोकने के लिए, सरकार धान के लिए विशेषीकरण

में समय-समय पर छूट भी प्रदान कर रही है। सरकार राज्यों को भी प्रोत्साहन दे रही है ताकि वे स्थानीय किसानों को लाभ देकर अधिकतम सीमा तक स्थानीय अधिप्राप्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विकेन्द्रित अधिप्राप्ति की योजना को अपना सकें।

विमान को सेवा से हटाना

2896. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानों के रख-रखाव में विसंगतियों और ए-320 विमान को सेवा से हटाने के कारण इंडियन एयरलाइंस को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इसमें कितनी उपलब्धि मिली है;

(घ) क्या ए-320 विमान के परीक्षण की भारत में अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद कुछ विमानों को परीक्षण हेतु विदेश भेजा गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसे नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) इंडियन एयरलाइंस इसके विमान-बेड़े में मौजूद सभी प्रकार के विमानों पर सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य करने में सक्षम है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस के कुछ एयरबस ए-320 विमानों को बड़े अनुरक्षण कार्य के कारण विदेश में भेजा गया था चूंकि प्रति-वर्ष बड़ी जांचों पर वास्तविक उद्‌भूत, इंडियन एयरलाइंस की घरेलू क्षमता से अधिक होती है। घरेलू क्षमता प्रति वर्ष 18 से 20 बड़ी जांच (सी जांच) है, जबकि वास्तविक उद्‌भूत प्रति वर्ष 20 जांचों से अधिक है।

कृषि क्षेत्र

2897. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न योजनाओं के कारण प्रति वर्ष कृषि योग्य भूमि क्षेत्र बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार अवक्रमित भूमि/वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जो देश में बोए गए निवल क्षेत्र को बढ़ाने में योगदान देती हैं।

उपलब्ध अनुमान के अनुसार, बोया गया निवल क्षेत्र वर्ष 1980-81 में 140.27 मिलियन है. से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 142.60 मिलियन है. हो गया। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1993-94) में बोया गया निवल क्षेत्र 142.34 मिलियन है. था और नौवीं पंचवर्षीय योजना (1998-99) के दौरान यह बढ़कर 142.60 मिलियन है. हो गया।

(घ) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पनधारा विकास, वर्षासिंचित खेती और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में गठित कार्यकारी दल ने दसवीं योजना के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 15.00 मिलियन है. क्षेत्र के विकास के लिए एक संदर्शी योजना का सुझाव दिया है।

विवरण

1980-81 और 1998-99 के दौरान देश में राज्यवार बोया गया निवल क्षेत्र

क्षेत्र लाख हैक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य	1980-81	1998-99
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	107.38	109.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.12	1.85
3.	असम	26.55	27.01

1	2	3	4
4.	बिहार	83.15	74.31
5.	छत्तीसगढ़	*	*
6.	गुजरात	95.76	96.74
7.	हरियाणा	36.02	36.28
8.	हिमाचल प्रदेश	5.72	5.49
9.	झारखंड	**	**
10.	जम्मू-कश्मीर	7.15	7.33
11.	कर्नाटक	98.99	104.89
12.	केरल	21.80	22.59
13.	मध्य प्रदेश	187.02	198.39
14.	महाराष्ट्र	182.99	177.32
15.	मणिपुर	1.40	1.40
16.	मेघालय	1.93	2.21
17.	मिजोरम	0.77	1.09
18.	नागालैंड	1.48	2.61
19.	उड़ीसा	61.30	60.48
20.	पंजाब	41.91	42.38
21.	राजस्थान	152.68	160.73
22.	सिक्किम	0.86	0.95
23.	तमिलनाडु	53.60	56.35
24.	त्रिपुरा	2.46	2.77
25.	उत्तर प्रदेश	172.21	175.85
26.	उत्तरांचल	***	***
27.	प. बंगाल	55.65	54.40
28.	गोवा	1.33	1.42
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.33	0.38
30.	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	0.02
31.	दादरा और नागर हवेली	0.23	0.23
32.	दिल्ली	0.58	0.41
33.	दमन व दीव	#	0.04
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.03
35.	पांडिचेरी	0.30	0.25
	योग	1402.70	1425.98

*क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल

**क्षेत्र बिहार में शामिल

***क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शामिल

#क्षेत्र गोवा में शामिल

ग्राउंड हैंडलिंग उत्तरदायित्व का अंतरण

2898. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरपोर्ट के नए मानदंडों के अनुसार एक्सरेइंग और ग्राउण्ड हैंडलिंग की जिम्मेवारी के अंतरण से इंडियन एयरलाइंस को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिम्मेवारी के अंतरण से इंडियन एयरलाइंस को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों के लिए योजना

2899. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगार युवकों के कल्याण के लिए बीमा कम्पनियों के सहयोग से कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ठेका मजदूर क्षेत्र पर उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) इस समय देश में बेरोजगार युवकों के कल्याण के लिए बीमा कम्पनियों के सहयोग से कोई योजना बनाने का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट

2900. श्री नरेश पुगलिया:
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर एअरपोर्ट को विमानयात्रियों और कार्गो दोनों ही के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के रूप में घोषित किए जाने और उसे राज्य सरकार के हाथों में सौंपने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बे अरसे से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) नागपुर के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को नागपुर में हवाई अड्डा अवसंरचना के लिए अपेक्षित विकास कार्य तथा संयुक्त सर्वेक्षण, अपेक्षित भूमि का निर्धारण, तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता अध्ययन आदि जैसे सभी कार्यों को करने के लिए मार्गदर्शी प्रारूप तैयार करने की सलाह पहले ही दे दी है।

(ग) और (घ) विलंब का मुख्य कारण यह है चूंकि अभी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण किया जाना है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से उक्त पैरा (क) तथा (ख) यथा उल्लिखित विस्तृत प्रस्ताव प्रतिक्षित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपेक्षित विकास कार्य की रिपोर्ट तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही उसकी जांच करने के पश्चात् अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

साइलेंट वैली को खतरा

2901. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व की प्रसिद्ध साइलेंट वैली को इस कारण से खतरे का सामना करना पड़ रहा है कि मन्नरकेड फारेस्ट डिवीजन के अंतर्गत कक्किवानि मलावरम में इसके कारिडोर की 35 एकड़ भूमि पौधरोपण और खेती के लिए खाली कराई गई है और वहां निवास करने वालों ने वर्षा वन (रेन फारेस्ट) पर अतिक्रमण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस भूमि के अवैध प्रयोग और अवैध कब्जे को रोकने के लिए तथा वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने चालू वर्ष के दौरान साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास मन्नरकेड वन खंड में गांजे की अवैध खेती का पता लगाया है।

(ख) गांजे की अवैध फसल नष्ट कर दी गई थी। आपराधिक मामले दर्ज करने सहित गिरफ्तारियां करने के लिए कार्रवाई भी की गई है।

मेकान लिमिटेड का पुनरुद्धार

2902. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेकान लिमिटेड के पुनरुद्धार की संभावनाओं और साधनों की पूरी तरह जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मेकान में, श्रेणीवार कितने कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाया है;

(घ) क्या मेकान की व्यवहार्यता में सबसे प्रमुख समस्या विगत वर्षों में इसके ग्राहकों पर बकाया राशि में हुई निरंतर वृद्धि रही है, जो अब तक वसूल नहीं की जा सकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 नवंबर, 2003 तक कुल कितना बकाया है; और

(च) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) विभिन्न कारणों जैसे अधिक श्रमशक्ति, मंदी और इस्पात क्षेत्र में नए निवेश में कमी आदि के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान मेकान की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। सरकार कंपनी के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा और मानिटरिंग कर रही है और कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। ये निम्नानुसार हैं:

* मेकान लि. के कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करना।

* जनशक्ति को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए (50% ब्याज इमदाद के प्रावधान सहित) जुटाने के लिए 2001-02 में कंपनी के पक्ष में सरकार ने गारंटी उपलब्ध कराई है। वी आर एस के जरिए जनशक्ति में और कमी करने के लिए 125 करोड़ रुपए और जुटाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कंपनी को और गारंटी दी गई है।

* प्रबंधन व्यय और ऊपरी खर्चों को कम करने के लिए कई किफायती उपाय कार्यान्वित किए गए हैं।

* कंपनी ने कारोबार के परामर्शी और सेवा खण्ड पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इसके अतिरिक्त इसने अपना प्रचालन गैर-इस्पात क्षेत्र में काफी विविधीकृत किया है।

* सरकार ने नीतिपरक क्रेता के पक्ष में कंपनी के 51% शेयरों का विनिवेश करने के लिए प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इस प्रक्रिया की सुविधा के लिए कंपनी को पुनर्संरचना योजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेकान लि. के वी आर एस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी गई है:

	श्रेणी	2001*	2002*	2003* (आज की स्थिति के अनुसार)
क.	कार्यपालक	1	323	412
ख.	पर्यवेक्षक/अनुभाग अधिकारी	0	10	20
ग.	लिपिकीय/कुशल कर्मचारी	0	11	16
घ.	चतुर्थ श्रेणी अकुशल कर्मचारी	0	56	52
	योग	1	400	500

*कलैण्डर वर्ष पर आधारित

(घ) मेकान लि. द्वारा सामना की जा रही प्रमुख समस्या अपने ग्राहकों से वसूला गया काफी बकाया है। इससे कंपनी की संसाधन उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

(ङ) 31.11.2003 की स्थिति के अनुसार इसके ग्राहकों की ओर से मेकान लि. को देय कुल बकाया राशि 100.26 करोड़ रुपए है। प्रमुख बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क.	परामर्शी	नीलाचल इस्पात निगम लि.	7.56 करोड़ रुपए
		कोणार्क मैटकोक लि.	4.21 करोड़ रुपए
		इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	2.62 करोड़ रुपए
		श्री विष्णुप्रिया प्रोजैक्ट लि.	1.20 करोड़ रुपए

		एसजेके स्टील कारपोरेशन	0.57 करोड़ रुपए
		मिड ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील	1.55 करोड़ रुपए
ख.	आपूर्ति	सेल/राउरकेला इस्पात संयंत्र	32.2 करोड़ रुपए
		आयल एंड नैचुरल गैस कंपनी	3.66 करोड़ रुपए
		तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	2.41 करोड़ रुपए
		साऊदर्न आयरन एंड स्टील कं. लि.	1.89 करोड़ रुपए
		कर्नाटक सरकार (किदवई/रैजि. स्कूल)	3.00 करोड़ रुपए
		एनआईएससीओ (पश्चिम बंगाल सरकार)	0.73 करोड़ रुपए

(च) सरकार ने इस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए जब भी आवश्यकता हो इस्पात मंत्रालय की सहायता से कार्रवाई करने के लिए कंपनी को सलाह दी है बकाया राशि का अधिकांश भाग उन दावों के कारण है जो विवादित हैं। इनमें से कई विवादित दावे स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के करारों से संबंधित है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने विवाद निपटान समिति बनाई है।

नवी मुम्बई में एअरपोर्ट

2903. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी से नवी मुम्बई के अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के विकास के लिए एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से नवी मुम्बई में हवाई अड्डा बनाने के लिए नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड महाराष्ट्र (सीडको) द्वारा तैयार की गई एक तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई। नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सीडको) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार करने से पहले मौजूदा तथा प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए बिना बाधा प्रचालन के, कार्य अध्ययन करने को कहा गया।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियोजन

2904. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के उन कर्मचारियों के आश्रितों को जो सेवा के दौरान या सेवा के दौरान किसी घटना में मारे गए हैं, इस्पात की राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एन जे सी) के समझौते के प्रावधानों के अनुसार नियोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दिवंगत कर्मचारियों के कितने आश्रितों को नियोजित किया गया;

(ग) इस संबंध में एन जे सी के समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या एन जे सी के समझौते में इस बात का प्रावधान है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजित किया जाएगा जो सेवा के दौरान संयंत्र में ही मरे हों जबकि संयंत्र के बाहर मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजित नहीं किया जाएगा चाहे वे सेवाकाल में ही क्यों न मरे हों;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस्पात संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के मरने या उनके नि:शक्त होने की स्थिति में उनके आश्रितों को अन्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में नियोजित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां। बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल), राष्ट्रीय

संयुक्त इस्पात समिति (एन जे सी एस) समझौते के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराता है।

(ख) एन जे सी एस के प्रावधानों के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (नवंबर, 2003 तक) के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नीचे दिए अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है:-

क्र.सं.	वर्ष	आश्रितों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया है
1.	2000	23
2.	2001	10
3.	2002	13
4.	2003 (नवंबर, 2003 तक)	15

(ग) और (घ) एन जे सी एस समझौते में यह प्रावधान है कि नौकरी के दौरान और नौकरी के कारण हुई किसी कर्मचारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थाई सम्पूर्ण निशक्तता के मामले में इसके सीधे आश्रित को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह लाभ उसके कार्यालय समय से एक घटा पहले अथवा एक घंटे बाद की अवधि के दौरान निवास से कार्य स्थल जाते हुए अथवा ड्यूटी के पश्चात् वापिस निवास आते हुए यात्रा के दौरान हुई मृत्यु अथवा स्थाई सम्पूर्ण निशक्तता होने पर भी दिया जाता है बशर्ते कि दुर्घटना कार्य-स्थल की यात्रा के सामान्य रास्ते पर हुई हो।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुम्बई एयरपोर्ट और सिटी सेन्टर के बीच हेलीकाप्टर सेवा

2905. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में छत्रपति शिवाजी एअरपोर्ट और सिटी के बीच हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ध्वनि प्रदूषण के मामले में स्थानीय नागरिकों की सहमति ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत सरकार के अधीन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड की, मुम्बई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे तथा नरीमन प्वाइंट के निकट सिटी सेंटर के बीच हेलीकाप्टर सेवाएं आरम्भ करने की योजना है।

(ख) और (ग) कुफी परेड रेजीडेंट्स एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधियों के साथ, मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए हाल ही में बातचीत की गई थी। तथापि, वहां के निवासियों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में अभी तक अपनी सहमति नहीं जताई है।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

2906. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जुड़ी अन्तर्राज्यीय नदियों के लिए कोई बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान इस संबंध में किन विशेष प्रस्तावों पर विचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है।

जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय जल आयोग ने देश में प्रमुख नदियों पर 166 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों के एक नेटवर्क की स्थापना की है जिनमें से 31 केन्द्र छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित हैं जो राज्य सरकारों को समय पर बाढ़ पूर्वानुमान उपलब्ध कराते हैं और बाढ़ से बचाव के लिए चेतावनी देते हैं।

केन्द्र सरकार गंभीर बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इस संबंध में दसवीं योजना के दौरान गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्यों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ झारखण्ड के लिए भी एक स्कीम को शामिल किया गया है। गंभीर नदी-कटाव रोधी कार्यों/तटबंधों को ऊंचा करने एवं सुदृढ़ करने, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सहित राज्यों

में संवेदनशील क्षेत्र में निकास के सुधार के लिए भी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तैयार की गयी हैं।

उत्तम किस्म के बीजों का अभाव

2907. श्री रघुनाथ झा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहन, दलहन, काटन, जूट और आलू के संदर्भ में प्रामाणिक और उत्तम किस्म के बीजों के वितरण में लक्ष्य को हासिल करने में निरंतर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य हासिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सिक्ख कलाकृतियों को अन्यत्र ले जाना

2908. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह से सम्बद्ध वस्तुओं को कथित रूप से कनाडा ले जाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में उनके उचित संरक्षण हेतु उन्हें कनाडा से वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) इस विषय पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पाद को औन-पौने दाम में बेचा जाना

2909. श्री भानसिंह भौरा:
श्री अम्बरीश:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में सीमांत, लघु और मझौले किसानों ने अपने कृषि उत्पादों को औने-पौने दामों में बेचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्तमान विपणन मौसम 2003-04 के दौरान खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री की शिकायतें अब तक निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं:-

गेहूं—बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

धान—गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

मोटे अनाज—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली।

ये शिकायतें भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थी ताकि अत्यावश्यक सुधारक कार्रवाई की जा सके। अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि केवल गैर-अच्छी औसत क्वालिटी के खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचे गए।

वर्ष 2003-04 खरीफ मौसम के दौरान, उड़द और मूंग को छोड़कर सभी अधिसूचित तिलहनों और दलहनों की दरें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रही थी, तदनुसार, उड़द और मूंग के संबंध में अधिप्राप्ति प्रचालन राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा किए गए हैं।

वर्तमान फसल मौसम के दौरान कपास तथा पटसन की विपत्ति में बिक्री की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) मार्जिनल, छोटे तथा मध्यम किसानों सहित किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम और मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रही है। सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियां जैसे भारतीय खाद्य निगम (धान, गेहूं और मोटे अनाज), भारतीय पटसन निगम (पटसन), भारतीय कपास निगम (कपास), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (तिलहन तथा दहलन) और तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) के

अलावा राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य एजेंसियों के माध्यम से खरीद प्रचालनों का आयोजन करती है। जब कभी भी बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिर जाते हैं, केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को अधिप्राप्ति प्रचालन करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों का व्यापक प्रचार किया जाता है और केन्द्रीय नोडल एजेंसियां खरीद केन्द्र खोलती हैं। खाद्यान्नों की विपत्ति में बिक्री होने से बचने और अबाधित अधिप्राप्ति प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विपणन मौसम के शुरू होने से पहले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को नियंत्रण कक्ष खोलने की सलाह दी जाती है जो खरीद की व्यस्ततम अवधि के दौरान चौबीसों घंटे कार्यरत रहने चाहिएं। राज्य सरकारें और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से यह अनुरोध भी किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करें।

मूल्यों के आर्थिक स्तर से नीचे गिरने पर किसानों के लाभ के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के अनुरोध पर बागवानी जिन्सों की खरीद नेफेड और संबंधित राज्य एजेन्सियों के माध्यम से की जाती है।

[हिन्दी]

ठेके पर कृषि

2910. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दरलाल तिवारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में ठेके की कृषि में संलग्न चूककर्त्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) महत्वपूर्ण और वाणिज्यिक दोनों फसलों के लिए सदियों से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की ठेके पर कृषि व्यवस्थाएं प्रचलन में रही हैं। गन्ना, कपास, चाय, काफी आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें ठेके के कृषि के किसी न किसी रूप में शामिल रही हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ फसलों और मात्स्यिकी के मामले में भी ठेके की कृषि व्यवस्थाएं जिंसों के वायदा सौदा को मुख्यत: शामिल करती है। ठेके पर कृषि कृषि व्यापार का एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण पहलू है चाहे उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अथवा छोटी कंपनियों द्वारा खरीदे जाएं। ठेके की कृषि पर कुछ सफल घटनाएं भी हैं जैसे पंजाब में आलू, टमाटर, मूंगफली और मिर्च के संबंध में पैप्सिको इंडिया, मध्य प्रदेश में कुसुम, आंध्र प्रदेश में आयल पाम, संकर बीज कंपनियां आदि के लिए बीज उत्पादन ठेका, जिसने उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर आय प्रदान कराने में मदद की है। ठेके पर कृषि की अन्य सफल घटनाएं हैं—अमूल और एन.डी.डी.बी. द्वारा दूध की अधिप्राप्ति।

(ख) चूंकि देश में ठेके की कृषि पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ठेका फार्मिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए गुजरात को केन्द्रीय सहायता

2911. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में सामान्य रूप से कितनी वर्षा होती है और वास्तव में गत चार महीनों के दौरान वहां जिलेवार कितनी वर्षा हुई और यह सामान्य से कितनी कम रही;

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान गुजरात में सूखे से कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए; और

(ग) राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और कितने खाद्यान्न दिए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनों (जून-सितम्बर, 2003) के दौरान गुजरात में सामान्य वर्षा 861.6 मि.मी. की तुलना में 1048.8 मि.मी. वर्षा हुई जो 22% अधिक है। राज्य के सभी 25 जिलों में इस मानसून मौसम के दौरान अधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई। पिछले 6 महीनों के दौरान गुजरात में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य और वास्तविक वर्षा तथा कम वर्षा वाले अभिज्ञात जिलों की जिलावार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। अत: इस अवधि के लिए किसी सूखा राहत सहायता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में महीना-वार (जून, 2003 से नवम्बर, 2003) और जिला-वार वर्षा

जिले का नाम	जून-03			जुलाई-03			अगस्त-03			सितंबर-03			अक्तूबर-03			नवम्बर-03		
	वास्तविक	सामान्य	% कमी	वास्तविक	सामान्य	% कमी	वास्तविक	सामान्य	% कमी	वास्तविक	सामान्य	% कमी	वास्तविक	सामान्य	% कमी	वास्तविक	सामान्य	% कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अहमदाबाद	161.1	81.1	99%	225.4	249.3	-10%	327.3	209.7	56%	77.2	119.2	-35%	0	13.6	-100%	0	8.3	-100%
आनन्द	177.7	99.9	78%	532.5	308.9	72%	282.3	262.1	8%	125.9	147.1	-14%	0	17.2	-100%	0	14.73	-100%
बनासकांठा	94.2	63.3	49%	456.4	255.0	79%	147.4	213.4	-31%	41.1	97.9	-58%	0.8	15.1	-95%	0	7.9	-100%
बड़ौदा	207.6	132.6	57%	391.4	342.3	14%	323.8	323.1	0%	130.3	166.9	-22%	0	24.6	-100%	0	15.6	-100%
भड़ौंच	159.5	136.3	17%	316.7	323.9	-2%	182.3	229.5	-21%	115.7	167.5	-81%	4.3	25.6	-83%	0	10.1	-100%
दाहुद	183.8	100.6	83%	390.5	286.1	36%	150.4	283.0	-47%	92	156.3	-41%	0	27.2	-100%	0	13.4	-100%
डांग्स	491.0	232.0	112%	831.0	815.5	2%	514.0	560.4	-8%	325	348.7	-7%	28	51.1	-45%	0	15.2	-100%
गांधीनगर	152.7	71.3	114%	479.7	287.9	67%	416.4	227.6	83%	58.3	140.9	-59%	0	15.9	-100%	0	6.9	-100%
खेड़ा	100.8	102.0	-1%	519.6	322.7	61%	351.8	259.5	36%	128.8	147	-12%	0	15.3	-100%	0	11.4	-100%
मेहसाना	63.6	73.3	-13%	473.1	252.6	87%	286.6	231.3	24%	57.2	119.5	-52%	0	16.3	-100%	0	9.3	-100%
नर्मदा	304.4	155.6	96%	467.6	252.6	15%	316.7	361.4	-12%	153.4	183.9	-17%	19.5	24.3	-20%	0	13.1	-100%
नवसारी	568.0	267.7	112%	956.0	406.1	26%	534.0	478.7	12%	184	286.6	-36%	20.7	38.7	-47%	0	12.8	-100%
पंचमहल	196.2	114.5	71%	460.8	756.2	38%	342.7	335.1	2%	107.2	166.5	-36%	0	21.4	-100%	0	12.9	-100%
पाटन	93.6	61.7	52%	457.0	334.9	104%	121.0	180.3	-33%	10.5	83.7	-87%	0	10.4	-100%	0	6.4	-100%
साबरकांठा	74.0	81.9	-10%	432.8	223.8	54%	304.0	258.3	18%	65.7	132.9	-51%	0	18.2	-100%	0	8.8	-100%
सूरत	520.2	208.8	149%	769.3	280.2	38%	580.2	393.8	47%	220.6	231.8	-5%	6.2	31.2	-80%	0	13.2	-100%
बलसाड	510.6	321.4	59%	1020.1	558.7	27%	514.2	522.3	-2%	309.5	299	4%	2.2	39.5	94%	0	14.7	-100%
अम्रेली	110.7	102.9	8%	280.0	803.8	45%	201.1	130.0	55%	56.7	91.8	-38%	22.7	21.1	8%	0	18	-100%
भावनगर	102.3	106.2	-4%	336.4	192.9	75%	-	156.1	-100%	48.8	111.1	-56%	0	19.2	-100%	0	11.8	-100%
जामनगर	31.8	83.1	-62%	487.5	201.8	142%	312.7	138.4	126%	16.7	50.2	-67%	1.8	10.1	-82%	0	11.9	-100%
जूनागढ़	158.1	190.7	-17%	356.1	318.4	12%	384.4	182.4	111%	66.5	96	-31%	4.6	25.2	-82%	0	16.5	-100%
कच्छ	28.3	45.6	-38%	515.8	157.8	227%	110.5	119.9	-8%	1.1	56.6	-98%	0	9.4	-100%	0	8.4	-100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
पोरबंदर	70.9	170.3	-58%	391.4	247.9	58%	304.9	150.9	102%	10.5	63.6	-83%	0	16.9	-100%	0	17	-100%
राजकोट	133.8	92.4	45%	356.6	236.1	51%	248.6	159.2	56%	33.6	86.8	-61%	4.1	20	-80%	0	9.8	-100%
सूरेन्द्रनगर	98.1	73.8	33%	200.6	191.9	5%	168.4	147.9	14%	48.4	86.2	-44%	0	11.73	-100%	0	9.1	-100%

देवनहल्ली विमानपत्तन पर निर्माण कार्य

2912. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर के निकट देवहनहल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर निर्माण कार्य दिसम्बर, 2003 के दौरान आरंभ होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या कंसोर्टियम समूह इस प्रयोजनार्थ 350 करोड़ रुपये प्रदान करने को सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों के अंश का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) दिसम्बर, 2003 के अंत तक वित्तीय व्यवस्था पूरा (फाइनैंशियल क्लोज) कर लिए जाने की आशा है। वित्तीय व्यवस्थाओं पूरा करने के (फाइनैंशियल क्लोज) तुरन्त बाद वास्तविक निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा।

(ग) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 1330 करोड़ रु. है।

(घ) कंसोर्टियम ग्रुप कम्पनी की 74% इक्विटी धारित करेगा।

(ङ) कर्नाटक राज्य निवेश तथा औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से कर्नाटक सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों 26% इक्विटी धारित करेंगे। इक्विटी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निवेश को 50 करोड़ रु. की सीमा पर सीमित किया जाता है।

(च) हवाईअड्डों को चालू किए जाने की लक्षित तारीख, वित्तीय व्यवस्थाएं (फाइनैंशियल क्लोज) पूरा किए जाने की तारीख से 33 महीने हैं।

पर्यटन परियोजनाएं

2913. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किन्हीं पर्यटन परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी/जारी की गयी; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। प्रधान मंत्री ने अपने जम्मू एवं कश्मीर दौरे के दौरान अगले दो वर्षों में स्वरोजगार अवसरों सहित कम से कम एक लाख रोजगार सृजन करने हेतु एक व्यापक योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के आधार पर कश्मीर घाटी के लिए पर्यटन के पुन: प्रवर्तन हेतु एक पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज में निम्नलिखित घटक हैं:-

1. हाउस बोट मालिकों के लिए सहायता
2. होटल तथा गेस्ट हाउस के लिए सहायता
3. शिकारा मालिकों के लिए सहायता
4. खच्चर वालों के लिए सहायता

इनके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर के लिए 2003-04 के दौरान निम्नलिखित पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत/जारी की गई राशि
1.	तालुमूला, गंदरबल, कश्मीर में खीर भवानी पूजा स्थल का एकीकृत विकास	107.00
2.	तंगमार्ग, कश्मीर में बाबा ऋषि में पूजा स्थल परिसर का एकीकृत विकास	126.00
3.	मुगल गार्डन (निशात बाग, कश्मीर) के मौजूदा खराब/क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण	103.00
4.	ऐशमुकाम दरगाह, कश्मीर का एकीकृत विकास	61.25
5.	मट्टन, कश्मीर में दरगाह का एकीकृत विकास	104.00
6.	चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक के अमरनाथजी यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए विभिन्न पड़ावों पर आवास शेड का निर्माण	109.00
7.	कटरा शहर में जल निकास योजना में सुधार तथा निर्माण	125.00

सरकार का यह मानना है कि इस पैकेज के लागू होने के साथ पर्यटकों की संख्या के बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

मृदा संरक्षण योजना के अंतर्गत सहायता

2914. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मृदा संरक्षण योजना के अंतर्गत बिहार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए राज्य को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) नवम्बर, 2000 से कृषि और सहकारिता विभाग की 27 स्कीमें कृषि के वृहत प्रबंधन में समाहित की गई थीं जिसे बिहार सहित देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि के वृहत प्रबंधन के अंतर्गत अलग-अलग स्कीमों के लिए निधियों के आवंटन को राज्य सरकारें प्राथमिकता देती हैं।

कृषि के वृहत प्रबंधन के अंतर्गत समाहित स्कीमों में मृदा संरक्षण से संबंधित दो स्कीमें शामिल हैं अर्थात् नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण और वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बिहार सहित देश में दो स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम जिनमें मृदा संरक्षण एक घटक है।

कृषि में वृहत प्रबंधन और उपरोक्त उल्लिखित ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	कृषि मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय
2000-01	352.50	100.10
2001-02	1800.00	308.06
2002-03	1250.00	315.75
योग	3402.50	724.00

(ख) कृषि में वृहत प्रबंधन अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय की संबंधित स्कीमों के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार से अतिरिक्त निधियों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

पर्यटकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

2915. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. चरणदास महंत:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को लाभान्वित करने के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित पहल की हैं:-

- प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी वैबसाइटों में आन लाइन अभियान।
- बोध गया में हैंडी आडियो रीच किट (हार्क) का विकास।
- अजन्ता तथा हम्पी के हैरिटेज स्थलों का वर्चूअल रियल्टी रिक्रीयेशन।
- उन स्थानों पर पर्यटक सूचना क्योस्क स्थापित करना, जहां पर्यटक अक्सर आते हैं।
- भारत में चार क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्थापित इन्ट्रेक्टिव वाइस रिस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस)।
- गंतव्यों के संवर्धन के लिए सीडीज/वीसीडीज का निर्माण।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी ही परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

(ग) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान 17.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

[हिन्दी]

महिला कृषि परियोजना

2916. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के कौन-कौन से जिलों में महिला कृषि परियोजना कार्यान्वित की गयी है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत उपरोक्त राज्य के कुछ अन्य जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) ''कृषि में महिलाएं'' (कृषि में महिलाओं की भागीदारी) नामक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम महाराष्ट्र के केवल थाणे जिले में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विमानपत्तनों पर खाली पड़ी भूमि

2917. श्री रामशकल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में विमानपत्तनों पर खाली पड़ी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में बड़े विमानपत्तनों के निकट झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत निर्माणों को गिराने के निर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन विभिन्न हवाईअड्डो तथा सिविल इन्कलेवों पर खाली पड़ी भूमियों (क्षेत्रफल एकड़ में) का ब्यौरा इस प्रकार है:-

कोलकाता-1600, भुवनेश्वर-935, पटना-254, रांची-526, गया-861, बागडोगरा-23, पोर्टब्लेयर-45, जोगबानी-153, मुजफ्फरपुर-102, रक्सौल-211, चकुलिया-353, झारसुगुडा-653, बेलुरघाट-87, कूचबिहार-155, मालदा-140, बेहाला-222, आसनसोल-508, चेन्नई-1200, मदुरै-442, त्रिची-56, कोयम्बटूर-553, तिरूवनन्तपुरम-583, कालीकट-440, मंगलूर-151, हैदराबाद-790, तिरूपति-293, अगात्ती-46, सलेम-136, तूतीकोरिन-180, बेलगाम-440, हुबली-325, राजामुन्दरी-366, विजयवाड़ा-671, पाण्डिचेरी-115, नादिरगुल-261, विशाखापत्तनम-252, बंगलौर-193, कुड़ापाह-533, दोनाकोण्डा-137, वारंगल-775, मैसूर-292, हासन-145, मुंबई-1625, औरंगाबाद-518, नागपुर-1564, अहमदाबाद-931, भावनगर-295, पोरबन्दर-302, राजकोट-250, बड़ोदरा-828, भोपाल-613, इन्दौर-575, रायपुर-544, जबलपुर-333, जुहू-384.5, काण्डला-355, केशोड-385, पुणे-14, गोवा-20.65, भुज-42.16, जामनगर-35.8, बिलासपुर-352, खण्डवा-41, पन्ना-106, दीसा-77, कोल्हापुर-183, सोलापुर-365, अकोला-196, हड़ापसर-50, दिल्ली-5050, अमृतसर-1026, जयपुर-699.6, उदयपुर-328, खजुराहो-378, कुल्लू-69, शिमला-141, कांगडा-14, लखनऊ-1592, वाराणसी-583, देहरादून-89, सफदरजंग-253, लुधियाना-125, कोटा-530, कानपुर-209, पन्तनगर-129, आगरा-14.8, जोधपुर-10.9, ग्वालियर-30, जम्मू-90.74, लेह-20, श्रीनगर-53, बीकानेर-20, जैसलमेर-16.53, ललितपुर-138, झांसी-197.77, सतना-452, डिब्रूगढ़-354, गुवाहाटी-634, इम्फाल-505, दीमापुर-252, अगरतला-467, लेंगपुई-380, उत्तरी लखीमपुर-218, शिलांग-192, जोरहाट-10.76, सिल्चर-37, तेजपुर-42, कैलाशहर-63, कमालपुर-91, खोवाई-90, रूपसी-448, पासीघाट-66, तूरियल-35।

(ख) जी, नहीं। बहरहाल, जब कभी आवश्यकता महसूस होती है तो संबंधित राज्य सरकार के साथ मामले पर विचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार के प्राधिकारियों की सहायता से छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण को हटाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सरकार तथा शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लि. (एस.पी.पी.एल.) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि अतिक्रमण करने वाले झुग्गी वासियों का पुनर्वास किए जाने संबंधी सर्वेक्षण किया जा सके। अभी तक 1857 झुग्गीवासियों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा इस उद्देश्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 16.01 करोड़ रु. खर्च किए हैं। इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिकरण की स्थापना के प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत हवाईअड्डा परिसर से अनधिकृत झुग्गी बस्तियों को हटाने के अधिकार बेदखली अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

प्रदूषण के कारण पर्यावरण को हुई क्षति

2918. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रदूषण मृदा अपक्षय, वनों की कटाई आदि के कारण पर्यावरण को हुई क्षति की अनुमानित लागत का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रसंस्करण उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये/किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने हेतु पर्यावरण विशेषज्ञों और अन्य एजेन्सियों की सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) सरकार ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई आदि के कारण देश में पर्यावरणीय क्षति की अनुमानित लागत का मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, विश्व बैंक और ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा पर्यावरणीय अपक्षय की लागत का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 1991-92 के पर्यावरणीय अपक्षय की अनुमानिक लागत से सकल घरेलू उत्पाद 4.8 प्रतिशत बढ़ा है और ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के अनुसार वर्ष 1997 में प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय अपक्षय और ह्रास का आर्थिक मूल्य इस प्रकार है:

समस्या	वार्षिक आर्थिक मूल्य बिलियन रुपये
पेयजल की खराब गुणता और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव	122
मृदा अपक्षय के कारण फसल उत्पादकता की क्षति	89-232
वन अवक्रमण के कारण लकड़ी का नुकसान	57
वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव	885-4250

(ग) प्रसंस्करण उद्योगों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्सर्जन और बहि:स्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं और उद्योगों द्वारा अधिसूचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानीटरी की जाती है।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नीतियां, योजनाएं और मानक तैयार करने के दौरान, तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थाओं, औद्योगिक ऐसोसिएशनों, विश्वविद्यालयों आदि को शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

यूरिया और रसायनों के दुष्प्रभाव

2919. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें किसानों को यूरिया, डाई-एमोनियम फास्फेट और अन्य हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास किसानों को खेतों की उर्वरता की रक्षा करने वाली जैव और रासायनिक खादों की जानकारी देने वाली कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे-क्षेत्र स्तर के प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों, किसान गोष्ठियों के माध्यम से यूरिया, डाई-एमोनियम फास्फेट और म्यूरीऐट आफ पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों के उचित प्रयोग पर किसानों को शिक्षित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रासायनिक उर्वरकों के किसी प्रकार के अधिकतम प्रयोग से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार समेकित पोषण तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) का प्रचार करती है, जिसमें पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों के साथ रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित युक्ति संगत प्रयोग शामिल है। तथापि, देश में उर्वरकों की औसत खपत केवल 84.82 कि.ग्रा./ है. (वर्ष 2002-03 के दौरान) है। यह समझा जाता है कि खपत का यह स्तर मृदा और जल पर दुष्प्रभाव नहीं डालता है।

(घ) और (ङ) सरकार पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों जैसे फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट और जैव-उर्वरक के वृद्धित प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

सरकार ने दसवीं योजना के दौरान 99.58 करोड़ रु. के परिव्यय से ''जैविक खेती पर एक राष्ट्रीय परियोजना'' प्रतिपादित की है। देश में जैविक खेती के संवर्धन के लिए परियोजना के तहत ''जैविक खेती के राष्ट्रीय संस्थान'' की स्थापना की जानी है।

[अनुवाद]

सिंचाई सुविधाएं

2920. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई प्रभावी योजना आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में राज्यों के बीच सिंचाई नहरें बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण नहरों के आधुनिकीकरण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण 'वित्तपोषण, निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्यों के बीच सिंचाई नहरों का निर्माण राज्यों के बीच ऐसे प्रयोजन के लिए किए गए समझौते पर निर्भर करेगा।

न्यूट्रीशनल बगीचों की स्थापना के लिए कर्नाटक को सहायता

2921. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कर्नाटक में न्यूट्रीशनल बगीचों की स्थापना में ग्रामीण लोगों की सहायता कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान राज्य में इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सहित देश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा ''ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक (न्यूट्रीशनल) बगीचों की स्थापना'' नामक स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया है।

हम्पी में विश्व दाय स्थल

2922. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री शशि कुमार:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने यह घोषणा की है कि हम्पी विश्व दाय के संकटापन्न स्थलों की सूची में बना रहेगा;

(ख) यदि हां, तो हम्पी का विश्व दाय स्थल के रूप में विकास और संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या कर्नाटक का कोई अन्य स्थल विश्व दाय स्थल के रूप में घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) विश्वदाय समिति ने जुलाई, 2003 में पेरिस में आयोजित अपने 27वें सत्र में, हम्पी की स्थिति को ''संकटापन्न स्थल'' के रूप में तब तक रखने का निर्णय लिया जब तक कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित नहीं किए जाते।

(ख) कर्नाटक सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि अतिक्रमणों को हटाना, दाय क्षेत्र में खनन गतिविधियों को प्रतिबंध लगाना, पाद पुल के तोरण को हटाना तथा अनेगुंडी के निकट मुख्य पुल के निर्माण को रोक दिया गया है। नए बाह्य पथ के निर्माण के लिए, राज्य सरकार द्वारा, भूमि अधिग्रहीत की गई है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आगन्तुक केन्द्र के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया है, जो प्रगति पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महत्वपूर्ण स्मारकों पर बड़े पैमाने पर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा बगीचों का विकास करके स्मारकों के आस-पास के पर्यावरण में सुधार किया गया है।

(ग) कर्नाटक के बगलकोट जिला में पट्टडकल स्थित स्मारक समूह विश्व दाय सूची में शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण स्मारकों पर संरक्षण कार्य शुरू किए गए हैं तथा बगीचों के विकास द्वारा स्मारकों के आस-पास के पर्यावरण को सुधारा गया है।

[हिन्दी]

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सेकंडरी स्टील टैक्नालोजी

2923. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत ''नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सेकंडरी स्टील टैक्नालोजी'' द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संस्थान का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सेकंडरी स्टील टैक्नालोजी (एन आई एस एस टी) इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है जो मानव संसाधन विकास तथा गौण इस्पात क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन में लगी हुई है। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरा के अनुसार यह उद्योग को परामर्शी तथा जांचपरक सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

(ख) और (ग) फिलहाल उक्त संस्था के विस्तार हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(1) मानव संसाधन विकास

* रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र
* सेमिनार/कार्यशालाएं
* रिफ्रैशर कोर्स/निपुणता उन्नयन कार्यक्रम
* आंतरिक प्रशिक्षण
* सी ए डी/सी ए एम/सी ए ई कोर्स

(2) औद्योगिक सेवाएं/परामर्श

* दहनएवं पुनर्तापन भट्टी अध्ययन का निष्पादन
* थर्मल का लेखा परीक्षण
* पुनर्तापन भट्टी के डिजायन की जांच
* विद्युत ऊर्जा का लेखा परीक्षण
* विद्युत क्षेत्र की मानिटरिंग व सुधार अध्ययन
* विद्युत शक्ति सिस्टम अध्ययन
* क्षमता मूल्यांकन अध्ययन
* प्रक्रिया का लेखा परीक्षण/अध्ययन
* प्रेरण भट्टी में ऊर्जा दक्षता सुधार अध्ययन
* मिल रोल की असफलता का विश्लेषण
* इस्पात की गुणवत्ता में सुधार
* री-रोलिंग मिल्स का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन
* व्यवहार्यता अध्ययन

(3) ई-कामर्स

एन आई एस एस टी ने एक प्रमुख ई-कामर्स भागीदार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके ई-कामर्स में भागीदारी की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एन आई एस एस टी गौण इस्पात क्षेत्र को निजी व्यापार क्षेत्र (पी टी ए) सुविधाएं तथा लघु ई आर पी सोलुशन उपलब्ध करवा रहा है।

(4) जांच सेवाएं

रसायन, ऊर्जा तथा पर्यावरण प्रयोगशाला

* इस्पात का रासायनिक विश्लेषण
* प्रदूषण/स्टैक प्रदूषण जांच
* आस-पास की वायु
* जल तथा अपशिष्ट जल विश्लेषण
* ईंधन विश्लेषण
* नमी/श्यानता, पूर्व-ताप तापमान/कैलोरीफिक मूल्य
* दहन अध्ययन

धातु रचना विज्ञान प्रयोगशाला

* फोटोग्राफ सहित सूक्ष्म संरचना
* ग्रेन साईज डिटरमिनेशन
* इनकलुजन रेटिंग
* डिकार्बुराइजेशन डैफ्थ
* केश डैफ्थ
* हार्डनऐबेलिटी डिटरमिनेशन
* एस जी कास्ट आयरन में नोडुल काउंट, कार्बाइड, नोडुल सेप डिटरमिनेशन
* कास्ट आयरन में ग्रेफाइट फलेक टाइप एंड साईज
* जी आई में जिंक कोटिंग थिकनेस

स्पैक्टोमीटर प्रयोगशाला

* इस्पात का रासायनिक विश्लेषण
* ढलवा लोहे का रासायनिक विश्लेषण

मैकेनिकल एंड एन.डी.टी. प्रयोगशाला

* यूटीएम द्वारा टैन्साइल/कम्प्रैशन टेस्ट
* नट/बोल्ट टैस्ट (टैन्साइल टाइप)
* बैंड/रिबैंड टैस्ट
* डबल शीयर टैस्ट
* ड्राफ्ट एक्सपेन्डिंग (ट्यूब के लिए)
* फ्लैटनिंग (ट्यूब के लिए)
* हार्डनैस रोकवैल/ब्रीनेल
* इम्पैक्ट टैस्टिंग (आईजोड/चार्पी)
* इरैक्शन कपिंग
* डायनामिक/इंपक्ट हार्डनैस टैस्ट (श्योर)
* अल्ट्रासोनिक टैस्ट
* मैगनेटिक पार्टिकल टैस्टिंग
* मैजरमेंट आफ टोलरेंस
* टिवस्ट (ट्यूब के लिए)

विद्युत प्रयोगशाला

* ट्रांसफार्मर आयल फिल्ट्रेशन/डीहाइड्रेशन
* ट्रांसफार्मर आयल टेस्टिंग-डीइलैक्ट्रिकल स्ट्रैंथ
* इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स टेस्टिंग
* अर्थ टेस्टिंग

(5) फैक्ट्रियों का सुरक्षा निरीक्षण

नयी विमान सेवा आरंभ किया जाना

2924. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूरत सहित ऐसे नगरों की पहचान की है जहां वायु सेवा की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नयी उड़ानें आरंभ करने के लिए कौन-कौन से नगरों में विमानपत्तनों का निर्माण किया जाएगा; और

(ङ) वायु सेवाओं द्वारा अपना कार्य कब तक किये जाने की संभवाना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 50 सीटों वाले विमान के प्रचालनों के लिए, सूरत के वर्तमान हवाई अड्डे के विकास की योजनाएं हैं। तथापि, उपयुक्त विमानों की अनुपलब्धता के कारण, इंडियन एयरलाइंस की इस समय सूरत को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं हैं। सरकार ने, देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से, मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसलिए यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। इसलिए एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, देश में कितनी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किसी नये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजनाएं नहीं है। तथापि, सरकार ने निम्नलिखित नए हवाई अड्डों के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया है:-

(1) गोवा के निकट मोपा

(2) बंगलौर के निकट देवनहाली

(3) हैदराबाद के निकट शमशाबाद

(4) बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा तथा एविएशन हब

(5) गंगटोक के निकट पैकयांग।

ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी न दिया जाना

2925. श्री सईदुज्जमा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न कालोनियों और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और डाक विभाग में रखरखाव और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को ठेकेदार और अधिकारी द्वारा सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार काली बाड़ी मार्ग, अतुल ग्रोव रोड, आर.के. पुरम, किदवई भवन, खुर्शीद लाल भवन, देव नगर, जनकपुरी और झिलमिल कालोनी/कार्यालयों में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये गये दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) नियोक्ता, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कामगारों को निर्धारित एवं संशोधित न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य हैं। तथापि, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान दिये जाने संबंधी मामलों को प्रकाश में लाने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जब भी किसी निरीक्षण अधिकारी की जानकारी में न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किए जाने का कोई मामला सामने आता है, तो वह नियोक्ताओं को कम दी गई मजदूरी की भरपाई करने की सलाह देते हैं। इसका पालन न किये जाने के मामले में वे दावा अभिवेदन दायर करते हैं और चूककर्त्ता नियोक्ताओं के खिलाफ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं।

बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. एवं डाक विभाग में रख-रखाव एवं निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन से संबंधित तीन वर्षों के समेकित आंकड़े

प्रतिष्ठान	निरीक्षणों की संख्या	दावों से संबंधित मामलों की सं.	पता लगाई गई राशि (रुपयों में)	प्रदान की गई राशि (रुपयों में)	वितरित की गई राशि (रुपयों में)	कामगारों की सं.
बी एस एन एल	7	–	3372*	–	–	4
एम टी एन एल	13	5	109461/20	105996/60	2470	25
डाक विभाग	8	5	17244/10	28312/20	26878/20	29

* प्रक्रियाधीन

[अनुवाद]

तेल के मूल्य

2926. श्री एन. जर्नादन रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह माह के दौरान सभी खाद्य तेलों के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय राज्यवार कुल कितने एकड़ भूमि पर तिलहन की खेती की जा रही है; और

(घ) देश में तेलों के मूल्य कम करने हेतु अधिक भूमि पर तिलहन की कृषि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ खाद्य तेलों के मूल्यों में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्तियों में अन्त: क्रिया के कारण थोड़-बहुत उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान तिलहन की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 28 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म-पोषक-तत्व आदि जैसे विभिन्न आदानों के लिए सहायता दी जाती है ताकि किसानों को व्यापक पैमाने पर तिलहन की खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, किसानों के खेत में उत्पादन व पादप संरक्षण की उन्नत प्रौद्योगिकियों को अन्तरित करने के लिए भा.कृ.अ.प. द्वारा प्रमुख प्रदर्शन तथा राज्यों द्वारा ब्लाक प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान तिलहनों की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र (चौथा अग्रिम प्राक्कलन)

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टे. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	2321
असम	331
बिहार	288
छत्तीसगढ़	295
गुजरात	2717
हरियाणा	658
हिमाचल प्रदेश	11
जम्मू-कश्मीर	100
झारखंड	62
कर्नाटक	2073
केरल	8

1	2
मध्य प्रदेश	4806
महाराष्ट्र	2537
उड़ीसा	349
पंजाब	125
राजस्थान	2326
तमिलनाडु	902
उत्तर प्रदेश	911
उत्तरांचल	32
पश्चिम बंगाल	556
अन्य	86
अखिल भारत	21497

[हिन्दी]

डी.एम.एस. के कर्मचारियों की संख्या में कटौती

2927. श्री विनय कटियार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.एम.एस. के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना की कर्मचारी संख्या घटाने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001-ईआईएस दिनांक 16.5.2002 के अनुसार, जिसमें सिविल पदों के लिए सीधी भर्ती को अनुकूलतम बनाने की व्यवस्था है, सीधी भर्ती कोटा में पड़ने वाले केवल एक तिहाई पद अथवा विभाग की कुल संख्या का एक प्रतिशत पद ही, जो भी कम हो, भरे जाने हैं।

जल प्रबंधन पर विचार गोष्ठी

2928. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल प्रबंधन पर हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) विचार-गोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल प्रबंधन पर रोटरी इन्टरनेशनल प्रेसीडेन्शियल सेलीब्रेशन नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 9-10 दिसम्बर, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था, इसका आयोजन रोटरी इन्टरनेशनल द्वारा किया गया था।

(ख) ''जल संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रबंधन,'' ''नदियों को परस्पर जोड़ना'', ''वाटरशेड प्रबंधन और वर्षा जल संचयन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जल संसाधनों का विकास'' और ''पेय जल तथा जल गुणवत्ता'' इन चार मुद्दों पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श हुआ था।

रोटरी इन्टरनेशनल प्रेसीडेन्शियल सेलीब्रेशन के परिणाम, रोटेरियनों द्वारा (1) जन जागरूकता पैदा करने और (2) रोटेरियनों के विभिन्न क्लबों द्वारा वर्षा जल संचयन और जल के किफायती उपयोग की जानकारी एवं तकनीकों का प्रसार करने संबंधी कार्य योजना के रूप में सामने आया।

(ग) इस सम्मेलन में भारत के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, यू.एस.ए., ब्राजील, इजरायल, नीदरलैंड, फिनलैंड और इटली से रोटेरियनों/अन्य आमंत्रित लोगों ने भाग लिया।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न किया जाना

2929. श्री पी.एच. पांडियन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2000 के बाद सेवानिवृत्त हुए इंडियन एयरलाइंस के अनेक कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस गतिरोध को दूर करने हेतु क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) फरवरी, 2000 के बाद सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारी, इंडियन एयरलाइंस कर्मचारी स्व-अंशदान अधिवर्षिता पेंशन योजना के अधीन वार्षिकी के भुगतान की प्रतीक्षा में हैं। चूंकि ट्रस्ट द्वारा वार्षिकी की खरीद के लिए कर्मचारी अंशदान के पर्याप्त न होने के कारण, योजना की पुनर्संरचना करना आवश्यक हो गया है। योजना की अब पुनर्संरचना कर दी गई है तथा अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने के बाद योजना पर कार्यान्वयन कर दिया गया है। तद्नुसार सभी पात्र सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को संशोधित योजना के अधीन अपने विकल्पों का निर्वाह करने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। भारतीय जीवनबीमा निगम के माध्यम से उन कर्मचारियों को वार्षिकी का भुगतान किया जा रहा जिन्होंने अपने विकल्पों का निर्वाह कर लिया है।

इस्पात की कीमत

2930. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात के आयात को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू इस्पात की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर कार उत्पादकों का विचार अन्य देशों से सस्ती दरों पर इस्पात का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो घरेलू कार निर्माण उद्योग की कुल इस्पात आवश्यकता क्या है और इस मांग को देश में किस हद तक पूरा किया जा रहा है;

(ङ) आयातित इस्पात की कीमतों और घरेलू इस्पात की कीमतों में क्या अंतर है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार इस्पात का आयात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान अगस्त, 2003 में अधिकतम मूल्यों की तुलना में घरेलू मूल्यों में कोई सामान्य वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, कार विनिर्माता वाहन की प्रौद्योगिकीय विशिष्टता और आयातित इस्पात की तुलना में घरेलू इस्पात के मूल्यों के आधार पर घरेलू और आयातित इस्पात का भिन्न-भिन्न अनुपातों में उपयोग करते हैं। गुणवत्ता संबंधी कड़ी विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए विनिर्मित आटोमोबाइलों के लिए इस्पात का आयात अधिक होता है।

(घ) इस्पात मंत्रालय आटोमोबाइल उद्योग की इस्पात की खंड-वार आवश्यकता संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान यात्री कारों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र के सभी खंडों द्वारा कुल 16.4 लाख टन इस्पात की खपत का अनुमान लगाया गया है और इस आवश्यकता के 85% की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से की गई थी।

(ङ) गुणवत्ता, रासायनिक मिश्रण, आकार और अन्य प्राचलों से संबंधित अंतरों के चलते घरेलू और आयातित इस्पात के मूल्यों की एक-एक करके तुलना करना मुश्किल है। तथापि, कार क्षेत्र द्वारा आयातित डीप ड्राइंग और एक्सट्रा डीप ड्राइंग श्रेणी के चपटे इस्पात की प्रयोक्ता के परिसर में उतराई तक की लागत की तुलना सामान्यत: घरेलू बाजार मूल्यों से की जा सकती है।

(च) उद्योग के निवेश संबंधी निर्णय में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, उदारीकरण के समय इसने इस्पात उद्योग के विकास हेतु सहायता करने और आयात के विकल्प संबंधी कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। ऐसे अधिकांश प्रयासों के परिणामस्वरूप सुधार देखा जा सकता है और आज उद्योग कुछ अत्यधिक मूल्यवर्धित उत्पादों सहित लगभग सभी प्रकार के इस्पात का उत्पादन कर सकता है।

अन्तर-राज्यीय प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तें

2931. श्री टी. गोविन्दन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से अन्तर-राज्यीय प्रवासी कामगारों की सेवा शर्त के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) अभी हाल में अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों की सेवा-शर्तों के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ नियंत्रण हेतु असम को सहायता

2932. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में बाढ़ और भूमि कटाव नियंत्रण संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले बाढ़ और भूमि कटाव नियंत्रण संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न गंभीर और कटावरोधी स्कीमें प्रारंभ करने/तटबंधों को ऊपर उठाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए असम सरकार ने योजना आयोग से वर्ष 2003-04 के दौरान 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी करने का अनुरोध किया है तथा जिसके लिए योजना आयोग ने 22.6 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र डाइक को ऊपर उठाने और इसे सुदृढ़ करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग को 13.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे संसाधनों के सतत केन्द्रीय पूल के अंतर्गत विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के लिए रखा गया है।

[हिन्दी]

कुल्लू हवाईअड्डे का विस्तार

2933. श्री सुरेश चन्देल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू (भुंतर) विमानपत्तन की धावन पट्टी (रनवे) के निर्माण/विस्तार हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रनवे का विस्तार/निर्माण कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। माननीय प्रधान मंत्री जी ने मई, 2003 में अपने मनाली दौरे के दौरान यह घोषणा की कि केन्द्र सरकार ने इस परियोजना की सम्पूर्ण लागत को वहन करने का निर्णय किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तीन वर्षों में इस परियोजना को पूरा करेगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा रनवे के साथ बहने वाली नदी को मोड़कर/तटों को सुदृढ़ बनाकर अपेक्षित भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाने के बाद ही रनवे के विस्तार का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त हो चुके मजदूर संघों के प्रतिनिधि

2934. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संघों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय औद्योगिक वार्ता में भाग लेने की भी अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) सरकार ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के उपबंधों में व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा संशोधन किया है, जो दिनांक 09.01.2002 से प्रभावी हो गया है। संशोधित उपबंधों के अनुसार, सेवानिवृत्त अथवा छंटनी किये गए किसी भी कर्मचारी को ट्रेड यूनियन में कोई पद धारण करने के लिए बाहर का व्यक्ति नहीं माना जायेगा।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत किसानों के बीमा दावे

2935. श्री शिवाजी माने:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड और महाराष्ट्र के सभी जिलों के किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत गत दो वर्षों का भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देय राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार बीमा दावों के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) निधियों का राज्य का हिस्सा न दिए जाने के कारण महाराष्ट्र राज्य के खरीफ 2002 तथा रबी 2002-03 मौसमों के 1966.24 लाख रु. की राशि के दावे निधियों का राज्य के अंश की प्रतीक्षा में लम्बित हैं। लम्बित दावों का भुगतान निधियों का राज्य का हिस्सा प्राप्त होने पर निर्भर है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फसल बीमा दावों के भुगतान का वर्षवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	दावे
1997-98	18507.68
1998-99	12785.20
1999-2000	46937.94
2000-01	128173.33
2001-02	55680.10

[अनुवाद]

केरल में पारिस्थितिकी पर्यटन

2936. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या थिनमाला में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति तैयार की और उसे सभी राज्यों तथा पर्यटन व्यवसाय को परिचालित कर दिया गया था। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में पारिस्थितिकी पर्यटन के संवर्धन पर अधिक बल दिया गया है। सरकार ने पारिस्थितिकी पर्यटन और पर्वतारोहण पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की है ताकि सुकुमार पारिस्थितिकी पद्धति के प्रबंधन के लिए ब्यौरे तैयार कर सकें और देश में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर विचार किया जा सके।

वर्ष 1998-99 के दौरान, 7.15 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए, थिनमाला, केरल में ट्रेकिंग और राक क्लाइम्बिंग उपकरणों की उपलब्धता के लिए एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

कर्नाटक में समुद्री तटों का कटाव

2937. श्री शशि कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में समुद्री तटों के कटाव को नियंत्रित करने का कोई व्यापक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं। कर्नाटक में समुद्री तटों के कटाव को नियंत्रित करने संबंधी कोई व्यापक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है। तथापि, कुछ विशिष्ट पहुंचों में समुद्री कटाव रोधी निर्माण कार्यों के लिए 135.95 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाला एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन सी पी पी), चरण-I में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया है।

एन सी पी पी चरण-I के लिए इस प्रस्ताव के संबंध में बाह्य वित्त पोषण के लिए विचार करने से पहले योजना आयोग/आर्थिक कार्य विभाग और अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा इस प्रस्ताव की जांच करने की आवश्यकता है।

देशभक्तिपूर्ण पर्यटन विकास परियोजना

2938. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आईएनएस विक्रांत को एक अद्भुत युद्ध संग्रहालय के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी किसी संयुक्त परियोजना पर केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे एक राष्ट्रीय (देशभक्ति) भावना का विकास संबंधी पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है और जितनी जल्दी सम्भव होगा निर्णय लिए जायेंगे।

राष्ट्रीय गोपशु विकास बोर्ड

2939. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) की तर्ज पर राष्ट्रीय गोपशु विकास बोर्ड (एन सी डी बी) और राष्ट्रीय गोपसु विकास संस्थान की स्थापना करने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को राष्ट्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने तथा राष्ट्रीय गोपशु विकास बोर्ड के रूप में केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद को पुनर्जीवित करने के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार ने तीन वर्ष की और अधिक अवधि के लिए गोसंवर्धन परामर्शी परिषद का पुनर्गठन किया है।

हज यात्रा संबंधी चार्टर किराया

2940. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हज-2004 उड़ानों के लिए विमान कंपनियों को देय चार्टर किराया सुनिश्चित करने की प्रणाली क्या है;

(ख) क्या गत चार अथवा पांच वर्षों के दौरान हज चार्टर किराया वर्तमान आई ए टी ए किराए से अधिक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार विमान कंपनियों को प्रदत्त हज चार्टर किराए का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इकानामी क्लास से दिल्ली-जेद्दा-दिल्ली तथा तत्स्थानी वापसी आई ए टी ए किराया कितना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) 2004 की हज यात्रा के लिए चार्टर किराया को पिछले दो वर्षों के यू.एस. डालर किराये के स्तर तक ही बनाए रखा गया है। यह किराया सऊदी अरब एयरलाइंस के साथ बातचीत के बाद ही तय किया गया था, क्योंकि सऊदी अरब एयरलाइंस हज यात्रियों के 50% को ले जाने का अधिकार रखती है।

(ख) से (घ) 1999 से 2003 के वर्षों के दौरान हज चार्टर किराया और आयटा किराए निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	कुल किराया (हज)	आयटा किराया (दिल्ली-जेद्दाह-दिल्ली) और (मुंबई-जेद्दाह-मुंबई)
1999	27,855/- रु.	29,960/- रु.
2000	28,526/- रु.	31,460/- रु.
2001	*34,122/- रु.	36,340/- रु.
2002	*37,569/- रु.	36,340/- रु.
2003	*36,397/- रु.	37,070/- रु.

*अनंतिम

[हिन्दी]

स्मारकों/संग्रहालयों के लिए धनराशि

2941. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को नए संग्रहालय बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता देती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) ये धनराशि कितनी योजनाओं के लिए दी गई और इन योजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार ने कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा, बारन, बूंदी और झालावाड़ जिलों में संरक्षित स्मारकों और नए स्मारकों के लिए केन्द्र सरकार को कोई कार्ययोजना भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी प्रगति हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) संस्कृति विभाग, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों को प्रोत्साहन देने तथा उनके सुदृढ़ीकरण के लिए एक स्कीम चलाता है। इस स्कीम के अंतर्गत संग्रहालयों को व्यावसायिक ढंग से विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। जिन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, वे इस प्रकार हैं:-

1. दीर्घा/आरक्षित संग्रहण का पुनरुद्धार/मरम्मत/विस्तार/आधुनिकीकरण
2. प्रकाशन
3. संरक्षण प्रयोगशाला/संरक्षण परियोजनाएं
4. संग्रहालय पुस्तकालय
5. उपस्कर
6. प्रलेखन

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के विभिन्न संगठनों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

''क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ीकरण'' की स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य के विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम एवं स्थान	जारी की गई धनराशि (रु. में)
1	2	3
	2000-2001	
1.	सरकारी केन्द्रीय संग्रहालय, (एल्बर्ट हॉल), जयपुर	21,65,000/-
2.	सरकारी आयुध संग्रहालय, जयपुर	1,47,500/-
3.	सरकारी संग्रहालय, सीकर	1,43,750/-
4.	सरकारी संग्रहालय, जैसलमेर	3,12,500/-
5.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, (हवेली संग्रहालय), उदयपुर	8,625/-
	2001-2002	
1.	जयगढ़ सार्वजनिक पूर्त न्यास, अम्बेर, जयपुर	87,500/-
2.	राजस्थान कला केन्द्र, जयपुर	37,500/-

1	2	3
3.	एस आर सी भारतीय शास्त्र (इण्डोलॉजी) संग्रहालय, जयपुर	2,06,250/-
4.	सरकारी केन्द्रीय संग्रहालय, एल्बर्ट हाल, जयपुर	1,25,000/-
5.	श्री संजय शर्मा संग्रहालय एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर	2,89,000/-
	2002-2003	
1.	जयगढ़ सार्वजनिक पूर्त न्यास संग्रहालय, जयपुर	6,00,000/-
2.	आनंदीलाल पोदार संग्रहालय, झुनझुनू	4,50,000/-
3.	भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर	95,000/-
4.	निदेशक, महाराजा सवाई मानसिंह-II संग्रहालय, सिटी पैलेस, जयपुर-2	6,00,000/-

[अनुवाद]

विमानपत्तन पर बसें

2942. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने प्रस्थान लाज से यात्रियों को हवाई जहाज तक ले जाने के लिए अधिक ऊंची (हाई-फ्लोर) बसें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश में सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कम ऊंची (लो-फ्लोर) बसों का प्रयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री अनुकूल कम ऊंची बसों का प्रयोग न करने के क्या तकनीकी या आर्थिक कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का भारतीय विमानपत्तनों पर ऐसी बसों को लगाए जाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस यात्रियों को टर्मेक से विमान तक तथा विमान से टर्मेक तक यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए अधिक ऊंची परम्परागत बसों का प्रयोग कर रही थी। इंडियन एयरलाइंस चरणबद्ध तरीके से अधिक ऊंची बसों को बदलकर कम ऊंचाई वाली बसे लाने की कार्रवाई कर रही है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइंस, अधिक ऊंची परम्परागत बसों में कम ऊंचाई वाले प्रवेश प्लेटफार्मों को लगाने का कार्य कर रही है।

एनडीडीबी की सहायक कंपनियों द्वारा विपणन किए गए खाद्य तेल

2943. श्री अधीर चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक कंपनी धारा बेजिटेबल आयल एंड फूड्स कंपनी लिमिटेड द्वारा विपणन किए गए प्रत्येक खाद्य तेल की किस्म और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कंपनी द्वारा आयातित इस तेल की किस्म और मात्रा कितनी है और इस आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) निजी विक्रेताओं और सहकारी फेडरेशनों से खरीदे गए तेल की किस्म और मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) धारा बेजिटेबल आयल एंड फूड कम्पनी लिमिटेड (डी ओ एफ सी ओ) का वाणिज्यिक संचालन 1.4.2001 से शुरू हुआ था। धारा बेजिटेबल आयल एंड फूड कम्पनी लिमिटेड (डी ओ एफ सी ओ) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विपणित खाद्य तेल का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(मी. टन में)

वर्ष	मूंगफली का तेल	सरसों का तेल	रिफाइंड वेजिटेबल तेल	रिफाइंड सूरजमुखी तेल	रिफाइंड सोयाबीन तेल	कुल
2001-02	7690	9700	34393	7712	–	59495
2002-03	8400	12543	32412	6524	3784	63663
2003-04 (अक्तूबर, 2003 तक)	2261	5230	11855	1374	1493	22213

(ख) धारा वेजिटेबल आयल एंड फूड कम्पनी लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विपणित खाद्य तेल का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	तेल का प्रकार	आयातित मात्रा (मी. टन)
2001-02	कच्चा डीगम्ड सोयाबीन का तेल (सी डी एस बी ओ)	1972
2002-03	कच्चा डीगम्ड सोयाबीन का तेल (सी डी एस बी ओ)	3962
2003-04 (अक्तूबर, 2003 तक)	रिफाइंड ब्लिच्ड गन्धरहित पामोलीन तेल (आर बी डी पी एल)	988

(ग) डी ओ एफ सी ओ ने विपणन के लिए निजी पार्टियों (विक्रेताओं) से तेल नहीं खरीदा है। डी ओ एफ सी ओ ने सहकारी संघों/परिसंघों से निम्न ब्यौरे के अनुसार खाद्य तेल खरीदा है:-

(मी. टन में)

वर्ष	मूंगफली का तेल	सरसों का तेल	रिफाइंड वेजिटेबल तेल	रिफाइंड सूरजमुखी तेल	रिफाइंड सोयाबीन तेल	कुल
2001-02	5169	10007	33991	8471	–	57638
2002-03	8228	13227	32434	5432	–	59321
2003-04 (अक्तूबर, 2003 तक)	1822	5824	9093	1359	280	18378

अजमेर में विमानपत्तन

2944. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **नागर विमानन मंत्री** 21 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4439 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजमेर में विमानपत्तन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में यह मामला किस चरण में हैं और इस विमानपत्तन के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) ए-320 किस्म के विमानों के प्रचालन हेतु अजमेर में नए हवाईअड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अभी तक अपेक्षित भूमि अधिग्रहण करके सुपुर्द नहीं की गई है। जुलाई, 2002 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए

साध्यता अध्ययन के मुताबिक अजमेर-सीकर मार्ग पर कयार गांव के समीप अवस्थित यह कार्य-स्थल अत्यधिक उपयुक्त पाया गया। राजस्थान सरकार ने भूमि अर्जन का भार वहन करने में अपनी लाचारी जताई है।

(ग) राज्य सरकार की बिना पर्याप्त सहायता-जैसे भूमि व दूसरी आधारभूत सुविधाएं यथा पहुंच मार्ग, जल, पावर आपूर्ति आदि, के इस हवाईअड्डे को आपरेशनल बनाया जाना व्यवहार्य नहीं होगा।

सीआरजेड-I में निर्माण और कृषि संबंधी कार्यकलाप

2945. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सी आर जेड-I क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्यकलापों की अनुमति देने हेतु महाराष्ट्र सरकार से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने हेतु मंत्रालय द्वारा गठित दो-सदस्यीय समिति की समान रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सी आर जेड-I क्षेत्र में निर्माण और कृषि संबंधी कार्यकलापों की अनुमति देने हेतु महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा गठित द्विसदस्यीय समिति के स्थल दौरा रिपोर्ट और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना के आधार पर खारलैण्ड विकास परियोजना, जिसमें तटीय विनियमन जोन क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य शामिल हैं, को 22 अगस्त, 2003 को मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय लौह अयस्क की मांग

2946. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और अन्य कुछ देशों में भारतीय लौह अयस्क की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ते माल-भाड़े की दरों के कारण भारतीय लौह अयस्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में नई लौह अयस्क खान खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए लौह अयस्क का ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार का अपनी निजी नई लौह अयस्क खान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन एम डी सी) को विद्यमान खनन पट्टों में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को लौह अयस्क के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मात्रा: दस लाख टन)

देश	2000-01	2001-02	2002-03
चीन	14.10	19.22	26.27
जापान	16.77	15.62	15.75
दक्षिण कोरिया	2.31	3.00	2.41
ताइवान	0.90	0.43	0.58
यूरोप	1.48	1.81	2.04
अन्य (पाकिस्तान और मध्य-पूर्व देशों सहित)	1.93	1.56	1.00
योग	37.49	41.64	48.02

(स्रोत: एमएमटीसी)

(च) निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने हेतु फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैदराबाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन

2947. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीलंका एयरलाइंस, कतर एयरवेज, सऊदी एयरलाइंस और कुवैत एयरवेज को आंध्र प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन एयरलाइन कंपनियों को हैदराबाद से उड़ान संचालित करने की अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) कतर एयरवेज इस समय, हैदराबाद आने-जाने के लिए सप्ताह में तीन बार सेवाएं प्रचालित कर रही है। श्रीलंका एयरलाइंस को, हैदराबाद के लिए प्रति सप्ताह, सात उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। तथापि, हैदराबाद फिलहाल, कुवैत एवरवेज तथा सऊदी एयरलाइंस के लिए प्वाइंट आफ काल के रूप में उपलब्ध नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार को स्थिति से अवगत करवा दिया गया है।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन

2948. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। हवाईअड्डों पर सुरक्षा का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसा, खतरे की स्थिति की जानकारी के आधार पर किया जाता है। हाल के कुछ प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें शामिल हैं:-

(1) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रवेश नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रायोगिक (पायलेट) आधार पर बायोमैट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड लागू करना।

(2) हाइपर-सेंसिटिव और सेंसटिव हवाई अड्डों पर निगरानी के लिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) का विस्तार।

(3) रजिस्टर्ड बैगेज की स्क्रिनिंग में तेजी लाने के लिए इंटेग्रेटेड आटोमैटेड रजिस्टर्ड बैगेज स्क्रिनिंग सिस्टम लगाना।

(4) दिल्ली में नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने वाले व्यक्ति समुचित रूप से प्रशिक्षित हैं।

विदेश जाने वाले भारतीयों हेतु बीमा योजना

2949. श्री पी. राजेन्द्रन:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों सहित अन्य देशों में रोजगार हेतु जाने वाले भारतीयों हेतु कोई बीमा योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और वर्ष 2003-2004 के दौरान इससे एकत्रित की जाने वाली अपेक्षित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान कामगारों को उनके संबंधित देशों/कार्य स्थानों से निकालने के लिए उत्प्रवास मंजूरी के दौरान शुल्क भी वसूला जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक एकत्रित उक्त धनराशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त बीमा योजना के आलोक में उक्त शुल्क को समाप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। रोजगार हेतु विदेशों में जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए "प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2003" नामक बीमा योजना 13.11.2003 को अधिसूचित की गयी है। यह बीमा योजना

25.12.2003 से प्रभावी होगी जिसके अंतर्गत उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ई सी आर) का पृष्ठांकन वाले पासपोर्ट रखने वाले सभी प्रवासियों को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अंतर्गत उत्प्रवास अनुमति के लिए आवेदन करते समय भारत में कार्य कर रही और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में विधिवत पंजीकृत किसी बीमा कम्पनी से कोई बीमा पालिसी लेना अपेक्षित है। योजना की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं। प्रीमियम का निर्धारण बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाएगा किन्तु वह उचित और सही होगा। सरकार, बीमा प्रीमियम के रूप में कोई धनराशि एकत्र नहीं करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2003 की मुख्य विशेषताएं

* प्रवासी भारतीय बीमा योजना का उद्देश्य कम से कम 2.00 लाख रुपए की धनराशि का बीमा संरक्षण प्रदान करना है जिसकी अदायगी किसी ऐसे भारतीय की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर उसके नामिती कानूनन उत्तराधिकारी को की जाएगी जो संबंधित उत्प्रवास संरक्षी से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार के प्रयोजन से विदेश जाते हैं।

* मृत्यु के मामले में बीमा कंपनी द्वारा शव को लाने संबंधी व्यय के अतिरिक्त, एक परिचर का एकतरफ के हवाई किराये पर किए गए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

* यदि किसी कामगार के विदेश स्थित गंतव्य पर पहुंचने पर नियोजक उसे लेने नहीं आता अथवा रोजगार संबंधी संविदा में कोई ऐसा महत्वपूर्ण हेर-फेर किया गया हो जो उसके लिए नुकसानदेह हो अथवा यदि प्रवासी की कोई गलती न होने पर तीन माह के भीतर रोजगार को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाए तो बीमा कंपनी रियायती श्रेणी के हवाई किराये की प्रतिपूर्ति करेगी बशर्ते कि स्वदेश वापसी के आधार को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

* बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को एक तरफ के रियायती श्रेणी के वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि वह बीमार पड़ जाए अथवा उसे कार्य को प्रारम्भ करने अथवा उसे जारी रखने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया जाए तथा विदेशी नियोजक द्वारा उसकी सेवा संबंधी संविदा को बीमा कराने के तीन माह की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाए।

* बीमा पालिसी दो वर्षों तक की अवधि अथवा संविदा की वास्तविक अवधि जो भी कम हो तक के लिए वैध होगी।

* बीमा पालिसी में बीमा की अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से लगी चोटों तथा/अथवा रुग्णता/रोगों/बीमारियों के कारण बीमित प्रवासी कामगारों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए क्षति के रूप में कम से कम 50,000/- रुपए नकद अथवा वास्तविक चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के चिकित्सा कवर की भी व्यवस्था होगी बशर्ते कि चिकित्सा उपचार भारत में कराया गया हो।

* बीमा पालिसी में प्रवासी महिलाओं के मामले में न्यूनतम 20,000/- रु. के अधीन प्रसूति लाभों की भी व्यवस्था होगी किन्तु प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय तक ही सीमित रहेगी।

* भारतीय प्रवासी कामगार का परिवार, जिसमें पत्नी/पति तथा इक्कीस वर्ष तक की आयु वाले दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा उसके स्थायी रूप से विकलांग होने की दशा में अस्पताल में भर्ती होने के लिए अधिकतम धनराशि अथवा 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष के लिए भी पात्र होगा।

* बीमा कंपनियां पालिसी अवधि अर्थात् छः माही, एक वर्ष अथवा दो वर्षों के लिए उचित एवं सही प्रीमियम वसूल करेंगी।

[हिन्दी]

श्रम कानून

2950. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोन में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों हेतु विशेष श्रम कानून बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिवर्तनों के कारण क्या हैं; और

(घ) इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप श्रमिकों और उद्योगपतियों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (घ) विशेष आर्थिक जोन में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए विशेष श्रम कानून बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल केन्द्र सरकार के समक्ष नहीं है। तथापि, गुजरात और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय कानूनों के अधिनियम के तहत कुछ उपबंधों में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि वे अपने-अपने राज्यों में विशेष आर्थिक जोन स्थापित कर सकें। प्रस्तावित कानूनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

1. गुजरात विशेष आर्थिक जोन अध्यादेश, 2003

(क) कतिपय श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रम आयुक्त की शक्तियों को विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करना।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ठेका विनियमन और उत्सादन, 1970।

(ग) कतिपय श्रम कानूनों के अंतर्गत समेकित विवरणी; और

(घ) औद्योगिक विवाद (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अध्याय 5-घ का अनुप्रयोग।

(2) कर्नाटक विशेष आर्थिक जोन विकास विधेयक, 2003

(क) विशेष आर्थिक जोन में इकाइयों की स्थापना और उनके प्रचालन के लिए अनुमोदन, अनुमति व लाइसेंस प्रदान करने के लिए इकाई अनुमोदन समिति का गठन करना।

(ख) कतिपय श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षण करने के लिए अधिकारी या एजेंसी को अधिसूचित करना।

(ग) कतिपय श्रम कानूनों के अंतर्गत सूचना देने के लिए एकल विवरणी विनिर्दिष्ट करना।

ये परिवर्तन निर्यात क्रियाकलापों के संवर्द्धन के लिए राज्यों में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना को सहज बनाने के लिए आवश्यक समझे गए हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु विकासकर्त्ता को कतिपय सुविधाएं प्रदान करना और ऐसे जोनों की इकाइयों में लचीली श्रम नीति लागू करना है। आशा है कि ऐसे जोनों की स्थापना से और अधिक रोजगारों का सृजन होगा और निर्यात के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा जिससे उद्योगपति और श्रमिक लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दर

2951. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दर के संबंध में अनिश्चितता के कारण कामगार उत्तेजित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आशंका को दूर करने और मुद्दों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्तमान में यह मामला किस चरण में है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी एयरलाइन कंपनियों के विमानों को उतरने का अधिकार

2952. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेटस एयरलाइंस और कतर एयरवेज को बंगलौर में विमानों को उतारने का अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, नहीं। बंगलौर हवाईअड्डा इस समय ब्रिटिश एयरवेज, अमीरात और कतर एयरवेज के लिए अवतरण स्तल के बतौर उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय, बंगलौर हवाईअड्डे के लिए/से होकर प्रति सप्ताह लगभग 35 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2953. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को ''मानद विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अनुसंधान का ब्यौरा क्या है जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया है और उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया जाना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उन अनुसंधान संस्थानों के लिए आवंटित धन का ब्यौरा क्या है और उस अवधि के दौरान इन संस्थानों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं या कार्य किए गए;

(ङ) इन अनुसंधान संस्थानों में ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास समूह ''क'', ''ख'' और ''ग'' में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की विस्तृत रिपोर्टें हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय के अधीन ऐसे चार स्वायत्त संगठन हैं जो उपाधि देने से संबद्ध क्रियाकलापों से जुड़े नहीं हैं ये हैं: कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड। इस प्रकार, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन ऐसा कोई अनुसंधान संस्थान नहीं है जो इस समय समविश्वविद्यालय का दर्जा पाने का पात्र बन सके।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

सोयाबीन का मूल्य

2954. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोयाबीन उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेफेड ने किसानों से सोयाबीन की खरीद करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) खरीफ 2003 के दौरान सोयाबीन का बाजार मूल्य उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य-पीली किस्म 930 रु. प्रति क्विंटल और काली किस्म 840 रु. प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहा था। इस समय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की विभिन्न मंडियों में इसका मूल्य 1350 से 1475 रु. प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) राज्य स्तरीय एजेंसियों और प्राथमिक/क्षेत्रीय सहकारी समितियों को मिलाकर बनने वाले दो स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से तथा मूल्य समर्थन मूल्य के अंतर्गत अधिसूचित जिंसों की खरीद कर रहा है। इसके अलावा मंडियों में सोयाबीन की आवक शुरू होने से पहले राजकीय संघों/तिलहन उत्पादक संघों का राज्य और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन बुलाया जाता है जो उत्पादन की संभावना, कीमतों के रूख और कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहने पर खरीद की व्यवस्था के बारे में विचार-विमर्श करता है। बहरहाल ओवरसीज मंडियों में सोयाबीन की कीमतें ज्यादा रहने और अमेरिकी बाजार में इसकी कमी रहने के कारण सोयाबीन का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा था।

[हिन्दी]

किसानों को बीज और अन्य सहायता

2955. श्री मानसिंह पटेल:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहन और दलहन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु किसानों को बीज एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा-तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ पी पी) और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना-चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकृत बीज उत्पादन संबंधी बीज ग्राम कार्यक्रम (एस वी पी) प्रमाणित बीजों और मिनीकिटों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि देश में किसानों को तिलहन और दलहन के गुणवत्ताप्रद बीज उपलब्ध कराये जा सकें। इसके अलावा, विभिन्न अन्य आदानों जैसे कि उन्नत फार्म उपष्कर, स्प्रिंकलर सेट्स, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि किसानों को बड़े पैमाने पर तिलहन और दलहन की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके। विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई सहायता को विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शा. क्षेत्र	ओ.पी.पी.			एन.पी.डी.पी.		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	805.00	928.75	760.00	91.00	87.00	25.00
बिहार	–	0.00	0.00	–	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	–	157.00	70.00	–	85.00	45.00
गोवा	5.00	5.00	3.00	1.00	1.00	1.00
गुजरात	980.00	850.00	615.00	100.00	105.00	50.00
हरियाणा	170.00	183.00	130.00	49.00	0.00	10.00
हिमाचल प्रदेश	10.00	0.00	15.05	8.50	10.00	2.50
जम्मू-कश्मीर	20.00	0.00	5.00	18.50	0.00	4.50
झारखंड	–	30.00	5.00	–	27.66	2.50
कर्नाटक	535.00	535.00	456.95	112.00	107.00	67.00
केरल	35.00	35.00	25.00	6.50	5.00	4.00
मध्य प्रदेश	960.00	1207.00	675.00	398.00	275.84	132.50
महाराष्ट्र	825.00	825.00	575.00	271.00	262.00	147.00
उड़ीसा	369.97	131.25	25.00	145.50	58.50	10.00
पंजाब	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	900.00	910.00	815.00	315.00	255.00	254.00
तमिलनाडु	470.00	470.00	420.00	115.00	115.00	93.00
उत्तर प्रदेश	75.00	100.00	0.00	330.00	107.00	60.00
उत्तरांचल	–	50.00	25.00	–	55.00	4.50
पश्चिम बंगाल	190.00	190.00	95.00	20.00	30.00	4.50
अंडमान व निकोबार	–	–	–	1.00	1.00	1.00
दिल्ली	–	–	–	1.00	1.00	1.00
अरुणाचल प्रदेश	127.11	0.00	15.00	50.00	5.00	5.00
असम	465.00	150.00	110.00	70.00	32.00	15.00
मणिपुर	265.00	56.00	72.00	115.00	31.84	40.00
मेघालय	121.67	0.00	24.00	50.00	4.16	15.50
मिजोरम	276.25	190.00	79.00	140.00	80.00	51.00
नागालैण्ड	185.00	136.00	90.00	105.00	70.00	37.00
त्रिपुरा	165.00	115.00	60.00	110.00	73.00	37.00
सिक्किम	50.00	69.00	50.00	10.00	14.00	10.00
योग	8020.00	7323.00	5215.00	2648.00	1898.00	1129.50

''हायर एंड फायर'' की नीति

2956. डा. अशोक पटेल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''हायर एंड फायर'' नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद विमानपत्तन का विस्तार

2957. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान औरंगाबाद विमानपत्तन का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी धावन पट्टी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार औरंगाबाद-मुंबई-दिल्ली मार्ग पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन की सहायता से 74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से औरंगाबाद हवाईअड्डे पर दूसरी आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ रनवे को 7500 फुट से 9000 फुट तक बढ़ाने की योजना है।

(ङ) और (च) इंडियन एयरलाइंस दिल्ली-मुम्बई-औरंगाबाद मार्ग और वापसी मार्ग पर रोजाना उड़ानें प्रचालित करती है।

इस समय, इस मार्ग पर इंडियन एयरलाइंस की अपनी उड़ानों में वृद्धि किए जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, दूसरी एयरलाइनें मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मुताबिक किसी भी सेक्टर पर सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों हेतु आवास योजना

2958. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न हिस्सों में बीड़ी कामगारों हेतु को आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 में बीड़ी कामगारों हेतु निर्मित गृहों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्ष 2003-2004 हेतु संस्वीकृत धनराशि और किया गया/अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) इस योजना से लाभान्वित हुए बीड़ी कामगारों की कुल संख्या कितनी है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, हां। 'एकीकृत आवास योजना' नामक एक योजना जिसके तहत बीड़ी कामगारों को अपने मकानों के निर्माण के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2002-2003		2003-2004		लाभान्वित कामगारों की संख्या
		निर्मित आवासों की संख्या	व्यय की राशि* (लाख रु. में)	स्वीकृत आवासों की संख्या (1 अप्रैल से 15 दिसम्बर तक)	अनुमानित व्यय (लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल	752	66.57	538	107.60	1290
2.	असम	59	4.25	–	–	59
3.	कर्नाटक	27	58.99	1522	304.40	1549
4.	केरल	504	127.71	407	81.40	911
5.	उत्तर प्रदेश	104	7.00	481	96.20	585
6.	आंध्र प्रदेश	476	64.09	1036	207.20	1512
7.	तमिलनाडु	353	1.32	–	–	353
8.	उड़ीसा	1830	175.00	242	48.40	2072
9.	राजस्थान	03	0.5	06	1.20	09

1	2	3	4	5	6	7
10.	महाराष्ट्र	2802	414.25	–	–	2802
11.	छत्तीसगढ़	286	50.02	254	50.80	540
12.	मध्य प्रदेश	296	48.40	–	–	296
	योग	7492	1018.10	4486	897.20	11978

*विगत वर्षों में आवास के लिए स्वीकृत राशि शामिल है।

विश्व पर्यटन

2959. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा कराए गए किसी अध्ययन से इस बात का पता चला है कि विश्व पर्यटन में भारत को प्रतियोगितात्मकता रूप से सक्षम बनाने के लिए विमान कंपनियों को सीट क्षमता और मूल्य निर्धारण बड़ी बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने भारत में पर्यटन पर नागर विमानन नीतियों के प्रभाव पर एक अध्ययन कराया था। अन्य बातों के साथ-साथ, अध्ययन से यह पता चलता है कि:-

* 1989-2000 के बीच भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एयर सीट क्षमता की वृद्धि 40% बढ़ गई है। इसकी तुलना में, चीन, यू.के. तथा यू एस ए ने, इसी अवधि के दौरान क्रमश: 485%, 101% तथा 61% की वृद्धि दर दर्शाई है।

* विशेषतया पीक सीजन आने वाले आगन्तुकों के लिए अक्तूबर-मार्च तथा बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए अप्रैल-जून के दौरान मुख्यतया वायु परिवहन सेवा के उदारीकरण की धीमी गति के परिणामस्वरूप, कुछ वर्षों से भारत के लिए तथा भारत से वायु परिवहन में क्षमता में कमी हुई है।

* पर्यटक यात्रा की सुविधा के लिए, एक मिलियन वायु सीट क्षमता की वृद्धि के परिणामस्वरूप, होटल कमरों के लिए करीब 6021 करोड़ रुपयों का भारत में बढ़ता खर्च और पर्यटन उद्योग में 1,50,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा।

* भारत के मामले में, वायु सेवाएं, वायु सीट क्षमता तथा मूल्य निर्धारण, विश्व पर्यटन मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनने की इसी सक्षमता में बड़ी बाधाएं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) नागर विमानन मंत्रालय ने सीट क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

(1) *आसियान पहल:* भारतीय पक्ष से बराबर पारस्परिक अधिकारों की शर्त पर, 10 आसियान देशों की निर्दिष्ट एयरलाइनों को, नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता के 4 महानगरी शहरों के लिए/से दैनिक सेवाएं प्रचालित करने तथा 18 अन्य गंतव्यों के लिए उनकी इच्छानुसार कितनी भी सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति होगी।

(2) *श्रीलंका पहल:* श्रीलंका की निर्दिष्ट एयरलाइनों को, भारतीय कैरियरों को प्रदान किए जा रहे पारस्परिक अधिकारों की शर्त पर, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद तथा कोलकाता के महानगरीय शहरों के लिए दैनिक सेवाएं प्रचालित करने तथा 18 अन्य गंतव्यों के लिए उनकी इच्छानुसार कितनी भी सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति होगी।

(3) भारत की निजी एयरलाइनों को सार्क देशों के लिए प्रचालन की अनुमति होगी।

(4) *वायु सेवा करार:* भारत के साथ द्विपक्षीय वायु सेवा करार रखने वाले सभी देशों को भारत के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पारस्परिक अधिकारों की शर्त पर, भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों में से किन्हीं 2 के लिए सप्ताह में 14 उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि प्रथम 7 उड़ानें या उनके भाग भारत में किसी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए/से होगी और आगामी 7 उड़ानें या उनके भाग भारत में किसी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए/से होगी।

(5) *ट्रैफिक अधिकारों की समीक्षा:* भारत तथा विभिन्न देशों के मध्य वायु सेवाओं के प्रचालनों के लिए क्षमता अधिकार बढ़ा दिए गए हैं।

(6) *ओपन स्काई पालिसी:* ओपन स्काई पालिसी के अंतर्गत, विभिन्न देशों की एयरलाइनों को, पीक सीजन, अर्थात् दिसम्बर 2003 से फरवरी 2004 के दौरान अतिरिक्त सीटें प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

तिलहनों की नई किस्मों का विकास

2960. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन राज्यों में तिलहनों का उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार ने तिलहनों की नई किस्मों के विकास हेतु कोई अनुसंधान कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य हैं: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और पंजाब।

(ख) और (ग) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न राज्यों के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से तिलहनों की नई किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न तिलहनी फसलों की 50 से अधिक नई तथा उन्नत किस्में और संकर विकसित किए गए हैं तथा पिछले पांच वर्षों में खेती के लिए जारी किए गए हैं।

नई किस्मों और संकरों ने स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 20-30 प्रतिशत अधिक उपज दी है। हाल ही में जारी की गई तिलहनी फसलों की कुछ उन्नत किस्में निम्न प्रकार से हैं:

मूंगफली :	एल.जी. एन-2, डी एच-86, जी.जी-14, सी.एस.एम.जी-884,
तोरिया-सरसों:	आर.टी.एम.-314, वी.एस.एल.-5, वसुन्धरा, स्वर्ण ज्योति; गीता, अरावली,
सोयाबीन:	अहिल्या-4, एम.ए.यू.एस.-47, एम.पी.यू.एस.-61, एम.ए.यू.एस.-71, आर.ए.यू.एस.-5, इन्दिरा सोया-9, हरा सोया
अलसी:	एल.सी.के.-9216, एल.एम.एच.-62, मीरा, पार्वती,
सूरजमुखी:	एम.एल.एस.एफएच.-47, एम.एल.एस.एफ.एच.-82, के.बी.एस.एच.-44
कुसुम:	डी.एस.एच.-129, एम.के.एच.-11
तिल:	टी.के.जी.-55, एम.टी.-75, जे.टी.एस.-8
अरण्डी:	ज्योति, डी.सी.एच.-177, जी.सी.एच.-5

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु समिति

2961. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार जे-34/एफ-414/एच-777 और एच-4 जैसी कपास की मूल किस्मों के लिए प्रत्येक मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) पहले ही निर्धारित करती है और अन्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय द्वारा मूल किस्मों की बाजार मूल्य भिन्नताओं के आधार पर निर्धारित

किए जाते हैं। वर्ष 2003-04 मौसम के लिए कपास (जे-34/एफ-414/एच-777) की उचित औसत गुणवत्ता (एफ ए क्यू) के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य 1725/- रु. प्रति क्विंटल और कपास (एच-4) के लिए 1925/- रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

आर्डनरी स्टील राउंड का मूल्य

2962. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान देश में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रयुक्त आर्डनरी स्टील राउंड का मूल्य 15000/- रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 23000/- रुपए प्रति मीट्रिक टन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घरेलू इस्पात मूल्यों की तुलना में इस्पात को 30 से 40 प्रतिशत सस्ते मूल्यों पर निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने राजकोष से 20 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन भी दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सबसे अधिक प्रतिनिधि मुंबई बाजार को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला बाजार है, में देखे गए 12 एमएम/16 एमएम (साधारण) के स्टील राउंडों के संबंध में अगस्त, 2003 से नवंबर, 2003 तक के घरेलू मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि नहीं दर्शाते। अगस्त, 2003 के दौरान बने मूल्य स्तर में गिरावट आई है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात के पोत भाड़ा मूल्य (एफ ओ बी) के साथ घरेलू मूल्यों की तुलना करना औचित्यपूर्ण नहीं है। एफ ओ बी मूल्य सदैव घरेलू बाजार मूल्यों से कम होते हैं क्योंकि इन मूल्यों में विभिन्न घटकों जैसे सीमा/उत्पाद शुल्क, परिवहन शुल्क और अन्य विविध लेवीज शामिल नहीं होती। भारतीय इस्पात के आयातकों को एफ ओ बी मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। मूल्य का अंतर सीमा शुल्क, प्रयोक्ता के लिए परिवहन प्रभार और उस देश में इस्पात पर लगाए गए अन्य प्रत्यक्ष करों के बराबर है।

(घ) और (ङ) आयात निर्यात नीति की शुल्क छूट योजनाओं आदि के तहत निर्यातकों को सामान्यत: उपलब्ध प्रोत्साहनों को छोड़कर सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट निर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराती।

इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि

2963. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय मांग में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और अन्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों ने मांग को पूरा करने के लिए तैयारी कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने और गुणवत्ता के उत्पादों की सुपुर्दगी के लिए भारतीय इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों ने पर्याप्त उपाय किए हैं। इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा नीचे दी गई है:-

इस्पात का निर्यात

(टन)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2001-02	2002-03	2002-03 (अप्रैल-नवंबर)	2003-04 (अप्रैल-नवंबर)
सेल	553000	846000 (52.9%)	402000	774000 (92.53)
आर आई एन एल	271357	377622 (39%)	205881	215073 (4.46%)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं)

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र

2964. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) विजाग इस्पात संयंत्र की क्षमता नीचे दी गई है:-

तप्त धातु	34 लाख टन
द्रव इस्पात	30 लाख टन
विक्रेय	26.56 लाख टन

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में बी.टी. कपास

2965. श्री भानसिंह भौरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में बी.टी. कपास का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में बी.टी. कपास की बुवाई हेतु सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में बी.टी. कपास के अंतर्गत कृषियोग्य भूमि का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार कपास उत्पादकों को कोई वित्तीय और प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता प्रदान करा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सी आर वाई 1 ए सी जीन वाले बी.टी. कपास संकरों पर नियंत्रित क्षेत्रीय परीक्षण अबोहर, मुक्तसर, मनसा तथा तलवंडी में आयोजित किये गये हैं।

(ग) जेनेटिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने पंजाब में खेती के लिये किसी बी.टी. कॉटन संकर की अभी तक निर्मुक्ति नहीं की है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-2 के तहत गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत वित्त पोषण का प्रतिमान अधिकांशतया भारत सरकार तथा क्रियान्वयनकारी राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में वहन करने पर आधारित है।

उद्वह (लिफ्ट) सिंचाई परियोजना

2966. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में बीजापुर जिले में उद्वह (लिफ्ट) सिंचाई परियोजना को "बी स्कीम" में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोग सरकार से इन परियोजनाओं को "ए स्कीम" में शामिल करने हेतु अनुरोध कर रहे हैं ताकि अलमाटी बांध से 260 टी.एस.सी. जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक जिले के बीजापुर जिले में चार लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं स्कीम 'बी' में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं और कर्नाटक की जनता इन परियोजनाओं को स्कीम 'ए' में शामिल करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध कर रही है।

कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा कर्नाटक राज्य को कृष्णा नदी के जल के मौजूदा आबंटन (स्कीम 'ए') के अनुसार कृष्णा नदी के अधिक से अधिक 700 हजार मिलियन घन फीट जल तथा पंचाट में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार वापसी प्रवाहों के उपयोग के लिए परियोजनाएं शुरू कर सकता है।

चीन द्वारा इस्पात का आयात

2967. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा स्टील ने सरकार से अनुरोध किया है कि चीन द्वारा भारत से इस्पात के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए उसे राजी करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नहरों का आधुनिकीकरण

2968. श्री रामशकल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में विद्यमान सिंचाई प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की नहरों के आधुनिकीकरण/उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण नहरों के आधुनिकीकरण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण वित्तपोषण, निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न राज्यों से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त नहरों के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	आंध्र प्रदेश	वृहद	659.16	बी
2.	मच्छू-1 का आधुनिकीकरण	गुजरात	वृहद	8.12	बी
3.	तावी पम्प हाउस और तावी लिफ्ट नहर	जम्मू-कश्मीर	वृहद	13.563	ए
4.	नदी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	6.61	ए
5.	अहिजी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	7.96	ए
6.	लार नहर का आधुनिकीकरण (बडगाम)	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	6.63	ए
7.	मावखुल का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	7.00	ए
8.	मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	17.22	ए
9.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	4.77	ए
10.	दादी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	11.10	बी

1	2	3	4	5	6
11.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	21.68	बी
12.	कठुआ नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू-कश्मीर	मध्यम	15.68	बी
13.	तातांडडा मुख्य नहर और वितरिका संख्या 12 का सुधार	उड़ीसा	वृहद	57.06	ए
14.	महानदी डेल्टा चरण I और II में जल निकास विकास (फेज-I)	उड़ीसा	वृहद	227.75	ए
15.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	71.66	बी
16.	साल्वी सिंचाई परियोजना का सुधार	उड़ीसा	वृहद	11.57	बी
17.	भाखड़ा मुख्य नहर की लाइनिंग का ऊंचा करना	पंजाब	वृहद	26.69	ए
18.	सरहिन्द फीडर की लाइनिंग/किनारे को ऊंचा करना	पंजाब	मध्यम	13.7543	ए
19.	आर आई डी एफ निधि के तहत पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को ऊंचा करना)	पंजाब	मध्यम	49.02	बी
20.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	वृहद	745.59	बी
21.	इंदिरा गांधी नहर चरण-I (ई आर एम)	राजस्थान	वृहद	121.92	बी
22.	कावेरी डेल्टा फेज-I का आधुनिकीकरण	तमिलनाडु	वृहद	78.80	बी
23.	मेजा बांध को ऊंचा करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	65.0	बी
24.	बुंदेलखण्ड में चैनल को पक्का करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	57.37	बी
25.	भूपाली पम्प नहर प्रणाली में जल प्रबन्धन में सुधार करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	60.53	बी
26.	मौजूदा शारदा नहर प्रणाली में जल प्रबन्धन में सुधार करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	102.41	बी
27.	लचूरा बांध का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	94.18	बी
28.	उत्तर प्रदेश जल संसाधन पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	वृहद	663.41	डी
29.	कंग्साबती जलाशय (फेज-I) का आधुनिकीकरण	पश्चिम बंगाल	वृहद	471.90	ए

श्रेणी:

(ए) पत्राचार चल रहा है।

(बी) सलाहकार समिति को प्रस्तुत और टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत

(सी) सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित

(डी) निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लंबित

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में भर्ती

2969. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया हेतु विमान परिचारिकाओं और स्टीवर्डस के चयन के लिए भर्ती नीति में कतिपय परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सामान्य श्रेणी के आवेदकों और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की छंटनी करने हेतु क्या कार्यवाही अपनाई जानी है;

(घ) क्या संशोधित नियमों के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया ने केबिन क्रू (पुरुष एवं महिला) पद हेतु अपने फरवरी, 2003 के हाल ही के विज्ञापन में आयु मानदंड में परिवर्तन किया है। परिवर्तित योग्यतानुसार 24 वर्ष से कम आयु वाले ही इस पद के लिए योग्य हैं। इसके साथ-साथ कद में 2.5 से.मी. (1 इंच) की छूट गोरखों/गढ़वालियों और उत्तर-पूर्व के और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों को भी दे दी गई है।

इंडियन एयरलाइंस के संबंध में, केबिन क्रू (पुरुष एवं महिला) पद हेतु योग्यता मानदंड में परिवर्तन हुआ है। नई पात्रता मानदंड स्नातक अथवा 10+2 और सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों से होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नालोजी में तीन वर्ष का डिप्लोमा/डिग्री जो कि स्नातक समतुल्य है। वे उम्मीदवार जिन्हें (क) एयरलाइंस अनुभव (केबिन क्रू)/हवाईअड्डा हैंडलिंग में/कस्टमर सेवाओं अथवा (ख) होटल उद्योग (पांच सितारा) में (फ्रंट आफिस/ग्राहक संबंध/रेस्टोरेंट होस्टेस/स्टीवर्ड) एक वर्ष का अनुभव हो उन्हें वरीयता दी जाएगी।

(ग) सामान्य के साथ-साथ आरक्षित, दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के चयन के लिए चयन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं है। चयन प्रक्रिया में किसी बाहरी एजेंसी से लिखित परीक्षा एवं उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में छूट देकर मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाघ अभयारण्यों से बाघों का लापता होना

2970. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत बाघ गणना के दौरान मध्य प्रदेश ने दावा किया था कि कान्हा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ में बाघों की संख्या बढ़कर 711 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य ने उस समय 57 बाघों की गणना की थी और इनमें से 10 शावक अब लापता बताए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये शावक कब से लापता हैं और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें ढूंढने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 के अनुमानों के अनुसार पूरे राज्य में 711 बाघों के होने की सूचना दी है जिसमें, कान्हा बाघ रिजर्व के 128 बाघ, पेंच बाघ रिजर्व के 45 बाघ, पेंच वन्यजीव अभयारण्य के 10 बाघ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के 59 बाघ और पनपाथा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 7 बाघ शामिल हैं। तब से बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यान से 2 बाघ शावकों की प्राकृतिक कारणों से मौत होने की सूचना मिली है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उच्च ब्याज दर पर उधार

2971. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अप्रैल 1995 से विभिन्न बैंकों में 8.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत ब्याज दर पर सावधि जमा में 217.10 करोड़ रुपये का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अप्रैल, 1995 से मार्च 2000 के बीच 15 से 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर 55 करोड़ रुपये उधार लिए;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सरकार को जुलाई-अगस्त, 2000 के दौरान 30 करोड़ रुपये और मार्च 2001 के

दौरान 14.50 प्रतिशत ब्याज दर पर 10.25 करोड़ रुपये उधार लेने के बाद 25.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया था;

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद लोक उद्यम विभाग के निदेशों का उल्लंघन करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निवेश पर मिलने वाले ब्याज से ऊंची दर पर उधार लेने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बैंकों में वर्ष 1995-96 के दौरान 334.92 करोड़ रुपए, वर्ष 1996-97 के दौरान 340.98 करोड़ रुपये, वर्ष 1997-98 के दौरान 544.41 करोड़ रुपये, वर्ष 1998-99 के दौरान 787.19 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 984.47 करोड़ रुपए निवेश किए।

(ख) जी, नहीं। बहरहाल, सरकार ने बजटीय सहायता के रूप में 110 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं जिसमें सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कम सम्पर्कता वाले पहचाने गए क्षेत्रों में गैर-लाभप्रद परियोजनाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 50% ऋण शामिल है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आन्तरिक संसाधनों में से जुलाई/अगस्त 2002 के दौरान 30 करोड़ रुपए तथा जून 2001 के दौरान 24.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। जबकि सरकार ने बजटीय सहायता के ऋण के भाग के रूप में 10.25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ऊंची दर पर ऋण नहीं लिया है। 8.55% से 12.5% के अर्जित ब्याज की तुलना में बजटीय सहायता की औसत लागत अनुमानत: 6.10% आंकी गयी है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

घरेलू विमान कंपनियों का विनियमन

2972. श्री अम्बरीश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नागर विमानन महानिदेशक को घरेलू विमान कंपनियों के संचालन के संबंध में अध्ययन कराने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू विमान कंपनियों हेतु वर्तमान दिशानिर्देसों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर किफायती मार्गों पर घरेलू विमान कंपनियों के संचालन में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार ने, मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 23.9.2003 को एक समिति बनाई है।

(ख) मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हवाई परिवहन सेवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। फिर भी यह एयरलाइनों के ऊपर निर्भर है कि वे यातायात की मांग और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों पर, हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएं क्योंकि एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए देश भर में कहीं भी सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

सं.ए.वी.-11012/2/94-ए

भारत सरकार
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय
(नागर विमानन विभाग)

'बी ब्लाक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग, हवाईअड्डा, अरबिंदों मार्ग,
नई दिल्ली-110003, दिनांक 1.3.94

आदेश

केन्द्रीय सरकार, वायु यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन और देश में विभिन्न क्षेत्रों में वायु यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के उद्देश्य से एतदद्वारा निदेश देती है कि वर्ग-1 के अधीन अनुबंध में दिए अनुसार देश में किसी भी मार्ग पर यदि कोई भी प्रचालक, कोई भी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा का प्रचालन कर रहा है तो उन्हें अनुबंध में दिए वर्ग-II तथा वर्ग-III

में दिए मार्गों पर न्यूनतम वायु यातायात सेवाएं अवश्य प्रचालित करनी होंगी। वर्ग II एवं III के मार्गों पर, निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदान करने के लिए प्रचालक आपस में सहमत शर्तों पर, अपनी सुविधानुसार अपने विमान बेड़े के विमान या किसी अन्य प्रचालक के बेड़े के विमान द्वारा सेवा प्रदान कर सकता है। बाद वाले मामले में इस प्रकार के प्रबंध की, नागर विमानन महानिदेशालय से पूर्वानुमति लेनी होगी।

ह/-

(पी.के. बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 4610369

विभिन्न श्रेणी मार्गों में सेवा का प्रावधान

श्रेणी-I

सीधे जुड़े मार्ग

बम्बई-बैंगलौर	कलकत्ता-दिल्ली
बम्बई-कलकत्ता	कलकत्ता-बैंगलौर
बम्बई-दिल्ली	कलकत्ता-मद्रास
बम्बई-हैदराबाद	दिल्ली-बैंगलौर
बम्बई-मद्रास	दिल्ली-हैदराबाद
बम्बई-त्रिवेंद्रम	दिल्ली-मद्रास

श्रेणी-II

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टेशनों, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ने वाले मार्ग।

श्रेणी-III

श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में दिए गए मार्गों को छोड़कर अन्य मार्ग।

कोई प्रचालक जो श्रेणी-I के एक या अधिक मार्गों पर अनुसूचित वायु सेवा प्रदान करेगा उसे श्रेणी-II एवं III में निम्नानुसार सेवाएं प्रदान करनी होगी:-

प्रचालक द्वारा श्रेणी-I में लगाई जाने वाली क्षमता का कम से कम 10% श्रेणी-II के मार्गों पर लगाया जाएगा तथा श्रेणी-II लगाए जाने वाली क्षमता का कम से कम 10% सेवाओं अथवा उनके प्रचालित भागों पर विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप में लगाया जाएगा।

प्रचालक श्रेणी-I के मार्गों पर प्रदान क्षमता का कम से कम 50% श्रेणी-III मार्गों पर लगाएगा।

नोट-1 अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा हेतु श्रेणी-1 के मार्ग पर प्रदान सेवा को उपरोक्त उद्देश्य हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

नोट-2 उपलब्ध सीट किलोमीटर के आधार पर क्षमता की गणना की जाएगी।

नोट-3 बहुमार्गी सेक्टरों पर जैसे दिल्ली-कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल में दिल्ली-कलकत्ता मार्ग पर प्रदान क्षमता को श्रेणी-I में गिना जाएगा, कलकत्ता-गुवाहाटी सेक्टर को श्रेणी-II में गिना जाएगा और गुवाहाटी-इम्फाल मार्ग पर प्रदान क्षमता को विशेष रूप से श्रेणी-II में गिना जाएगा।

दसवीं योजना में इस्पात का उत्पादन

2973. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या नए इस्पात संयंत्रों को क्षमता संवर्द्धन हेतु स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या किसी वर्तमान इस्पात संयंत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (वी एस पी) के लिए 10वीं योजना (2002-2007) के लिए विक्रेय इस्पात के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 539.84 लाख टन और 142.40 लाख टन है। इस्पात मंत्रालय निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन लक्ष्य आदि की मानिटरिंग नहीं करता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की अपनी-अपनी इकाइयों की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने की योजना है।

कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग

2974. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादों विशेषकर जैविक खाद्यों की कोई ग्रेडिंग और मार्किंग ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग एक्ट, 1937 के अनुसार की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 केन्द्रीय सरकार के कृषि जिंसों के संबंध में गुणवत्ता मापदण्ड तथा ग्रेड नाम निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के अधीन अब तक 163 कृषि जिंसों के मानदण्डों को अधिसूचित किया जा चुका है।

बहरहाल, जैविक खाद्य के ग्रेडिंग और मार्किंग को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन इसलिए कवर नहीं किया गया है क्योंकि जैविक खाद्य मानक प्रवर्धक (प्रोसेस) मानक हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अकार्बनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, जल के उपयोग को विनियमित किया जाता है। चूंकि जैविक मानक प्रवर्धक (प्रोसेस) मानक हैं और कृषि जिन्सों की गुणवत्ता से संबंधित नहीं हैं इसलिए ये कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 की परिधि में नहीं आते हैं।

पर्यटन सर्किटों का विकास

2975. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन सर्किटों के समेकित विकास पर राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) राज्यों में विकसित पर्यटन सर्किटों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास हेतु एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2002-03) में निम्नलिखित सात पर्यटक परिपथों के लिए विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	पर्यटक परिपथ	जारी की गई राशि
(1)	वैशाली-बोधगया-राजगीर-नालंदा-वाराणसी	8.00
(2)	चण्डीगढ़-कुल्लु-मनाली-लाहौल/स्पीती-लेह (रूट I तथा II)	7.23
(3)	ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी-ओरछा-खजुराहो-झांसी-भोपाल-सांची तथा आस-पास के बुद्धिष्ट क्षेत्र-भीमबेटका-पचमढ़ि-कान्हा-जबलपुर-(भेड़ाघाट)	5.08
(4)	मुम्बई-अलीबाग (मांडया)-गणपतिपुले-विजयदुर्ग-मीठीबाद-कंकेश्वर-मोचेदमाड-सिंधुदुर्ग-तरकरली-शिरोडा-सावंतवाडी-अम्बोली-गोवा-कोष्टल-कर्नाटक-बेकल	8.05
(5)	कोचीन-कुमाराकोम (बैक वाटर्स)-कोट्टायम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम (केरल)	7.80
(6)	शिलांग-गुवाहाटी-काजीरंगा-तेजपुर-भालुकपोंग-त्वांग (अरुणाचल प्रदेश)-मजुली-शिवसागर-कोहिमा	5.42
(7)	जयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर-शेखावटी-जयपुर	6.44

[हिन्दी]

पर्यटकों द्वारा यात्रा

2976. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रथमत: चीन के कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की और भारत के कितने पर्यटकों ने चीन की यात्रा की?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): चीन से भारत की यात्रा करने वाले और भारत से चीन की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या के बारे में उपलब्ध अद्यतन सूचना निम्न प्रकार है:-

		2001	2002
(1)	चीन से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या	13901	15422
(2)	भारत से चीन की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या	159361	उपलब्ध नहीं

वर्ष 2003 के लिए इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

वैकल्पिक आयात स्त्रोतों के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश

2977. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने देश में आ रही घटिया सामग्रियों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक आयात स्त्रोतों के पंजीकरण हेतु कोई कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजीकरण समिति सहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या पंजीकरण समिति ने चीन से एलेथीन वैकल्पिक स्त्रोत के आयात को अस्वीकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी खेप को पंजीकरण समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और ऐसी अस्वीकृति के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पंजीकरण समिति द्वारा चीन से वैकल्पिक स्त्रोत से एलेथ्रिन के आयात हेतु पंजीकरण के लिए मैसर्स बी. खिमानी एंड कम्पनी के आवेदन का पंजीकरण करने से इन्कार कर दिया गया है। किसी भी आयात की अनुमति नहीं है जब तक कि आयात का स्त्रोत पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

[हिन्दी]

डी.एम.एस. के अंतर्गत होम डिलीवरी योजना

2978. श्री विनय कटियार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) के अंतर्गत होम डिलीवरी योजना के संबंध में कमीशन कम किया गया है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव इसे पुन: बढ़ाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना के तहत होम डिलीवरी योजना के संबंध में डिस्काऊंट घटा दिया गया है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे दिल्ली दुग्ध योजना पर और वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

[अनुवाद]

गुजरात में पी.एफ. के लंबित मामले

2979. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2002-03 की अवधि के दौरान गुजरात में भविष्य निधि निकासी हेतु माह-वार कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) लम्बन के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदनों की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) वर्ष 2002-03 की अवधि में गुजरात में भविष्य निधि निकासी के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों की माह-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन मामलों के निपटान में देरी के कारण हैं, अंशदान का जमा न कराया जाना/नियोक्ता द्वारा विवरणियों न भेजा जाना, सदस्यों द्वारा फार्मों को पूरी तरह भरकर न भेजना और लम्बी निपटान प्रक्रिया का होना।

(ग) भविष्य निधि निकासी के आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए नियमित रूप से मानीटरन किया जा रहा है।

विवरण

2002-03 की अवधि के लिए गुजरात में भविष्य निधि निकासी का माह-वार विवरण

माह	कुल कार्यभार	कार्यवाही किये गए और निपटान किए गए मामले	लम्बित मामले
अप्रैल-02	40082	10783	29299
मई-02	41504	14884	26620
जून-02	35656	9875	25781
जुलाई-02	38563	15357	23206
अगस्त-02	36662	15496	21166
सितम्बर-02	34202	20689	13513
अक्टूबर-02	29218	17349	11869
नवम्बर-02	21012	8266	12746
दिसम्बर-02	27478	11431	16047
जनवरी-03	32995	18526	14469
फरवरी-03	26533	14929	11604
मार्च-03	18553	16174	2379

नेफेड का क्रय तंत्र

2980. श्री रघुनाथ झा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफेड द्वारा उत्पादों का क्रय तंत्र संतोषजनक नहीं है और इसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) नैफेड केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में और अपने वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मूल्य समर्थन स्कीम (पी एस एस) तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम आई एस) के तहत कृषि जिंसों का खरीद कार्य करता है। मूल्य समर्थन स्कीम तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के माध्यम से नैफेड बिना किसी मध्यस्थ को शामिल किए राज्य सहकारी विपणन संघों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन सोसायटियों से खरीदता है। खरीद के तुरंत बाद किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार इन प्रचालनों के लाभ किसानों तक पहुंचते हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्प्रवास नियम

2981. श्री टी. गोविन्दन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन लोगों जो नौकरियों के लिए विदेश जाते हैं, के लिए और कठोर उत्प्रवास नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा पर्यटन सर्किट की स्थापना करना

2982. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण गंतव्यों को शामिल करते हुए क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एक सकल पर्यटन सर्किट स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी लागत आने का अनुमान है और असम और अन्य राज्यों में कौन से महत्वपूर्ण गंतव्य शामिल किए जाने हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद ने क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकास से

संबंधित मामलों पर परिषद् को सलाह देने के लिए एक पूर्वोत्तर पर्यटन बोर्ड का गठन किया है। परिषद् ने संघटक राज्यों को अपने-अपने राज्यों से संबंधित पर्यटक परिपथों की एक सूची भेजने की सलाह दी है ताकि पूर्वोत्तर के लिए एक एकीकृत अंतर्राज्यीय पर्यटन मार्ग का विकास किया जा सके।

ध्वनि प्रदूषण

2983. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस के विचारानुसार ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किस कार्यान्वयन एजेंसी को प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रदूषक नियंत्रण कानूनों का पुन: परीक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, नहीं। तथापि, विनियामक एजेंसियों द्वारा शादियों और धार्मिक जलूसों जैसे विशेष अवसरों के संबंध में कठिनाई अभिव्यक्त की गई है।

(ख) ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियमावली, 2000 को अधिसूचित किया गया है और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उन्हें लागू करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की है। नियमों में क्रियान्वयन प्राधिकारी वे हैं, जिन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा लागू कानूनों के अनुसार प्राधिकृत किया जाए, जिसमें पुलिस कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं।

(ग) जब कभी संशोधनों की आवश्यकता पड़ी, इन्हें किया गया है।

विमान यात्रियों के लिए सुविधाएं

2984. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता और सुविधा प्रदान करने हेतु कैबीनेट नामक यूरोपीय अध्ययन के निष्कर्षों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उपर्युक्त सिफारिशों का कितना लागू करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पवन हंस का कार्य-निष्पादन

2985. श्री किरीट सोमैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन हंस के कार्य-निष्पादन में हाल ही में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने हेलीकाप्टरों की दुर्घटना हुई;

(ग) इसके क्या कारण हैं और उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(घ) बम्बई उच्च न्यायालय में दुर्घटना की जांच की स्थिति क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पवन हंस की वित्तीय स्थिति कैसी रही?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 01.12.2001 से 30.11.2003 के बीच पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड का केवल एक हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

(ग) उपर्युक्त दुर्घटना की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है।

(घ) मैसर्स मेस्को एयरलाइंस के हेलीकाप्टर की इस दुर्घटना पर दुर्घटना निरीक्षक ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ान राजस्व घाटे, कुल राजस्व तथा कर पश्चात् लाभ नीचे दिए अनुसार है:-

	2000-01	2001-02	2002-03
उड़ान राजस्व घाटे	19206	18506	20173
कुल राजस्व (करोड़ रु. में)	191.96	195.86	205.02
कर पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रु. में)	38.01	59.31	15.39 (*)

(*) भारत सरकार के देयों पर ब्याज के लिए 39.31 करोड़ रु. का प्रावधान करने के बाद।

चारा बैंकों की स्थापना करना

2986. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने चारा बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसे नए बैंक स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उनमें से राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) चारा बैंकों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकृत निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यों से चालू खर्च 2003-04 के दौरान चारा बैंकों के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) योजना मांगोन्मुखी हैं। पहले जारी अनुदानों/निधि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने, नए व्यवहार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर राज्यों को निधियां प्रदान की जाती है।

विवरण I

चारा बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों को स्वीकृत निधियां

राज्य	चारा बैंकों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
कर्नाटक	7	88.55
तमिलनाडु	1	41.25
अरुणाचल प्रदेश	4	59.621
गुजरात	3	105.25
जम्मू-कश्मीर	5	129.24
केरल	2	59.25
पश्चिम बंगाल	1	41.25
उत्तर प्रदेश	1	41.25
उड़ीसा	1	40.50
पंजाब	1	38.70
मिजोरम	2	61.496
महाराष्ट्र	1	41.25
उत्तरांचल	2	54.60
त्रिपुरा	1	37.46

विवरण II

राज्यों से चालू वर्ष 2003-04 के दौरान प्राप्त चारा बैंकों के प्रस्तावों तथा जारी निधियां का विवरण

राज्य	प्रस्तावित धनराशि (लाख रु. में)	जारी धनराशि (लाख रु. में)
मिजोरम	82.50	39.525
त्रिपुरा	41.25	37.46
जम्मू-कश्मीर	439.70*	–
कर्नाटक	42.00*	–
हरियाणा	112.50*	–
सिक्किम	165.00*	–

*योजना के तहत पहले के अनुदान के खर्च न की गई राशि के रूप में स्वीकृत धनराशि राज्यों में लंबित थी।

विदेशी विमान कंपनियों को यातायात के अधिकार

2987. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन विदेश कंपनियों को भारत में यातायात के अधिकार प्राप्त हैं;

(ख) कौन सी विदेशी विमान कंपनियां यात्री अधिकार के बिना भारत से होकर गुजरती हैं;

(ग) कौन सी विदेशी विमान कंपनियों को अधिक उड़ानों के अधिकार प्राप्त है;

(घ) क्या एअर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइन्स की उन विदेशी उन जैसे ही विमान कंपनियों के मूल देशों में अधिकार प्रदान किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए यातायात अधिकार, 98 देशों के साथ भारत के विमान सेवा समझौतों के तहत उपलब्ध हैं, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन देशों की नामित एयरलाइनों द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) भारत के लिए/भारत से होकर अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली सभी विदेशी एयरलाइनों को द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों के अंतर्गत अपेक्षित यातायात अधिकार प्राप्त हैं।

(ग) भारत के साथ विमान सेवा समझौता करने वाले देशों की एयरलाइनों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा परिवहन समझौता के हस्ताक्षरकर्त्ताओं, भारत भी जिसमें एक पार्टी है, को भी एक दूसरे के वायु क्षेत्र के ऊपर से उड़ने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) और (ङ) इन समझौतों के अंतर्गत भारत को भी समान अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि ऐसे अधिकार हमेशा पारस्परिक आधार पर ही आदान-प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

भारत के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता करने वाले देशों की सूची

1.	अफगानिस्तान
2.	अल्जिरिया
3.	अरमेनियां
4.	आस्ट्रेलिया
5.	आस्ट्रीया
6.	अजरबेजान
7.	बंगलादेश
8.	बेलारस
9.	बेल्जियम
10.	भूटान
11.	ब्रूनेइ
12.	बुल्गारिया
13.	कम्बोडिया
14.	कनाडा
15.	चीन
16.	क्रोएशिया
17.	साइप्रस
18.	चेक गणराज्य
19.	डेनमार्क
20.	डिजबोटी
21.	इजिप्ट
22.	इथोपिया
23.	फिजी
24.	फिनलैंड
25.	फ्रांस
26.	जोरजिया

27. जर्मनी
28. घाना
29. ग्रीस
30. गल्फ (ओमान)
31. गल्फ (कतर)
32. गल्फ (बहरीन)
33. गल्फ (यू ए ई)
34. हांगकांग
35. हंगरी
36. इंडोनेशिया
37. ईरान
38. ईराक
39. आयरलैंड
40. इजराइल
41. इटली
42. जापान
43. जौर्डन
44. कजाखस्तान
45. कीनिया
46. कोरिया गणराज्य
47. कुवैत
48. किरगिस्तान
49. लातविया
50. लेबनान
51. लेसोथो
52. लिथुआनियां
53. लक्जम्बर्ग
54. मकाऊ
55. मेडागास्कर
56. मलेशिया
57. मालदीवस
58. माल्टा
59. मॉरीसस
60. मंगोलिया
61. मोरोक्को
62. म्यानमार
63. नेपाल
64. नीदरलैंड
65. न्यूजीलैंड
66. नाइजीरिया
67. नार्वे
68. पाकिस्तान
69. फिलीपिन्स
70. पोलैंड
71. पुर्तगाल
72. रूसी फेडरेशन
73. रोमानिया
74. साउदी अरेबिया
75. सेसेल्स
76. सिंगापुर
77. स्लोवाकिया
78. स्लोवेनिया
79. दक्षिण अफ्रीका
80. स्पेन
81. श्रीलंका
82. स्वीडन
83. स्विटजरलैंड
84. सीरिया

85. ताजिकिस्तान

86. तंजानिया

87. थाईलैंड

88. तुर्की

89. तुर्कमेनिस्तान

90. यूनाइटिड किंगडम

91. यू.एस.ए.

92. यूगान्डा

93. यूक्रेन

94. उज्बेकिस्तान

95. वियतनाम

96. यमन अरब रिपब्लिक

97. यूगोस्लाविया

98. जाम्बिया

केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भू-जल का परीक्षण

2988. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने दिल्ली में तीन लैंड-फिल स्थानों में जल का परीक्षण करने हेतु दो-वर्षीय अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का प्रस्ताव सम्पूर्ण देश में ऐसा अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने भाभा आण्विक अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) के सहयोग से "दिल्ली में भूजल संदूषण अध्ययन में आइसोटॉप तकनीकों के प्रयोग" के संबंध में एक संयुक्त परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए बलसावा और गाजीपुर में दो लैंडफिल स्थलों तथा इंद्रप्रस्थ डिपो में एक पुरानी लैंडफिल स्थल की पहचान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मदर डेयरी द्वारा बेचे गए फल और सब्जियां

2989. श्री अधीर चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में मदर डेयरी और सफल के बूथ के माध्यम से बेचे गए फलों और सब्जियों की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मदर डेयरी द्वारा कितनी मात्रा में फल और सब्जी उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, सरकार द्वारा अधिकृत मंडियों और निजी वेंडर/व्यापारियों से सीधे खरीदी गई है;

(ग) क्या निजी कंपनियों द्वारा मदर डेयरी के उत्पाद बनाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में मदर डेयरी तथा सफल बूथों के माध्यम से बेचे गए फलों एवं सब्जियों की कुल मात्रा इस प्रकार है:-

2002-03	95,463 मीट्रिक टन
2001-02	90,300 मीट्रिक टन
2000-01	61,260 मीट्रिक टन

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फलों एवं सब्जियों की मात्रा इस प्रकार है:-

(मीट्रिक टन में)

स्रोत	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
उत्पादक/परिसंघ	33648	50909	56946
सहकारिताएं	5494	7673	8410

1	2	3	4
सरकारी अधिकृत मंडियां	22016	30528	29163
निजी वेंडर/व्यापारी	1755	2359	1827
कुल	62913	91469	96346

(ग) सफल अचार तथा नमकीन निजी संगठनों से लिए जा रहे हैं।

(घ) बाहरी स्रोतों से लिए जा रहे उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	किस स्रोत से लिया गया
1.	आचार	मेसर्स एस्ट्रा एग्रो फूड्स (प्राइवेट), लिमिटेड, मोहाली (पंजाब)
2.	नमकीन	मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

ये उत्पाद बाहरी स्रोतों से इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है तथा स्वयं अपनी सुविधा स्थापित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में परिवर्तन

2990. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) में कतिपय परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्षासिंचित फसल उगाने वाले सभी छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) की कवरेज का विस्तार करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें 90% क्षतिपूर्ति और 100% प्रीमियम राजसहायता मुहैया की जाए।

भारत सरकार का विचार है कि प्रस्तावित पैरामीटर्स अव्यावहारिक हैं और विद्यमान स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

मक्का अनुसंधान निदेशालय का कार्यनिष्पादन

2991. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई आकलन/समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात वास्तविक और वित्तीय संदर्भों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कार्यनिष्पादन को इसमें किए गए निवेश के समानुपातिक बनाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। डा. आर.एल. पालीवाल की अध्यक्षता में एक पंचवर्षीय समीक्षा दल तथा डा. ए.एस. खेड़ा की अध्यक्षता में अनुसंधान सलाहकार समिति ने मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.) के कार्य निष्पादन की समीक्षा की थी तथा सिफारिशें की हैं जिन्हें दसवीं योजना में सम्मिलित किया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बेगूसराय, बिहार में नये केन्द्र तथा विन्टर नर्सरी सेन्टर, हैदराबाद में जैव-प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, जैव रसायन प्रयोगशाला, शीत भण्डारण सुविधा, भूमि विकास जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं सृजित की गई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान डी.एम.आर. तथा इसकी ए.आई.सी.आर.पी. (अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना) केन्द्रों का वित्तीय परिव्यय निम्न प्रकार से है:

वर्ष 2001-2002 के लिए बजट आबंटन 668.11 लाख रुपये तथा 666.25 लाख रुपये व्यय किए गए थे और वर्ष 2002-03 के लिए बजट आबंटन 746.00 लाख रुपये था तथा 738.72 लाख रुपये व्यय किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केन्द्रों के कार्यक्रमों को अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान कार्यशाला/सामूहिक बैठक में तैयार करके अन्तिम रूप दिया जाता है। इन कार्यक्रमों की निदेशालय

की अनुसंधान सलाहकार समिति (आर ए सी) द्वारा भी समीक्षा की जाती है। फसल मौसम के दौरान भी मानीटरिंग दल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मानीटरन करने और सलाह देने के लिए विभिन्न केन्द्रों का दौरा करते हैं।

अभयारण्यों का विस्तार

2992. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने नियंत्रणाधीन अभयारण्यों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन अभयारण्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, नहीं। सरकार, राज्य सरकारों से अभ्यारण्यों को अपने नियंत्रण में लेकर अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ाने का विचार नहीं कर रही है। वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना और रखरखाव करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खुरपका-मुंहपका रोग

2993. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री रमेश चेन्नितला:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मवेशियों में खुरपका-मुंहपका रोग के उन्मूलन के लिए एक प्रायोगिक योजना शुरू करने हेतु देश में विशेषत: दक्षिणी क्षेत्र में कुछ जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और स्थान क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को ऐसी योजना शुरू करने के लिए अन्य राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) दसवीं योजना में सरकार देश के 54 चुनिंदा जिलों में गहन खुरपका और मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम (एफ एम डी-सी पी) क्रियान्वित कर रही है। यह जिले जिन राज्यों में स्थित हैं वे हैं- तमिलनाडु (कन्याकुमारी जिला), केरल (क्विलोन, त्रिवेन्द्रम और पाथानामथिथे जिले), पंजाब (गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, भटिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहेब जिले), हरियाणा (सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और जींद जिले), उत्तर प्रदेश (अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जी.बी. नगर, बदायूं, मुरादाबाद, जे.बी.पी. नगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर और मुजफ्फर नगर जिले), महाराष्ट्र (औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, सतारा, थाणे के एक भाग सहित मुम्बई जिले), गुजरात (बनासकांठा, मेहसाना, साबरकांठा और पाटन जिले), आंध्र प्रदेश (मेडक, रंगा रेड्डी, चित्तूर, अनंथपुर जिले), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव।

(ग) से (ङ) जी, हां।

राज्यों को सूचित किया गया है कि वे "पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक अन्य कार्यक्रम के तहत योजना की शुरूआत करें जिसमें खुरपका और मुंहपका रोग सहित विभिन्न रोगों के लिए पशुओं के रोग प्रतिरोधन के लिए प्रावधान है और राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार रोगों की प्राथमिकता तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विकसित देशों को जाने वाले अप्रवासी

2994. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत से विकसित देशों को जाने वाले अप्रवासियों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अप्रवासियों की वर्षवार और देशवार संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकसित देशों को आर्थिक अप्रवास की सुविधा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो सम्भावित अकुशल अप्रवासी श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवैध अप्रवास में बिचौलियों की भूमिका को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) सरकार ऐसे विशिष्ट आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान किये गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

2002	:	3.68 लाख
2001	:	2.79 लाख
2000	:	2.43 लाख

(ग) और (घ) सरकार ने उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 21.11.2002 को लोक सभा में पेश किया था, जिसे श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद के गठन और भारतीय विदेशी कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव है। दिनांक 13.11.2003 को एक अनिवार्य बीमा स्कीम अधिसूचित की गई है और उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(ङ) गैर-कानूनी उत्प्रवास के मामले में सरकार कड़ाई से कार्रवाई करती है। ऐसे सभी मामले अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिये जाते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे गैर-कानूनी उत्प्रवास में लगे बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस स्टेशनों को हिदायत दें।

प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का रखरखाव

2995. श्री शिवाजी माने:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन प्राचीन मंदिरों का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रीय स्मारक की श्रेणी में आते हैं तथा वे राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे मंदिरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है;

(ग) इनमें से ऐसे स्मारकों की संख्या कितनी है जिनकी देख-रेख राज्य सरकार को सौंपी गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक के उचित संरक्षण पर कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ङ) इनके उचित रखरखाव और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ नियंत्रण हेतु योजना

2996. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में भविष्य में बाढ़ से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए कोई ठोस योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, उनका वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता दी जाती है।

गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों में बाढ़ समस्या का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और 1982 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया। उन्होंने संबंधित बेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों को भेजा गया था।

बाढ़ मैदान जोनिंग के लिए माडल बिल का प्रारूप भी तैयार किया गया था और उपयुक्त कानून बनाने के लिए राज्यों को भेजा गया था। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा 166 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी सेवाएं राज्यों को दी गई हैं। इस नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है और इसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है। बाढ़ के मौसम के दौरान जलवैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने

के लिए भारत और इसके पड़ोसी देशों यथा चीन, भूटान एवं नेपाल के बीच सहयोग भी है जिससे बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों में केन्द्रीय जल आयोग को मदद मिलती है।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ों के नियंत्रण के दीर्घ कालिक उपाय के रूप में असम में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के माध्यम से पगलादिया बांध परियोजना का निष्पादन शुरू किया है। ब्रह्मपुत्र घाटी में विभिन्न चरणों में सियांग (दिहांग) और सुबानसिरी बांध परियोजनाओं के अन्वेषण एवं कार्यान्वयन का कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपा गया है जबकि बराक घाटी में तिपाईमुख परियोजना के अन्वेषण और कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर विद्युत निगम को सौंपी गयी है। ये बहुद्देश्यीय परियोजनाएं बाढ़ के नियंत्रण में अहम भूमिका निभायेंगी।

उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यत: नेपाल से बहने वाली नदियों के कारण बाढ़ आती है, के संबंध में कोसी नदी पर बहुद्देश्यीय परियोजना के क्षेत्र अन्वेषण/अध्ययन शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में नेपाल के साथ सहमति हुई है। महाकाली (शारदा) नदी पर स्थित पंचेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना से संबंधित क्षेत्र अन्वेषण भी पूरे कर लिए गए हैं। इन परियोजनाओं से अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभ होंगे।

जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार की गई है। इसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इससे अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभ भी होंगे।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को गंभीर बाढ़ प्रबंधन कार्यों को करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

शोध संस्थानों को मानद् विश्वविद्यालय का दर्जा

2997. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख शोध संस्थानों को मानद् विश्वविद्यालय बनाने अथवा दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहले ही मानद् विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त शोध संस्थानों का ब्यौरा क्या है और किन संस्थानों पर अब विचार किया जा रहा है;

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान शोध संस्थानों को आबंटित धन का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान संस्थानों की प्रमुख परियोजनाएं अथवा किए गए कार्य कौन से हैं;

(ङ) इन शोध संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास समूह क, ख और ग में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभिन्न शोध संस्थानों से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग के नियंत्रण के अधीन कोई शोध संस्थान नहीं है तथापि संस्कृति विभाग के अधीन द नेशनल स्कूल आफ ड्रामा तथा इन्स्टीट्यूट आफ आर्केलोजी को मानद् विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) द नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलोजी, न्यू दिल्ली, जो संस्कृति विभाग के नियंत्रण के अधीन आता है, ने मानद् विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान द नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलोजी, न्यू दिल्ली द्वारा प्राप्त निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

	2000-01	2001-02	2002-03
योजनागत	75.00	67.00	91.18
गैर योजनागत	5.25	4.00	2.00

इसका प्रमुख कार्यकलाप हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड रेस्टोरेशन आफ वर्क्स आफ आर्ट एण्ड म्यूजियोलोजी के क्षेत्र में एम ए तथा पीएचडी की डिग्रियां प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। संस्थान आर्ट एप्रीशिएशन, इंडियन आर्ट एण्ड कल्चर तथा भारतीय कला निधि (हिन्दी में) लघु अवधि पाठ्यक्रम भी चलाता है। इसके अलावा, यह कला, संरक्षण एवं

संग्रहालय विज्ञान से संबंधित थिमेटिक कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा लेक्चरों का संचालन करता है।

(ङ) से (छ) द नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलोजी, न्यू दिल्ली की भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाया गया है। इसमें ''क'' समूह में सात नियमित तथा दो इन्डोमेंट, ''ख'' समूह में तीन, ''ग'' समूह में चार और ''घ'' समूह में दो पद हैं। ''क'' समूह में कोई अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है लेकिन अन्य पदों के मामले में 27% का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया गया है।

सिंचित और गैर-सिंचित भूमि पर उत्पादन दर

2998. श्री मानसिंह पटेल:
श्री रामटहल चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंचित और गैर-सिंचित भूमि पर उत्पादन दर भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो सिंचित भूमि पर औसत उत्पादन दर कितनी है; और

(ग) गैर-सिंचित भूमि पर औसत उत्पादन दर के संबंध में आकलन क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपनी रिपोर्ट- ''कन्सालिडेटेड रिजल्ट आफ क्राप इस्टीमेशन सर्वे (सी.ई.एस.) आन प्रिंसिपल क्राप्स 2000-2001'' में 2000-01 के दौरान सी ई एस के अंतर्गत सिंचित और गैर-सिंचित प्लाटों में रही अनुमानित उपजदर को दर्शाया है जिसके अनुसार गैर-सिंचित भूमि में होने वाली औसत उपज दर की अपेक्षा सिंचित भूमि में होने वाली औसत उपज दर ज्यादा होती है। फसलवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

		उपज कि.ग्रा./हेक्टेअर	
क्र.सं.	फसल	सिंचित भूमि	गैर-सिंचित भूमि
1	2	3	4
1.	चावल	2666	1344
2.	गेहूं	2446	869
3.	ज्वार	1217	751
4.	बाजरा	1431	614
5.	मक्का	2868	1685
6.	मूंगफली	1423	896
7.	तोरिया/सरसों	2597	566
8.	कपास	486	188
9.	गन्ना	73957	69503

उपदान अधिनियम का उल्लंघन

2999. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियां विशेषत: महानदी कोल फील्ड लि. उपदान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आज तक सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनी के कर्मचारियों और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उपदान नियंत्रक के न्यायालय में कितनी शिकायतें दायर की गयी हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार निपटाए गए तथा लम्बित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा ब्याज सहित उपदान के भुगतान के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपदान नियंत्रक के न्यायालय में दायर की गई शिकायतों की संख्या 3068 है।

(घ) इस संबंध में निपटाए गए मामलों की संख्या 2546 तथा लंबित मामलों की संख्या 1694 है।

(ङ) इस मामले में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

उड़ीसा की सांस्कृतिक संस्थाओं हेतु अनुदान

3000. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सांस्कृतिक संस्थाओं में लम्बित प्रस्तावों पर अनुदान जारी करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुदानों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकार, अनुदान संबंधी आवेदनों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच किए जाने और औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है। चूंकि आवेदनों पर विचार वार्षिक आधार पर किया जाता है अत: कोई आवेदन लंबित नहीं है। उड़ीसा में उन संगठनों की एक सूचक सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिन्हें 2002-03 के दौरान अनुदान मंजूर किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा के सांस्कृतिक संस्थानों को वर्ष 2002-03 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता

भवन अनुदान

1.	आख्यान कल्याण समिति	–	3,70,000/-
2.	विवेकानंद, ग्राम्य विकास	–	2,500/-
3.	परम्परा	–	1,18,200/-
4.	सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास	–	9,627/-
5.	थानापल्ली मित्तल युवक सिंह	–	5,600/-
6.	सारस्वत साहित्य संघ	–	2,10,000/-

जनजातीय लोक कला

1.	अरुण इंस्टीट्यूट आफ रूरल-अफेयर्स	–	92,000/-
2.	विजयाकेतन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट	–	50,000/-
3.	श्री बावीन सिंह देव	–	35,000/-
4.	वालंटरी इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट	–	1,08,000/-
5.	एस.ई.वी.ए.	–	27,400/-
6.	संग्राम केसरी महंती	–	75,000/-
7.	उड़ीसा मीडिया सेन्टर	–	45,000/-
8.	विकल्प विकास	–	65,000/-

वेतन अनुदान

1.	मयूर कला केंद्र	–	4,92,000/-
2.	आर्ट विजन	–	1,68,000/-

3.	सामाजिक आर्थिक और शिक्षा विकास सोसाइटी	–	1,68,000/-
4.	कला विकास केंद्र	–	3,60,000/-
	उत्पादन अनुदान		
1.	उत्कल भारती स्मृति संस्कृति	–	90,000/-
2.	एच. लीना सिटारिस्टि	–	50,000/-
3.	कमला कला पीठ	–	75,000/-
4.	राम चंद साहू	–	75,000/-
5.	इंदारा सामाजिक कल्याण संगठन	–	40,000/-
6.	संस्कार	–	30,000/-

उन गैर-सरकारी संगठन के नामों को दर्शाने वाला विवरण जिन्हें वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई (उड़ीसा)

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	प्रदान की गई धनराशि (रुपए में)
1.	सांस्कृतिक अकादमी, राउरकेला	37,500/-
2.	जनजागरण केंद्र, धेनकैनाल	37,500/-
3.	एस.ई.वी.ए., कटक	37,500/-
4.	वालंटरी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, अंगुल	22,500/-
5.	वीमेन ऐसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, धेनकैनाल	22,500/-
6.	ऐसोसिएशन फॉर सोशो-कल्चरल रिफार्म्स एंड एनवायर्नमेंट एथिक्स, धेनकैनाल	26,250/-
7.	लिंगराज कला निकेतन, पुरी	15,000/-
8.	दि कोड आदिवासी सेल्फ हेल्प सोसाइटी, केंद्रपाड़ा	22,500/-
9.	सोला पुआ-मा यूनाइटेड कल्चरल, कटक	45,000/-
10.	संस्कार, खुर्दा	18,750/-
11.	संकल्प, पुरी	56,250/-
12.	यंग मेंस क्रिश्चियन ऐसोसिएशन (उड़ीसा)	37,500/-
13.	संचार उड़ीसा	18,750/-

ओ.एन.जी.सी. द्वारा नेशनल पार्क में ड्रिलिंग

3001. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क में ओ.एन.जी.सी. द्वारा ड्रिल करने के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी;

(घ) ओ.एन.जी.सी. के अन्वेषण कार्य के कारण दुष्प्रभावित होने वाले जानवरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन जानवरों के लिए क्या वैकल्पिक आश्रय स्थल निर्धारित किया गया है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा सरकार को अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए नेशनल पार्क क्षेत्र के पथान्तरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। तथापि, ओ.एन.जी.सी. ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 1995 की सिविल रिट याचिका सं. 337 में एक संवादीय आवेदन संख्या 22 और 23 दायर की थी ताकि सरकार को डेजर्ट नेशनल पार्क में अन्वेषण सर्वेक्षण के लिए अनुमति मंजूर करने के लिए निर्देश जारी किए जा सके। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को इसके विचारार्थ भेजा गया था। स्थायी समिति ने मामले पर विचार किया और माननीय उच्चतम न्यायालय को सिफारिश की थी कि डेजर्ट नेशनल पार्क में अन्वेषण संबंधी सर्वेक्षण और सहायक निर्माण कार्यों के लिए 24.5 हैक्टेयर क्षेत्र के पथान्तरण के लिए अनुमति प्रदान की जाए। यह सिफारिश, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई जिसने निष्कर्ष में ओ.एन.जी.सी. से 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कहा।

(घ) और (ङ) ओ.एन.जी.सी. को अनुमति केवल नेशनल डेजर्ट पार्क के कुल 316200 हे. क्षेत्र में से 24.5 हैक्टेयर के लघु क्षेत्र में केवल अन्वेषण संबंधी निर्माण कार्यों के लिए है और इसका नेशनल पार्क वन्य जीवों पर किसी प्रकार का स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पर्यटक गाइड के लिए दिशा-निर्देश

3002. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकृत पर्यटक गाइडों को विदेशी पर्यटकों के समक्ष भारतीय संस्कृति और विरासत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें अनुमोदित पर्यटक गाइडों द्वारा पालन किए जाने वाली नीति संहिता निहित है।

(ख) अनुमोदित पर्यटक गाइडों के लिए नीति संहिता के अपेक्षित उद्धरण निम्नानुसार हैं:-

(1) पर्यटक गाइड "अतिथि देवो भव" की पुरानी भारतीय संकल्पना का अनुसरण करते हुए भारत की अच्छी और सकारात्मक छवि बनाने के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा।

(2) अत: पर्यटक गाइड ध्यान रखेगा कि "मुंह का शब्द" प्रचार और टिप्पणियों का देश की छवि के निर्माण में बहुत अधिक प्रभाव है। निकाले गए अत्यधिक खर्चीले विज्ञापन की तुलना में यह गई गुणा अधिक मूल्यवान है।

(3) पर्यटक गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि वह सही और देश में नवीनतम विकास की सभी सम्भाव्य सूचना देगा और स्वयं को अपटू डेट रखेगा। पर्यटक तथा स्थानीय लोग दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करें यह सुनिश्चित करने के लिए वह अपनी संस्कृति और परम्परा के सकारात्मक घटकों को समझेगा और संप्रेषित करेगा, स्थानीय रीति रिवाजों, आदतों और परम्पराओं से संबंधित मामलों के प्रति पूरी तरह से दक्ष होगा।

(4) पर्यटक गाइड हमारी धरोहर, स्मारकों और पारिस्थितिकी का सम्मान करेगा तथा उन्हें सुरक्षित रखेगा।

संरक्षित स्मारकों से अर्जन

3003. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत स्थलों के रखरखाव और संरक्षण पर कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ख) क्या सरकार ने प्रवेश शुल्क के एक खास प्रतिशत या निर्धारित राशि के भुगतान पर छोटे कार्यक्रम/त्यौहार आदि आयोजित करने के लिए स्मारक के आस-पास खाली भूमि को भाड़े पर लेने की संभावनाएं तलाशी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव एवं संरक्षण पर खर्च की गई राशियां निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	व्यय (रुपए लाखों में)
2000-01	2917.65
2001-02	4737.66
2002-03	6649.78

(ख) और (ग) वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा की जा रही है।

सूखा राहत दस्तावेज

3004. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में सूखा से निपटने हेतु पहला सूखा राहत दस्तावेज और रणनीतियां ला रही है जैसाकि 28 नवम्बर, 2003 के ''इकॉनामिक टाइम्स'' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) वर्ष 2002 के सूखा प्रबंधन दस्तावेज तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तिरूवनन्तपुरम विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं

3005. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिरूवनन्तपुरम घरेलू विमानपत्तन पर यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल में यात्री सुविधाओं के सुधार के लिए उठाए गए कदमों में, चैक-इन क्षेत्र में मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था की गई है, सीट प्रबंधों में विस्तार के लिए अतिरिक्त तीन सीटों वाले सोफे लगाए गए हैं, वातानुकूलन में सुधार किया गया है, अंतर्देशीय आगमन में शौचालयों में सुधार किया गया है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैम्प सुविधा प्रदान की गई है, संकेत प्रणाली प्रदान की गई है, सुरक्षा होल्ड क्षेत्र में नि:शुल्क स्थानीय टेलीफोन प्रदान किए गए हैं, पंजीकृत तथा हाथ के सामान की जांच के लिए नई एक्स-रे मशीनें, कार पार्क क्षेत्र में सुधार किया गया है, मार्च, 2004 तक नई उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली चालू हो जाने की आशा है, मार्च, 2004 तक 300 ट्रालियां प्रदान की जाएंगी, विटरिफाइड टाइलों से फर्श को बदलने, वर्तमान कनोपी को बदलने तथा शहरी और फाल्ज सीलिंग की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

ट्रांसजेनिक फसल नीति की समीक्षा

3006. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की ट्रांसजेनिक फसल नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को बी.टी. काटन के कार्यनिष्पादन पर कुछ प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार पराजीनी फसलों के अनुमोदन के लिए एक मामला-दर-मामला नीति का पालन करती है, क्योंकि कृषि जलवायवीय दशाओं, स्थानीय जैव-विविधता तथा प्रस्तावित आनुवंशिक संशोधन के तरीके पर जैव-सुरक्षा मूल्यांकन निर्भर करता है। तथापि, कृषि मंत्रालय ने पराजीनी फसलों की वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदन करते समय अपनाये जाने वाली क्रियाविधि और प्रोटोकालों की सिफारिश करने तथा उन्हें सरल एवं कारगर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो नोडल मंत्रालय है, के अनुसार खरीफ 2003 में बी.टी. कपास की उपज क्षमता पर सरकारी तौर पर कोई प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

ऑटो इंडिया लिमिटेड को बंद किया जाना

3007. श्री अनन्त नायक:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सहित देश में ऑटो इंडिया लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की इकाईवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ इकाइयों के श्रमिक इनके प्रबंधन द्वारा इन इकाइयों को बंद करने के प्रयास की वजह से भारी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऑटो इंडिया लिमिटेड द्वारा इन श्रमिकों हेतु कौन सा वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की योजना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात की पर्यटन परियोजनाएं

3008. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने मोधेर और टेरा-कच्छ सहित अन्य पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। वर्ष 2003-04 के दौरान, गुजरात राज्य सरकार से, केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए, निम्न परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

(1) सूर्य मंदिर, मोधेरा के आस-पास का विकास

(2) नाना लैजा (कच्छ) का विकास

(3) टेरा में हैरिटेज ग्राम का विकास

(4) सपूतारा का विकास

(ख) पर्यटन परियोजनाओं की पहचान एवं स्वीकृति हेतु पारस्परिक प्राथमिकता पर प्रक्रिया, क्षेत्र दौरों/राज्य सरकारों के साथ परामर्श के आधार पर की जाती है और धन की उपलब्धता की शर्त पर धनराशि रिलीज की जाती है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 में पर्यटन विभाग द्वारा गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

2002-03 (लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	उड़वाड़ा में अवसंरचना का विकास	97.27
2.	वाड़नगर का विकास	99.85
	जोड़	197.12

2003-04 (लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	नवरात्रि उत्सव	15.00
2.	महात्मा गांधी जयन्ती समारोह	4.00
3.	सोमनाथ मंदिर के चारों ओर क्षेत्र का विकास	500.00
	जोड़	519.00

इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2003-04 में गुजरात में विभिन्न स्थलों के कार्य भी लिए हैं, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य/स्मारक का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	जामी मस्जिद, पावागढ़, जिला गोधरा	4.00

1	2	3
2.	रानी की वाव, पाटन	10.00
3.	राव लखा छतरी, भुज जिला कच्छ	9.00
4.	तोराना, वाडनगर, मेहसाना	8.00
5.	गुजरात में स्मारकों की वार्षिक मरम्मत	45.00
6.	खुदाई किया गया स्थल, धौलावीरा, जिला कच्छ	4.50
7.	धौलावीरा, जिला कच्छ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिसर	123.00
	जोड़	203.50

बागान श्रम अधिनियम

3009. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में 60% से अधिक चाय बागानों ने बागान श्रम अधिनियम तथा इसके तहत बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण और उत्थान हेतु नियमों का भी कार्यान्वयन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन और उसे लागू किए जाने पर निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) असम सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार बागान कर्मकार अधिनियम, 1951 के कार्यान्वयन को प्रवर्तन की वार्षिक कार्रवाई योजना के अंतर्गत निरीक्षकों की प्रवर्तन कार्य-निष्पादन संबंधी मासिक रिपोर्ट के मूल्यांकन के द्वारा मानीटर किया जाता है।

पोत भंजक गतिविधियां

3010. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में कान्नुर समुद्र तट पर अझिक्काल में दूसरा पोत भंजन यार्ड तेजी से बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस यार्ड को पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) इस यार्ड के जहरीले पदार्थों की वजह से कितनी मात्रा में मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के मरने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस यार्ड पर पोत भंजक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आजीकल कन्नूर में स्थित स्टील इंडस्ट्रीज केरल लिमिटेड, जो केरल सरकार का एक पोत भंजन यूनिट है, 1984 से कार्य कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार को पोतभंजन यूनिट के कारण किसी प्रकार की पर्यावरणीय हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केरल सरकार को पोतभंजन यूनिट को चलाने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

औद्योगिक संबंध पर सेमिनार

3011. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा हाल ही में ''औद्योगिक संबंध'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में खराब कार्य-संस्कृति और अवकाश-दिवसों की बढ़ती संख्या पर चिन्ता व्यक्त की गई थी जिसकी वजह से कार्य घंटों की संख्या में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेमिनार में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने नौकरी सुरक्षा की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में कर्मचारियों की आशंकाओं को भी व्यक्त किया; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण का त्याग किए बगैर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु और अधिक उपयुक्त श्रम कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) सेमिनार में ठेकागत एवं निश्चित अवधि नियोजन से संबंधित सामाजिक सुरक्षा के विषय पर चर्चा की गई।

(ग) अर्थव्यवस्था की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और साथ ही कामगारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु श्रम कानूनों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

जैव-कृषि उत्पाद हेतु बाजार

3012. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव-कृषि उत्पाद बेहतर लाभ सहित निर्यात के सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बाजार पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा जैव उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* विभिन्न राज्यों में जहां जैव उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात की संभावना है वहां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
* व्यापारियों को प्रभावित जैव उत्पादों की उपलब्धता संबंधी सूचना का सरलीकरण करने के लिए अपेडा ने जैव फार्मों के उत्पादकों के संबंध में डाटा बैंक तैयार करने की शुरूआत की है।
* व्यापारियों और निर्यातकों के लिए प्रमाणित जैव उत्पादों की उपलब्धता के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए अपेडा द्वारा प्रति वर्ष क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं।
* निर्यात के लिए भारतीय जैव उत्पादों को बढ़ाने के लिए वाणिज्यक मंत्रालय ने उत्पादकों एवं क्रेताओं के बीच पारस्परिक बैठकों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
* भारत में उपलब्ध विभिन्न जैव उत्पादों की संभाव्यता की पूरी जानकारी तैयार करने के लिए वर्ष 2002 में एक वृत्त-चित्र तैयार किया गया।
* अपेडा ने प्रमाणन कार्यक्रमों के चलाने के लिए पात्र घरेलू अभिकरणों को प्रशिक्षण देने की शुरूआत की जो वैश्विक बाजार में मान्यता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
* वाणिज्य मंत्रालय की ओर से अपेडा ने राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समतुल्य करार करने के लिए यूरोपीय आयोग के साथ वार्तालाप शुरू करने का सूत्रपात किया है।

स्मारक का संरक्षण

3013. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महरौली स्थित उन विरासत स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) वहां स्थित उन स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या महरौली में संरक्षण हेतु एक नए विरासत स्थल की पहचान की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल में पहचान किए इस स्थल में कोई निजी भूमि अथवा मकान शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थल पर अवैध कब्जा और निर्माण को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) महरौली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित 24 स्मारकों की सूची विवरण I में है।

(ख) इनटैक द्वारा प्रकाशित सूची पर आधारित महरौली के 195 स्मारकों की सूची, जिन्हें अभी तक संरक्षित नहीं किया गया है, विवरण II में दी गई है।

(ग) जी, हां। लाल कोट, जहांपनाह दीवार, वलबन का मकबरा, किला राय पिथौरा के किले की दीवार के असंरक्षित भाग, कुली खान का मकबरा तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के दाय उद्यान में स्थित स्मारकों/क्षतिग्रस्त संरचनाओं को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने हेतु पहचान की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

महरौली, दिल्ली में केन्द्रीय संरक्षण में स्मारकों की सूची

1. बुर्ज जहां एक दीवार जहांपनाह रायपिथौरा किला की दीवार से मिलती है।
2. रायपिथौरा किला की रैम्प तथा दरवाजा।
3. जहाजमहल (महरौली में)
4. शमसीद तालाब तथा चबूतरा प्रवेश दरवाजे।
5. मोती मस्जिद।
6. महरौली में बहादुरशाह द्वितीय का पुराना महल अर्थात् लाल महल।
7. कुतुब पुरातात्विक क्षेत्र, अब चार दीवारी में, मस्जिद, लोह स्तंभ, कुतुब मीनार, अपूर्ण मीनार, स्तंभावलियां, स्क्रीन मेहराब, अल्तमस की कब्र, अलाउद्दीन का कालेज भवन, इमाम जामिन का मकबरा तथा उपर्युक्त क्षेत्र में सभी उत्कीर्ण पत्थर और उद्यान, रास्ते तथा जल चैनलें, और सभी दरवाजे, अलाई दरवाजा और उपर्युक्त क्षेत्र में सभी कब्रें सहित।
8. आदम खान की कब्र (रेस्ट हाउस)
9. मौलाना जमाली कमाली की कब्र तथा मस्जिद।
10. महरौली की बाल मस्जिद।
11. लालकोट और रायपिथौरा किला की दीवार सोहनगेट से आदमखान कब्र तक, खाई सहित जिसमें बाहरी दीवार है।
12. लालकोट और रायपिथौरा किला की दीवारों के वे स्थान जहां वे आपास में मिलती है।
13. रायपिथौरा किला की दीवार, दरवाजा तथा बुर्ज समेत।
14. मन्धी मस्जिद 11/160
15. राजों की बैन तथा मस्जिद व छतरी
16. बदायूं दरवाजा, खसरा नं. 412, खसरा नं. 22/27 तथा 23, हौज रानी
17. लाल कोट का दरवाजा 400 फुट से दिल्ली कुतुब रोड पश्चिम तक, खसरा नं. 143
18. रायपिथौरा किला का दरवाजा, खसरा नं. 481, 514
19. रायपिथौरा किला की दीवार तता जहांपनाह की दीवार जहां वे मिलती हैं।
20. बावली (स्थानीय नाम गंधक की बावली)
21. अहाता जहां आलम द्वितीय तथा अकबर सांह द्वितीय की कब्रें हैं।
22. हौज शम्सी तथा केन्द्रीय रेडस्टोन पैविलियन, महरौली फील्ड, फील्ड नं. 157-81, 1586-97, 1614 तथा 1624 में स्थित
23. लौह स्तंभ हिन्दू
24. आजिम खान का मकबरा

विवरण II

दाय भवनों/स्मारकों की सूची जिन्हें अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है
(इनटैक द्वारा प्रकाशित सूची पर आधारित)

1. कुतुब आराम-गृह
2. द फार्महाउस रेस्तरां
3. मैटकाफ फौली 1, 2
4. औपनिवेश भवन
5. मस्जिद
6. चौमुखा दरवाजा

7. लालकोट उत्खनन
8. अनंग ताल
9. लालकोट
10. आवास
11. वफ्ती शाह की मस्जिद
12. महरौली पब्लिक लाइब्रेरी
13. हवेली
14. आवास
15. जोग माया का मन्दिर
16. पादरी का आवास
17. आवास
18. जोग माया मंदिर में बारादरी
19. प्राथमिक स्कूल
20. आवास
21. आवास
22. प्राचीन सिद्ध श्री हनुमान मंदिर
23. सेंट जान का चर्च परिसर
24. अधम खान का मकबरा
25. कुएजियान की मस्जिद
26. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
27. एम.सी.डी. हाउस टैक्स कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
28. वाल मस्जिद
29. गेटवे
30. आवास
31. दरगाह शरीफ का वास्तविक दरवाजा
32. आवास
33. नूरी मस्जिद
34. दिलखुश मस्जिद
35. चौमची खान का मकबरा
36. आवास
37. आवास
38. आवास
39. आवास
40. कुआं
41. आवास
42. आवासीय स्ट्रीट
43. आवास
44. मोहल्ला का आवास दरवाजा
45. आवास
46. आवास
47. आवास
48. आवास
49. चौक
50. आवास
51. आवास
52. आवास
53. आवास
54. दुकान तथा आवास
55. चौपाल
56. सराय वली मस्जिद
57. दुकान तथा आवास
58. आवासीय समूह को जाने वाला दरवाजा
59. दरवाजा
60. आवास
61. आवास
62. व्यावसायिक तथा आवासीय स्ट्रीट
63. हाजी जमालऊद्दीन भवन
64. आवास

65. दरवाजा
66. हूरों का खानगाह
67. दुकान तथा आवास
68. पशुचिकित्सा औषधालय
69. काली चंद भवन
70. मस्जिद
71. मकबरा
72. हजरत शेख अब्दुल हक मुहाद्दिस दहलवी की दरगाह
73. शैय्यद नियाज मुहम्मद की कब्र से सटा दलान
74. नालबंदों की मस्जिद
75. गोदाम
76. शेख इनायतुल्ला की सराय
77. मकबरा
78. हौज-ए-शम्सी
79. दो मस्जिदें
80. मकबरा
81. औलिया मस्जिद
82. झरना
83. पंखे वाली मस्जिद
84. भवन (अनाम)
85. मौलाना जमाली की मस्जिद
86. मस्जिद तथा मकबरा
87. मस्जिद
88. मस्जिद
89. मखदूम समाऊद्दीन का मकबरा तथा मस्जिद
90. गेटवे/मकबरा
91. कुतुब साहिब की दरगाह का उत्तरी दरवाजा
92. सैका बाबा की दरगाह तथा मजार
93. मौलाना फखरूद्दीन का दरवाजा
94. आवास
95. मस्जिद
96. मोतामद खान की कब्र तथा मस्जिद
97. मौलाना फखरूद्दीन का मकबरा
98. फारूखसियार का प्रथम दरवाजा
99. फारूखसियार का आन्तरिक दरवाजा
100. ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह
101. ख्वाजा अब्दुल अजीज वस्तामी का मकबरा
102. हजरत काजी हमीदुदीन नगौरी की मजार
103. जबिता खान की मस्जिद तथा कब्र
104. कुतुब साहिब की मस्जिद
105. कुतुब साहिब की बावली
106. मजलिस खाना
107. कब्रिस्तान
108. दरवाजा
109. मुराद बख्त की कब्र
110. मकबरा
111. प्रवेश दरवाजा
112. गुल्तशी वाली मस्जिद
113. दरवाजा
114. मिर्जा बाबर का घर
115. दीवार से घिरा बगीचा
116. मकबरे का अहाता
117. मकबरा
118. शेख सुलेमान का मकबरा
119. मकबरा
120. दरवाजा
121. दरवाजा
122. कुली खान का मकबरा

123. मेटकाफ का बोटहाउस
124. गेटपोस्ट
125. कुआं
126. कुआं
127. अज्ञात संरचना
128. मकबरा
129. मकबरा
130. मस्जिद
131. मस्जिद
132. दीवार से घिरा अहाता
133. दो मेहराबदार दलान
134. स्तम्भावली
135. मस्जिद
136. मस्जिद तथा मकबरा
137. मस्जिद
138. मस्जिद
139. मस्जिद
140. अहाता
141. मेहराबदार दलान
142. दीवार मस्जिद
143. छतरी
144. दीवार मस्जिद
145. अवशेष
146. मकबरा
147. दलान
148. मकबरा
149. दीवार
150. मकबरा अहाता
151. खान शाहिद का मकबरा
152. घुड़साल
153. मस्जिद
154. भवन (अज्ञात)
155. मेहराबदार दलान
156. मकबरा
157. मकबरा
158. मौलाना मजदुद्दीन की मस्जिद
159. गार्ड गृह
160. गुम्बदी भवन
161. अशोका मिशन
162. बगीची की मस्जिद
163. मस्जिद
164. दीवार मस्जिद की कुर्सी
165. कमली शाह का तकिया
166. दरवाजा
167. मस्जिद तथा गुम्बदी भवन
168. मस्जिद
169. मस्जिद
170. चिहल्तन चिहल्मन
171. मकबरा
172. अहाता
173. सोहन बुर्ज
174. मस्जिद तथा गुम्बदी दरवाजा
175. मस्जिद की कुर्सी
176. मस्जिद
177. ईदगाह
178. मकबरा
179. शेख शिहाबुद्दीन का मकबरा
180. प्लेटफार्म

181. चिल्लागाह

182. मस्जिद

183. मेटकाफ की फौली-3

184. बावली

185. दादावाड़ी जैन मंदिर

186. मेहराब के अवशेष

187. सोबते मकबरा

188. अहाता दीवार

189. मस्जिद

190. दरवाजा

191. अहाता

192. दीवार मस्जिद

193. अवशेष

194. तटबंध

195. बावली

इंडियन एयरलाईंस में यात्रियों की संख्या

3014. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-मुंबई-दिल्ली वायुमार्ग पर इंडियन एयरलाइन्स में यात्रियों की संख्या का प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स का किराया काफी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स के किराये को प्रतिस्पर्धी बनाने/इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इंडियन एयरलाइन्स के पास यात्रियों की संख्या के क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारण की कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी का कार्यकरण

3015. श्री अधीर चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने दिल्ली में दूध की कमी को पूरा करने हेतु 10,000 मिट्रिक टन दुग्ध-पाउडर का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि मंत्रालय ने इस बात को सत्यापित किया था कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी ने पिछले कुछ महीनों से दूध की कमी को पूरा करने हेतु दुग्ध-पाउडर का पर्याप्त भण्डार नहीं रखा था तथा उक्त अवधि के दौरान गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ से दुग्ध-पाउडर खरीदने से जानबूझकर मना करते रहे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी के कार्यकरण की कोई जांच करने का है जैसा कि 10 अक्तूबर, 2003 के 'दी हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कुछ राज्य डेयरी परिसंघों, मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना से अनुरोध मिलने के बाद घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए टैरिफि रेट कोटा के अंतर्गत लगभग 9460 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण के आयात का आर्डर दिया है।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा मदर डेयरी दोनों से प्राप्त सूचना के आधार पर अगस्त, 2003 के दूसरे पखवाड़े में कुछ दिनों को छोड़कर विगत एक वर्ष के दौरान मदर डेयरी द्वारा तरल दूध की आपूर्ति मांग के अनुसार रही थी। मदर डेयरी तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सितम्बर, 2003 के दौरान क्रमश: 2000 मीट्रिक टन तथा 3000 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति के लिए गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ को अगस्त, 2003 में आर्डर दिए थे। इन आर्डरों में से जी सी एम एम एफ ने नवम्बर, 2003 तक मदर डेयरी को 1850 मीट्रिक टन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को लगभग 1825 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई में नया हेलीपैड

3016. श्री किरीट सोमैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन हंस तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) दक्षिण मुंबई में एक नया हेलीपैड विकसित करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ स्थलों पर विचार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौसेना द्वारा सुझाए गए स्थल को वरीयता दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(च) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं। तथापि पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, जो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, की छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा और मुंबई में नरीमन प्वाइंट के निकट सिटी सेंटर के बीच हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) आई एन एस विक्रांत, जो एक डीकमीशन्ड जहाज है, के ऊपर एक हेलीपैड बनाने के भारतीय नौसेना के प्रस्ताव पर किसी निर्णय के बारे में इस समय कुछ भी बताना संभव नहीं है।

(च) इस समय कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3017. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के तहत कार्यरत प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अनुसंधान संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है तथा जिन्हें यह दर्जा देने हेतु अब विचारार्थ लिया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थानों हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों द्वारा कौन-सी बड़ी परियोजनाएं और कार्य पूरे किए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों में अ.पि.व. को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत ग्रुप 'क', 'ख' और 'ग' के कर्मचारियों में अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्टें हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) निम्नलिखित प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है:-

* भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.), नई दिल्ली
* भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.), इज्जतनगर
* राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.), करनाल
* केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सी.आई.एफ.ई.), मुम्बई।

किसी भी संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए अब विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) विवरण I के रूप में ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) परिषद अपने अनुसंधान संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत सरकार की हिदायतों का पालन करती है।

(च) जी, हां।

(छ) विवरण II के रूप में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण I

मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त भा.कृ.अ.प. के संस्थानों को आबंटित योजना निधियां

(रुपये लाख में)

संस्थान	2000-01	2001-02	2002-03
आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली	700.0	1236.6	600.0
आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर	392.8	432.7	443.0
एन.डी.आर.आई., करनाल	600.8	650.0	700.0
सी.आई.एफ.ई., मुम्बई	488.3	805.4	1277.9

मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त भा.कृ.अ.प. के संस्थानों में पूर्ण किए गए प्रमुख निर्माण कार्य:

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.), नई दिल्ली

* अस्सी वैज्ञानिक कमरे, नई दिल्ली
* जल प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रयोगशाला, नई दिल्ली
* टाइप-I से टाइप-III क्वार्टर्स, नई दिल्ली
* कवक विज्ञान और पादप रोगविज्ञान प्रभाग का तीसरा स्कंध, नई दिल्ली
* फाइटोट्रान भवन, नई दिल्ली
* करनाल और कटराईन में अतिथि गृह
* करनाल और कटराईन में कर्मचारी आवास

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.), इज्जतनगर

* अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षु छात्रावास, इज्जतनगर
* महिला वैज्ञानिक छात्रावास, इज्जतनगर
* शैक्षिक एवं प्रशासनिक खण्ड, इज्जतनगर
* आई.वी.आर.आई. के पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता में टाइप-I से टाइप-V के क्वार्टर्स
* आई.वी.आर.आई. के पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता में प्रयोगशाला भवन

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.), करनाल

* निदेशक का निवास, करनाल
* अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल, करनाल
* फार्म सैक्शन की चारदीवारी, करनाल
* टाइप-क क्वार्टर्स में 24 प्रसाधन (टायलेट)
* छात्रों के लिए स्टेडियम, करनाल

केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सी.आई.एफ.ई.), मुम्बई

* मुख्य शैक्षिक भवन

विवरण II

मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त भा.कृ.अ.प. के संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति

संस्थान	अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी		
	वर्ग-क वेतनमान (रु. 8000/- एवं उससे ऊपर)	वर्ग-ख वेतनमान (रु. 5500-9000 से रु. 7500-12000 तक)	वर्ग-ग वेतनमान (रु. 2750-4400 से रु. 5000-8000 तक)
आई.ए.आई.आई.	–	–	36
आई.वी.आर.आई.	20	02	32
एन.डी.आई.आई.	02	01	18
सी.आई.एफ.ई.	01	–	03

उड़ीसा में मत्स्य-ग्रहन पोताश्रयों का निर्माण और उन्नयन

3018. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा में मत्स्य-ग्रहण पोताश्रयों के निर्माण और उन्नयन हेतु निधियां प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार से गोपालपुर, धामरा चरण-1, नौगढ़ (अस्ट्रांग), धामरा चरण-2, चांदीपुर, बहावलपुर स्थित छह मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के प्रस्ताव तथा धामरा चरण-1 स्थित मत्स्यन बंदरगाह के उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इनमें से धामरा चरण-2, चांदीपुर तथा बहावलपुर को छोड़कर सभी मत्स्यन बंदरगाह पूरे हो चुके हैं तथा उनका उपयोग किया जा रहा है। जहां तक धामरा चरण-2 का संबंध है, 86% परियोजना कार्य पूरा हो चुका है। चांदीपुर तथा बहावलपुर के मामले में राज्य सरकार द्वारा भूमि की उपलब्धता की पुष्टि, पर्यावरणीय मंजूरी तथा पर्याप्त बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के साथ अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं। राज्य से धामरा चरण-1 के उन्नयन के लिए भी विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा, राज्य में 100% केन्द्रीय सहायता से पारादीप में एक बड़े मत्स्यन बंदरगाह का निर्माण किया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स का मार्केट शेयर

3019. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सितंबर, 2003 में अपना मार्केट शेयर 41.9% तक बढ़ाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर अपनी प्रस्थान कार्यविधियों में सुधार करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यात्री सामान हेतु चेक-इन काउंटरों पर सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इंडियन एयरलाइंस का मार्केट शेयर अप्रैल, 2003 के 39.8 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर, 2003 में 41.9 प्रतिशत तक पहुंच गया।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने 22 घरेलू स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत चैक-इन सुविधा उपलब्ध करायी है। वर्ष 2004 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने धीरे-धीरे 33 और घरेलू स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत चैक-इन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है।

उपर्युक्त स्टेशनों पर प्रस्थान नियंत्रण व्यवस्था शुरू करके, इंडियन एयरलाइंस ने यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं देने की योजना बनाई है:-

(1) स्वचालित बोर्डिंग कार्ड

(2) अग्रिम सीट आरक्षण

(3) रिटर्न चैक-इन

(4) टैली चैक-इन

(5) थ्रू चैक-इन

उड़ानें रद्द करना

3020. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेदुम्बसरी विमानपत्तन से एयरइंडिया द्वारा कितनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को एयर इंडिया की रद्द की गई उड़ानों को पुन: चालू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) एअर इंडिया ने जून, 1999 में, 9 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कोचि में नेदुम्बसेरी हवाईअड्डे से प्रचालन सेवाएं शुरू की थी। इस समय, एअर इंडिया नेदुम्बसेरी हवाईअड्डे से 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रही है। इसके अलावा, एअर इंडिया हब व स्पाक/कोड शेयर उड़ानें भी प्रचालित कर रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान त्रिवेन्द्रम से कुल 15 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तथापि, जून, 1999 में कोचि में नेदुम्बसेरी हवाईअड्डा

से प्रचालन सेवाएं शुरू होने से, त्रिवेन्द्रम से कुछ उड़ानें कोचि के लिए शिफ्ट कर दी गई, लेकिन केरल से होने वाली कुल उड़ानों की संख्या उतनी ही रही। इसके बाद, त्रिवेन्द्रम से उड़ानों में वृद्धि कर दी गई। इस समय, एअर इंडिया त्रिवेन्द्रम से दुबई, दमाम, रियाद, बहरीन/दोहा और आबुधाबी/मस्कट के लिए 15 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया कुवैत एयरवेज के साथ कोडशेयर में कुवैत के लिए चार सीधी उड़ानें भी प्रचालित करती है।

''सेल'' के इस्पात संयंत्र के बड़े हिस्से का विनिवेश

3021. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कुछ संयंत्रों में बड़े हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2005 तक कर्मचारियों की संख्या घटाकर 1 लाख करने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें से कम किए जाने वाले कर्मचारियों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के लिए फरवरी, 2000 में सरकार द्वारा मंजूर वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गैर-महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों के स्वत्वहरण की परिकल्पना की गई है:-

* बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) और भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी) के निजी विद्युत संयंत्र।
* भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र-II
* सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी), सेलम
* मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी), दुर्गापुर
* विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील (वी आई एस पी), भद्रावती
* राउरकेला का उर्वरक संयंत्र
* सेल द्वारा कम शेयर धारिता रखते हुए सेल के साथ इस्को का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन।

कार्बन इस्पात के अपने प्रमुख कारोबार में दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकता उपलब्ध कराने और उन कार्यकलापों को पृथक करने जो उनके प्रमुख कारोबार के अनुषंगी है, को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सेल ने सम्पूर्ण कंपनी, न कि इकाई-वार, की जनशक्ति के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

31.10.2003 की स्थिति के अनुसार सेल के इस्पात संयंत्रों/ इकाइयों के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:-

इस्पात संयंत्र	कर्मचारियों की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र	37907
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	17301
राउरकेला इस्पात संयंत्र	24227
बोकारो इस्पात संयंत्र	36738
मिश्र इस्पात संयंत्र	2813
सेलम इस्पात संयंत्र	1350
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती	2932
कच्चा माल प्रभाग	5527
केन्द्रीय विपणन संगठन	2860
अन्य इकाइयां	2318
कुल	133973

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नियुक्ति में अनियमितताएं

3022. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों में अनियमितताओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खराब गोपनीय रिपोर्ट टिप्पणियों वाले व्यक्तियों को पदों के लिए उपयुक्त दावेदारों के स्थान पर प्राथमिकता दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने उदाहरणों की रिपोर्ट मिली है;

(ङ) क्या इस स्थिति की कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(छ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) सरकार को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई जी एन सी ए) में नियुक्तियों में विशिष्ट अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर के लिए विमान संपर्क

3023. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विमान संपर्क बढ़ाने के लिए एलाइंस एयर के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाई गई अतिरिक्त क्षेत्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा करने के लिए कुछ नए विमान खरीदे अथवा सम्मिलित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) एलाइंस एयर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए/वहां से तथा उसके भीतर अनन्य रूप से प्रचालन सेवाएं प्रचालित करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ड्राई लीज पर चार एटीआर विमान अपने बेड़े में शामिल किए हैं। इंडियन एयरलाइन्स के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी, एलाइंस एयर द्वारा टर्बो-प्राप विमानों को बेड़े में शामिल करने के मामले को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। पूर्वोत्तर विकास विभाग के परामर्श से एटीआर-42 विमानों की मौजूदा प्रचालन संबंधी अनुसूची संलग्न विवरण I में है। एटीआर विभागों को बेड़े में शामिल करने से पहले और बाद में एलाइंस एयर द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए/वहां से और उसके भीतर प्रचालित उड़ानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड
(इंडियन एयरलाइन्स लि. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)
शीतकालीन कार्यक्रम 2003-04

एटीआर समयावली

19 नवम्बर, 2003 से प्रभावी

1	2	3	4	5	6
	सी.डी.-7701		सी.डी.-7702		
	13567		13567		
	0740	प्र. कोलकाता आ.	1705		
	0945	आ. दीमापुर प्र.	1805		
	सी.डी.-7703		सी.डी.-7704	सी.डी.-7704	
	2487		246	7	

1	2	3	4	5	6
	0800	प्र. कोलकाता आ.	1605	1105	
	0915	आ. एजवाल प्र.	1440	0940	
	सी.डी.-7705		सी.डी.-7706		
	दैनिक		दैनिक		
	0800	प्र. कोलकाता आ.	1850		
	0730	आ. सिल्चर प्रा.	1510		
सी.डी.-7707	सी.डी.-7707		सी.डी.-7708	सी.डी.-7708	
1467	2		2	1467	
1230	1155	प्र. सिल्चर आ.	1325	1400	
1305	1230	आ. इम्फाल प्र.	1250	1325	
	सी.डी.-7709		सी.डी.-7710		
	2		2		
	1000	प्र. कोलकाता आ.	1620		
	1135	आ. सिल्चर प्र.	1345		
	सी.डी.-7711		सी.डी.-7712		
	135		136		
	1000	प्र. कोलकाता आ.	1350		
	1145	आ. शिलोंग प्र.	1205		
	सी.डी.-7713		सी.डी.-7714	सी.डी.-7714	
	135		1	35	
	0750	प्र. सिल्चर आ.	1210	1450	
	0840	आ. अगरतला प्र.	1120	1400	
सी.डी.-7727	सी.डी.-7717		सी.डी.-7718	सी.डी.-7728	
2345	12467		12487	2345	
1830	1730	प्र. कोलकाता आ.	2000	2100	
1935	1835	आ. अगरतला प्र.	1855	1955	
	सी.डी.-7729		सी.डी.-7730		
	दैनिक		दैनिक		
	1830	प्र. कोलकाता आ.	2000		
	1800	आ. गुवाहाटी प्र.	1820		

1	2	3	4	5	6
सी.डी.-7752	सी.डी.-7752		सी.डी.-7751	सी.डी.-7751	
24	13567		13567	24	
0855	1005	प्र. दीमापुर आ.	1446	1056	
0945	1055	आ. गुवाहाटी प्र.	1356	1006	
	सी.डी.-7783		सी.डी.-7784		
	357		357		
	1115	प्र. गुवाहाटी आ.	1335		
	1215	आ. लीलाबाड़ी प्र.	1235		
	सी.डी.-7758		सी.डी.-7758		सी.डी.-7758
	135		1		36
	0900	प्र. अगरतला आ.	1100		1340
	0950	आ. गुवाहाटी प्र.	1010		1250
	सी.डी.-7765		सी.डी.-7766		
	246		248		
	1100	प्र. गुवाहाटी आ.	1300		
	1150	आ. अगरतला प्र.	1210		
	सी.डी.-7767		सी.डी.-7768		
	1		1		
	1115	प्र. गुवाहाटी आ.	1335		
	1215	आ. एजवाल प्र.	1235		
सी.डी.-7757	सी.डी.-7757		सी.डी.-7758	सी.डी.-7758	
35	246		246	35	
1010	1320	प्र. गुवाहाटी आ.	1040	1230	
1110	1420	आ. ऐजवाल प्र.	0940	1130	
	सी.डी.-7790		सी.डी.-7789	सी.डी.-7789	सी.डी.-7789
	2467		2	4	67

1	2	3	4	5	6
	0750	प्र. सिलचर आ.	1440	1200	1045
	0835	आ. गुवाहाटी प्र.	1355	1115	1000
	सी.डी.-7781		सी.डी.-7782		
	28		28		
	1115	प्र. गुवाहाटी आ.	1335		
	1215	आ. इम्फाल प्र.	1235		

विवरण II

पूर्वोत्तर में क्षमता की तैनाती
(प्रति सप्ताह)

सेक्टर	एटीआर के लगाए जाने के पहले			आज की तारीख		
	बी-737	एटीआर	योग	बी-737	एटीआर	योग
1	2	3	4	5	6	7
गुवाहाटी/अगरतला	3	–	3	1	6	7
गुवाहाटी/लीलाबाड़ी	2	–	2	–	3	3
गुवाहाटी/सिल्चर	2	–	2	–	4	4
गुवाहाटी/इम्फाल	–	–	–	–	2	2
गुवाहाटी/कोलकाता	–	–	–	–	7	7
गुवाहाटी/एजवाल	–	–	–	–	6	6
गुवाहाटी/दीमापुर	–	–	–	–	7	7
कोलकाता/एजवाल	3	–	3	3	4	7
कोलकाता/इम्फाल	5	–	5	6	–	6
कोलकाता/शिलांग	–	–	–	–	3	3
कोलकाता/अगरतला	9	–	9	8	9	17
कोलकाता/दीमापुर	4	–	4	2	5	7
कोलकाता/जोरहाट	2	–	2	2	–	2
कोलकाता/सिल्चर	6	–	6	2	8	10
कोलकाता/तेजपुर	2	–	2	2	–	2
कोलकाता/डिब्रूगढ़	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
तेजपुर/दीमापुर	2	–	2	1	–	1
तेजपुर/जोरहाट	–	–	–	1	–	1
सिल्चर/इम्फाल	2	–	2	–	5	5
सिल्चर/अगरतला	–	–	–	–	3	3
एजवाल/इम्फाल	3	–	3	3	–	3
दीमापुर/जोरहाट	2	–	2	1	–	1
दिल्ली/गुवाहाटी	3	–	3	3	–	3
दिल्ली/इम्फाल	–	–	–	–	–	–
योग	50	–	50	35	72	107

गुजरात में नष्ट किए गए स्मारक

3024. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 में गुजरात दंगे के दौरान कुछ संरक्षित स्मारकों को नष्ट अथवा तोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उन स्मारकों की मरम्मत/क्षतिपूर्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) जी, हां। गुजरात राज्य में तीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, जैसे गुमटे, मस्जिद, ईसानपुर, मुहाफिज खान की मस्जिद, घीकांटा तथा शैय्यद मुबारक का मकबरा, सोजली, वर्ष 2002 में क्षतिग्रस्त हुए थे।

1. *गुम्टे मस्जिद:* गुमटे मस्जिद की दीवारों के हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 20 लाख रुपए की अनुमानित लागत से जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया जाएगा।

2. *मुहाफिज खान की मस्जिद:* अहाता दीवार का एक भाग तथा खिड़की क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 1.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत से मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।

3. *सैय्यद मुबारक का मकबरा:* 1.92 लाख रुपए की लागत से क्षतिग्रस्त पत्थर की जालियों का पहले ही जीर्णोद्धार कर दिया गया है।

आरक्षण प्रबंधक का पद

3025. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विमान यात्रा के कंप्यूटरीकरण के दृष्टिगत इंडियन एयरलाइंस में आरक्षण प्रबंधक के पद को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षण प्रबंधक के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को कोई वैकल्पिक रोजगार देने पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अंतर्गत अनुषंगी कंपनियां

3026. श्री अधीर चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा संवर्धित सभी अनुषंगी कंपनियों के नाम और उनको सम्मिलित करने की तारीख क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कंपनी में कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों को सहकारिताओं के साथ संयुक्त उद्यम करने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) एन डी डी बी द्वारा समर्थित सहायक कम्पनियों के नाम तथा निगमीकरण की तारीख इस प्रकार है:

क्र.सं.	सहायक कम्पनी का नाम	निगमीकरण की तारीख
1.	इंडियन डेयरी मशीनरी कम्पनी (आई डी एम सी) लिमिटेड	सितम्बर, 1992
2.	इंडियन इम्यूलोनोजिकल्स लिमिटेड (आई आई एल)	अक्तूबर, 1999
3.	मदर डेयरी फल एवं सब्जी लिमिटेड (एम डी एफ वी एल)	मार्च, 2000
4.	धारा वेजिटेबल आयल एंड फूड्स कम्पनी लिमिटेड (डी ओ एफ सी ओ)	दिसम्बर, 2000

(ख) इन कम्पनियों को जारी धनराशि का ब्यौरा:-

(1) निगमीकरण से पूर्व एन डी डी बी की इकाई के रूप में

(करोड़ रुपए में)

सहायक कम्पनी	एन.डी.डी.बी. की इकाई के रूप में			
	निश्चित परिसम्पत्तियां	ऋण	अनुदान	कुल
आई डी एम सी	3.96	2.69	0.00	6.65
आई आई एल	9.74	11.44	0.00	21.18
एम डी एफ वी एल	55.92	273.02	0.00	328.94
डी ओ एफ सी ओ	25.87	98.88	30.00	154.75
कुल	95.49	386.03	30.00	511.52

(2) निगमीकरण की तारीख को एन.डी.डी.बी. की कम्पनी के रूप में:

सहायक कम्पनी	निगमीकरण की तारीख को एन.डी.डी.बी. की कम्पनी के रूप में			
	इक्विटी	ऋण	अनुदान	कुल
आई डी एम सी	1.50	5.15	0.00	6.65
आई आई एल	9.00	12.18	0.00	21.18
एम डी एफ वी एल	75.00	253.94	0.00	328.94
डी ओ एफ सी ओ	50.00	94.75	30.00	174.75
कुल	135.50	366.02	30.00	531.52

(ग) और (घ) एन डी डी बी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक या अधिक कम्पनियां बनाने के लिए यदि एन डी डी बी आवश्यक समझती है तो केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(1) स्वयं द्वारा

(2) इसकी किसी सहायक कम्पनी के सहयोग से

चूंकि सहकारिताओं के साथ संयुक्त उद्यम एन डी डी बी द्वारा नहीं लगाया जा रहा है बल्कि मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है जो कि मदर डेयरी फल एवं सब्जी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है। सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

एन डी डी बी द्वारा बनाई गई चार कम्पनियों के लिए सरकार की अनुमति ली गई है।

[हिन्दी]

बिहार में दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना

3027. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरहुत दुग्ध सहकारी समिति डेयरी में दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना हेतु सहायता के लिए बिहार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 460.00 लाख रुपए की कुल लागत से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले दुग्ध चूर्ण संयंत्र लगाने के लिए ''स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' के तहत एक विशेष परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह परियोजना स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं पाई गई क्योंकि लाभार्थियों को सीधा लाभ नहीं पहुंच रहा था। तदनुसार, उन्होंने राज्य सरकार से प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3028. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहले से मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जा चुके अनुसंधान संस्थानों और अब विचारार्थ चुने गए संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों केदौरान अनुसंधान संस्थानों को आबंटित धनराशियों और उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों द्वारा पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं या कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास श्रेणी ''क'', ''ख'' और ''ग'' में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति से संबंधित विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की विस्तृत रिपोर्ट है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसी भी संगठन को मानद-विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। वर्ष 1991 में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं को मानद-विश्वविद्यालय का दर्जा देने के कोई अन्य प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थाओं को आवंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये)

संगठन	2000-2001	2001-2002	2002-2003
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून	5983.00	5770.19	4781.45
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	725.32	672.14	881.69
गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, पंतनगर	595.00	544.00	600.00
भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	248.00	189.90	303.70

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून

(1) फारेस्ट कम्यूनिटी इन्टरफेस-उत्तरांचल के जिला देहरादून के ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास और वनों की स्थिति पर भागीदारी वन प्रबंधन के प्रभाव से संबंधित एक अध्ययन।

(2) उपचारित बांस और बागान में उगाई गई काष्ठ प्रजातियों में परिरक्षक के प्राकृतिक स्थायित्व और प्रभावोत्पादकता से संबंधित अध्ययन।

(3) उत्तर प्रदेश के वनों में साल (शोरिया रोबस्टा) में पुनरुद्भव मर्त्यता और प्रजाति विविधता।

(4) चुनिन्दा वृक्ष प्रजातियों पर माइक्रोप्रोपेगेशन और टिशु कल्चर जिसमें हार्डनिंग, वीनिंग और आऊट-प्लांटिंग हेतु प्रक्रिया भी शामिल है।

(5) हस्तशिल्प के लिए उपयुक्त बेंत और बांस का प्रसंस्करण और संसाधन वृद्धि।

गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान

(1) ग्रामीण पर्यावरण कार्य योजना (बी ई ए पी) मेनुअल (हिन्दी में) विकसित करना और ग्रामीण पर्यावरण कार्य योजना की निष्पत्ति के लिए फील्ड स्टाफ और समर्थक संगठनों को प्रशिक्षित करना।

(2) आर एस और जी आई एस का उपयोग कर के मन्दाकिनी सब-वाटरशैड के लिए चारा और ईंधन की लकड़ी के संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

(3) प्रति एकड़ उत्पादन और पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों के खतों पर अति मूल्यवान औषधीय पादपों की उन्नत वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तकनीकों का मानकीकरण।

(4) उपचारी उपाय सुझाने के लिए आर एस/जी आई एस प्लेटफार्म पर सिक्किम, हिमालय में सड़कों के नेटवर्क के साथ-साथ पहाड़ी ढलानों की अस्थिरताओं का मूल्यांकन।

(5) चुनिंदा पादप प्रजातियों के लिए माइक्रोवायल इनाकुलेंट्स का विकास।

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर

(1) प्लांटेशन टिम्बर-सिल्वर ओक से उच्च कोटि के प्लाईवुड का निर्माण।

(2) चीड़ देवदान से विभिन्न उत्पाद तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास।

(3) प्लांटेशन टिम्बर से लेमिनेटेड वेनीर टिम्बर का निर्माण करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास।

(4) प्लांटेशन टिम्बर का उपयोग करके उत्पाद विकास पर फिंगर जायटिंग तकनीक का अनुप्रयोग।

(5) बांस की लकड़ी (लेमिनेट्स) के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी का विकास।

भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून

(1) जैव विविधता और वन उत्पादकता के लिए भारत में वन प्रबंधन-एक नया परिदृश्य।

(2) ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र में जैव विविधता और जीवभार संरक्षण के लिए पारिस्थितिकीय अध्ययन-एक पारि-विकास दृष्टिकोण।

(3) कालाकाड़-मुंडनथुरई बाघ रिजर्व के बारे में पारिस्थितिकीय अध्ययन-एक पारि-विकास दृष्टिकोण।

(4) भारत-गंगा बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में सारस क्रेनों के आवास और पारिस्थितिकी पर भूमि उपयोग पैटर्न के और परिवर्तनों का प्रभाव।

(5) राजाजी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यानों में विशाल शाकाहारी जानवरों, आवासों और मानवों के बीच संबंध।

(ङ) संस्थानों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें।

(च) जी, हां।

(छ) समूह ''क'', ''ख'' और ''ग'' में अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

संगठन	समूह ''क''	समूह ''ख''	समूह ''ग''
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून	16	–	56
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	01	–	02
गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, पंतनगर	01	01	01
भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	01	–	02

स्टार टारटायज की तस्करी

3029. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को स्टार टारटायज की तस्करी में अचानक आई तेजी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान स्टार टारटायज की कितनी खेपें जब्त की गई; और

(ग) देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व भारत में स्टार टारटायज के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान चैन्नई, सिंगापुर और कुआलालम्पुर हवाई अड्डों से 10 खेपें जब्त की गई है जिसमें 6708 स्टार टारटायज थे।

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे फील्ड स्तर पर अपने-अपने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाएं। देश के बाहर स्टार टारटायज की तस्करी को रोकने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी और वन्यजीव अधिकारी चैन्नई और मुम्बई में मिलकर काम कर रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान सहायता की स्वीकृति

3030. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान-सहायता की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने प्रस्ताव प्राप्त और स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 15.02.2002 को 200 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया है जो उड़ीसा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन, खुर्दा, उड़ीसा द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक खाद्य पार्क के संबंध में प्रथम किस्त है।

(घ) उड़ीसा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर स्वागत कार्यालयों और केन्द्रों की स्थापना

3031. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विमानपत्तनों पर पर्यटकों के लिए स्वागत कार्यालय और स्वागत केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कार्यालयों पर धन निवेश करने की अपेक्षा लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने को वरीयता प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू हवाईअड्डों पर पर्यटन विभाग के पहले से ही पर्यटक सूचना केन्द्र मौजूद हैं।

(ग) और (घ) कुशल एवं बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन व्यवसाय में जन शक्ति को प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। पर्यटकों के लिए प्रशिक्षित गाईड मुहैया कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग, क्षेत्रीय स्तर पर गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग ने असंगठित क्षेत्रों में छोटे होटलों, ढाबा, रेस्टोरेंटों आदि को सम्मिलित करते हुए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु एक व्यापक योजना "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" शुरू की है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2003-04 में 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा कोयले और लौह अयस्क का आयात

3032. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को अपने इस्तेमाल के लिए भारी मात्रा में कोयले और लौह अयस्क का आयात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों की कोयला और लौह अयस्क की अपनी खान भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) को अपनी आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक अंतर को पूरा करने के लिए कोककर कोयले का आयात करना पड़ता है। ये कंपनियां लौह अयस्क का आयात नहीं करती।

(ख) 2002-03 के दौरान सेल और आर आई एन एल द्वारा क्रमश: 75.4 लाख टन और 30.00 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया गया था।

(ग) और (घ) आर आई एन एल की कोई निजी कोककर कोयला/लौह अयस्क खान नहीं है। सेल की निजी लौह अयस्क खानें हैं परन्तु कोककर कोयला खानें नहीं हैं। सेल की एक सहायक कंपनी इस्को की कोककर कोयले और लौह अयस्क की खानें है। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

I. निजी लौह अयस्क खान

क्र.सं.	खान का नाम	स्थान
क. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल)		
1.	कीरीबुरू	झारखण्ड
2.	मेघाहतुबुरू	झारखण्ड
3.	बोलानी	उड़ीसा
4.	बरसुआ	उड़ीसा
5.	काल्टा	उड़ीसा
6.	राजहरा यंत्रीकृत खान	छत्तीसगढ़
7.	डल्ली यंत्रीकृत खान	छत्तीसगढ़
8.	झारान्डली यंत्रीकृत खान	छत्तीसगढ़
9.	डल्ली हस्तगत खान	छत्तीसगढ़
10.	महामाया हस्तगत खान	छत्तीसगढ़
11.	केमानगुंडी	कर्नाटक
ख. इस्को		
1.	गुआ	झारखण्ड
2.	चिरिया	झारखण्ड

II. इस्को की निजी कुकिंग कोयला खान

1.	चासनाला	झारखण्ड
2.	जितपुर	झारखण्ड
3.	रामनागौर	पश्चिम बंगाल

बिहार में गंडक नदी की गाद निकालना

3033. श्री रघुनाथ झा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में गंडक नदी में काफी गाद जमा है जिसके परिणामस्वरूप उक्त नदी पर डुमरिया घाट पुल के 14 स्पैनों की बजाय 3 स्पैन से ही जल का बहाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर गंडक नदी की गाद निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, डुमरिया घाट पुल में कुल 15 स्पैन हैं, जिनमें से चार स्पैनों से ही जल की कमी वाले मौसम में जल का बहाव हो रहा है, क्योंकि अन्य स्पैनों में कुछ गाद जमा है। हालांकि उच्च बहिस्राव के समय, गंडक का जल डुमरिया घाट पुल के सभी निकासों से होकर बहता है।

(ख) और (ग) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गंडक नदी की गाद निकालने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं है। तथापि, इस समस्या की जांच करने के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सी डब्ल्यू पी आर एस), पुणे के अधिकारियों द्वारा डुमरिया घाट पुल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था तथा इस दौरान सी डब्ल्यू पी आर एस ने वर्ष 2003 के मानसून से पूर्व परखे जाने के लिए अल्प कालिक उपायों का सुझाव दिया था। उक्त संयुक्त निरीक्षण के पश्चात बिहार सरकार की एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने भी इस स्थल का निरीक्षण किया। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इन विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वर्ष 2003 के मानसून से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कटाव रोधी उपाय किए गए। सी डब्ल्यू पी आर एस ने दीर्घ कालीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से बिहार सरकार को गणितीय माडल अध्ययन कराने का सुझाव दिया है।

विदेश में भारतीय मजदूर

3034. श्री सुरेश कुरूप: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में कार्य कर रहे भारतीय मजदूरों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़े देशों में प्रवास का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या इन देशों में भारतीय मिशनों में खासकर इन मजदूरों की समस्याओं से निपटने तथा जब आवश्यक हो तब उनके नियोक्ताओं तथा प्राधिकारियों के साथ मध्यस्थता करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारीगण और कर्मचारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी, मिशन की पदवार संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

	भारतीय कामगारों की संख्या भाग (क)	देश के विभिन्न राज्यों से होने वाले उत्प्रवास का प्रतिशत भाग (ख)		मिशन/पदवार स्टाफ की संख्या भाग (घ)
	1	2		3
1. बहरीन	70,000	65%	केरल	1-प्रथम सचिव/द्वितीय सचिव
		35%	तमिलनाडु	1-अताशे
			आंध्र प्रदेश	1-स्थानीय स्टाफ
			पंजाब (अनु.)	

	1	2		3
2.	कुवैत	3,50,463	सूचना उपलब्ध नहीं	1-प्रथम सचिव 1-अताशे 1-गैर-राजपत्रित कर्मचारी
3.	ओमान	2,78,630	60% केरल 20% अन्य दक्षिणी राज्य 20% देश के अन्य भागों से (सभी अनुमान)	1-प्रथम सचिव 1-अताशे 1-सहायक 1-अरबी दुभाषिया 4-स्थानीय स्टाफ
4.	कतर	1,40,000 (अनुमान)	उपलब्ध नहीं	1-परामर्शी 1-अताशे 1-सहायक 1-लिपिक/दुभाषिया
5.	सऊदी अरब	11,50,000	40-50% केरल 20% आंध्र प्रदेश 20% तमिलनाडु 15-20% अन्य राज्य (सभी अनुमान)	*भारतीय दूतावास* *रियाद* 1-प्रथम सचिव 1-अताशे 2-सहायक 16-स्थानीय स्टाफ *भारत का महाकाउंसुलावास* *जियाद* 1-परामर्शी 2-उप-परामर्शी 3-सहायक 4-स्थानीय स्टाफ
6.	संयुक्त अरब अमीरात	उपलब्ध नहीं (1982 से अब तक संख्या) अरब अमीरात ने जनगणना नहीं कराई है) तथापि, भारतीयों की संख्यों 1 मिलियन है।	उपलब्ध नहीं (1982 से अब तक सं.) अरब अमीरात ने जनगणना नहीं कराई है)	*भारतीय दूतावास,* *अबू धाबी* 1-द्वितीय सचिव 2-स्थानीय स्टाफ *भारत का महाकाउंसलावास* 1-द्वितीय सचिव 2-सहायक 3-स्थानीय स्टाफ

शराब उद्योग

3035. श्री सईदुज्जमा: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी शराब कंपनियां विशाल भारतीय बाजार की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं जबकि देश में देशी शराब उद्योग अब भी प्रारंभिक अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय उद्योग की रक्षा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) विदेशी वाइन कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार पर पड़ रहे किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में सरकार को अब तक कोई जानकारी नहीं है। भारतीय वाइन उद्योग के संवर्धन/संरक्षण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) आयातित वाइन पर उपयुक्त आयात टैरिफ की उगाही की जाती है;

(2) योजना स्कीमों के अंतर्गत वाइन यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी की व्यवस्था है।

(3) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय वाइन के गुणवत्ता विकास, अनुसंधान तथा विकास एवं बाजार विकास हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

ठेका श्रम अधिनियम

3036. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ठेका श्रम उत्सादन अधिनियम की सीमा से कुछ सेवाओं को अलग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त अधिनियम से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को भी अलग करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन संबंधी प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक मंत्रीदल का गठन किया गया है। एक प्रस्ताव ठेका श्रमिकों के नियोजन के निषेध के उपबंध में संशोधन से संबंधित है ताकि प्रतिष्ठानों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कार्य और विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित कार्यों सहित कुछ सहायक या बाह्य क्रियाकलापों में ठेका श्रमिकों को लगाने की अनुमति प्रदान की जा सके।

पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

3037. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन के विकास हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कितनी सहायता जारी की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास और उत्पाद, अवसंरचना तथा गंतव्य विकास हेतु अपनी योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन का विकास हाथ में लिया है। इनके अलावा, पर्यटन विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु पर्यटन संवर्धन गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

राज्य	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
असम	923.59	773.91
अरुणाचल प्रदेश	198.84	154.40
मणिपुर	87.68	27.35
मेघालय	71.85	22.40
मिजोरम	347.01	115.21
नागालैंड	816.50	460.23
त्रिपुरा	258.34	82.94
सिक्किम	896.74	449.01

स्मारकों को संरक्षित करके पुन: उपयोगी बनाना

3038. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर गुजरात और केरल राज्यों में संरक्षित करके पुन: उपयोगी बनाये गये स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था और वास्तव में इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर केरल और गुजरात राज्यों में संरक्षित करके पुन: उपयोगी बनाने हेतु पता लगाए गए स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ग) केरल और गुजरात में स्मारकों सहित स्मारकों की राज्य-वार संख्या एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा विकास कार्यों पर किया गया व्यय क्रमश: विवरण I तथा II में दिया गया है।

(ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	संरक्षित स्मारकों की संख्या		
		2000-2001 के दौरान	2001-2002 के दौरान	2002-2003 के दौरान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29	42	54
2.	असम	20	27	27
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
4.	बिहार	9	12	11
5.	दिल्ली	35	35	79
6.	दमन एवं दीव	6	6	3
7.	गोवा	8	10	10
8.	गुजरात	60	55	36
9.	हरियाणा	12	11	9
10.	हिमाचल प्रदेश	16	19	5
11.	जम्मू-कश्मीर	15	25	17
12.	झारखंड	–	–	1
13.	कर्नाटक	82	96	72
14.	केरल	10	7	2
15.	मध्य प्रदेश	42	48	25
16.	महाराष्ट्र	23	42	29
17.	मणिपुर	1	1	1
18.	मेघालय	2	2	2

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	1	1	1
20.	उड़ीसा	24	25	24
21.	पांडिचेरी	–	3	1
22.	पंजाब	9	9	5
23.	राजस्थान	40	52	31
24.	सिक्किम	–	5	4
25.	तमिलनाडु	25	35	12
26.	त्रिपुरा	5	5	5
27.	उत्तर प्रदेश	78	85	93
28.	पश्चिम बंगाल	20	41	12
29.	उत्तरांचल	5	10	9
	योग	578	710	582

विवरण II

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	136.29	114.39	417.16
2.	असम	120.18	99.58	89.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	1.80	0.39
4.	बिहार	134.00	86.48	112.21
5.	छत्तीसगढ़	–	16.70	5.75
6.	दिल्ली	219.96	277.14	996.75
7.	दमन एवं दीव	15.00	23.61	15.69
8.	गोवा	39.77	50.61	82.57
9.	गुजरात	100.67	99.59	35.36
10.	हरियाणा	60.00	91.85	141.00

1	2	3	4	5
11.	हिमाचल प्रदेश	80.00	91.11	44.45
12.	जम्मू-कश्मीर	112.60	145.03	121.23
13.	झारखण्ड	–	4.33	8.07
14.	कर्नाटक	248.13	476.19	1143.68
15.	केरल	79.50	75.12	18.26
16.	मध्य प्रदेश	1.64	250.51	317.31
17.	महाराष्ट्र	153.00	828.49	308.05
18.	मणिपुर	0.50	1.42	0.27
19.	मेघालय	2.00	4.94	4.44
20.	नागालैण्ड	3.00	5.67	12.92
21.	उड़ीसा	56.03	114.73	1021.69
22.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00	3.30	1.63
23.	पंजाब	23.00	57.92	40.14
24.	राजस्थान	174.69	235.00	240.22
25.	सिक्किम	20.00	27.60	32.99
26.	तमिलनाडु	110.80	187.79	233.20
27.	त्रिपुरा	5.00	17.05	20.05
28.	उत्तर प्रदेश	297.11	385.13	710.64
29.	उत्तरांचल	–	36.52	64.13
30.	पश्चिम बंगाल	80.70	146.13	260.18
	कुल	2388.61	3955.73	6499.92

नागर विमानन क्षेत्र में उदारीकरण

3039. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री भास्करराव पाटील:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नागर विमानन क्षेत्र में उदारीकरण की मंद गति के कारण पर्यटन क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जूट उद्योग संबंधी उप-समिति

3040. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. चरण दास महंत:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जूट उद्योग संबंधी एक उप-समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) जी हां, जूट उद्योग पर एक उपसमिति का दिनांक 13.11.2003 को गठन किया गया था। श्रम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार का एक-एक प्रतिनिधि तथा नियोक्ता व कर्मकार संगठनों के दो-दो प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

(ग) से (ङ) उप-समिति की अभी तक दिनांक 27.11.2003 को एक बैठक हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। मद सं. 2 ।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): डीएमके के मंत्री श्री बालू कहां हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी ने कुमारी ममता बनर्जी को आथराइज किया है।

[अनुवाद]

मद सं. 2, कुमारी ममता बनर्जी को अधिकृत किया गया है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी एम के से संबंधित दो मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्हें इस सभा के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया है। यह औचित्य का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वे मुझसे इजाजत मांगेंगे तो मैं इजाजत दे दूंगा।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

निर्विभाग मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8648/2003]

(2) (एक) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8649/2003]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नर्मदा कंट्रोल अथारिटी, इंदौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8650/2003]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8651/2003]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2003 जो 23 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8652/2003]

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2003 जो 23 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8653/2003]

(4) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2492 जो 30 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्नातक एवं तकनीकी शिक्षुओं के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में सब्जेक्ट फील्ड के रूप में निर्धारित मेटेरियल मैनेजमेंट को एक अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8654/2003]

(5) लेबर इंस्पेक्शन कंवेंशन 1947 के वर्ष 1995 के आई एल ओ इंस्ट्रूमेंट्स-प्रोटोकाल जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 82वें सत्र में स्वीकृत किया गया था तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 का वर्ष 2002 का प्रोटोकाल, सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में संस्तुति संख्या 193; तथा उपजीविकाजन्य रोगों की सूची के संबंध में संस्तुति संख्या 194 एवं जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 90वें सत्र द्वारा स्वीकृत उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं और रोगों के अभिलेखन एवं अधिसूचना के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8655/2003]

(6) (एक) सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8656/2003]

(7) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8657/2003]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8658/2003]

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8659/2003]

(ग) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8660/2003]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8661/2003]

(ङ) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8662/2003]

(च) (एक) मेकान लिमिटेड के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकान लिमिटेड का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8663/2003]

(छ) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8664/2003]

(ज) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8665/2003]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता) विनियम, 2003 जो 7 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/आरईजी/2002 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 2003 जो 14 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/आरईजी/2002 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (गृह निर्माण अग्रिम) विनियम, 2003 जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/आरईजी/2002 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (उपदान) विनियम, 2003 जो 5 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/आरईजी/2002 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8666/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8667/2003]

(4) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8668/2003]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं, श्री सीएच. विद्यासागर राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8669/2003]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) वेस्ट बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8670/2003]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8671/2003]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8672/2003]

(4) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8673/2003]

(5) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8674/2003]

(6) (एक) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8675/2003]

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8676/2003]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8677/2003]

(ख) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8678/2003]

(9) (एक) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकानामिक्स, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकानामिक्स, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8679/2003]

(10) (एक) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8680/2003]

(11) पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 जो 12 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8681/2003]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8682/2003]

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8683/2003]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8684/2003]

(ख) (एक) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8685/2003]

(3) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8686/2003]

(4) (एक) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8687/2003]

(6) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8688/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिवः महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना सभा को देनी है:

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार 15 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

'कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए श्री सी.पी. तिरूनावुकरसर के स्थान पर समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करे और उस विधि से सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे जैसा कि सभापति निदेश दे।

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री एस. विडुतलै विरूम्भी, सदस्य, राज्य सभा का उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है'।"

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

अठावनवां से साठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालोर): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2003-2004) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) ''स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2001-2002) से अधिक व्यय'' के संबंध में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 58वां प्रतिवेदन।

(2) ''एसयू-30 विमान की खरीद'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 59वां प्रतिवेदन।

(3) ''भारतीय वायु सेना में विमान दुर्घटनाएं'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 60वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मैं ''बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की समाप्ति के पश्चात् विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की नीति के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही'' के संबंध में वित्त मंत्रालय और कम्पनी कार्य (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग) से संबंधित समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, मैं ''दंगों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा'' के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

(की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण)

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखती हूं:

(1) ''राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों का कार्यकरण'' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) ''कुटुम्ब न्यायालयों का कार्यकरण'' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) ''महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम'' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.06 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति

चौवनवां से चौंसठवां प्रतिवेदन तथा पहला अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) दूरसंचार विभाग से संबंधित डीओटी/बीएसएनएल/एमटीएनएल में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित क्षेत्र प्रचार निदेशालय के कार्यकरण के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के कार्यकरण के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यकरण के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(5) दूरसंचार विभाग से संबंधित डब्ल्यूएलएल उपकरण की खरीद के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

(7) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में 60वां प्रतिवेदन।

(8) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रिंट मीडिया के प्रवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(9) डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(10) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(11) दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

*(12) समिति के 18 से 24 जून, 2003 तक श्रीनगर, जम्मू, चण्डीगढ़ और शिमला के अध्ययन दौरे के संबंध में पहला अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पचपनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट तथा फसल बीमा योजना के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी. एटकिंसन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं ''कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2003'' के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन की एक प्रति

*समिति के सभापति श्री सोमनाथ चटर्जी ने अध्ययन दौरा प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया तथा लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष से प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन के आदेश भी प्राप्त किए।

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अभी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी मद चल रही है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

130वां से 137वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं-

(1) हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह संबंधी 130वां प्रतिवेदन (लघु उद्योग मंत्रालय);

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास में बाधाएं संबंधी 131वां प्रतिवेदन (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय);

(3) विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के बारे में समझौता ज्ञापन कार्य निष्पादन के बारे में 132वां प्रतिवेदन (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय);

(4) अनुदानों की मांगों (2003-2004) (लघु उद्योग मंत्रालय) के बारे में समिति के 117वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 133वां प्रतिवेदन;

(5) अनुदानों की मांगों (2003-2004) (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 134वां प्रतिवेदन;

(6) अनुदानों की मांगों (2003-2004) (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 135वां प्रतिवेदन;

(7) पोत परिवहन उद्योग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में समझौता ज्ञापन कार्य निष्पादन के संबंध में समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 136वां प्रतिवेदन (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय); और

(8) अनुदानों की मांगों (2003-2004) (इस्पात मंत्रालय) के बारे में समिति के 122वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी का मामला इतना महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, सभा का सत्र कल समाप्त होगा। यह गम्भीर मामला है। क्या हम जान सकते हैं कि क्या मंत्री जी इस मामले पर निश्चित रूप से वक्तव्य देंगे? *...(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयश्री बैनर्जी ने सभा के सामने पत्र रखे हैं। कृपया बैठ जाइये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह ठीक है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उस तरफ नहीं देख सकते? कृपया आप बैठिए, अभी बनर्जी जी बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अभी कालिंग अटेंशन शुरू हो रहा है, उसके बाद आपको जो प्रश्न उठाना है, आप उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, उसके बाद टाइम कहां बचेगा? *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे हज यात्रा पर बयान दिला दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, कल आपने सभा में एक वक्तव्य दिया था। मैं माननीय मंत्री से हज यात्रा के बारे में पूछ रहा हूं।

आपको केबिनेट से निर्णय लेने के लिए यथाशीघ्र केबिनेट के सामने जाना था। माननीय सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि केबिनेट में क्या हुआ था। क्या आप उन्हें बता सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: केबिनेट ने कुछ नहीं किया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बतायें कि उन्हें क्या कहना है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, मंत्री जी का हाउस में कमिटमेंट था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, मंत्री महोदय।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, यदि आप ठीक से स्मरण करें, जब माननीय सदस्यों द्वारा इस वर्ष हज पर लगायी गयी शर्तों को स्थगित करने के संबंध में विषय उठाया गया था, तब मैंने कहा था:

> ''हमने मामले को फिर से उठाया है। हम इसे कैबिनेट में विचार के लिए ले जाएंगे।''

मैंने कभी नहीं कहा था कि यह एक निर्णय था। यदि आप ठीक से स्मरण करें मैंने यह कहा था कि यह एक प्रस्ताव था जिसे कैबिनेट के पास ले जाना था। हज यात्रा के लिए इस वर्ष हाजियों पर तीन शर्तें लगायी गयी थीं। तीन शर्तें थीं। पहली शर्त थी कि राजसहायता पर हज की अनुमति जीवन काल में सिर्फ एक बार ही होगी। दूसरी शर्त यह थी कि उन्हें हज समिति द्वारा व्यवस्था की गयी जगह पर ठहरना चाहिए। तीसरी शर्त यह थी कि वे कर-दाता नहीं होने चाहिएं। सितम्बर में कैबिनेट द्वारा यह तय किया गया था कि सभी हाजियों को जो हज यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें इन शर्तों को पूरा करने की घोषणा वाले शपथ-पत्र दाखिल करने होंगे।

अब तक हज यात्रा पर जाने वाले 72,000 हाजियों में से हमें लगभग 55,000 शपथ-पत्र प्राप्त हो गए हैं। किन्तु यह मामला माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया और आपने हमसे पूछा, हमने यह मामला कैबिनेट के समक्ष उठाया। कैबिनेट ने महसूस किया और अपने निर्णय को दोहराया कि शपथ-पत्र दाखिल करने की शर्त को जारी रखा जाना चाहिए। अन्यथा जिन 55,000 लोगों ने पहले ही शपथपत्र दाखिल कर दिया है, उन लोगों के साथ यह भेदभावपूर्ण होगा। उस प्रक्रिया में, हमने अब यह भी निर्णय किया है कि उस निर्णय को जारी रखें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी कीमत पर उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न उपस्थित किया, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आपको वह सुनना तो चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने नहीं सुना है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंत्री जी का उत्तर तो आने दीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, यह भी कहा गया था कि एफीडेविट फाइल करने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण हो सकता है कि संभावित रूप से इतने लोग एफीडेविट जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हज कमेटी ने यह निर्णय लिया है जो कि इस प्रकार के आवेदनकर्त्ता उस समय तक एफीडेविट जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें जहां वे आकर चैक इन करेंगे, वहां भी एफीडेविट के लिए नोटरीज को बुलाया जा रहा है, वहां पर एफीडेविट जमा करके वे अपनी यात्रा कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्नकाल नहीं है, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार ने पहली बार हज पिलग्रिम्स के ऊपर ऐसा बताया,

[अनुवाद]

...(व्यवधान) महोदय ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने इस प्रकार हज यात्रियों के साथ कठोरता बरती है। हम अपनी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

तरफ से इस मामले में सरकार के आचरण की घोर निन्दा करते हैं। महोदय, तीर्थ यात्रा के मामले में उनकी नियत या निष्ठा पर कभी सवालिया निशान नहीं लगाया गया था। पहली बार वे ऐसा कर रहे हैं। हज यात्रा पर वे जितनी बार जाना चाहें यह उनका अधिकार है, वह एक बार या दो बार या निर्णय कैसे कर सकते हैं। हमारे जैसे देश में यह सरासर अनुचित है। ...*(व्यवधान)* इसकी निन्दा की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): यदि वह दूसरी या तीसरा बार जाना चाहते हैं, उन्हें सरकार से राजसहायता नहीं लेनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने अल्वी जी को इजाजत दी है, आप जरा बैठिये।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सरकार के इस कदम को हम पूरी तरीके से कण्डेम करते हैं। खुद मंत्री जी ने कहा है कि 55 हजार एफीडेविट आये हैं, 72 हजार लोगों ने एप्लाई किया है तो 17 हजार लोगों ने अभी एफीडेविट नहीं दिये हैं। आप सोचिये कि 72 हजार लोगों में से 17 हजार लोगों का क्या होगा?

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह अत्यन्त निन्दनीय निर्णय है। यह मजहबी काम करने के हक पर गैर जरूरी, अनपेक्षित और असंतोषजनक दखल है ...*(व्यवधान)* हम सरकार के इस फैसले की निन्दा करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार ने एक निर्णय लिया है और उन्होंने पिछली बैठक में किए गए वायदे के अनुसार सदन को निर्णय से अवगत करा दिया है। यह मामला अब खत्म है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपके सरकार से मतभेद हो सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल ने सितम्बर के महीने में जो फैसला किया, वह अत्यधिक अव्यावहारिक है। इस हाउस में मंत्री जी ने कमिटमेंट किया था, हज यात्रियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है।

अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री रमेश चेन्नितला को पहले बोलना है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): यह तो अन्याय है, यह घोर अन्याय है, यह जो सरकार ने पक्षपातपूर्ण फैसला लिया है, इसका घोर विरोध किया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): इसलिए, इस मसले को लेकर पहले व्यावहारिक उत्तर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कालिंग अटेंशन नोटिस पर अपना निवेदन कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये। आपने नोटिस दिया, मैंने मंत्री जी को उत्तर देने को कहा, उसका मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। उस समय जीरो आवर नहीं था तब भी मैंने आपको बोलने की परमीशन दी। इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

(तत्पश्चात् श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने अटैंशन ड्रा किया। मंत्री जी अभी स्टेटमैंट देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, 17 हजार हज यात्री ऐसे रह गये हैं जो हज में नहीं जा सकेंगे। इसलिए हम भी वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

(तत्पश्चात् श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार): क्या मेरा ध्यानाकर्षण करने वाले मा. सदस्य भी सभा भवन से बाहर जा रहे हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप अपना उत्तर पढ़िये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका इतना सौभाग्य नहीं है कि वे आपकी बात पर बाहर जायें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: कृपया हमारा सभा भवन से बाहर जाना रिकार्ड कीजिए। हम इस निर्णय के विरुद्ध मुस्लिम लीग की ओर से सभा भवन से बाहर जा रहे हैं। कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करिए।

अध्यक्ष महोदय: सदन में सब कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाता है।

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय श्री जी.एम. बनातवाला और एक अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): क्या यह दूसरे किसी धर्म को सबसिडी देते हैं? क्या बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को सबसिडी देते हैं, अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को सबसिडी देते हैं? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.17 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केरल में विभिन्न चालू रेल परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

''केरल राज्य में विभिन्न चालू रेल परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन की आवश्यकता।''

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): रेलवे ने पूरे देश में रेल अवसंरचना के विकास के लिए बहुत सी परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं को न केवल परिचालनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए बल्कि जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित पिछड़े, पहाड़ी तथा देश के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में भी रेल अवसंरचना मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। रेल मंत्रालय का प्रयास देश के विभिन्न भागों में तेजी से बेहतर रेल संपर्क स्थापित करना है, किन्तु इसके साथ-ही संसाधनों की तंगी भी है।

पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर बल दिया गया है और केरल में भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर तेजी लाई गई है। शोरूवण्णूर-मंगलोर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए केरल के सभी संसद सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से मांग की जाती रही है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि 307 कि.मी. लंबी इस लाइन के दोहरीकरण में से, 211 कि.मी. पर कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है और अन्य 30 कि.मी. को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य लखा गया है। आशा की जाती है कि इस पूरी लाइन का दोहरीकरण 2004-05 तक पूरा हो जाएगा।

एक दूसरी लोकप्रिय मांग एलेप्पी और कोट्टायम दोनों के रास्ते एर्णाकुलम-कायमकुलम लाइनों के दोहरीकरण करने के बारे में है। इन लाइनों पर दोहरीकरण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और चरणों में स्वीकृत किया जा रहा है। अभी तक इन दो मार्गों पर कुल 215 कि.मी. में से 50 कि.मी. लंबाई पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। अंगामाली से सबरीमाला, कोट्टायम से इरूमेलि तक नई लाइनों पर और तनूर से गुरूवयूर तक तटवर्ती लाइन पर भी कार्य शुरू किया गया है। क्विलोन-तेनकसी-तिरूनेलवेलि का आमान परिवर्तन कार्य भी प्रगति पर है। अंगामाली-सबरीमाला और कोट्टायम-इरूमेली नई लाइनों के संरेखण को अंतिम रूप देने में कठिनाइयां आ रही हैं, इस क्षेत्र के लोगों ने अदालत में मुकदमे दायर किए हैं और कड़ा विरोध किया है क्योंकि इससे कुछ आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, हाल ही में, राज्य सरकार ने बताया है कि केरल विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2001-2004) ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित नई सबरी रेलवे लाइन को वन क्षेत्र से पहले ही रोक देना चाहिए क्योंकि रेल लाइन वन क्षेत्र के वन्य-प्राणियों के लिए खतरा साबित होगी। इसे ध्यान में रखते हुए लाइन को वन क्षेत्र से पहले ही खत्म करना पड़ेगा।

इस समय, इरोड-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम मार्ग विद्युतीकृत है। विद्युतीकरण कार्य और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, एर्णाकुलम से आगे तिरूवनंतपुरम तक (320 मार्ग कि.मी.) विद्युतीकरण कार्य पहले से ही प्रगति पर है और आशा की जाती है कि यह कार्य 2004-2005 तक पूरा हो जाएगा।

तिरूवनंतपुरम से/तक नई गाड़ियों को चलाने की अनेकों बार मांगें की जाती रही हैं। इसमें मौजूदा कोचिंग टर्मिनल की तंगी आड़े आ रही है। टर्मिनल संबंधी इस बाधा को दूर करने के लिए कोचुवेलि पर अतिरिक्त टर्मिनल कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

चालू रेल परियोजनाओं के पूरा हो जाने से बड़ी लाइनों में 488 कि.मी. और विद्युतीकृत लाइनों में 285 कि.मी. की बढ़ोत्तरी होगी।

जहां तक परियोजनाओं के वित्तपोषण का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि 2002-03 से निधियों का आबंटन राज्यवार किया जा रहा है जो कि बनाए गए एक तर्कसंगत फार्मूले पर आधारित है, इस फार्मूला के अनुसार, 15% महत्व किसी राज्य के

क्षेत्र और जनसंख्या प्रत्येक के लिए और 70% महत्व राज्य में रेल परियोजनाओं के थ्रो फारवर्ड के लिए दिया गया है। तदनुसार, 2002-2003 के दौरान राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 93.82 करोड़ रुपए आबंटित किये गये थे अर्थात् 10.02 करोड़ रुपए नई लाइनों के अंतर्गत, 68.79 करोड़ रुपए दोहरीकरण के अंतर्गत और 15.01 करोड़ रुपए रेल विद्युतीकरण के अंतर्गत आबंटित किये गये थे। इस संबंध में लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

वर्ष 2003-04 के दौरान, राज्य में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 100.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है अर्थात् 15 करोड़ नई लाइनों के लिए, 63.51 करोड़ दोहरीकरण के लिए और 21.97 रेलवे विद्युतीकरण के लिए।

1.4.2003 तक की स्थिति के अनुसार देश के सभी राज्यों में फैली हुई 44000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का भारी ''थ्रो फारवर्ड'' है। चालू परियोजनाओं की कार्य प्रगति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है और गत दो वर्षों में विभिन्न पहलों के द्वारा सामान्य बजटीय समर्थन के अलावा अतिरिक्त संसाधन जुटाने का ठोस प्रयास किया जाता रहा है। इनमें सरकारी/निजी क्षेत्र की भागीदारी, राज्य सरकारों और रक्षा मंत्रालय की भागीदारी और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त परियोजना विशिष्ट कोष और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के माध्यम से धनराशि शामिल है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, पूरे औपोजीशन ने वाक आउट किया है। ...*(व्यवधान)* सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विषय पूरा हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रेल मंत्री के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार: इन सभी पहलों से परियोजनाओं के वित्त पोषण में काफी वृद्धि हुई और आशा की जाती है कि चालू परियोजनाएं लगभग 10 वर्षों के समय के अन्दर ही पूरी करवा ली जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रमेश चेन्नितला, मंत्री जी से आप केवल स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, रेलवे ने केरल राज्य में बेहतर संपर्क हेतु कई परियोजनाएं शुरू की हैं, महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय मंत्री महोदय से एकमात्र अपील है कि परियोजनाओं के समयबद्ध और त्वरित कार्यान्वयन से ही लोगों को परिणाम प्राप्त होंगे।

महोदय, दसवीं लोक सभा में केरल के सभी संसद सदस्यों ने बंगलौर-शोरानूर रेल लाइन को दोहरेकरण की परियोजना के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया था और मैं भी दसवीं लोक सभा का सदस्य था। हमने सर्वसम्मति से संकल्प किया था और रेल मंत्री को मंगलौर-शोरानूर रेल लाइन के दोहरीकरण हेतु प्रस्ताव दिया था। महोदय, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि 2004-05 तक इस दोहरीकरण की परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। महोदय, मैं सोचता हूं यह लम्बा समय है और इस परियोजना के कार्यान्वयन में यह अनावश्यक विलम्ब है। जब किसी परियोजना में विलम्ब होता है तो लागत बढ़ जाती है और भारी धनराशि अनावश्यक रूप से व्यय होती है। इसलिए प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। महोदय, इस परियोजना के संबंध में 14 वर्ष बीत गए हैं। अभी भी यह परियोजना पूरी नहीं हुई है। शोरानूर-मंगलौर लाइन का दोहरीकरण बहुत महत्व रखता है।

महोदय, कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और कोंकण रेलवे का लाभ केरल के लोगों को केवल तभी प्राप्त हो सकता है, जब इस दोहरीकरण की परियोजना को पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में असाधारण विलम्ब से बचा जाना चाहिए। सरकार द्वारा ठोस उपाय किए जाने होंगे। यह मेरी पहली बात है।

दूसरा यह कि केरल के 20 संसद सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संकल्प लिया था और कोट्टायम और एलेप्पी के बरास्ते काममकुलम से एर्णाकुलम रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए रेल मंत्री को प्रस्ताव दिया था। रेलवे मंत्री जी ने इस परियोजना के लिए कुछ धनराशि आवंटित की। यह पूरी परियोजना तीन या चार वर्षों में पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महोदय, शोरानूर-मंगलौर लाइन के दोहरीकरण के साथ ही साथ इसके विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, दक्षिण के लोगों की त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की मांग बहुत पुरानी है। इसे भी नई परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, कोलम-पुनालूर आमान परिवर्तन हेतु भी और धनराशि दी जानी चाहिए। इसके लिए बहुत कम राशि आवंटित की गई है। वे शुरूआत से ही इसका अनुरोध करते रहे है और इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।

रेलगाड़ियों की भीड़-भाड़ के कारण त्रिवेन्द्रम में कोचूवेली में दूसरा कोचिंग टर्मिनल की बहुत आवश्यकता है। यदि किसी रेलगाड़ी को त्रिवेन्द्रम आना होता है तो यह कोचवेली से आती है। इसलिए, कोचूवेली में दूसरा टर्मिनल बनाया जाना चाहिए। इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है। इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए।

महोदय, अंगमाली से सबरीमाला और कोट्टायम से इरूमेली लाइन हेतु और धनराशि का आवंटन जरूरी है। भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कुछ बाधाएं अवश्य हो सकती हैं लेकिन राज्य सरकार इस मामले में तेजी से कार्य कर रही है। इसलिए इन परियोजनाओं हेतु और धन प्रदान किया जाना चाहिए। नई तटीय इदापल्ली-तिरूर रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी जाए और यह केरल के लोगों की लम्बे से चली आ रही मांग है।

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण और जीवंत उस मुद्दे को कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जो कि हर एक के मनोमस्तिष्क को आन्दोलित कर रहा है और वह इसका संबंध आवंटन से संबंधित है। श्री नीतीश कुमार के रेल मंत्री बनने के बाद, उन्होंने हर राज्य के लिए धनराशि निर्धारित की है और 2002-03 के बाद धनराशि राज्य सरकारों को एक सूत्र के आधार पर आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या हेतु 15 प्रतिशत का वैटेज दिया गया है। महोदय, केरल एक ऐसा राज्य है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाता है और वहां जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है। महोदय, हम इन कार्यक्रमों का अनुपालन शानदार ढंग से कर रहे हैं और हमें इसके लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, रेल मंत्री जनसंख्या के आधार पर धनराशि निर्धारित कर रहे हैं। हम परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अनुकरण धार्मिक रूप से कर रहे हैं। इसलिए, हमें इसके लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। परिवार नियोजन का मुद्दा राष्ट्र के सामने एक प्रमुख मुद्दा है। हम इसका अनुकरण धार्मिक रूप से कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश रेलवे भी इसी मानदंड को अपना रही है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री रमेश चेन्नितला, मैं कुछ समय 'शून्य काल' के लिए भी देना चाहता हूं। इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त करें। इस वाद-विवाद में एक स्पष्टीकरण के संबंध में ही प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी भाषण की अनुमति नहीं है। कृपया, सहयोग करें।

श्री रमेश चेन्नितलाः अब, मैं अन्तिम बात पर आता हूं। इसके लिए, केरल को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या के लिए 15 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है।

वर्ष 2002-2003 में 93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2003-04 में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। मैं माननीय रेल मंत्री से केरल राज्य के लिए और धनराशि निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं चाहे केरल की जनसंख्या चाहे तेजी से घट ही क्यों न रही हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया, समाप्त करें। अब श्री ई. अहमद बोलेंगे।

श्री रमेश चेन्नितलाः रेल उपरी पुलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, कायमकुल्लम, मवेलिकारा, छूंगर और विरूवल्ला स्टेशनों का विकास किया जाना चाहिए। इसलिए सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को तथा छंगानूर स्टेशन में सबरीमाला तीर्थ यात्रियों के लिए आवासों के निर्माण के लिए और धनराशि दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री अहमद, आप केवल स्पष्टकारी प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

श्री ई. अहमदः महोदय, मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नितला ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करना चाहूंगा।

महोदय, मैं केरल के एक क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं। जहां एक शताब्दी पुरानी एक रेल लाइन थी और वह क्षेत्र मलाबार का क्षेत्र है। जब रेल शुरू हुई थी तभी इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछी थी। मैं यह बताना चाहूंगा कि कालीकट-शोरनुर रेल लाइन को दोहरा करने की प्राकलित लागत 179 करोड़ रुपये थी। मार्च, 2003 तक केवल 94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 85 करोड़ रुपये की शेष राशि में से वर्ष 2003-04 के लिए रेलवे ने केवल 7.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 98.5 करोड़ रुपये अभी जारी किए जाने हैं। यदि विकास की यह गति है, जिसे सरकार करना चाहेगी, तो आप इस परियोजना को कैसे पूरा करेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है।

महोदय, उधर बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं और केवल फेरोका रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। पराप्पनांगडी, कुट्टिपुरम तनुर, तिरूवरूर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप केवल स्पष्टीकरण वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चर्चा में किसी भाषण की अनुमति नहीं है।

श्री ई. अहमदः महोदय, यही समय है जब मैं इन सभी चीजों का उल्लेख कर सकता हूं। परप्पनांगडी, कुट्टिपुरम, तिरूर और तनूर स्टेशनों का कोई विकास नहीं हुआ है। महोदय, यदि रेलवे न हो तो सर्वेक्षण होगा। यही इस सरकार की नीति है क्योंकि तनूर-गुरवायूर लाइन पर अभी तक कार्य नहीं हुआ है।

इडापल्ली-तनूर लाइन का बिल्कुल उल्लेख ही नहीं है। पुन: मालाबार एक्सप्रेस और मंगलौर से त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली अन्य गाड़ियों में पर्याप्त डिब्बे नहीं हैं। केवल 17 से 18 डिब्बे है। हमें क्यों दंडित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया सहयोग करें। श्री जोस, अब आप कृपया बैठ जाएं।

श्री ई. अहमद: क्या यह सिर्फ इसी कारण हो रहा है कि हम यहां यात्रा करते हैं और हमें दंडित किया जा रहा है।

रेलवे इन सारी चीजों के बारे में पुन: सोचे, इसकी समीक्षा करे और इसकी पुन: व्यवस्था करे। हम प्रगतिशील हैं, और सरकार की नीतियों का पालन कर रहे हैं केवल इसी कारण हमें दंडित किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब इसके बाद श्री जोस जो बोलेंगे वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा में 'शून्य काल' भी शुरू कराना चाहूंगा।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, मैं श्री रमेश चेन्नितला और श्री अहमद द्वारा उठाए गए मुद्दों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं मंगलौर-शोरनुर लाइन को दोहरा करने पर पुन: जोर दे रहा हूं। मंत्री के बयान के अनुसार 211 कि.मी. पूरा किया जाएगा। महोदय, 57 कि.मी. और पूरा किया जाना है और उसके लिए पैसा आवंटित किया जाना है।

महोदय, आपको ज्ञात है कि केरल सीधा लम्बाई में फैला हुआ राज्य है। जब तक शरमन, मंगलापुरम से त्रिवेन्द्रम तक लाइन दोहरी नहीं की जाती है तब तक वहां पूरा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए, हमारा अनुरोध है कि इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है लेकिन वास्तव में हम लोग ही इन गाड़ियों से यात्रा करते हैं जिन्हें ये सब भुगतना पड़ता है। बहुत से राज्यों में बिना टिकट यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हमारा ही राज्य ऐसा है जहां सभी लोग टिकट लेकर यात्रा करते हैं तथा यात्रियों से राजस्व किसी अन्य राज्य से बहुत ज्यादा है। इसलिए, रेल पटरियों को दोहरा किए जाने के संबंध में हमारे राज्य पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरा आपसे दूसरा अनुरोध तनूर-गुरूवायूर लाइन के लिए है। संरेखण के संबंध में थोड़ी भ्रम की स्थिति है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि केरल एक धनी आबादी वाला राज्य है। अत: वे कम से कम आवासीय क्षेत्रों से इसे ले जाने का निर्देश दें। तनूर और गुरूवायूर से बहुत सारी शिकायतें आई हैं। मैंने माननीय मंत्री को लिखा है। इसलिए, इस सर्वेक्षण की पुन: जांच की जाए और अनुदेश दिए जाएं कि कम प्रभावित क्षेत्र से अध्ययन करें ताकि इसे जल्द पूरा किया जा सके।

मुझे और दो बातें कहनी हैं। साप्ताहिक मंगलौर-त्रिवेंद्रम-मौकियेस एक्सप्रेस को दैनिक एक्सप्रेस बना दिया जाए। इस समय केवल एक साप्ताहिक एक्सप्रेस है और इसे दैनिक एक्सप्रेस में बदला जाए। केरल अपने पर्यटन के लिए भी विख्यात है। राजस्थान में पैलेस आन व्हील्स के नाम से एक गाड़ी है। हमें किसी पैलेस आन व्हील्स की आवश्यकता नहीं है। कम से कम एक बंगला तो हम केरलवासियों को दे दीजिए।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ए.सी. जोस: हम सभी इसका समर्थन करते हैं। इसलिए हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन आदि को जोड़ने वाली एक पर्यटन रेलगाड़ी केरल को दी जाए। यह एक नई योजना है। यह एक सुन्दर विचार है। इसे किया जा सकता है। दूसरी बात है कि कालीकट-गोवा शताब्दी एक्सप्रेस को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन अब आप बोलिए।

श्री ए.सी. जोस: तनूर-गुरूवायूर लाइन को कम प्रभावित क्षेत्रों से गुजारा जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल स्पष्टीकरण वाले प्रश्न ही पूछे जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल आपके भाषण को सम्मिलित करने की अनुमति दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित तत्कालिक समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा जो केरल के लोगों के सामने खड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा वह है कि पुराने और जीर्ण-शीर्ण डिब्बों को, जो केरल में बहुत ज्यादा है, नए डिब्बों से प्रतिस्थापित किया जाए। हम बरसात के मौसम में रेल के डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वर्षा का पूरा पानी डिब्बों में ही आ जाती है। यही स्थिति है। इसलिए, आप इसे तत्काल करें और उन सभी पुराने और जीर्ण-शीर्ण डिब्बे को बदला जाए। दूसरी बात, नेदूम्बेसरी में एक नया रेलवे स्टेशन शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: तीसरी बात, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि साबरीमाला रेलवे लाइन को पुनलूर और नेदूमानगड होते हुए त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाए। एक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। साबरीमाला गाड़ी को त्रिवेन्द्रम अवश्य आना चाहिए। अन्यथा, यह निरर्थक है। इसे नेदूमानगड, पुनालूर और किलीमनूर से अवश्य ही गुजरना चाहिए। एक विस्तार करके इन सभी स्थानों को जोड़ा जा सकता है। व्यावसायिक रूप से भी यह एक लाभदायक परियोजना होगी। तिरूवनंतपुरम के लोगों की एक नए टर्मिनस के लिए लम्बे समय से मांग है लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। यह काम अभी शुरू किया जाना चाहिए। अन्यथा यात्रियों की परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी। यद्यपि कार्य शुरू कर दिया गया था लेकिन गति बहुत धीमी है। यही कारण है कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय को मंत्री जी के समक्ष रख रहा हूं।

गुरूवायूर एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के डिब्बे नहीं हैं। इस गाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

केरल के लोगों की दूसरी मांग है यह है कि निलामबूर रोड नानगनगुड रेलवे लाइन को जल्द पूरा किया जाए जिस पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके बाद माननीय मंत्री जी को केरल के लोगों के मांग के प्रति थोड़ी दया करनी चाहिए।

केरल में रेल मंडलों को दो भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तिरूवनंतपुरम मंडल को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव है और एक नया मंडल बनाने का प्रस्ताव है जिससे कि तिरूवनंतपुरम मंडल अंतत: बंद किया जा सके। पलक्कड़ मंडल को भी दो भागों में विभाजित करने की मांग है। माननीय मंत्री को यह नहीं करना चाहिए। अन्यथा केरल के लोग इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर देंगे क्योंकि ये दोनों रेल मंडल समाप्त हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर तिरूवनंतपुरम और पलक्कड़ के मंडलों को समाप्त करने का निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। वे जैसे है वैसा बने रहने दिया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मुझे भी एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, एक सदस्य जिनका नाम सूची में है अनुपस्थित हैं। इसलिए, आप उनको अनुमति दें सकते हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मुझे भी एक मौका दिया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: ये मुद्दे विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े हैं और सरकार इन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। इसीलिए सभी माननीय सदस्य चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश, मैं आपको सीधे-सीधे प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। मैं आपको कोई भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री कोडीकुनील सुरेश: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. प्रेमाजम, मैं आपको भी अनुमति दूंगा बशर्ते कि आप भी सीधे-सीधे प्रश्न पूछें।

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, यह प्रश्न कोल्लम से पुनालुर और पुनालूर से तेनकाशी तक आमान परिवर्तन के संबंध में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन खंडों पर कार्य कब तक आरंभ और पूरा होगा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: अध्यक्ष महोदय, यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

रेलवे के पास धन की कमी है। मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दो परियोजनाओं के लिए 60 लाख रुपये दिए हैं। यह राशि दो वर्षों से रेल मंत्रालय के पास है। मैं विशेषरूप से यह जानना चाहूंगी कि जब मंत्रालय ने किसी बजट का प्रावधान नहीं किया है तो रेल परियोजनाओं के लिए मेरे द्वारा दी गई संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि स्वीकार करने में क्या आपत्ति है।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, कृपया मुझे केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: कृपया और प्रश्न नहीं।

...(व्यवधान)

श्री के. मुरलीधरन: मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ शोरानुर-मंगलौर लाइन के विद्युतीकरण का उल्लेख करने के लिए कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): इन सारी डिमांडों को पूरा करने के बाद क्या दूसरे स्टेटों के लिए भी कुछ बचेगा?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह तो आप रमेश जी से पूछिये जो आपकी बगल में बैठे हुए हैं। उनसे पूछिये कि मध्य प्रदेश के लिए भी कुछ बचेगा या नहीं।

[श्री नीतीश कुमार]

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जितने पूरक प्रश्न पूछे हैं उनमें से अधिकांश का उत्तर मैंने मूल रूप से दिया है। जहां तक रेलवे प्रोजैक्ट्स का सवाल है उनमें दो-तीन बिंदुओं का खुलासा करना जरूरी है। एक सवाल इन्होंने किया कि जो वर्ष 2002-2003 के लिए हम लोगों ने पालिसी बनाई है, उसमें हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम मोटे तौर पर सब स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया है। वर्ष 2002-2003 का रेल बजट पेश करते हुए उसे हमने यहां प्रस्तुत किया था। आबादी और क्षेत्रफल पर हमने 15-15 प्रतिशत एलोकेशन दिया है और 70 प्रतिशत एलोकेशन उस राज्य में जितने रेलवे प्रोजैक्ट्स बाकी हैं, उनको पूरा करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, उसका वैटेज दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल पापुलेशन को वेटेज दिया है।

यह यहां पार्लियामेंट में कहा गया है, स्टेंडिंग कमेटी ने भी उस पर विचार किया। ये सारी बातें हो गयी हैं। अब तो वह स्टैबलाइज कर चुका है। इसमें एरिया, व क्षेत्रफल लिया गया है, लेकिन जो मेजर हिस्सा है वह थ्रो-फार्वर्ड का है। किसी भी स्टेट के सैंक्शन्ड प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, उसको वेटेज सबसे अधिक 70 प्रतिशत रखा गया है। इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि वर्ष 2002-2003 में केरला का शेयर 93.82 करोड़ था लेकिन हमने वहां 120 करोड़ खर्च किया है, यानी शेयर से ज्यादा खर्च किया है। आप पापुलेशन की बात कर रहे हैं लेकिन उसको हटा भी दिया जाए तो भी इतना हिस्सा आपका नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जिसको हम सैंक्शन्ड प्रोजैक्ट मानते हैं, डबलिंग का प्रोजैक्ट जो शोरानूर से लेकर मैंगलूर तक का है, उस पर काम चल रहा है, बाकी तो पूरा हो गया है। उसके लिए हम धन दे रहे हैं। इस बार 30 किलोमीटर पूरा होगा और अगले साल यह प्रोजैक्ट पूरा हो जाएगा। इसको हमने टाइम-बाउन्ड रखा है और पूरे देश के प्रोजैक्ट्स को टाइम-बाउन्ड पूरा करने की बात कही है।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, केरल नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? वह नियमित रूप से मिलते हैं। वह अपनी समस्याएं हल करा लेते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको उनके प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह डब्लिंग प्रोजैक्ट पूरा होगा, जोकि टाइम-बाउन्ड है। दूसरे, कोटायम-एलैपी लाइन के डब्लिंग की बात माननीय सदस्यों ने कही है। इसमें रेलवे ने माना था कि दो रूट पर दो लाइनें चल रही हैं, इसलिए हम इसको डब्लिंग मानते हैं। लेकिन केरल के माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसा हम नहीं मानते हैं, दोनों लाइन को डबल किया जाए। एर्नाकुलम-कयनकुलम के बीच में दो लाइनें चल रही है और दोनों को डबल किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी गया था। वहां शिलान्यास किया है। काम शुरू हो रहा है। डबलिंग का काम धीरे-धीरे लिया जा रहा है। सबको मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से काम में मैं दिलचस्पी ले रहा हूं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सारे काम हो रहे हैं। इलैक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है। इलैक्ट्रिफिकेशन के सैंग्शन्ड काम को पूरा करेंगे। यह काम सन् 2004-2005 तक पूरा हो जाएगा। पूरे प्रोजैक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का यह जानना जरूरी है कि यह प्रश्न उठा रहे हैं। अत: यह प्रश्न उठाने में कुछ भी गलत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: वह पूर्णत: अपने अधिकारों के अंतर्गत पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्यों ने गेज-कन्वर्जन के बारे में प्रश्न किया है। कुईलोन से पनुलूर तक अर्थ-वर्क का काम चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश: केवल जमीनी कार्य चल रहा है *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: हां, जमीनी कार्य होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जमीनी कार्य और सेतु कार्य के बिना आप कुछ भी कैसे कर सकते हैं? प्राथमिक कार्य जमीनी कार्य है। हम पहले ही कार्य आरंभ कर चुके हैं। अत: वह अवश्य संतुष्ट होंगे। यदि वह संतुष्ट नहीं हैं तो मैं यह देखने के लिए उनके साथ उनके निर्वाचन

क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हूं कि कार्य में कैसे प्रगति हो रही है ...*(व्यवधान)* सारे काम हो रहे हैं तो यहां प्रश्न रेज करना क्या जरूरी है।

श्री कोडीकुनील सुरेश: केवल आंशिक रूप से कुछ जमीनी कार्य चल रहा है और आरओबी कार्य आरंभ नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: क्विलोन से पुनलुर कार्य आरंभ किया गया है लेकिन क्विलोन से तेनकाशी कार्य आरंभ नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)* यह भाग घाट खंड है। आपको भी इसकी जानकारी है। यह अति दुर्गम भूभाग है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। हमें उस घाट का खंड संबंधी कार्य करना है। आपको इसकी जानकारी है। ...*(व्यवधान)* यह दुर्गम भूभाग है। आप सभी को इसकी जानकारी है। इसमें समय लगेगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, बीच-बीच में जो प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप अपना उत्तर दीजिए।

श्री नीतीश कुमार: आपने यह कालिंग एटेंशन मन्जूर करके पिंडारा बाक्स खोल दिया है। अब सारे स्टेट से संबंधित कालिंग एटेंशन आयेंगे। खैर, मुझे आपत्ति नहीं है। आप सर्वोच्च हैं, जो आप कहेंगे, उसका उत्तर देने के लिए मैं तत्पर हूं।

जहां तक एग्नामली-सबरीमाला का प्रश्न है, केरल सरकार ने कहा है कि फारैस्ट क्षेत्र से गुजरने में परेशानी है। इस बारे में हम फैसला करेंगे और अजुथा तक इसको टर्मिनेट करेंगे। इस बारे में फाइनल लोकेशन का काम पूरा हो गया है। यह सारी बात हो रही है। उसके चलते, प्रोग्रैस नहीं हो रही थी, लेकिन अब बात हो गई है, केरल सरकार से रिक्वैस्ट पर। इसके अलावा कई स्थानों पर माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए, जैसे लैंड एक्वीजिशन की समस्या है। कुछ हैबिटाट क्षेत्रों में लैंड एक्विजीशन की समस्या है। इस काम के लिए आप अपना प्रभाव का इस्तेमाल करें, ताकि इस काम को कर सकें।

एक बात की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। उन्होंने टूरिस्ट ट्रेन की बात कही है। जैसे राजस्थान में पैलेस-आन-व्हील्स चलती है, उसी तरह से महाराष्ट्र टूरिस्ट विभाग के साथ मिलकर डैकन-औडिसी चलाने जा रहे हैं। इसके लिए 16 जनवरी को शुरुआत करने के लिए प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं। इस दिशा में कर्नाटक के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, जो फाइनल स्टेज पर है। उनके साथ मिलकर टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। ऐसी ही व्यवस्था अगर केरल सरकार चाहती है, तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। हम उस प्रस्ताव पर गौर करेंगे। हमारे पास तीन माडल्स हैं—एक राजस्थान में पैलेस-आन-व्हील्स, दूसरे महाराष्ट्र में डैकन-ओडिसी और तीसरी कर्नाटक सरकार के साथ पाइप-लाइन में है। इस दिशा में अगर केरल की सरकार जाना चाहती है, तो बातचीत करके बात को आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्रीमती (प्रो.) ए.के. प्रेमाजम जी ने एमपीलैड फन्ड्स को रेल प्रोजैक्ट्स में इस्तेमाल करने की बात कही है। एमपी फंड का इस्तेमाल किस-किस प्रोजैक्ट में हो सकता है, इसका फैसला प्रोग्राम इम्पलीमैंटेशन मिनिस्ट्री से होता है।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मेरे प्रस्ताव के लिए पहले ही स्वीकृति दे चुका है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यदि वह इसमें सहमति देगी तो रेलवे को खुशी होगी कि पैसा कहीं से आ जाए। हम स्टेट गवर्नमैंट के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में वहां की सरकारों के साथ यह काम हो रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री का शेयरिंग हो रहा है। कई और राज्यों के साथ हो रहा है। प्राइवेट सैक्टर के साथ पार्टनरशिप चल रही है। हम चाहेंगे कि कहीं और से पैसा आए। हमने नान-बजटरी इनीशेटिव भी लिया है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना बनायी गई है। रेल विकास निगम गठित किया गया है ताकि महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट्स जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और पोर्ट कनैक्टीविटी के हैं, उनके लिए बाहर से धन मिले। हम बारोईंग करना चाह रहे हैं। हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि सभी राज्यों के प्रोजैक्ट्स समय सीमा में पूरे किए जा सकें। हम इन्हें पूरा कराने के लिए अन्य स्रोतों से भी धन जुटा रहे हैं। कश्मीर का प्रोजैक्ट राष्ट्रीय प्रोजैक्ट हुआ। उसके लिए अलग से धन मिल रहा है। इस प्रकार से ये इनीशिएटिव लिए गए। दूसरी तरफ बजटरी सपोर्ट भी बढ़े, इसके लिए प्रयत्न होता है ताकि हम तेजी से काम करें और रेलवे प्रोजैक्ट्स को समय सीमा में पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक के बाद दूसरे सदस्य को चांस दूंगा। किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी बात कहनी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आएंगे, तब बताएंगे। मंत्री नहीं हैं तो खड़े होने की क्या आवश्यकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जब आपका नाम पुकारूंगा, उस समय खड़े होना। प्लीज, आर्ग्यूमैंट्स में मत जाएं। हर बात में आर्ग्यूमैंट्स करना अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब मैं आपका नाम पुकारूंगा, को उस समय आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.48 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में—*जारी*

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और किसानी का काम करती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसान धूप में पसीना बहा कर बड़ी मेहनत से जो गन्ना पैदा करता है, आधा सीजन बीत गया, उसके भाव अभी तक तय नहीं हुए हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में मौन है। मैं उत्तरांचल के हरिद्वार क्षेत्र से चुन कर आया हूं। मेरे लोक सभा में तीन शूगर मिलें हैं लेकिन उनकी दशा खराब है। इकबालपुर शूगर मिल बंद हो चुकी है। किसानों के गन्ने का पिछला भुगतान भी नहीं हुआ है और आगे भी किसानों के गन्ने के दाम फिक्स नहीं हुए हैं जो बड़े दुख की बात है। ऐसा करके किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर सदन में दिया गया है।

श्री हरपाल सिंह साथी: आप इसे तुरन्त लागू कराएं। धान की फसल कट चुकी है लेकिन किसानों का धान ज्यों का त्यों पड़ा है। उत्तरांचल सरकार ने क्रय केन्द्र नहीं खोले हैं। आप इसकी तुरन्त व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और चरमरा गई है। वहां रोज हत्याएं, लूट और अपहरण हो रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र वाराणसी में ला एंड आर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां कानून और व्यवस्था चरमरा गई है। परसों 20 तारीख को मंडू यादव सभासद की दिन-दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोगी सदस्य आपको बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: 20 दिसम्बर को ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री परमेश्वर पांडेय के दो लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। *...(व्यवधान)* वहां आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इस मामले में केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और वहां से रिपोर्ट मंगा कर सदन को सूचित करे तथा कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री पी. मोहन को बोलने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, जब मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी तो यह केवल सूचना देने के लिए नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे मैं उठाना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, अलीगढ़ के मामले पर आपने कहा था कि मंत्री जी जवाब देंगे लेकिन मंत्री जी यहां नहीं हैं और कल क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय: अलवी जी, दूसरे मैम्बर का भी अधिकार है, वे बोल रहे हैं, आप बैठिये। आज आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे मैम्बर नहीं हैं।

[अनुवाद]

सदस्य बोल रहे हैं और आप टोका-टाकी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में जनता और जन प्रतिनिधियों दोनों के सामने आ रही एक महत्वपूर्ण समस्या को लाना चाहूंगा। हम संसद सदस्य, जन प्रतिनिधि जनता विशेष रूप से गरीब लोगों और समाज के कमजोर वर्ग के उन लोगों से प्राप्त याचिकाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा करते थे। जो उपचार के लिए विशेष रूप से ओपन हार्ट सर्जरी जो कि अनेक लोगों की पहुंच से बाहर है के लिए कुछ आर्थिक सहायता चाहते थे। कुछ समय पहले तक हम संसद सदस्य जनता से प्राप्त ऐसे अनुरोध-पत्रों को अपनी सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भेजते थे ताकि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से कुछ धनराशि जारी की जाए। लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है और लोग अपने लिए इतंजाम करने हेतु बीच मझधार में फंसे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ऐसी कोई धनराशि नहीं मिल रही है?

ओपन हार्ट सर्जरी जैसी महत्वपूर्ण सर्जरी करने वाले गरीब लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया करते थे। यह आवेदन संसद सदस्यों के माध्यम से उनकी सिफारिशों के साथ अग्रेषित किए जाया करते थे। इस वर्ष मेरे द्वारा अनुशंसित 29 मामलों में से एक को भी स्वीकार नहीं किया गया है और अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। इसी प्रकार मदुरै जिले के जिला कलेक्टर ने भी ऐसे मामले भेजे हैं जिनका अब तक जवाब नहीं दिया गया है। विरुद्धनगर मामले में जिला कलेक्टर ने उन 64 बच्चों का मामला भेजा था वे सभी छात्र और बालक थे जिनकी हृदय संबंधी रोगों के लिए शल्य चिकित्सा हुई थी। लेकिन उन बालकों को भी प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

मैं गंभीरतापूर्वक लिखकर यह बात प्रधानमंत्री कार्यालय के ध्यान में लाया और मैं केवल यह समझने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय गया कि वे जरूरतमंद लोगों को राहत राशि क्यों नहीं दे सकते। यह मानवीय सहायता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने वाली धनराशि की पुन:पूर्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा ताकि जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। संसद में मेरे अनेक मित्र संभवत: इस प्रकार के मामलों की सिफारिश कर रहे होंगे और उन्हें संभवत: आवश्यक सहायता नहीं मिल रही होगी। गत वर्ष तक 15-20 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर मिल जाया करता था और वित्तीय सहायता देने के बारे में सूचना मिल जाया करती थी जिसके बाद धनराशि जारी हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष हमारे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है अथवा उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

अत:, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से जरूरत के समय की इस बड़ी सहायता को जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा ताकि समाज के गरीब वर्गों के ओपन हार्ट सर्जरी के रोगियों को काफी फायदा हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, कृपया बैठ जाइए। 'शून्य काल' के दौरान आपको अपनी बात दो मिनट में कहनी होगी इससे अधिक समय में नहीं। अब मैं श्री राधाकृष्णन को बोलने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे सभा के समक्ष एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, आपको मालूम है कि 'शून्य काल' के दौरान आप अपना वक्तव्य नहीं पढ़ सकते।

...(व्यवधान)

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अपराह्न 12.53 बजे

(दो) सभी केन्द्रीय विद्यालयों को जनवरी के महीने में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए जारी किए गए आदेश के बारे में

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में यह कहते हुए एक आदेश जारी किया कि क्रिसमस की छुट्टियां जनवरी के महीने में मनाया जाना जरूरी है न कि दिसंबर के महीने में। यह आदेश हाल ही में जारी किया गया था। क्या हम मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं अथवा शैतान की दुनिया में रह रहे हैं। हमें क्रिसमस की छुट्टियां जनवरी के महीने में मनाने के लिए कहा गया है जबकि क्रिसमस विश्वभर में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में सभी केंद्रीय विद्यालयों को क्रिसमस के दौरान कोई छुट्टी न देने का एक आदेश जारी किया था, लेकिन उन्हें केवल जनवरी के महीने में छुट्टी दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)* इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भेदभाव है और यह विश्व आस्था और ईसाई धर्म के प्रति भेदभाव है। मंत्री महोदय ने दिसंबर के महीने में कोई छुट्टी न मनाने का तथा जनवरी के महीने में छुट्टी मना सकने का निदेश दिया है। यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है और सरकार को और कोई देर किए बिना इस आदेश को वापस लेना चाहिए।

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): हम अपने आपको उनसे संबद्ध करते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके नाम उनके वक्तव्य से संबद्ध कर दूंगा। मैं श्री राम विलास पासवान को बोलने की अनुमति देता हूं। आपके नाम संबद्ध कर दिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): हम उनसे सहमत हैं। संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और इस संदर्भ में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि आज 22 तारीख है।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, उन्होंने सभी केंद्रीय विद्यालयों को निदेश क्यों दिए और उन्होंने छुट्टियां दिसंबर से जनवरी में परिवर्तित क्यों की? यह बहुत गंभीर मुद्दा है।

श्री ए.सी. जोस: आज 22 दिसंबर है और आदेश तत्काल जारी किए जाने हैं। क्या मैं सुषमा स्वराज महोदया से उत्तर देने के लिए कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सुषमा स्वराज महोदया ने मुद्दे को नोट कर लिया है।

श्री ए.सी. जोस: यह बिलकुल गलत निर्णय है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन: केंद्र सरकार ने छुट्टियों को दिसंबर से जनवरी में परिवर्तित करने वाला आदेश क्यों जारी किया है।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां पर हैं। आज 22 दिसंबर है और, इसीलिए, हम सरकार से तीन दिनों के भीतर आदेश जारी करने का आग्रह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो कुछ बताया है, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इनकी भावनाओं को अवगत कराऊंगी और उनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, उससे सदन को अवगत करूंगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अभी दो दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने राजभाषा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राम विलास जी, कृपया बैठ जाइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक विधेयक पुर:स्थापित करना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो तो मंत्री महोदय इसे पुर:स्थापित करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, हम सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय: कार्यसूची की मद संख्या 22-श्री संतोष कुमार गंगवार।

अपराह्न 12.56 बजे

सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री जसवंत सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.57 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*—*पारित*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक कार्यसूची की मद संख्या 22क—श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महदोय, हम बार-बार यह अनुरोध करते रहे हैं तथा यह सुझाव भी देते रहे हैं कि इसकी बजाय कि सदस्य सभा में आकर यह निर्णय करें कि उनकी परिलब्धियां आदि कितनी होनी चाहिएं, इन मामलों पर निर्णय एक अलग प्रक्रिया के द्वारा किया जाना चाहए। इस पर बाहर काफी आलोचना हुई है। इसलिए यह महसूस किया गया है कि इसे पीठासीन अधिकारी पर छोड़ दिया जाना चाहिए अथवा जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या इसी तरह के किसी अन्य आधार पर कोई फार्मूला अपनाया जाना चाहिए।

मैं इस वक्त इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। तथापि, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि काफी समय से लम्बित इस मामले पर ध्यान दिया जाए। यह सिद्धांत का मामला है। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर गौर करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से सहमत हूं। यदि कोई तरीका अपनाया जा सकता है तो मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब विधेयक पुर:स्थापित करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित* करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): इसे अभी पारित कराइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसे बाद में पारित करेंगे। *...(व्यवधान)* वह आई.सी.डब्ल्यू.ए. के बाद लगा है, क्या मैं इसे अभी पारित कराऊं।

श्री वी. धनंजय कुमार: हां, इसे अभी पारित कराइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसे आई.सी.डब्ल्यू.ए. के बाद पारित कर रहे हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार: यह बिल अभी पारित हो जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप पहले आई.सी.डब्ल्यू.ए. वाला लेना चाहते हैं या यह लेना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ये इसे पहले लेना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सदस्य इसे करना चाहते हैं तो हम इसे अभी कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक टिप्पणी करनी है।

माननीय सदस्यगण, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज को आमंत्रित करने से पहले, मुझे इस सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 19 दिसंबर, 2003 को श्रीमती सुषमा स्वराज का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय ने विधेयक की विषय वस्तु से अवगत होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड (3) के अधीन इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

"कि संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए."

सबसे पहले माननीय सोमनाथ चटर्जी ने जो बात रखी है, उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगी। उनका बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर कोई ऐसा दूसरा रास्ता निकल सके, जहां बार-बार संसद में आकर इस पर चर्चा करने की बजाय अगर किसी दूसरे रास्ते से इसे किया जा सके, जैसे कोई इंडैक्स बना दिया जाए या सैक्रेटरीज के बराबर इसे कर दिया जाए, जिससे कि हमें बार-बार संसद में आकर आलोचना का बायस न बनना पड़े। यह एक अच्छा सुझाव है। लेकिन जब तक वह नहीं होता है, तब तक यही एक रास्ता है। इसीलिए हम विधेयक को मुझे यहां लाना पड़ा।

अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनी हुई है जो संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के विषय पर चर्चा करती है और अनुशंसा करती है। ये सारे प्रस्ताव जो आज हम यहां लाये हैं, ये उस समिति की अनुशंसा पर लाये हैं, उन प्रस्तावों को मैं एक-एक करके संक्षेप में बताना चाहूंगी। पहला प्रस्ताव यह है कि जो पूर्व सांसद है, उन सबके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया जाए। अभी जो मौजूदा प्रावधान है, वह यह है कि चार वर्ष तक या दो टर्म तक अगर संसद सदस्य जीता हुआ है तो उसे पेंशन मिलती है। करीब 764 लोक सभा के सांसद और 200 से ज्यादा राज्य सभा के सांसद ऐसे हैं, जिन्हें अभी न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिलती है। न्यूनतम पेंशन केवल तीन हजार रुपये प्रति माह है। उनकी बहुत अरसे से यह मांग चली आ रही थी कि जब वे चुनाव जीत कर आते हैं, लोक सभा जब डिसाल्व होती है, उसमें उनका कोई दोष नहीं होता।

अपराह्न 1.00 बजे

इसलिए अवधि देखे बिना उनको कम से कम न्यूनतम पेंशन हर संसद सदस्य को मिलनी चाहिए। पहली अनुशंसा यह है कि अवधि देखे बिना न्यूनतम पेंशन हर सांसद को मिलनी चाहिए।

दूसरा प्रावधान यह है कि जो एक वर्ष बढ़ने पर 600 रुपये बढ़ते हैं, तो नौ महीने आगर हो जाएं तो 9 महीने की अवधि को राउंड आफ करके एक वर्ष माना जाएगा, यह दूसरा प्रावधान है।

तीसरा प्रावधान इस बिल में यह है कि अगर किसी वर्तमान संसद सदस्य का दुखद निधन हो जाता है तो फैमिली पेंशन का प्रावधान है कि उनकी पत्नी या परिवार को पांच वर्ष तक 1000 रुपये मिलते हैं, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा रहा है।

चौथा प्रावधान यह है कि हमें अभी तक केवल इंडियन एयरलाइन्स से हवाई यात्रा करने की अनुमति थी लेकिन जब निजी एयरलाइन्स भी आ गई हैं। पहले यह था कि कोई निजी एयरलाइन्स समय के हिसाब से ज्यादा सुविधाजनक होती थी लेकिन उसमें

यात्रा की अनुमति नहीं था। अब इंडियन एयरलाइन्स के साथ-साथ निजी एयरलाइन्स से भी यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। एक और प्रावधान यह है कि हमें एक साल में 32 हवाई यात्रा मिलती हैं जिनमें हमारे साथ पत्नी, पति या सह यात्री सफर कर सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि सांसद बीमार हो गए और पत्नी को देखभाल के लिए आना है तो वह अकेले नहीं आ सकती, या सांसद को यहीं से कहीं जाना है और पत्नी या सहयात्री ने उसे यहां से जॉइन करना है तो वे जॉइन नहीं कर सकते। अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि 32 में से आठ तक अकेले यात्रा करके बाकी यात्राओं में पत्नी, पति या सहयात्री जॉइन कर सकता है।

एक मांग थी नार्थ ईस्ट के लिए कि उनको स्टेशन तक के लिए रोड माइलेज मिलता है लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए नहीं मिलता। कहीं-कहीं एयरपोर्ट्स बहुत दूर हैं। इसी प्रकार दिल्ली के आसपास के जो सदस्य हैं, वे ट्रेन से ही आ सकते हैं, सड़क से नहीं आ सकते थे। अब दिल्ली के आस-पास के लोगों को सड़क से आने और नार्थ ईस्ट के लोगों को एयरपोर्ट तक जाने के लिए सड़क का भत्ता मिल सकता है, यह प्रावधान किया गया है।

टेलीफोन के उपयोग में विशेष छूट की बात थी। डेढ़ लाख काल्स कितने भी टेलीफोन पर आ जाएं, किराया सरकार केवल तीन का दे, यह एक मांग थी। एक मांग थी कि डेढ़ लाख काल एक साल में पूरी नहीं होती तो अगले साल कैरीओवर हो जाएं। इस मांग को भी टेलीफोन विभाग ने मान लिया है।

एक रेल से संबंधित मांग थी। रेल मंत्री जी उठकर चले गए। जो एक्स एम.पी. थे, उनको अभी ए.सी.-2 टियर में कंपेनियन के साथ अलाउ किया जाता था। वे कहते थे कि अगर अकेले चलना चाहें तो ए.सी.-1 में उनको अनुमति होनी चाहिए। वह भी रेल मंत्रालय ने मान लिया है।

ये सारे प्रावधान संसदीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हैं जो मैं इस बिल में प्रस्तावित कर रही हूं और मैं समझती हूं कि इस पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करे यह मेरा सदन के सदस्यों से निवेदन होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 9 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं दो दिन से नोटिस दे रहा हूं।

झारखंड के रांची में एक पब्लिक स्कूल है कारमल रेजिडैन्शियल स्कूल।

वहां शुभम नाम के एक लड़के को मार-मार कर इसलिए घायल कर दिया कि वह आपस में हिन्दी में बात कर रहा था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस की कटिंग पढ़ कर आपको सुनाता हूं। शुभम ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि वह उस दिन

अपने कुछ दोस्तों से हिन्दी में बात कर रहा था, उसकी बात को सुन कर होस्टल के वार्डन और कुछ शिक्षक वहां पहुंच गए। शिक्षक के आते ही उनके दोस्तों ने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन वह हिन्दी में ही बोलता रहा। इस पर शिक्षक ने उसकी डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी और बाद में उसे स्कूल के कंकरीले परिसर में घुटने के बल चलने के लिए मजबूर किया। जब उसके घुटने से खून बहने लगा तब भी उन्हें उस पर दया नहीं आई और शिक्षक ने उसे सीढ़ी पर घुटने के बल चढ़ने को कहा। ...*(व्यवधान)* जब उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी तो स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य के हस्तक्षेप से मामले को सुलझाया गया। ...*(व्यवधान)* उसके बाद लड़कों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी एक तरफ बार-बार हिन्दी और राष्ट्रभाषा के प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो अंग्रेजी संस्कृति चली है, जिसमें अंग्रेजी स्कूलों का भयंकर तरीके से विकास हो रहा है। स्कूल तथा क्ला में ही नहीं बल्कि अपने साथियों के बीच में हिन्दी में बात करने से उसकी पिटाई की गई और उसे घायल किया गया। महोदय, क्या इस देश में गरीब के बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार है या नहीं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा राष्ट्रभाषा का अपमान नहीं हो सकता है। महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है, इसलिए आपका इस पर आब्जरवेशन होना चाहिए। सरकार को इस संबंध में इंक्वायरी करवानी चाहिए और उसके लिए जो भी दोषी हो, पब्लिक स्कूल कोई कांस्टीट्यूशन से बाहर नहीं है, इसका नाम है पब्लिक स्कूल और काम है इलिट का।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लोग शुरू से ही इस भाषा के पक्षधर रहे हैं। हमने अंग्रेजी का कभी विरोध नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह गंभीर बात है और राष्ट्रभाषा की बात है, इसलिए मैं मंत्री जी को कहूंगा कि आप इस पर स्टेटमेंट दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री जी को यहां आने के लिए कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमें कम से कम इस संबंध में चिट्ठी लिख दिया करें। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ युनिवर्सिटी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, मैंने निवेदन किया है, आप जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने शुरूआत में आपको बोलने की इजाजत दी थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं, मैं इस पर क्या करूं?

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह सर्कुलर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(तीन) दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने तथा संसद सदस्यों को ऐसी कालोनियों के विकास के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लगभग 1600 अनधिकृत बस्तियों में 25 से 30 लाख लोग रहते हैं, जिन्हें रेगुलराइज और पास न करने से यहां लोग नारकीय जीवन बिताने पर मजबूर हैं। सरकार ने इच्छा जाहिर की थी कि 31 मार्च, 2002 तक बनी सभी कालोनियों को पास कर दिया जाएगा, परन्तु अभी तक उन्हें पास नहीं किया गया जिसके कारण यहां के लोग बिजली, पानी, सीवर, सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। यहां तक कि निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद व विधायक इस क्षेत्र के अंदर इनके वोटों से जीत कर आते हैं, लेकिन अपने फंड से विकास के कोई काम नहीं करा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देनाा चाहता हूं कि लोक सभा में सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया गया था, *...(व्यवधान)* जिसमें कहा गया था कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा और इन कालोनियों को पास किया जाएगा। *...(व्यवधान)* अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, जिनके वोटों से हम जीत कर आते हैं, लेकिन अपना फंड वहां नहीं लगा सकते। *...(व्यवधान)* उनके विकास की योजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। *...(व्यवधान)* हम किस प्रकार से वहां जाकर अपनी बात करें। *...(व्यवधान)*

महोदय, आप कृपया मंत्री जी से इसका जवाब दिलाने का आदेश दें ताकि हमारे देश की जनता को पता चले कि सरकार इन कानूनों को पास करने और इन्हें सुविधाएं दिलाने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। *...(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय शहरी विकास मंत्री कोहरे के कारण यहां नहीं आ पाए हैं। *...(व्यवधान)* उन्होंने सूचना दी है कि वे माननीय सांसद को इससे अवगत करा देंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। संसदीय प्रणाली में, महत्वपूर्ण विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जैसी राय होनी चाहिए।

महोदय, आपको याद होगा कि इस सभा में विपक्ष द्वारा चार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। एक आपसी सहमती बनी थी तथा आपके द्वारा सरकार को उनके संबंध में समुचित वक्तव्य देने का भी निर्देश दिया गया था।

1. पश्चिम एशिया की परिस्थिति तथा इराक में सद्दाम की गिरफ्तारी के पश्चात् की स्थिति के संबंध में।
2. प्रधान मंत्री का तजाकिस्तान, सीरिया और रूस के अपने दौरे के बारे में वक्तव्य। यह काफी महत्वपूर्ण है।
3. मैंने भूटान सरकार के सफल अभियान—जिसके लिए हम सभी ने भूटान सरकार की प्रशंसा की थी—इसके गम्भीर प्रभाव, भूटानी लोगों के जीवन को खतरा, उत्तरी बंगाल, कूच विहार और असम के विभिन्न भागों को उत्पन्न खतरे का मुद्दा उठाया था।

आपकी उपस्थिति में, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि वह समुचित वक्तव्य देने हेतु इस मामले की जानकारी उप प्रधानमंत्री को देंगी। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। आज मैंने इस गंभीर मुद्दे के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसके लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद, प्रोफेसर और शिक्षक यहां उपस्थित हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण अधिनियम केन्द्र द्वारा वर्ष 1920 में पारित किया गया था तथा 1981 में इसे संशोधित किया गया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपको पता है...

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करूंगा। तत्पश्चात् आप अपना निर्देश दे सकते हैं और मैं इसका पालन करूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के सभा में उपस्थित होने पर ये सभी बातें पुन: दोहरायी जाएंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हां, मैंने आपका नोटिस प्राप्त किया है। और आप लोगों ने भी नोटिस दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपको निदेश देना चाहिए कि मंत्री महोदय सभा में आवश्यक रूप से उपस्थित हों! सरकार विपक्ष की अनदेखी नहीं कर सकती? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि मंत्री महोदय आज अथवा कल सभा में उपस्थित होंगे। वह जब कभी भी सभा में उपस्थित होंगे अपना वक्तव्य देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कल इस सत्र का अंतिम दिन है। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मंत्री महोदय विदेश गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' का समय भी समाप्त हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह समझ सकता हूं कि यह एक गम्भीर मुद्दा है। संसदीय कार्य मंत्री को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आज अथवा कल वक्तव्य देने का अनुरोध

करता हूं। वह सभा में 'शून्य काल' के दौरान अथवा किसी अन्य समय आ सकती हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम चाहते हैं कि यह आदेश वापस लिया जाए। यह 7 नवम्बर, 2003 से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में पूरी प्रक्रिया को बदलते हुए अचानक एक आदेश जारी किया है। शैक्षणिक परिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया है। कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है। कानून इसके विपरीत है। प्रवेश देना पूर्णत: विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, मैंने इस मामले के महत्व को महसूस करके ही यह कहा है कि इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए, उन्हें समुचित निवारण करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस इश्यू है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम है, वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट इस संसद में पास हुआ है। यह सरकार हर मामले में संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराने का काम कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एकदम ठीक बोला है।

श्री रामजीलाल सुमन: एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के सिलसिले में भी यही हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मंत्री जी आयेंगे, तब आप बोलिएगा।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनोरिटी करैक्टर को खत्म करने का और अनावश्यक हस्तक्षेप करने का इनका डिसीजन है। यह सरकार शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आप अपने पड़ोसी को थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन: यह इस सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। यू.जी.सी. का जो सर्कुलर है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षण करना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आज ही होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे सहमत हूं तथा मैंने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि मंत्री महोदय आज अथवा कल वक्तव्य देंगे। मंत्री महोदय अपनी सुविधा के अनुसार वक्तव्य दे सकते हैं।

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.3$^{1}/_{2}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

(एक) आदिवासियों के कल्याण के लिए संथाली भाषा मोर्चा और जेडीपी की मांगों पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): झारखंड, असम, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के आदिवासी 8/9.12.2003 को दिल्ली में एकत्र हुए थे। संथाली भाषा मोर्चा और जे.डी.पी. के नेतृत्व में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से और विपक्ष के नेता से मुलाकात की तथा संथाली, हो मुंडा और कुरूख भाषाओं को मान्यता दने की अपील की। संथाली भाषा को झारखंड की राजभाषा के रूप में स्वीकृति और असम की अनुसूचित जाति सूची में आदिवासियों को सूचीबद्ध करने की भी अपील की। केन्द्र सरकार और संसद को तत्काल इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

(दो) अहमदाबाद में राष्ट्रीय बचत संगठन का क्षेत्रीय केन्द्र पुन: खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): राष्ट्रीय बचत संगठन को पुनर्गठित करने हेतु अहमदाबाद क्षेत्रीय केन्द्र को बंद कर दिया गया है। लघु बचत गतिविधियों में गुजरात अग्रणी राज्य है और निवल लघु बचत करने में देश में इसका दूसरा स्थान है। क्षेत्रीय केन्द्र की सेवाओं के अभाव में लघु बचत गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि अहमदाबाद क्षेत्रीय केन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र जारी रखा जाए। पुनर्स्थापित किया जाए।

(तीन) उज्जैन-आगर-झालावाड़ के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री थारवचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में उज्जैन से आगर मालवा तक देश की आजादी के पूर्व से सन् 1975 तक रेलवे लाइन थी तथा इस रेलवे लाइन पर यात्री गाड़ियां तथा माल गाड़ियां चलती थी। किंतु आपातकाल के दौरान सन् 1975 के अंत में इस रेल लाइन को उखाड़ दिया गया था। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के व आसपास के लोग जनहित में उज्जैन-आगर से झालावाड़ तक रेल लाइन डालने की मांग करते रहे हैं। इस पर रेल मंत्री जी के आदेश से इसका सर्वे कराया गया है। सर्वे की रिपोर्ट रेल मंत्रालय के पास अप्रैल, 2000 में पहुंच चुकी है। अत: मैं भारत सरकार के रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जनहित में तथा रेलवे के हित में उक्त मार्ग पर रेल लाइन बिछाकर रेलवे की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(चार) उत्तर से आने वाली गाड़ियों के लिए गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र एशिया में सबसे विशाल औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों के लोग कार्यरत हैं। राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने पैतृक राज्यों में जाने के लिए बड़ोदा या सूरत जाना पड़ता है। क्योंकि राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की रेल सेवाएं इन्हीं स्टेशनों पर रुकती हैं। राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को जाने वाली रेलगाड़ियां मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच एवं अंकलेश्वर से होकर जाती हैं, परन्तु इन स्टेशनों पर कुछ गाड़ियां एक दो रुकती हैं। बाकी सभी नहीं रुकती जिनके कारण इन लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर राजस्थान से आने वाली सूर्या नगरी एक्सप्रेस, अजमेर-बंगलौर एक्सप्रेस एवं राणेकपुर एक्सप्रेस को एवं उत्तर प्रदेश एवं बिहार से आने वाली प्रमुख रेल सेवाओं को कुछ को अंकलेश्वर में एवं कुछ को भरूच रेलवे स्टेशन पर ठहराव कर दिया जाये तो यहां के हजारों लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

आपसे अनुरोध है कि इन रेलवे स्टेशन भरूच एवं अंकलेश्वर पर राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आने वाली रेल सेवाओं का ठहराव दिया जाये।

(पांच) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राधानपुर में एक उच्च शक्ति वाले टीवी ट्रांसमिशन केंद्र का निर्माण करने के लिए धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के राधानपुर में एक उच्च शक्ति क्षमता वाला टी.वी. सेंटर स्वीकृत हुआ था, परन्तु अभी तक उसके लिए स्वीकृत धनराशि रुपए 9 करोड़ 56 लाख जारी नहीं हुए हैं, जिसके कारण यह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। राधानपुर के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के कार्यक्रम देखे जाते हैं और लोगों में भारत विरोधी भावना पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं, जिसके कारण उत्तर गुजरात में भारत विरोधी गतिविधियों

*सभा पटल पर रखे माने गए।

को बल मिलता है। कुछ अनुभव बताते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठ एवं नशीले पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए यहां के लोगों को सचेत करने हेतु एवं उनमें जागरूकता लाने हेतु कई कदम उठाने होंगे, जिसमें टी.वी. सेंटर के प्रसारण से काफी सहायता मिलेगी जिसके कारण इस उच्च शक्ति क्षमता वाले टी.वी. सेंटर का होना अति आवश्यक है।

[अनुवाद]

(छह) क्विलोन जिले के कोट्टाक्करा में स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के अधीन नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश: केरल के तिरूवनंतपुरम, कोल्लम, पटनमतिट्टा, अलपुजा, कोट्टायम जैसे दक्षिणी जिलों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास बैंकों में शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही केरल, मालाबार क्षेत्र में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं—दक्षिण मालाबार और उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक—जो बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। केरल के दक्षिण भाग के किसानों को ग्रामीण बैंक से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केरल के दक्षिणी भाग के लोग पेशे से कृषक हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय तथा अनुसूचित बैंकों की अक्षमता के कारण किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर जो केरल के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अग्रणी है, के अंतर्गत क्विलोन जिले के कोट्टाक्कारा में एक नया क्षेत्रीय बैंक की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के पास लम्बे समय से मांग लम्बित है। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) जाली नोटों और अन्य जाली सरकारी दस्तावेजों के परिचालन को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): बैंक के नोटों, पारपत्र और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा और इसमें निष्ठा बनाए रखने हेतु मुद्रा की जालसाजी के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस संकट का परिणाम लाभ के वित्तीय पक्ष से भी आगे जाते हैं। जाली उत्पादों और आतंकी संगठनों के बीच प्रमाणित संपर्कों के कारण संगठित अपराध के लिए मादक दवाओं के बाद यह आय का दूसरा बड़ा स्रोत है।

इसको ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

(आठ) संविधान के अनुच्छेद 371 का संशोधन करके कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): कर्नाटक सरकार ने डी.पी.ए.आर. 17 पी.एल.एक्स. 98, दिनांक 22 अक्तूबर, 2001 के अंतर्गत कर्नाटक में क्षेत्रीय आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2001 के अपने पत्र में शैक्षिक संस्था और रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों के पक्ष में आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव की जांच के लिए कुछ आवश्यक जानकारी मांगी है। भारत सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी 27 अप्रैल, 2002 को भेजी गई थी। उप प्रधानमंत्री ने डा. डी.एम. नानजुनडप्पा की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रति मांगी थी। रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है।

महोदय, चूंकि प्रस्ताव लम्बे समय से भारत सरकार के पास लम्बित है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह संविधान की अनुच्छेद 371 में संशोधन करके कर्नाटक में क्षेत्रीय आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर विचार करे।

(नौ) त्रिपुरा में सेलुलर/मोबाइल फोन सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा, पश्चिम): मैं त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में सेल्युलर मोबाइल सेवा शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्य इसके लिए लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने 2002 में सभा में यह घोषणा की थी कि इस क्षेत्र में सेवाएं शुरू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। बाद में सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि बी.एस.एन.एल. पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को शामिल करते हुए अगस्त/सितम्बर, 2003 तक सेवा शुरू करने के लिए सभी प्रकार का प्रयास करेगा। लेकिन दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि त्रिपुरा में कार्य की प्रगति काफी निराशाजनक है। यह भी पता चला कि त्रिपुरा में 6000 मोबाइल कनेक्शन स्वीकृत हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की आबादी से भारी मांग भी है। त्रिपुरा राज्य में सर्वप्रथम कम से कम पंद्रह हजार मोबाईल कनेक्शन दिए जाने चाहिए। पुन: त्रिपुरा को मोबाइल सेवाओं के लिए ठीक उसी प्रकार एक बी.एस.सी. तत्काल दिए जाने की जरूरत है। जिस प्रकार पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को आवंटित किया गया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि त्रिपुरा में सेल्युलर मोबाईल सेवाएं शुरू करने के लिए सभी गतिविधियां पूरी करने हेतु शीघ्र उपयुक्त कदम उठाए।

(दस) आंध्र प्रदेश में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश में भारी चक्रवाती तूफान ने भारी विनाश किया क्योंकि मछलीपट्टनम के पास 15 दिसम्बर, 2003 को आधी रात के समय समुद्री तट पार किया जिससे 49 लोगों की जानें गई तथा 8000 लोग बेघर-बार हो गए और इसने बड़े पैमाने पर फसलों तथा जन-सुविधाओं की बर्बादी की।

यद्यपि कृष्णा जिले पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। लेकिन गुन्टूर पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों जैसे अन्य जिलों में केला की फसल, पान तथा तम्बाकू की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य सरकार ने समय पर कार्य किया और विद्युत को पुन: युद्ध स्तर पर बहाल करने तथा टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 413 विशेष दलों को काम पर लगाया गया। राज्य सरकार ने भी जगहों को खाली कराने के लिए समय पर कार्य किया जिससे बहुत जानें बच गई।

चूंकि तूफान ने भारी दबाई मचाई थी केवल राज्य सरकार का प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार की मदद के लिए सरकार आगे आए तथा मानवीय आधार पर राज्य सरकार को अधिक से अधिक मदद करें तथा तूफान प्रभावित जिलों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता तथा धन उपलब्ध कराए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) बरेली-लखीमपुर-सीतापुर-लखनऊ मीटर गेज रेल लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर होकर लखनऊ तक पहुंचने वाली मीटर गेज की रेल लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। इस रूट पर तराई का क्षेत्र पड़ता है, जो मुख्य धारा से अलग-थलग होने के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। यह क्षेत्र जैव संपदा की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है तथा भूमंडलीकरण के युग में इसका बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे तराई क्षेत्र में विशेष निर्यात जोन की स्थापना की जा रही है। निकट भविष्य में यह क्षेत्र राष्ट्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ रेल लाइन को प्राथमिकता के आधारपर ब्राडगेज में परिवर्तित करने का कार्य करें।

(बारह) बिहार के खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन नदियों जिनसे बाढ़ और भू-क्षरण हो रहा है, पर ऊंचे बांध बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र खगड़िया, (बिहार) बाढ़ एवं कटाव से ग्रसित है। प्रतिवर्ष गंगा नदी नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न गांवों खैरपुर, अठगांवा, नवादा, राघोपुर, अलालपुर, पुलकिया, कमलाकुंड, बिंदटोली, रामनगर केलावाड़ी, कटारी तिनटंगा, बाबू टोला, बुद्धूचक तथा कोशी नदी कालूचक, चौरहर, बिसपुरिया, ढोरिया, श्रीपुर, पुनामा, मिल्की, सकुचा आदि गांवों को काटती है। गंगा प्रसाद बांध के भीतरी क्षेत्र में जल-जमाव के कारण हजारों एकड़ भूमि का फसल प्रतिवर्ष बरबाद होता है।

अत: इस क्षेत्र के अरबों की फसलें तथा कटावग्रस्त गांवों को बचाने के लिए नदियों पर ऊंचे बांध बनाने की नितांत आवश्यकता है, जो निम्न हैं—पकड़ा काठीधार बांध से परवत्ता सीमा तक रिंग बांध का निर्माण, काशीपुर बुटनी धार बांध से पकड़ा वासा के पश्चिम होते हुए मधेपुरा सीमा तक बांध निर्माण, गोपालपुर प्रखंड में गंगा प्रसाद बांध की मरम्मत एवं ऊंचीकरण, लक्ष्मीपुर सलेमपुर गंगा बेसीन बांध का ऊंचीकरण, लत्तीपुर नरकटिया बांध का ऊंचीकरण और करारी तिनटंगा से तीनटंगा दियारा तक बांध का मरम्मतीकरण।

अत: आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के भरोसे न रह कर अपने स्तर से कराने का आदेश जारी कर लाखों जनता का कल्याण किया जाये।

[अनुवाद]

(तेरह) उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा और बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती तटीय क्षेत्र में क्रीक सिंचाई को पुन: शुरू किए जाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): मैंने नियम 377 के अधीन 18 अप्रैल, 2001 को नदी शाखा (क्रीक) सिंचाई का मामला उठाया था। जवाब में, जल संसाधन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अऊल, राजकनिका, राजनगर, मोहाकलपाड़ा और केन्द्रपाड़ा जिला के पट्टामुनडाई खंडों में नदी शाखा सिंचाई को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है। वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ।

उड़ीसा में पूरे राज्य में सिंचाई की कमी है। सूखे की स्थिति में स्थिति और खराब हो जाती है जब कृषि भूमि सूख जाती है और खड़ी फसल वर्षा के अभाव में अंतत: बर्बाद हो जाती है

जो लघु अवधि वाले किसानों को दरिद्र और भूखमरी के कगार पर पहुंचा देती है। यद्यपि, जल संसाधन मंत्रालय उड़ीसा के भद्रक, केन्द्रपाड़ा तथा पुरी जिलों में भू-जल के रिचार्ज के माध्यम से खारे पानी को इस्तेमाल करने की योजना को अनुमोदित करने से मना नहीं कर रहा है फिर भी मेरे जिले केन्द्रपाड़ा के ब्लाक राजकनिका के लघु अवधि किसान भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यद्यपि नदी शाखा (क्रीक) सिंचाई के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत आकलन, जिसमें राजकनिका ब्लाक में नदी शाखा (क्रीक) सिंचाई को दर्शाया गया है, जुलाई, 2001 में मंत्रालय को सौंपा गया था लेकिन वह प्रस्ताव आज तक ज्यों का त्यों पड़ा है।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बंगाल में खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में नदी शाखा (क्रीक) सिंचाई को पुन: बहाल करने तथा राजकनिका, राजनगर, पट्टमुंडाई और केन्द्रपाड़ा जिला के मोहाकलपाड़ा ब्लाक को नदी शाखा (क्रीक) सिंचाई योजना में शामिल करे।

(चौदह) महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों को मासिक भत्ता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हमारे देश की आजादी के बाद से ही, 50 वर्षों से ज्यादा समय से भारत बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है। हर वर्ष बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। शिक्षित युवाओं-तकनीकी और गैर-तकनीकी, व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है और उनको सरकारी या निजी क्षेत्रों में कहीं भी काम नहीं मिल रहा है।

महाराष्ट्र में बहुत से युवाओं ने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद नियोजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्हें 5 या 7 वर्षों के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा है। यदि उनकी आयु नियोक्ता द्वारा निर्धारित आयु सीमा को पार कर जाती है तो वे सरकारी या निजी क्षेत्र, दोनों में किसी काम के बारे में विचार नहीं करते। उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिन बेरोजगार युवाओं ने पूरे देश में नियोजन कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराया है, पंजीकरण के दो वर्ष के बाद भी यदि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से तब तक बेरोजगारी पेंशन दिया जाए जब तक उन्हें उपयुक्त काम नहीं मिल जाता। मैं सरकार से इस योजना को क्रियान्वित करने तथा यथाशीघ्र अतिरिक्त काम उपलब्ध कराने/सृजित करने का अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) सी.बी.आई. तथा अन्य जांच एजेंसियों को संसदीय समिति के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): मैं संसद का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि सदन में पिछले सप्ताह पुन: सी.बी.आई. की भूमिका की चर्चा की गयी थी। मेरे विचार से यह अवांछनीय है क्योंकि इससे इन संस्थाओं की बदनामी होती है, कुछ आरोप सतही, काल्पनिक और बुरी नियत से लगाए गए होते हैं।

अत: मैं सिफारिश करता हूं कि 1947 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा गठित आसूचना एजेन्सियों जैसे सभी संगठन चाहे वह आन्तरिक हों अथवा बाह्य, सी.बी.आई. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, परमाणु कमान और नियंत्रण एजेन्सी तथा अन्य चाहे वह गुप्त रूप से कार्य कर रहे हों अथवा अन्य रूप से उन्हें संसदीय समिति की परिधि के अन्दर लाया जाए जिससे उनके कार्यकरण, प्रक्रिया वित्तपोषण और व्यय चाहे वह गुप्त हो अथवा जिसकी लेखा परीक्षा न की जा सके—सबकी निगरानी की जा सके ताकि वे संसद के प्रति जवाबदेह बन सकें।

मैं यह भी सिफारिश करता हूं कि यही संसदीय समिति भारत सरकार के कर्त्तव्यों की निगरानी करे जिसकी जिम्मेदारी इसे संविधान के अनुच्छेद 53 द्वारा सौंपी गयी है। इन सब कामों को दखने के लिए हमारे संसद में कोई प्रावधान नहीं है।

अपराह्न 2.03 बजे

विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक—*राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 24 पर विचार करेगी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 में संशोधन करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

खण्ड-2

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्:-

'(ii) खंड (ख) में, ''जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे'' शब्दों के स्थान पर जो ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।'

2. पृष्ठ 1,–पंक्ति 11 के कोष्ठक और रोमन अंक ''(ii)'' के स्थान पर ''(iii)'' प्रतिस्थापित किया जाए।

3. पृष्ठ 1,–पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(iv) खंड (ङ) में ''परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (च) में ''परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में, कोष्ठक और रोमन अंक ''(iii)'' के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक ''(vi)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में, कोष्ठक और रोमन अंक ''(iv)'' के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक ''(vii)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 8 में,

कोष्ठक और रोमन अंक ''(v)'' के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक ''(viii)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

खण्ड-3

7. पृष्ठ 2, पंक्ति 12-13 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''(1) परिषद का एक महानिदेशक होगा जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन परिषद के गठित किए जाने के पूर्व, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन गठित किसी परिषद की अवधि के दौरान उस परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक की प्रत्येक नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम दो नामों के पैनल में से की जाएगी।''

8. पृष्ठ 2, पंक्ति 14,–कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1क)'' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1ख)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

9. पृष्ठ 2, पंक्ति 15,–कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1ख)'' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1ग)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले इस सदन में पास हो चुका है। यहां पास होने के बाद इसे राज्य सभा भेजा गया था। इस बिल पर सारे राजनीतिक दलों की आम सहमति थी लेकिन वहां इसमें थोड़ा सा अमेंडमैंट हुआ है। यह बिल राज्य सभा के पास होने के बाद अब फिर इस सदन में पास होने के लिए लाया गया है, जहां इसकी अनुमति लेना जरूरी है।

मैं इस बिल पर बहुत चर्चा कराने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि इस पर पहले ही विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। मैं दो मिनट में काउंसिल बिल के बारे में बताना चाहूंगा कि यह बिल आज क्यों जरूरी हुआ और ऐसी कौन सी संस्था थी। यह ऐसी संस्था है जिसे राष्ट्र निर्माताओं ने स्वयं बनाया था। इसे बनाने वालों की फेहरिस्त मैं बताऊं कि कौन से लोग इसमें जुड़े हुए थे, तो उन नामों में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. श्री जाकिर हुसैन, श्री हृदयनाथ कुंजुरू तथा श्री तेज बहादुर सप्रू आदि ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मिलकर इस संस्था को बनाया था। बदकिस्मती से जिन लोगों ने इसे बनाया था, उनके दिमाग में यह बात नहीं थी कि आगे चलकर इस संस्था का स्वरूप बिगड़ जायेगा। शायद इसी को देखते हुए संसद की तीन स्थायी समितियों ने अपने सुझाव दिये थे कि इस संस्था को सरकार अपने हाथ में ले ले। उसी के तहत दोनों ने मिलकर यह बिल पास किया था जिसमें इस सदन की अनुमति भी मिली थी। राज्य सभा की भी हमें अनुमति मिली जिसके चलते यह बिल पास हुआ।

लेकिन कुछ लोगों के मन में यह शंका, शुबहा थी कि शायद इस बिल के तहत सरकार पूरी संस्था पर अपना कब्जा जमाना

[श्री दिग्विजय सिंह]

चाहती है जबकि हमारे मन में इस तरह की कोई नीयत नहीं है। इसलिए राज्य सभा में जब प्रस्ताव रखा गया, हमने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि हम मानते हैं कि सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन इंडियन काऊंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स जैसी संस्था देश की विदेश नीति को तय करने में 55 वर्षों से लगातार मदद करती रही है, सहयोग देती रही है और सही दिशा निर्धारण में अपनी पूरी शक्ति को उन्होंने अर्पित किया है। जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था, तब मार्च, 1947 में इसी इंडियन काऊंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा भारत की विदेश नीति और एशिया के देशों के साथ रिश्ते कैसे हों, इस पर एक एशियाई सम्मेलन किया था। कुल मिलाकर जो उसकी भूमिका थी, दुनिया की जिन बड़ी हस्तियों का नाम मैं लूं, जिनको विश्व राजनीति में जाना जाता है, उन सारे लोगों ने इंडियन काऊंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स में आकर अपने व्याख्यानों में अलग-अलग तरह से अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने आज से कुछ दिन पहले ही अपनी जजमैंट दी है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने ऐसी संस्था को अपने हाथ में लेकर बड़ा सही फैसला किया है। इसमें प्रधान मंत्री होंगे, लीडर आफ दी औपोजीशन होंगे, वाइस प्रैजीडैंट, जो उस सदन के अध्यक्ष हैं, उनको हमने पूरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इस हाउस के लीडर आफ दी पोजीशन और उस हाउस के लीडर आफ दी औपोजीशन सदस्य होंगे जो पूरी गवर्निंग काऊंसिल बनेगी। मुझे लगता है कि इस बिल में बहस करने की बहुत गुंजाइश नहीं है। यह सदन गवाह है कि जब भी विदेश नीति पर हममें आपसी थोड़े-बहुत मतभेद भी रहे हों, लेकिन हमने सर्वसम्मति से हमेशा अपनी विदेश नीति पर फैसले किए हैं और सारे देश की भाषाओं को एक भाषा के रूप में हमने दुनिया को अर्पित किया है। इसलिए मेरा यकीन और विश्वास है कि सदन इसे सर्वसम्मति से पास कर देगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इस पर लम्बे भाषणों की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक पहले लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। राज्य सभा द्वारा भी इसके खण्डों की व्यापक समीक्षा की गयी और उन्होंने पहले ही कुछ सुझाव दिए हैं। इस संस्था को दोष मुक्त बनाने के लिए सरकार ने भी अन्य पक्षों से परामर्श किया है।

माननीय मंत्री ने अभी जो कुछ कहा उसके आलोक में उनसे मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक भारत की विदेश नीति संबंधी मामलों को इस हाऊस नामत: सप्रु हाऊस द्वारा सुव्यवस्थित प्रबंधन किया गया है। पंडित नेहरू ने एशिया संबंधी भारत की विदेश नीति बनाते समय दिशा-निर्देशों को स्वीकार किया था। हां, आज की सरकार से विदेश नीति पर हमारा मतभेद हो सकता है क्योंकि पूर्व घोषित विदेश नीति में हम कतिपय अन्तर पाते हैं, विशेषत: पश्चिम एशिया के प्रति हमारे रवैये के संबंध में कुछ अन्तर है। किन्तु मैं यहां उन बातों में जाना नहीं चाहूंगा। उन बातों के लिए यह अवसर नहीं है। मैं माननीय मंत्री से केवल यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उन कर्मचारियों, जिन्होंने इस संस्थान की काफी समय तक सेवा की है, को संरक्षण प्रदान किया जाये। प्रबंधन सही या गलत हो सकता है किन्तु कर्मचारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि पुस्तकालय के सुसंरक्षण को सुनिश्चित करें क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषयों पर अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए अत्यन्त मूल्यवान है तथा एक समय ऐसा भी था जब यह विश्व के कई पुस्तकालयों के लिए यह ईर्ष्या का विषय था।

महोदय, इन शब्दों के साथ, इस विधेयक को पारित किए जाने की अनुशंसा करता हूं। क्योंकि हम सब इस विधेयक का समर्थन करते हैं तथा यह हमारे समर्थन के योग्य भी है। अभी राजनीतिक दलों के विचार को ध्यान में रखने के लिए मैं सरकार का आभारी हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, जब यह संशोधन बिल आया था तब उसे हमने पारित किया, जैसे मंत्री जी ने सदन को सूचना दी। राज्य सभा में जाने के पश्चात् उसमें संशोधन हुआ। उसे फिर से अनुमोदन कराने के लिए लाया गया है ताकि कि आजादी की लड़ाई के समय देश के जितने भी निर्माता और आजादी की लड़ाई के योद्धा थे, डा: राधाकृष्णन से लेकर पंडित जवाहर लाल नेहरू और तेजबहादुर सप्रू तक, इन सभी लोगों ने उस समय संगठन बनाकर देश की विदेश नीति कैसी हो, उसका निर्णय किया, चूंकि विदेश नीति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पुराने जमाने में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, डा. लोहिया के हिसाब से विदेश नीति का निर्धारण हुआ था और उसमें निर्गुट नीति अख्तियार की गई थी कि हम दुनिया के किसी ताकतवर खेमे में नहीं रहेंगे, हम अलग रहकर जितने गरीब और विकासशील देश हैं, सबको संगठित करके हिन्दुस्तान उनका नेतृत्व करेगा। यह सारा इतिहास वर्ल्ड काउंसिल में जमा है लेकिन उस पुस्तकालय का रख-रखाव, उसकी देखरेख और उसकी हालत बिगड़ती चली गई, गिरती चली गई और उसकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं हुई। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि जो कौमें अपने पुरखों को याद करती हैं, वे कभी भी गुलाम नहीं हो सकती, वे कभी दब नहीं सकती। हमारे पुरखों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका यह कीर्तिमान है, उनका दिशानिर्देश है कि उस समय में विदेश नीति किस ढंग की हो। इस देश की खूबी

रही है कि पक्ष, विपक्ष, सरकारी पक्ष, सत्ता-पक्ष और विपक्ष अनेक नीतियों पर लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं लेकिन जब विदेश नीति का मामला आता है तो सर्वसम्मति से उस पर फैसला होता है कि हमारी विदेश नीति कैसी रहेगी।

अभी इसमें वह संस्था रेलेवेंट है और उस संस्था को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे पुरखों ने जो दिशानिर्देश दिया था कि पड़ौसी राष्ट्र के साथ विदेश नीति कैसी होनी चाहिए और फिर दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, उसमें हमारा राष्ट्र सर्वोपरि रहे और देश में जो विश्व शांति का संदेश दिया जाता है, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जी के समय से जो नीतियां चली आ रही हैं तथा विश्व शांति और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मार्गनिर्देशन था, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई लड़ने में अभी तक जो नीति हमारी रही है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ मित्रता होनी चाहिए लेकिन सभी संस्थाएं तथा यह पुरानी संस्था जीवन्त थी। लेकिन अब माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि सरकार का कब्जा इस पर नहीं हुआ है, उसमें विपक्ष के नेता इस हाउस के और उस हाउस के, सब उस समिति में रहेंगे जो इसके संगठन को देखेंगे। माननीय मंत्री जी हमें आश्वस्त करें कि जो उसका उद्देश्य था, जिस तरह की जीवन्त संस्था बनी थी और हमारे महान पुरखों ने जो योगदान किया था, उस हिसाब से यह सरकार भी काम करेगी और उसमें कोई हेराफेरी करने की गुंजाइश नहीं होगी और कोई छल नहीं होगा क्योंकि ये लोग हरेक चीज में अपनी बात जोड़ते रहते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी हमें आश्वस्त करें कि जो अब तक इसका मार्गदर्शन रहा है, उसी हिसाब से यह सरकार चलेगी और वर्तमान परिस्थिति में क्या नीति होनी चाहिए जो देश के लिए अच्छी होगी, उस नीति का हम पालन करेंगे तब हम इसे पास करेंगे। ऐसे ही हम लोग पास करने वाले नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं श्री रघुवंश बाबू और दासमुंशी जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस बारे में अपनी राय जाहिर की है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विदेश नीति पर हमने न कभी ऐसी राय रखने की कोशिश की, जिसमें किसी बहस की गुंजाइश हो। देश की सबसे ज्यादा चिंता और देश का हित जिस नीति से सधता हो, हमने उसी को चलाने का प्रयास किया। दासमुंशी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम सरकार में हैं, कल अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो देश हित के खिलाफ हो तो आप भी नहीं कर सकते हैं। विदेश नीति में कोई भी सरकार आ जाए, देश का हित सर्वोपरि है और उसके बिना सरकार आगे नहीं चल सकती। इसीलिए आपने देखा कि कई अवसर आए, जब *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या मैं एक मिनट के लिए उन्हें रोक सकता हूं? मैं विदेश नीति पर चर्चा में शामिल होना नहीं चाहता था। किन्तु इन्होंने मुझे उकसाया है। सरकार का गोलान पहाड़ियों के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? जब इस्राइल निर्माण कर रहा है *...(व्यवधान)* यह सरकार मौन है। इस सरकार ने किसी मंच पर कोई विरोध नहीं किया है *...(व्यवधान)* आपने मुझे उकसाया है। इराक के बाद की स्थिति पर सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा है? इस संसद ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया कि गठबंधन फौजों को संयुक्त राष्ट्र को सौंपा जाना चाहिए। क्या आपकी सरकार उससे सहमत थी? सरकार की कार्यवाही क्या रही है? *...(व्यवधान)* आप मुझे उकसा क्यों रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष जी, अगर विदेश नीति पर अलग से बहस कराना चाहेंगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज जो हमारा बिल है, *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप हमें प्रोवक मत करिए।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें कोई सरकार अलग जाकर काम नहीं कर सकती। विदेश नीति में देश का हित सर्वोपरि है और जहां तक रघुवंश बाबू ने कहा कि इस पर हम लोग कब्जा करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत के उप-राष्ट्रपति जिस संस्था के अध्यक्ष हों, जिसमें सदन के सारे सदस्य गवर्निंग बाडी तय करने वाले सदस्य हों, लीडर आफ अपोजीशन हो, प्रधान मंत्री जी हों, वहां इस पर कब्जा करने की कोई शंका करना व्यर्थ है। हम इतना ही चाहते हैं कि उसकी खोई हुई गरिमा फिर से वापस आ सके, उसका अतीत फिर से स्थापित हो सके। इसके अलावा विदेश नीति में उनका जो सहयोग रहता है, वह मिलता रहे। इतनी ही हमारी इच्छा है और मुझे उम्मीद है कि यह सदन हमसे सहमत होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 में संशोधन करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

खण्ड-2

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्:-

'(ii) खंड (ख) में, ''जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे'' शब्दों के स्थान पर जो ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।'

2. पृष्ठ 1,–पंक्ति 11 के कोष्ठक और रोमन अंक ''(ii)'' के स्थान पर ''(iii)'' प्रतिस्थापित किया जाए।

3. पृष्ठ 1,–पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(iv) खंड (ङ) में ''परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (च) में ''परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथमत: उपधारा (1) अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में, कोष्ठक और रोमन अंक ''(iii)'' के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक ''(vi)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में, कोष्ठक और रोमन अंक ''(iv)'' के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक ''(vii)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 8 में,

कोष्ठक और रोमन अंक ''(v)'' के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक ''(viii)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

खण्ड-3

7. पृष्ठ 2, पंक्ति 12-13 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''(1) परिषद का एक महानिदेशक होगा जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन परिषद के गठित किए जाने के पूर्व, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन गठित किसी परिषद की अवधि के दौरान उस परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक की प्रत्येक नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम दो नामों के पैनल में से की जाएगी।''

8. पृष्ठ 2, पंक्ति 14,–कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1क)'' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1ख)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

9. पृष्ठ 2, पंक्ति 15,–कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1ख)'' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(1ग)'' प्रतिस्थापित किये जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड–2

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए अर्थात्:-

'(ii) खंड (ख) में, ''जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे'' शब्दों के स्थान पर जो ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।'

2. पृष्ठ 1,–पंक्ति 11 के कोष्ठक और रोमन अंक ''(ii)'' के स्थान पर ''(iii)'' प्रतिस्थापित किया जाए।

3. पृष्ठ 1,–पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(iv) खंड (ङ) में ''परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले'' शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (च) में "परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले" शब्दों के स्थान पर "प्रथमत: उपधारा (1) अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में, कोष्ठक और रोमन अंक "(iii)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(vi)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में, कोष्ठक और रोमन अंक "(iv)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(vii)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 8 में,

कोष्ठक और रोमन अंक "(v)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(viii)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-3

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

7. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 12-13 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) परिषद का एक महानिदेशक होगा जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन परिषद के गठित किए जाने के पूर्व, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन गठित किसी परिषद की अवधि के दौरान उस परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक की प्रत्येक नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम दो नामों के पैनल में से की जाएगी।"

8. पृष्ठ 2, पंक्ति 14,-कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1क)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1ख)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

9. पृष्ठ 2, पंक्ति 15,-कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1ख)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1ग)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.16 बजे

नागरिकता (संशोधन) विधेयक—*पारित*

[अनुवाद]

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

वैसे यह विधेयक एक ऐसी समिति की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राय: सभी प्रमुख दल थे। वर्षों से प्रवासी भारतीयों की मांग रही है कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भारत के संविधान में भी होनी चाहिए, उसकी पूर्ति इसके द्वारा की गई है। यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद संसद की संयुक्त स्थाई समिति में गया। स्टेंडिंग कमेटी ने इसमें जितने संशोधन सुझाए, प्राय: सभी केबिनेट ने स्वीकार कर लिए। केबिनेट द्वारा स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल फिर से राज्य सभा में गया। राज्य सभा में पिछले सप्ताह इसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि लोक सभा भी इसे सर्वसम्मति से इसे स्वीकृत करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाये।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेष विधेयक जिस पर पहले सभा में विचार किया गया था और स्थायी समिति को सौंप दिया गया था और उस पर सभी राजनैतिक दलों द्वारा व्यापक चर्चा की गई थी, अब अनुमोदन हेतु लोक सभा के सामने लाया गया है।

जैसा कि उप प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि मुख्य उद्देश्य दिल्ली में हुए पिछले भारतवंशी सम्मेलन, जो कि पुन: 5 से 9 जनवरी 2004 तक होगा, में सरकार द्वारा किए गए कतिपय वायदों को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार हमें विधेयक के पाठ पर कोई स्पष्ट आपत्ति नहीं है और मैं कुछ निश्चित शर्तें पढ़ना चाहता हूं जो कि खण्ड-7ख (2) में लगाई गई हैं।

एक अप्रवासी भारतीय नागरिक को भारत में नार्गारक को प्राप्त निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

(क) संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं।

(च) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अंतर्गत एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं।

(छ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के लोक सभा या राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, का सदस्य होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं।

ऐसे ही चीज उपखण्ड 'च' तथा 'ज' में देखी जा सकती है। स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि संविधान की भावना के अनुसार भारत के वास्तविक नागरिकों के मन से सभी आशंकाएं दूर की जाएं।

महोदय, मैं सरकार के विचारों तथा राज्य सभा के प्रतिष्ठित नेताओं जिन्होंने इस पर विचार-विमर्श किया और इसे स्वीकृति के लिए वापस लोक सभा के पास भेजा है के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। जो मैं अब कह रहा हूं वह विधेयक से सुसंगत नहीं है परन्तु इसका कुछ संबंध है।

भारत सरकार द्वारा इस विशिष्ट राष्ट्र के विदेशी नागरिकों, जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया है, को अधिकतम अवसरों का लाभ उठाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी जिसका उद्देश्य इस देश की बौद्धिक उपलब्धियों, पूंजी निवेश परिवेश में सुधार हेतु प्रौद्योगिकीय विकास में भागीदारी करने और देश की उच्चतम आर्थिक संवृद्धि में सहबद्धता और भागीदारी करना था।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं माननीय उप प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछली भारतवंशी बैठक से इस बैठक तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई। हम समझते हैं कि हमारे एक राजदूत कम से कम हैं। इससे बहुत भ्रम पैदा हो गया है। मुझे बताया गया है कि वह इस विशेष डेस्क की देखभाल कर रहे हैं। मैं उनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। किंतु मेरा कहना है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा देश के निवेश वातावरण को सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर सुनिश्चित तथा विनिर्धारित किया जाए। उन्हें सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आना चाहिए।

मैं भारत के बहुत से वैज्ञानिकों को जानता हूं जो बहुत समय भारत से बाहर बस गए हैं। उन्होंने अपने आप अन्य राष्ट्रों की नागरिकता ले ली। वे अक्सर भारत आते हैं, व्याख्यान देते हैं। हमें सलाह देते हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए और क्या न किया जाए। परन्तु जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की गई है दसवीं योजना में आठ प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या सरकार की उन अनिवासी भारतीयों के साथ स्पष्ट बातचीत हुई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वे प्रभावी ढंग से प्रवेश कर सकते हैं और भागीदारी कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक से मात्र इस बात का संदेश देना नहीं है कि आपने जो कुछ कहा, हमने उसे सुना और हम अपने कानून के अनुसार आपके विचारों को इसमें स्थान दे रहे हैं। इस विधेयक का एक विशेष प्रयोजन भारतीय अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों पर ले जाने का है। परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, मैं आपको बता सकता हूं—उप प्रधान मंत्री के पास कुछ और सूचनाएं होंगी—कि बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक जो बाद में अनिवासी भारतीय बन गए या संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए और उन्होंने वहां 'ग्रीन कार्ड' ले लिया या बाद में अमेरिका के नागरिक बन गए जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप

से जानता हूं और जो महान विद्वान हैं वे 'नासा' और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तरिक्ष अनुसंधान में योगदान कर रहे हैं। क्या उनमें से कुछ हमारे देश के अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम समुद्र विज्ञान कार्यक्रम में भी योगदान देंगे? इस विधेयक का लाभ उठाते हुए, इस विधेयक की सीमाओं का लाभ उठाते हुए, आप उन्हें वे सभी अवसर दे सकते हैं जिन्हें आप उन्हें देना चाहते हैं।

मैं एक विद्वान का नाम ले सकता हूं। उनका नाम श्री मणि भौमिक है। गत 20 वर्षों में भारत में ऐसा महान विद्वान पैदा नहीं हुआ। उनके वैज्ञानिक नवप्रर्वतक से पूरा यूरोप लाभ उठा रहा है। मैंने उनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री से पदक के लिए की थी। वह भारत के राष्ट्रपति के घनिष्ठ मित्र हैं। उनके योगदान से पूरा यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रज्वलित हो रहा है। भारत को उनकी बुद्धि और योगदान से वंचित क्यों किया जाना चाहिए?

इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य से लाभ उठाते हुए, सरकार को दसवीं योजना में हमारी अर्थव्यवस्था को और ऊंचाई पर ले जाने के साथ-साथ हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों, हमारे व्यापार प्रोत्साहनों, हमारी प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। तब जाकर यह हमारे देश के लिए बड़ी सहायता होगी। यह सारे प्रयोजन का औचित्य बता देगा।

खेल के क्षेत्र में, जब मैंने पूछा कि 'सौकर' के क्षेत्र में जमैका विश्व कप में कैसे आया और सूरीनाम ने इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे किया तो उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों में से 80 प्रतिशत भारतीय मूल के हैं।

भारत में हर चीज होने के बावजूद वे संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस और लंदन में विकास कर रहे हैं। अब वे वहां बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने पूछा "क्या इस प्रयोजनार्थ हम आपको ले सकते है क्योंकि आप भारतीय मूल के हैं?" उसने कहा "यदि आपके पास दोहरी नागरिकता से संबंधित कानून है तो हम इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।" पता चला है कि दोहरी नागरिकता से संबंधित विधेयक शीघ्र ही आ रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय मूल के कई लोगों जो बाद में विदेश में बस गए, ने मुझसे संपर्क करना आरम्भ कर दिया और पूछने लगे कि संशोधन कब पारित होगा।

तत्पश्चात् मैं विश्व की स्पोर्ट्स से संबंधित दूसरी समस्याओं में उलझ गया। उन्होंने कहा "यदि वे आपसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों और खेलों में भाग लेते हैं तो उन्हें अपनी पहले की नागरिकता का त्याग करना होगा और इस देश की पूर्ण नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए और इससे उन्हें सहायता मिल पायेगी" कई पेशेवर इस मुद्दे से सहमत हैं। हमें इसके लिए नया अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह से हमारे खेलों का बेहतर प्रयोजन हल हो जाएगा।

जहां तक व्यापार, वैज्ञानिक विकास और आर्थिक विकास का संबंध है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भारत वंशियों और हमारे राजदूतों के माध्यम से अन्य स्तरों पर व्यापक संवाद कायम किया है। इससे भारत को मिलने वाले तत्काल लाभ क्या हैं? यदि माननीय उप प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपनी राय शेयर करने के लिए इस सभा को विश्वास में लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी।

जब इस विधेयक को लाया गया था तो मुझे एक बात का डर था। मैं हल्के-फुल्के ढंग से बात कर रहा था। क्या जो आजादी से पहले भारत से बाहर पैदा हुए है उन्हें कोई समस्या होगी? मैं इस प्रश्न को इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि श्री आडवाणी और मेरी किस्मत एक जैसी है। हम अविभाजित भारत में जन्मे। अब वे स्थान पाकिस्तान में हैं। इसलिए बाद में, मैंने इस विधेयक की पूरी विषयसूची एकत्रित की। मैंने इस पर अपने नेता श्री प्रणव मुखर्जी और डा. मनमोहन सिंह से विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई डर नहीं है और न ही इस तरह की कोई बात होने जा रही है, इसका प्रयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को स्थान देने से है। मैंने विधेयक को पूरी तरह पढ़ा है। मैं इस संबंध में स्थायी समिति के विवेक, सरकार के विवेक की प्रशंसा करता हूं।

मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारी अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों के संबंध में भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए योगदान देता रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक स्थायी समिति में विचार-विमर्श के लिए भेजा गया था। स्थायी समिति की अनुशंसा के साथ वापिस आया और दूसरे सदन में प्रस्तुत हुआ कि एनआरआईज को दोहरी नागरिकता दी जाए। एनआरआईज सचमुच में हमारे देश के पुरुषार्थ लोग हैं। तीन तरह के पुत्र होते हैं—एक, लौह पुत्र; दो, पैरवी पुत्र और तीन, द्रव्य पुत्र। लौह पुत्र जिन्होंने अपनी धरती पर जन्म लिया, मेधावी हैं, वे विदेश में जाकर अपने पुरुषार्थ से अपना जीवनयापन करते हैं, कारोबार करते हैं और धन हासिल करते हैं। अमरीका में अपने देश के 20 लाख ऐसे लोग हैं, जो व्यापार करते हैं या इंजीनियर हैं या प्रोफैसर हैं या डाक्टर-आदमी या जानवर, दोनों तरह के हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इस तरह से हिन्दुस्तान के चार तरह के लोग हैं, जो बाहर गए हैं। 1995 में 13 लाख लोग थे और अब 20 लाख एनआरआईज हैं। उन लोगों की हम यहां से मदद नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग विदेशों में मेधा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, काबलियत के बल पर अपने देश की मदद करते हैं और देश की आमदनी बढ़ाते हैं। यही एनआरआई लोगों की खूबी है।

महोदय, इसी तरह से अन्य देशों में भी दो प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो बाहर जाकर बस गए हैं। उनके पुरखे वहां मजदूरी करने के लिए पानी के जहाज से गए थे और वहां जाकर बस गए। ऐसे लोग संसार के विभिन्न देशों में हैं। आज उनकी संख्या बढ़ गई है और उनको अपने देश की मातृभूमि की याद है। ऐसे लोग फिजी, गुयाना और मोरिशस आदि देशों में हैं। मोरिशस देश में जाने से ऐसा एहसास नहीं होता है, हम किसी दूसरे देश में हैं। इस विषय में एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। मैं जानना चाहता हूं, उस समिति की अनुशंसाओं का क्या हुआ? ऐसे इंडियन ओरिजिन लोग, जो दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, हिफाजत करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एन.आर.आई. लोगों ने अपनी मेहनत और मेधा के बल पर बाहर के देशों में हलचल मचाई है। अब दुनिया में बड़ी कड़ाई हो गई है। विदेशों में लोग बड़े सख्त कानून बना रहे हैं। यदि वे लोग सख्त कानून बना रहे हैं और हम भी उसी तरह से उनके साथ सख्ती करेंगे तो उचित नहीं होगा। इसलिए दोहरी नागरिकता वाला सवाल ठीक है। जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया है, जो यहां बड़े हुए हैं, जिन्होंने यहां विद्या और बुद्धि हासिल की और फिर विदेशों में जाकर अपना ज्ञानवर्धन किया। हमारे यहां के डा. खुराना हुए हैं, जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। श्री अमृत्य सेन को भी नोबल पुरस्कार मिला था। हम लोगों ने दावा किया और गौरवान्वित हुए कि ये हिन्दुस्तानी हैं। यहां के लोगों ने विद्या के क्षेत्र में, मेधा के क्षेत्र में विज्ञान और बोटेनी में डा. खुराना ने नाम कमाया। वे सब एन.आर.आईज. थे, यहां से उनकी जड़ काट दी गई और वे वहां के हो गये। लेकिन दोहरी नागरिकता की सुविधा होने से जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया है, वे हमारे देश के नागरिक भी रहेंगे। उनकी काबलियत से और उनके द्वारा पूंजी निवेश से हमारे देश को मदद मिलेगी। इसलिए दोहरी नागरिकता वाला एक अच्छा कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, एन.आर.आईज. को यहां घर भी मिलेगा। हमने सुना है कि एन.आर.आईज. के नाम पर भवन का शिलान्यास हुआ है। जो लोग विदेश से यहां आयेंगे, उन्हें रहने के लिए जगह मिलेगी। खासकर इस महीने में बहुत अधिक लोग आते हैं। वहां बहुत ठंडे मुल्क हैं। मैं फिनलैंड गया था। वहां दिसम्बर में दो महीने की रात होती हैं और जून में दो महीने के दिन होते हैं। हमने सोचा कि यहां हिंदुस्तानी आदमी मिलेगा या नहीं। लेकिन देखा कि बिहार के वर्मा जी वहां भी दुकान किये हुए हैं। कोई खाली नहीं है। दुनिया के मुल्क में जहां कठिन भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थिति हैं, वहां भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका में बीस लाख यहां को लोग हैं। वहां फर्स्ट, सैकिन्ड और थर्ड क्लास सभी तरह के लोग हैं, लेकिन एक नम्बर पर इकोनोमी कैटेगरी के मामले में हमारे लोग हैं। हमारे यहां से बिहार के आदमी बाहर जा रहे हैं, कहते हैं कि वहां मजदूरी और ढुलाई का काम करता होगा। लेकिन अमरीका में मजदूरी और ढुलाई करने वाले लोग नहीं हैं। वे एक नम्बर की स्लैब में हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई डाक्टर है। वहां वेटरिनरी डाक्टरों का बड़ा महत्व है। वहां छोटे और बड़े जानवरों के अलग-अलग डाक्टर होते हैं। ब्रिटेन में भी हमारे देश के डाक्टर अपनी काबलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहां के डाक्टर इतने ज्यादा प्रतिभाशाली हैं कि उन्होंने वहां के डाक्टरों को फेल कर दिया है। इसलिए एन.आर.आईज. को दोहरी नागरिकता की सहूलियत देने की जो बात हो रही है, वह बिल्कुल ठीक है। इस बिल को पारित कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने हेतु मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। हमने समिति में इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की है।

महोदय, यह स्वागतपूर्ण उपाय है और इस विधेयक के माध्यम से उन देशों जिन्होंने दोहरी नागरिकता प्रणाली को अपनाया है को भारत द्वारा परस्पर स्वीकृति दी गई है। इससे पहले इस सूची में आठ देश थे अब हमने आठ और देशों को शामिल कर लिया है। यद्यपि भारतीय विश्व भर में फैले हुए हैं विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। उन दिनों लोग कहा करते थे कि देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है। अब, ऐसा नहीं है। हमारे लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और विश्व भर में हैं और वे नई खोजे करते हैं। भारत ने कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी मातृभूमि के सपूतों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में बाजार तैयार किया है और अमेरिका भारतीयों के बिना कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सका है।

महोदय, पिछले महीने ही मैंने टोकियो की यात्रा की थी, मुझे वहां भी भारतीय मिले थे। हमारे राजदूत ने कहा कि कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जापानी भारतीयों पर निर्भर करते हैं।

जैसा कि मैंने अभी कहा कि अमेरिका भी इंजीनियरिंग में पारंगत भारतीयों से सहायता लेने हेतु आशा लगाए बैठा है क्योंकि हम ही विश्व भर में इंजीनियरिंग के शीर्ष स्थान पर हैं। इस विधेयक से हमारी मातृभूमि के सपूतों को दोहरी नागरिकता के अधिकारों की सुविधा मिल जाएगी।

महोदय, यद्यपि वे संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों में जा कर बस गए हैं लेकिन वे भारत को नहीं भूले हैं क्योंकि वे हमारे देश में पले-बढ़े हैं। और यही शिक्षा पाई है। वे हमारे देश की सहायता विदेशी मुद्रा के अर्जन में कर रहे हैं। इस संबंध में यद्यपि अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक नहीं हैं और वे विदेशों में काम करते हैं लेकिन वे विदेशी मुद्रा के अर्जन में हमारे देश की सहायता करते हैं। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में वे हर दिन नई खोज और नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। वे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी शीर्ष पर हैं और अमेरिका के अस्पतालों में लोग अपने इलाज हेतु भारतीय चिकित्सकों की ओर देखते हैं। वे अमेरिका के चिकित्सकों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं।

यह विधेयक विदेशों में बसे हमारी मातृभूमि के सपूतों की उपलब्धियों को स्वीकार करता है और उन्हें दोहरी नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का, रघुवंश जी का और डा. पांडियन जी का, जिन्होंने सदन की सर्वसम्मत राय को प्रकट करते हुए इस बिल का स्वागत किया है, इस बिल का समर्थन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि आज विश्व भर में भारत की जो इज्जत है, भारतीयों का जो आदर है, उसका एक प्रमुख कारण है प्रवासी भारतीय, जो विश्व भर में फैले हुए हैं और जिन्होंने अपनी-अपनी प्रतिभा से, अपनी-अपनी मेधा से जिन-जिन देशों में वे रहते हैं, उनकी भी सेवा की है और साथ-साथ भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध प्राय: बनाए रखे हैं और सदैव इस बात की तत्परता दिखाई है कि हम भी जो कुछ कर सकते हैं भारत की उन्नति के लिए, वह करने को तैयार हैं।

वर्षों से मैं जानता हूं कि सांसद के नाते जब भी मैं विदेश जाता था तो कुछ देशों में निश्चित रूप से यह मांग की जाती थी कि हमारे यहां पर भी दोहरी नागरिकता की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। फिर एक समिति बनाई गई, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि थे। उस समिति ने डा. सिंघवी जी के नेतृत्व में यह सुझाव दिया और उसके बाद क्रमश: धीरे-धीरे करके हम आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं और आज इसे करना इसलिए भी हमें जरूरी लगता था कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर, आने वाली 9 जनवरी को जब विश्व भर के प्रवासी भारतीय यहां आएंगे तो उनके सामने हम कह सकें कि हमने पिछले साल जो आपको वचन दिया था, उसे हमने पूरा किया। मैं मानता हूं कि भारत ने जो अपने सामने स्वप्न रखा है, लक्ष्य रखा है कि हम जल्दी से जल्दी दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में पहुंच जाएं, उसकी पूर्ति में यह विधेयक भी सहायक होगा और भारतवासी और भारतवंशी मिलकर भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनाएंगे।

जो कुछ बातें पूछी हैं प्रियरंजन दासमुंशी जी ने और रघुवंश जी ने भी जिनका उल्लेख किया है, उस दिशा में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: सदन का आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध करता हूं कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 19 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 19 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको विदित है कि 19 दिसम्बर, 2003 को हुई कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक, 2003 पर मतदान आज 3.30 बजे होगा। कोहरे के कारण, सुबह की कई उड़ानों में विलम्ब के कारण अनेक सदस्य दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते, इसके लिए संविधान के अंतर्गत न्यूनतम सदस्य संख्या अपेक्षित है। इसलिए, यदि सभा सहमत हो, तो हम सबसे पहले भारतीय तार (संशोधन) संख्यांक 2 विधेयक 2003 पर विचार और उसे पारित करने के लिए ले सकते हैं और तत्पश्चात् संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक, 2003 को लेंगे। इस पर मतदान के समय की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

कतिपय सदस्यगण: ठीक है महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मद संख्या 26 और 27 को एक साथ लिया जाएगा।

अपराह्न 2.42 बजे

भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—*पारित*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 नवम्बर, 2003 को प्रख्यापित भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसद इस बात से भलीभांति परिचित है कि जब कभी ऐसा होता है तो एक अध्यादेश लाने हेतु संवैधानिक उपबंध लाना एक असाधारण स्थिति होती है और यह सरकार की बाध्यता होती है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक का पाठ और इसकी मूल भावना कतिपय जरूरी विवशताओं से संबद्ध है। किंतु इस सभा में ऐसी क्या विवशता है? संभवतया पहली बार ऐसा हुआ है—मैं पूर्ववर्ती उदाहरणों के बारे में नहीं जानता हूं, यदि कोई पूर्वोदाहरण है तो माननीय मंत्री उसका उल्लेख कर सकते हैं। अभी तक यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब कभी यह सभा नियमावली पुस्तका को संशोधित करने की योजना बनाती है तो जब इस प्रस्तुत किया जाता है तो इसे व्यापक चर्चा हेतु और मंत्रालय को इसकी सामूहिक समझ और राय हेतु मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक विधेयक को एक स्थायी समिति के पास भेजा जाता है।

जैसे ही कोई विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वह सभा की संपत्ति बन जाता है। जैसे ही किसी विधेयक को एक स्थायी समिति के पास भेजा जाता है तो न केवल वह उसकी संपत्ति बन जाता है अपितु उस स्थायी समिति की यह जवाबदेही बन जाती है कि वह संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और यह निर्देश दे कि सरकार इस विधेयक को पारित करने कि दिशा में क्या कर रही है। ऐसा पहले भी हुआ है।

अभी-अभी माननीय उप-प्रधानमंत्री ने एक विधेयक अनुमोदित कराया है। राज्य सभा में इसे पुर:स्थापित करने के बाद, इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति की व्यापक चर्चा ने सरकार को विभिन्न मतों पर विचार करने और उन्हें मानने के लिए काफी गुंजाइश दी। तत्पश्चात् अंत में सरकार ने विधेयक का एक व्यापक उद्देश्य प्रस्तुत किया। हमारी संसद इस प्रकार कार्य करती है।

महोदय, दूरसंचार का देश के सबसे बड़े प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के कारण, मैं समझता हूं कि सरकार ने एक विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और दृष्टिकोण अपनाया है। माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक से इस मामले को स्थायी समिति के पास भेज दिया और स्थायी समिति संसद को शीघ्र एक प्रतिवेदन देने के लिए इस मामले पर विचार कर रही है। इसी दौरान, सरकार ने स्थायी समिति और माननीय अध्यक्ष, जो सभा के संरक्षक हैं, को सूचित किए बिना यह कहते हुए राष्ट्रपति चली गई कि अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए एक अध्यादेश की जरूरत है।

और 'राष्ट्रपतिजी' का भारत के संविधान के अनुरूप, अध्यादेश के संवैधानिक उपबंध लागू करने के लिए भी सदैव मंत्रिपरिषद् द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। सरकार ने ऐसा किया और 'राष्ट्रपतिजी' ने भी कार्यवाही की।

हमें इस बात पर आश्चर्य है कि अब इस सरकार की यह आदत बन गई है कि वह अपनी जवाबदही को हरसंभव तरीके से न्यायोचित ठहराने के लिए संसद को नजरअंदाज करती है। एक अन्य दिन उच्च न्यायालय ने यह कठोर टिप्पणी की थी कि इस सभा द्वारा पारित किए गए विधान को न्यायालय से बाहर विनिवेश के नाम पर बदला नहीं जाना चाहिए। एचपीसीएल और बीपीसीएल के मामले में मामला अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। इस सभा में कई बार यह तर्क दिया गया है कि अध्यादेश के मामले में, अत्यावश्यकता के तर्क का न केवल पालन किया जाए अपितु यह संसदीय प्रक्रिया को भी संतुष्ट करे। मैं इस तर्क को समझ सकता हूं। आप इस बात पर दलील दे सकते हैं। क्या संसदीय स्थायी समिति की एक अन्य उप-समिति द्वारा कार्यवाही जारी रखने पर संसदीय प्रक्रिया को संतुष्ट किया जा सकेगा? यह संसदीय व्यवहार और प्रक्रिया पर हमला करने और स्थायी समिति के विचार-विमर्श को समाप्त करने का सोचा-समझा प्रयास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि यह अध्यादेश लाने से पहले उन्होंने स्थायी समिति को इसके बारे में सूचित क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए किया गया कि स्थायी समिति के सदस्य आ गए थे। उनके टीए/डीए का भुगतान भारत के संचित कोष से किया जाता है। यदि सरकार समय पर सूचना दे देती तो एक विशेष उद्देश्य के लिए किए गए व्यय से बचा जा सकता था। सरकार ने सभा के संताप को कम करने के लिए इस विधेयक को वापस ले लिया और आग्रह करके एक अन्य विधेयक ले लाई।

अत:, मैं पुरजोर यह महसूस करता हूं कि संचार मंत्री जोकि एक विख्यात पत्रकार हैं, संभवतया एक प्रसिद्ध संसदविद् नहीं जाने जाएंगे जिन्हें सभा की कार्यवाही और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को भविष्य में इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। किसी भी विधान को पुर:स्थापित करते समय उन्हें दो बार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थायी समिति में उस पर क्या प्रगति हुई है। मंत्रीजी को हाथ जोड़कर अध्यक्ष और इस स्थायी समिति के सभापति, दोनों, से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहिए। महोदय, मुझे खेद है, मैं इस बात की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।'' यह इस सभा की परम्परा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम इस प्रक्रिया से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए महोदय, मैं अपनी निरनुमोदन सूचना पर कायम हूं।

श्री अरुण शौरी: श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक तर्कसंगत बात उठाई है जैसाकि जब पूर्ववर्ती विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी जा रही थी, तब भी उन्होंने यह बात उठाई थी। महोदय, मैं उनको यह बताना और आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्थायी समिति का अनादर करने अथवा उसके प्रति थोड़ी सी भी निरादर दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मामले को और मेरे ध्यान में लाया गया और जैसे ही मुझे यह सूचना मिली कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने अध्यक्ष को पत्र लिखा है तो मैंने तुरन्त अध्यक्ष को पत्र लिखा।

आप हाथ जोड़कर क्षमायाचना करने के संबंध में, यदि मैं ऐसा कहूं कि मैंने पत्र में अध्यादेश को प्रख्यापित करने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट कर दिया था और मैंने यह कहा था कि यदि आप निदेश दें और यदि अध्यक्ष इसे ठीक समझते हों तो मैं स्थायी समिति से अगली बैठक में उपस्थित होने का अनुग्रह करूंगा और उन्हें इस संबंध में व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त करूंगा।

महोदय, अध्यक्ष ने उदारतापूर्वक इस मामले को लिया और स्थायी समिति के सभापति ने भी बैठक में भाग लिया। हमने परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार किया और हमने एक समझौते के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उस विधेयक को वापस लिया और एक नया विधेयक लाया गया।

किंतु, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि संसदीय मामलों में उनके लंबे अनुभव से मुझे इन मामलों को सीखने में काफी सहायता मिली है। मैं उन्हें यह यकीन दिलाता हूं कि जहां तक हमारे विभाग का संबंध है, हम जल्दी-जल्दी विधेयक नहीं लाएंगे ताकि इस प्रकार की बात न हो।

क्या मैं कारण का उल्लेख कर सकता हूं। ऐसा क्यों हुआ। यह अध्यादेश क्यों लाया गया? जैसाकि आपको याद होगा पिछले सत्र में यह विधेयक लगातार पांच दिनों तक पुर:स्थापित करने और विचारार्थ हेतु कार्यसूची में था। किंतु कुछ परिस्थितियों, जिनके बारे में सभा भली-भांति जानती है, के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): इस पर कैसे विचार किया जा सकता है? यह स्थायी समिति को भेजा जाना था ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं इसी बात पर आ रहा हूं।

स्थायी समिति इस बात का आग्रह कर रही थी कि ग्रामीण टेलीफोन काफी महत्वपूर्ण है और वह सरकार से तत्काल कोष सृजित करने का अनुरोध कर रही थी। अत: इस सभा के सभी सदस्यों की इच्छा और स्थायी समिति के पुरजोर आग्रह को पूरी करने के लिए हमने राष्ट्रपति से अध्यादेश को पारित करने की सिफारिश की ताकि कोष सृजित किया जा सके। परिस्थिति को समझा जाना चाहिए।

[श्री अरुण शौरी]

1999 से आपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व पर यह कर लगाया जा रहा है और राशि एकत्र की जा रही है। अब दो वर्षों के लिए उसका पांच प्रतिशत ग्रामीण टेलीफोन में प्रयोग के लिए निर्धारित किया जाना है। महोदय, यदि आप देखें तो इस अवधि में यह हुआ है कि इस कोष के अंतर्गत ग्रामीण टेलीफोन के लिए गत वर्ष 1653 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। इस वर्ष हमें यह आशा है कि उस पांच प्रतिशत कर से ग्रामीण टेलीफोन के लिए 2,203 करोड़ रुपये सृजित होंगे। किंतु गत वर्ष क्योंकि कोष सृजित नहीं किया गया था, विभाग को ग्रामीण टेलीफोन के लिए केवल 300 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस वर्ष, अब लगभग तीन चौथाई वर्ष बीत गया है और 2,200 करोड़ रुपये अर्जित होने हैं किंतु वित्त मंत्रालय के लिए इस प्रयोजनार्थ केवल 100 करोड़ रुपये आवंटित करना ही संभव है। स्थिति यह है। हम उस 100 करोड़ रुपये का भी उपयोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि कोष सृजित नहीं किया गया है। इस कारण से कोष सृजित करने के लिए और संसद में पुन: जाने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।

महोदय, मैं सभा को पूर्ण आश्वासन देता हूं कि स्थायी समिति और इस सभा के सभी पक्षों के सदस्यों के आग्रह के अनुसरण में हम यह कदम उठाया है। पहले मैंने स्वयं अध्यादेश प्रख्यापित करने आदि विरोध में लिखा था। यह एक अपवाद वाली स्थिति है और केवल इसी कारण हमने अध्यादेश जारी किया। अत: मैं श्री दासमुंशी को यह बताना चाहता हूं कि ये तथ्य स्थायी समिति के सभापति और अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और मैं यह समझता हूं कि उन्होंने परिस्थितियों को समझा। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस विधेयक पर आगे बात करूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आगे बात करें।

श्री अरुण शौरी: महोदय, विधेयक के प्रश्न पर यह सर्वविदित है कि गत अनेक वर्षों में सारा दूरसंचार क्षेत्र देश की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मैं समझता हूं कि हम संभवतया सारे विश्व में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला दूरसंचार बाजार है। अकेले मोबाइल टेलीफोन के क्षेत्र में अब हमें प्रतिमाह 1.3 मिलियन नए ग्राहक मिल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): यह उसी अवसंरचना के साथ हो रहा है। यही समस्या है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदया, क्षमा करें। मैं इसी बात पर आ रहा हूं। वास्तव में अवसंरचना में सुधार हो रहा है क्योंकि मैं सूचना प्रौद्योगिकी का काम भी देख रहा हूं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उदाहरण के लिए फाइबर नेटवर्क के क्षेत्र में हमने देश में केवल 4-5 वर्षों में लगभग 5,00,000 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है। यह एक विश्व स्तरीय उपलब्धि है। मैं इस पक्ष का उस पक्ष का दावा नहीं कर रहा हूं। यह समग्र रूप से पूरे देश और इस व्यक्ति विशेष के लिए बड़ी उपलब्धि है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, तीन चौथाई भारतीय गांवों को अभी ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाना है। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूं। गत तीन वर्षों से मैं यह सुन रहा हूं किंतु आज तक मेरे क्षेत्र के तीन-चौथाई भाग में ऑप्टिक फाइबर नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, काम रातोंरात नहीं होता है। हमें एक संपूर्ण महाद्वीप होने पर गर्व है। मैं समझता हूं कि हमें केवल उन बातों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए जिसे हम नहीं कर सके हैं। हर कोई चीज तुरन्त हर जगह नहीं पहुंच सकती है। हम प्रगति की दिशा और प्रगति के स्तर पर गर्व कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं एक निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अरुण शौरी: मैडम, मैं अपनी बात पांच मिनट में पूरी कर लूंगा। संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने से पहले हमें इस विधेयक को पारित करना होगा।

इसका एक पहलू यह है कि, जैसाकि आप जानते हैं, टेलीफोन दरों में पूरी तरह से गिरावट आ गयी है जिसका कारण सरकार की नयी नीतियां हैं जिन्हें इस सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिन पर चर्चा की गयी और जो मूल्य 13 अथवा 14 रुपये प्रति मिनट थे आज वह 1.70 रुपये प्रति मिनट रह गया है और आज दो अथवा तीन सैन्ट प्रति मिनट के हिसाब से आज हमारे पास सारे विश्व में दूरभाष प्रणाली की सबसे कम और सबसे सस्ती दरें हैं।

इसका एक पहलू यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष प्रणाली में, हमें बड़े कदम उठाने होंगे। वस्तुत: ऐसा नहीं है कि दो-तिहाई भाग को ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ा नहीं गया है। निश्चित रूप से, वस्तुस्थिति यह है कि 6,00,000 गांवों में से 5,17,000 गांवों में दूरभाष प्रणाली है। पुन: यह एक विश्व स्तर की उपलब्धि है। विश्व में ऐसा अन्य कोई देश नहीं है, चीन भी नहीं है जो इस तरह की दूरभाष प्रणाली के कवरेज को स्थापित कर सका है। *...(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): पूर्वोत्तर में जनजातीय क्षेत्रों का क्या हुआ? मेरे जनजातीय क्षेत्र में ऑप्टीकल फाइबर का एक भी कनैक्शन नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: अब मेरे प्रतिष्ठित संसदविदों जैसे कि मेरे प्रिय मित्र के कारण वहां शांति लौट रही है, मुझे विश्वास है कि हम वहां दूरभाष प्रणाली को फैला पाएंगे।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं सुरक्षा कारणों से पूर्वोत्तर में मोबाइल सेवा का विस्तार करना संभव नहीं हो पाया है। इस सरकार के प्रयासों के कारण गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के वे सभी प्रयास हैं जिससे सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्रदान की गयी है और प्रधानमंत्री जी ने नागालैंड तक में कुछ सप्ताह पहले मोबाइल सेवा का उद्घाटन किया जिसके बारे में एक वर्ष पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। महोदय इसे हम बखूबी जानते हैं।

महोदय, ग्रामीण दूरभाष प्रणाली में, दूरभाष घनत्व चार वर्षों में तीन गुना बढ़ गया है—पहले से तीन गुना बेहतर हुआ है। यह पहले 1999 में 0.5 हुआ करता था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): उपाध्यक्ष महोदय, निकोबार के डाउन साउथ में ट्राईबल विलेजेज में कोई टेलीफोन फैसीलिटी नहीं है *...(व्यवधान)* ऐसे 70 से ज्यादा गांव हैं। वहां किसी ने कभी ऑप्टीकल फाइबर का नाम नहीं सुना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अरुण शौरी जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। इस विधेयक पर तीन सदस्यों को बोलना है। अब हमें इसे समाप्त करना होगा। अन्य विषयों पर विचार किया जाना है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

हमें इस कार्यक्रम के लिए आगामी वर्ष में 27,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस विशेष निधि में, इस पांच प्रतिशत कर से, हमें दसवीं योजना के दौरान 27,000 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं जिसकी आवश्यकता ग्रामीण दूरभाष प्रणाली को है और जिसे बी.एस.एन.एल. द्वारा किया जाना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना बी.एस.एन.एल. को प्रति वर्ष केवल एक करोड़ रुपया प्रदान करती है। इसलिए, हमारे पास केवल तीन करोड़ रुपये हैं। हमें 27,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और वह केवल इस कोष के बनने से ही प्राप्त होगा। इसीलिए, मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं। अन्य ब्यौरे भी इसमें हैं। अगर सदस्य चाहेंगे तो मैं उन पर भी चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 नवम्बर, 2003 को प्रख्यापित भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री पवन कुमार बंसल जी अब आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): ग्रामीण इलाकों में डब्ल्यूएलएल भी काम नहीं कर रहा है। *...(व्यवधान)* वहां इन्होंने केबल बिछाने का काम भी बंद कर दिया है। *...(व्यवधान)* कहीं केबल बिछाया ही नहीं जा रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रिप्लाई में आपको सवाल पूछने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हमारे इलाके में भी मोबाइल सेवा चालू करें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रामदास जी, अगर आप आराम से बैठेंगे तो आपको भी मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं श्री पवन कुमार बंसल जी को पहले ही बोलने के लिए कह चुका हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999 में सरकार ने अपनी नयी दूरसंचार नीति से सभी लोगों के लिए किफायती और उचित मूल्य पर मूलभूत दूरसंचार सेवाओं का पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई थी।

नयी दूरसंचार नीति में आगे यह बताया गया है कि सरकार का "सार्वभौमिक सेवा लक्ष्यों" से तात्पर्य क्या है। इन तीनों में

से मैं केवल एक का जिक्र करूंगा अर्थात् देश में वर्ष 2002 तक शामिल नहीं किये गये शेष 2.9 लाख गांवों को दूरभाष और लो स्पीड डाटा सेवाएं प्रदान करना।

अपराह्न 3.00 बजे

हम वर्ष 2003 के अंत के निकट हैं। मैं यह मानता हूं कि प्रगति कुछ भी रही तो, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि ग्रामीण दूरभाष घनत्व आज 1.5 है। जैसाकि हम सभी जानते हैं, सांख्यिकी मानवीय चेहरों की भांति धोखा दे सकती है। आज बात यह है कि आप देश के आधे गांवों में टेलीफोन नहीं हैं। लगभग 94,000 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं। यह एक मौलिक न्यूनतम आवश्यकता है। अगर मैं सरकार द्वारा प्रयुक्त शब्द अर्थात् 'एक्सेस' का अर्थ बताऊं तो वह आम आदमी की केवल आम सेवाओं तक पहुंच होगी। हमें वास्तव में सार्वभौमिक सेवा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना है और न कि सार्वभौमिक पहुंच के लिए। जब तक आप गांवों सहित देश भर में मांग पर प्रत्येक व्यक्ति को दूरभाष प्रदान नहीं करते, आप सार्वभौमिक सेवा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इतना कहकर मैं यह कहना चाहूंगा, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है, कि सार्वभौमिक सेवा के दायित्व और कोष के कार्यान्वय में विलंब के कारण दूरभाष घनत्व को बढ़ाने के हमारे प्रयासों में काफी अड़चनें आयी हैं।

अब तक, दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों को दूरभाष सेवा प्रदान करने का सारा भार दूरसंचार विभाग और इसके बाद बी.एस.एन.एल. पर डाल दिया गया है। बी.एस.एन.एल. को काफी कठिन काम करना पड़ता है। विभाग के बी.एस.एन.एल. में निगमीकरण के पश्चात् जो सहायता भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए थी—मैं किसी विशेष मंत्रालय की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं—विशेषकर वित्त मंत्रालय तैयार नहीं था। इसी तरह बी.एस.एन.एल. भी सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहा।

मंत्री जी ने हमें बताया कि गत वर्ष के दौरान 1,653 करोड़ रुपये की उगाही की गयी थी और इस वर्ष सार्वभौमिक सेवा कोष के कारण 2,200 करोड़ रुपये की उगाही की जा सकी है और मैं समझता हूं कि इसका एक बड़ा भाग—वह मुझसे सहमत होंगे—बी.एस.एन.एल. द्वारा दिया गया। मैं समझता हूं कि अकेले बी.एस.एन.एल. ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की।

दायित्वों की बात करें तो वस्तुत: यह अब तक केवल बी.एस.एन.एल. की जिम्मेदारी रही है। जब प्राइवेट ऑपरेटरों को लाइसेंस दिये गये थे, वे शामिल नहीं किये गये गांवों में ग्राम सार्वजनिक दूरभाष की कुल संख्या प्रदान करने के लिए विवश थे। यदि माननीय मंत्रीजी यह बताएंगे कि उनमें से वास्तव में कितनों ने गत कई वर्षों में अब तक अपने उत्तरदायित्व पूरे कर दिये हैं, तो मैं उनका आभारी हूंगा।

एक वर्ष पहले, निर्धारित 95,000 या इससे अधिक में से केवल 8,000 अथवा इससे अधिक ग्राम सार्वजनिक दूरभाष गैर सरकारी ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराये गये। वे केवल अमीर वर्ग चाहते हैं। वे दोनों जहान की उत्तम चीजें चाहते हैं। जब पिछड़े, दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की बात आती है तो वे लापरवाह नहीं हो सकते। सरकार इन दायित्वों को उनसे पूरा कराने में विफल रही अथवा ऐसा करने की उनकी इच्छा नहीं रही। मैं जानता हूं कि मंत्री जी कहेंगे कि "हमने बैंक गारन्टियों को भुनाया"। यह पर्याप्त नहीं है। हम यह जानना चाहेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं कि वे अपने दायित्व पूरे करें।

इससे अब मैं इस विषय पर आता हूं कि यह दायित्व मुख्य रूप से बी.एस.एन.एल. का रहा है, इसलिए बी.एस.एन.एल. को इस वर्ष अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 2,839 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

जैसाकि माननीय मंत्रीजी ने हमें स्वयं बताया, सरकार ने केवल एक करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। बी.एस.एन.एल. को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टेलीफोन प्रदान करने के लिए देश भर में अपना नेट फैलाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। अब मैं टेलीफोन करता हूं, तो मेरा आशय सिर्फ ग्राम सार्वजनिक दूरभाष से ही नहीं है और मैं केवल कहीं एक टेलीफोन की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। संख्या वास्तव में निराशाजनक है।

माननीय मंत्री जी कहेंगे कि उन्होंने गत दो वर्षों में क्षमता में, डी.ई.एल. इत्यादि में कई गुना वृद्धि कर दी है। इसका कारण दस वर्ष पहले बिछाया गया बेस है जब देश ने उस समय इसका सपना देखा था और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे देश की बात की। उस समय, उनका मजाक उड़ायी गयी थी लेकिन आज से खड़े होकर यह कह रहे हैं कि यह उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इसमें हम वास्तव में वृद्धि देखना चाहेंगे।

एक उदाहरण है जो बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं है और जो माननीय मंत्री जी के क्षेत्राधिकार के भीतर एक प्रासंगिक उदाहरण है लेकिन डाक विभाग में जिसमें बीस से अधिक नये डाकघर नहीं खोले गये हैं। इस सरकार की यह घटिया उपलब्धि है। फिर भी, मैं दूरभाष घनत्व को बढ़ाने में दर्ज की गयी उपलब्धि और सफलता का स्वागत करता हूं।

दूरभाष घनत्व के कुल लक्ष्य ये थे कि वर्ष 2005 तक इसमें 3 से 7 प्रतिशत तक की और वर्ष 2010 तक 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी थी। मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि हम इस समय की जा रही प्रगति के कारण समय से पहले इन लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे।

जैसाकि माननीय मंत्रीजी ने हमें बताया, ग्रामीण दूरभाष घनत्व इस समय 1.5 है। मैं उनसे लक्ष्य के बारे में जानना चाहूंगा। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो उन्होंने पहले ग्रामीण दूरभाष घनत्वहीन को निर्धारित वर्ष 2007 तक पाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मैं उनसे यह आश्वासन चाहूंगा कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और इस लक्ष्य से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मेरे संदेह इसी बारे में हैं क्योंकि इसका अर्थ है 14.72 मिलियन सीधी एक्सचेंज लाइनों का प्रबंध। यह सीधी गैर-सरकारी दूरभाषों की संख्या है जिसे सरकार को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना है ताकि दूरभाष घनत्व का यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। निवेश के संदर्भ में, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी यह जान जाएंगे कि 44,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। मेरे पास उनके मंत्रालय से आंकड़े प्राप्त हैं और 44,160 करोड़ रुपये की ठीक-ठीक आवश्यकता है लेकिन क्या हमारे पास इस तरह की धनराशि उपलब्ध है?

संसद के समक्ष इन प्रस्तावों को लाने में ही दो वर्षों का समय बीत गया। मेरे विचार से वे दसवीं योजना में सार्वजनिक सेवा कर से 20,000 करोड़ रु. से अधिक राशि संग्रहित नहीं कर पाएंगे। इस राशि पांच करोड़ रु. वी.पी.टी. के प्रचालन प्रभारों तथा पूंजीगत खर्चों के कुछ भाग एवं अन्य सुविधा प्रभारों के मद में व्यय हो जाने बाद हमारे पास 15,000 करोड़ रु. शेष बचेंगे। अत: इसमें भारी अंतर होगा। क्या सरकार इस अंतर को पूरा करने के लिए तैयार है? यदि हां, तो किस सीमा तक?

सरकार ने सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप सार्वभौमिक बाध्यता निर्धारित की है। पूरे विश्व में यह सार्वभौमिक प्रथा बन गई है। हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय का कौन से समीचीन उपाय करने का विचार है तथा भविष्य के लिए कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। पहले नियत किये गये लक्ष्य कब प्राप्त किए जाएंगे? मैं यह जानना चाहता हूं कि गांवों में 3 प्रतिशत की टेलीडेंसिटी कब हासिल होने वाली है।

मैं समझता हूं कि 26,000 से कुछ अधिक शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया में से हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 500 ही शामिल करने वाले हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 500 ही जो लघु दूरी प्रभार क्षेत्र (एसडीसीए) है, स्थित हैं ...*(व्यवधान)* मैं इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। यदि आंकड़े यहीं हैं, तो बहुत ही कम हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें इस प्रकार को परिभाषाओं के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी ओर से निष्क्रियता की निशानी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है, जो मैं पूछना चाहता हूं कि सभी 94,000 गांवों में आप कब तक वी.पी.टी. उपलब्ध कराने वाले हैं?

आपका दूसरा उद्देश्य 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एक अतिरिक्त वी.पी.टी. उपलब्ध कराने का था। कितने गांवों में अतिरिक्त वी.पी.टी. उपलब्ध कराए जा चुके हैं और आगामी अवधि में कितने अतिरिक्त वी.पी.टी. उपलब्ध कराने का इरादा है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें क्योंकि हमें संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात पूरी करूं ...*(व्यवधान)* मुझे आशा है कि आप विधेयक को केवल उक्त कमी को पूरा करने वाला विधेयक नहीं मानेंगे अपितु यह महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*। गांवों के अतिरिक्त हमें 20 प्रतिशत एसडीसीए में 40 लाख प्रत्यक्ष दूरभाष लाइनों की आवश्यकता है। इस संबंध में योजना क्या है?

महोदय, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं लेकिन विधेयक के मात्र एक उपबंध का उल्लेख करना चाहता हूं। जैसाकि मुझे पता चला है यद्यपि आपने कोष शुरू किया है, लेकिन सम्पूर्ण राशि भारत की संचित निधि में जाने के कारण संभवत: आपको धनराशि इस्तेमाल करने में कठिनाई आ रही है लेकिन उन कार्यों को जिन्हें भारत संचार निगम लि. हम ''सार्विक सेवा बाध्यता'' कहते हैं, पूरा करने के लिए को इस धनराशि को उपलब्ध कराने हेतु बजट में पर्याप्त प्रावधान करने के लिए क्या परेशानी है। हम आज जब संसद में इस विधायन पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे जैसी भी हो, तो आप 'सार्विक सेवा कोष' गठित करना चाहते हैं।

मैंने उपखंड 9(ख) में यह देखा कि धनराशि पहले भारत की संचित निधि के नामे खाते डाली जाएगी और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त विधि द्वारा विनियोजन करके, एकमात्र सार्विक सेवा बाध्यता को पूरा करने के लिए समय-समय पर इन राशियों को निधि से निकाल सकती है। ऐसा क्यों? मेरी समझ में यह बात नहीं आई। इसी के साथ मैंने देखा कि आपने तत्पश्चात खंड 9(घ) में निश्चित तौर पर यह प्रावधान किया कि यह निधि एक

[श्री पवन कुमार बंसल]

मात्र सार्विक सेवा बाध्यता को पूरा करने के लिए ही व्यय की जाएगी। अत: मुझे आपकी सदाशयता में संदेह नहीं है और मुझे आपके आशय में भी संदेह नहीं है क्योंकि खंड 9(घ) के इस उपखंड (2) में यह किट स्पष्ट कर दिया गया कि इस निधि का एकमात्र इसी प्रयोज़न हेतु उपयोग किया जाएगा। लेकिन तब आपने इसे भारत को संचित निधि में क्यों शामिल किया? क्या आप अभी भी नौकरशाही के पुराने तौर-तरीकों को जारी रखना चाहते हैं? जब एक बार संसद से मंजूरी मिल गई तो यह एक सुनिश्चित पृथक निधि क्यों नहीं होगी। प्रशासक को हमारे द्वारा नियमों में निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार निधि में से व्यय करने का प्राधिकार हो? इससे कतिपय विलम्बों से बचा जा सकता है, अन्यथा इससे बचना संभव नहीं होगा। मैं इस बारे में जानकारी पाना चाहता हूं।

आगे यह और कि मैं एक्सेस सर्विस की बात करता हूं, जबकि आप जनता को बुनियादी टेलीफोन सेवाओं को उपलब्ध कराकर ही संतुष्ट हैं। क्या आपका यही एकमात्र उद्देश्य है क्या यही परिभाषा में बताया गया है? नई दूरसंचार नीति और इस विधेयक के अंतर्गत सार्विक सेवा उद्देश्य दोनों में जो परिभाषा दी गई है वह काफी अलग हैं। मैंने दूरसंचार नीति से पढ़कर सुनाया भी था। अब मैं विधेयक के खंड 2 के उपखंड (1क) को पढ़ता हूं:

> ''सार्वभौमिक सेवा दायित्व का तात्पर्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के व्यक्तियों को सस्ते और उचित मूल्य पर बुनियादी टेलीग्राफ सेवाएं उपलब्ध कराना है।''

यह बुनियादी टेलीग्राफ सेवाओं की बात कह कर समाप्त हो जाता है। जबकि दूरसंचार नीति में अन्य बातों जैसे कि सभी जिलों और मुख्यालयों को वर्ष 2000 तक इंटरनेट एक्सेस सुलभ कराना—जो पूरा हो चुका है—और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि सार्विक सेवा बाध्यता में इन बातों को शामिल क्यों नहीं किया गया?

महोदय, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सार्वभौमिक सेवा निधि वांछित बात थी। हमें हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरभाष घनत्व बढ़ाने के लिए उत्सुक होना चाहिए। लेकिन जैसाकि मैंने कहा था इसी के साथ ही साथ हमें इससे आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए। आपको मात्र बुनियादी सेवाएं ही उपलब्ध नहीं करानी चाहिए अपितु मूल्य संवर्धित सेवाओं सहित वे सभी सेवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए जो इस प्रयोजन के लिए करारोपित सेवाओं में शामिल नहीं हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सार्विक सेवा बाध्यता के बारे में विधेयक की शुरुआत में यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि ''यह आज विश्व में और साथ ही भारत में सर्वाधिक तेजी से प्रगति करने वाला क्षेत्र है। यदि वास्तव में आपका आशय यही है तो कृपया सार्विक सेवा बाध्यता की परिभाषा में सभी बातों को शामिल करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि हम सभी इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत हैं और ग्रामीण दूरभाष सेवा उपलब्ध कराने और सार्विक सेवा बाध्यता को पूरा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की भी सराहना करता हूं, लेकिन इसी के साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए जो कारण बताए थे वे विश्वसनीय नहीं लगते हैं।

मैंने इस विशिष्ट मुद्दे के बारे में इस सभा के समक्ष तिथिवार घटनावार क्रम प्रस्तुत करना चाहती है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 में घोषित की गई थी। यह विधेयक मानसून सत्र के दौरान, जहां तक मुझे स्मरण है 4 अगस्त, 2003 को पुर:स्थापित किया गया था। तत्पश्चात, विधेयक संबंधित स्थायी समिति को भेजा गया था, लेकिन इसी दौरान 7 नवम्बर, 2003 को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी पहले ही सभी तर्क रख चुके हैं। लेकिन मैं कम से कम शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण मुद्दे पर बड़ा घटिया नजरिया अपनाया गया है। परन्तु, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह प्रजातंत्रीय प्रक्रियाओं, जो संसदीय प्रक्रियाओं से संबंधित है, को कमजोर कर रहा है।

जैसाकि श्री बंसल सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अंतत: यह भारत की संचित निधि के नामे डाला जाएगा। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक समर्पित निधि होनी चाहिए जो एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन मात्र के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए और विलम्बकारी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से बचना चाहिए। जब अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री ने यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि यह विलम्ब को रोकने के लिए किया गया था और यथासंभव शीघ्र ही इस निधि की स्थापना की जाएगी और इस निधि का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए ही जिसके लिए स्थापित किया गया प्रयोग किया जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय ने ग्रामीण दूरभाष घनत्व के बारे में वास्तव में काफी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है हमने काफी प्रगति कर ली है लेकिन इसी के साथ ही कड़वी सच्चाई यह है

कि माननीय मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष घनत्व के बारे जिन उपलब्धियों का दावा किया है, हम उनसे काफी कम हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों को भारत की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्रों में शामिल कर किया गया है।

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में स्थिति विवादास्पद है। ग्राम पंचायतों में जहां तक विकास का संबंध है, वहां नगरपालिका व्यवस्था की बजाए पंचायत राज ढांचा है। ग्राम पंचायत और नगरपालिका क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनमें जमीन-आसमान का अंतर है। दूरसंचार विभाग द्वारा भारत की जनगणना के आधार पर स्वीकृत नीति के अनुसार ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्रों अथवा वार्डों को दूरसंचार सेवा के प्रयोजन से ग्रामीण तथा शेष को शहरी समझा जाता है। इससे ग्रामीण जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा साथ ही कोई अतिरिक्त विकास भी नहीं हो रहा है। दरों को बढ़ा दिया है, किराया 220 रु. से बढ़ाकर 360 रु. कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क कालों की संख्या 250 से घटाकर 150 कर दी गई है। इस प्रकार का विकास कार्य हो रहा है।

यद्यपि मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत सम्मान करती हूं परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय के द्वारा ग्रामीण दूरभाष घनत्व के बारे में बताई गई उपलब्धियों अथवा किए दावों तथा जमीनी हकीकत में भारी अंतर है। अत: निधि का उपयोग करते समय इस विषय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने इस विशेष मुद्दे को सभा में कई बार उठाया है कि इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि यह विभेदकारी है। क्योंकि जनगणना वर्गीकरण के आधार पर जब एक बार उन्हें शहरी का दर्जा मिल जाएगा तो कोई अतिरिक्त विकास कार्य नहीं होने से उनके साथ न्याय होने वाला नहीं है। मैं विस्तृत ब्यौरों की तह में जाना नहीं चाहती हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह और जोड़ना चाहती हूं कि यह भी उल्लेख किया जाए कि जब जब कभी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तो इनमें शेष देश में उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं भी शामिल की जानी चाहिए न कि इन्हें कतिपय पूर्णत: विकसित क्षेत्रों अथवा सुविधाभोगी क्षेत्रों तक सीमित रखा जाए। महानगरीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को दूरसंचार के क्षेत्र में जो सुविधाएं मिल रही है वे सुविधाएं ग्रामीण जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए। इस विधायन का वास्तविक प्रयोजन इसके पश्चात् ही हासिल होगा।

मैं पुन: यह अनुरोध करती हूं कि इस निधि को भारत की संचित निधि के नामे पर डालने की बजाए इसे एक समर्पित निधि बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): माननीय उपाध्यक्षजी, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि टेलीग्राफ अमैन्डमैंट बिल, 2003 के समर्थन में बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। साथ ही मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य में कहा है कि जो ग्रामीण और दूरगामी क्षेत्र हैं उनको टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए इस यूएसओ फंड का निर्माण किया गया है।

महोदय, बहुत सी बातें यहां माननीय सदस्य श्री बंसल जी ने कहीं। मैं उनमें से कुछ बातों का तो समर्थन करता हूं और उस विस्तार में नहीं जाता क्योंकि आपने आरंभ में कहा है कि थोड़ा समय लीजिए। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात थोड़े समय में पूरी कर सकूं।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के यूएसओ फंड की नितांत आवश्यकता थी और निश्चित रूप से जो इस प्रकार के दूरगामी और ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन तक इस प्रकार की सुविधा पहुंचाने में यह सार्थक सिद्ध होगा, ऐसी मुझे आशा है। जहां तक यूएसो के अंतर्गत आबंटित धनराशि को खर्च करने का संबंध है, इस संदर्भ में मुझे कुछ जानकारी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मेरी जानकारी सही न हो तो वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे, उनका स्पष्टीकरण अवश्य देंगे, वरना वे मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे।

महोदय, कहा गया है कि यूएसओ फंड को दो चरणों में खर्च किया जाएगा। प्रथम चरण में कहा गया है कि जो छूटे हुए राजस्व गांव हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर बीपीटी दिए जाएंगे।

1991 के सेंसस के मुताबिक इन गांवों की संख्या 6 लाख 7491 बैठती थी। उस समय तय हुआ था कि 31.3.2002 तक इन सभी गांवों में वीपीटी दे दिए जाएंगे। उसमें से कुछ काम बीएसएनएल को दिया गया और कुछ निजी क्षेत्र की कम्पनियों को दिया गया था। यह भी प्रावधान किया गया कि जो यूसओ फंड हैं, जहां वीपीटी सुविधा मिल गई है, वहां केपिटल एक्सपेंसेस पर उसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई रिएम्बर्समेंट नहीं होगा, लेकिन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में यूएसओ फंड से पैसा दिया जाएगा। यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जैसे माननीय बंसल जी ने भी कहा कि जो निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं, हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी ऐसी कम्पनी नहीं है जिसने अपना टारगेट एचीव किया हो, लेकिन इसका श्रेय बीएसएनएल को जरूर जाता है। जो भाग प्राईवेट कम्पनियों के जिम्मे थे, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जहां वीपीटी लगे ही नहीं, अब लगने जा

[श्री महेश्वर सिंह]

रहे हैं, आपने कहा कि ऑपरेटिव एक्सपेंसेस दे देंगे, लेकिन जहां बीएसएनएल ने लगा दिए, जब कि यह उनका काम नहीं था, प्राईवेट कम्पनियों का था तो वे इस पैसे से वंचित हो जाएंगे।

महोदय, जहां तक केपिटल एक्सपेंसेस का संबंध है, मैं चाहूंगा कि कितने इस प्रकार के वीपीटी हैं, उनकी संख्या कितनी है, जो प्राईवेट सैक्टर में दिए थे, स्वयं नहीं लगाए और अगर नहीं लगाए तो उन्हें पिनेलाइज क्यों नहीं किया, केवल थोड़ा सा जुर्माना लगा कर ही वहां बात खत्म कर दी जाती है। उन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि बीएसएनएल ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उसमें उन्हें कम से कम कहीं भी लाभ नहीं होगा, केवल प्राईवेट कम्पनियों को होगा, यह मेरी आशंका है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी मेरी इस आशंका का समाधान करेंगे।

महोदय, फिर एक बात और कही गई है कि लेटेस्ट 2001 का जो सेंसस है, उसके आधार पर जो नये इस प्रकार के राजस्व गांव बने हैं, उनमें ऑपरेटिव पार्ट और केपिटल दोनों की रिएम्बर्समेंट होगी। यह एक अच्छा स्टेप है। इसी के 'ख' भाग में कहा गया है कि इसका मतलब है कि जिन गांवों का आबादी 2000 से ऊपर हैं, वहां दूसरा वीपीटी लगेगा। उसके लिए भी इस प्रकार का प्रावधान होगा। मैं 'ख' भाग में स्पष्ट करना चाहूंगा, विशेषकर पहाड़ी प्रांतों के किसी भी गांव को इससे लाभ नहीं होने वाला है। हमारे यहां इस प्रकार के राजस्व गांव कहां हैं, जिनकी 2000 आबादी होगी। इसका मतलब है कि इससे केवल कुछ गांवों को ही लाभ हो सकता है। हमारे यहां 'बी' क्लास के शहरों को भी इससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी आबादी बिखरी हुई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां अपने जनसंख्या 2000 रखी है, इसे कम करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि राजस्व गांव के स्थान पर आप इनहेबिटेड गांव लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में संशोधन करना पड़ा था, जिस इनहेबिटेड गांव की आबादी 500 है या उससे कम है उनमें भी वीपीटी जाएं तभी निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा, अन्यथा 2000 की आबादी कहां से आएगी और किस प्रकार हमें दूसरा वीपीटी मिलेगा, यह एक समस्या खड़ी रहेगी। *...(व्यवधान)*

महोदय, मुझे एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शायद हमें जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी और अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो यहां से डांट पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान किया जाए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जनसंख्या बढ़ाएंगे तब भी मुसीबत हो जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह: महोदय, भाग 'ग' में कहा गया है कि 2002 से पूर्व लगाए गए जितने एमएआरआर हैं, जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा और उसे बदलने के लिए भी शायद डब्ल्यूएलएल ही लगाया जाएगा। डब्ल्यूएलएल और कुछ नहीं है, बल्कि मोबाइल का ही बच्चा है। पहाड़ों में जहां मोबाइल काम नहीं करता, डब्ल्यूएलएल भी उसी तरीके से फेल्योर होने जा रहा है। यहां उत्तरांचल के माननीय सदस्य बैठे हैं, वे मेरी बात से सहमत होंगे। यूएसओ फंड से ऐसे दुर्गम क्षेत्र, जहां डब्ल्यूएलएल नहीं चल सकता, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए, तभी किसी गांव का भला होगा।

महोदय, अंत में मैं अपने प्रांत की बात कह कर बात समाप्त करूंगा।

अभी जो बी.एस.एन.एल. की लेटेस्ट पॉलिसी है, उसमें कहा गया है कि जिस गांव में कम से कम 80 उपभोक्ताओं की वेटिंग लिस्ट होगी, वहां टेलीफोन एक्सचेंज देंगे और साथ में ढाई किलोमीटर के रेडियस से ऊपर लोकल केबल न लगे। अब 80 उपभोक्ता कहां से लायें। समय का अभाव है, मैं कहूंगा कि इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। मैंने कालिंग अटेंशन मोशन भी दिया, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ। मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नियम 193 की चर्चा के लिए नोटिस दे दीजिए।

श्री महेश्वर सिंह: मैंने नोटिस दे रखा है, वह आपके विचाराधीन है, आता ही नहीं है। कालिंग अटेंशन नोटिस भी विचाराधीन है।

जहां पर इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे यहां जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां पर एम.सी.पी.सी. पहुंच गई थी, बिल्डिंग किराये पर ले ली लीं, लेकिन बी.एस.एन.एल. की जब से पॉलिसी आई, उसके बाद सारी की सारी मशीनरी भी वापस हुई। अगर मंत्री जी इस प्रकार का उदाहरण लेना चाहें तो मैं नाम दे सकता हूं कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पिति में एक ट्राइबल एरिया है, उसमें दो ऐसे एक्सचेंजेज थे, जो स्वीकृत हो चुके थे, वे दारचा और तिंगरित में थे, वे मण्डी जिले के हैं। वहां सारा सामान पहुंच गया, लेकिन लेटेस्ट पालिसी में इंकार हो गया। एक जगह तो इस प्रकार का उदाहरण है कि हमने 80 की वेटिंग लिस्ट भी पूरी कर दी, यह जगह लाहौल स्पिति के काजा में आती है। यह भी जनजातीय क्षेत्र है। यहां तक कि एम.सी.पी.सी. भी आ गया, 80 उपभोक्ता भी हैं और रेडियस भी ढाई किलोमीटर से कम है, फिर भी हमें एक्सचेंज नहीं मिल रहा है। इस पर भी यू.एस.ओ. से फंड खर्च

होना चाहिए ताकि अति दुर्गम क्षेत्रों में भी टेलीफोन सुविधा मिल सके।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बेचैनी हम देख रहे हैं। टेलीग्राफ विधेयक के भाव में जो कुछ कहा गया है, उससे लगता है कि देहात के लोगों को टेलीफोन देने के लिए ये बड़ा आतुर हैं, बेचैन हैं। लेकिन असलियत क्या है, वह भेद मैं अभी खोल देता हूं।

मंत्री जी ने दावा किया है कि सन् 1999 में नई दूरसंचार नीति अख्तियार की गई और उसके आलोक में यह यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड बनाने जा रहे हैं, जिससे देहात के लोगों को टेलीफोन की सुविधा मिल जाये। 1999 की दूरसंचार नीति के मुताबिक चार अगस्त, 2003 को बिल इण्ट्रोड्यूस किया, उसमें कहा गया कि यह भूतलक्षी प्रभाव से एक अप्रैल, 2002 से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड का हम प्रावधान करेंगे। उसका बजट उपबंध 2003-2004 में किया गया। आप बिल को पास कराना चाहते थे, लेकिन वह नहीं हो सका। इसलिए उसे 2-3 वर्ष के बाद आर्डिनेंस के जरिये डाल दिया। ये इतने बेचैन थे कि जल्दी से ये चाह रहे थे। यहां सब लोग बता रहे हैं कि टेलीफोन की मांग बहुत बढ़ गई है, कोई सदस्य ऐसा नहीं हैं, जिनके यहां दिल्ली में भी 2-4 आदमी और यदि अपने क्षेत्र में रहेंगे तो 10-20 आदमी डेली आते हैं, कहते हैं कि लिख दो, हम एक टेलीफोन ले लेंगे, हमने पैसा जमा कर दिया है, साल, डेढ़ साल से, तीन साल से पैसा जमा किया हुआ है, लोग दौड़ रहे हैं। हर एक सदस्य के यहां लोग बैठे हैं। ये कागज पढ़कर बताएंगे। 'तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी।' मैं जो भोग रहा हूं, वैसा ही अन्य माननीय सदस्य भी भोग रहे हैं। लोग आते हैं, किस काम के लिए जनता आ रही है, सब कुछ के लिए नहीं, बल्कि हमारा फोन लगवा दो, हम लिख दें। सारे सदस्यों की पीड़ा का मैं वर्णन कर रहा हूं—यह क्या है?

कहा गया है कि हम लोगों को 100 टेलीफोन का कोटा है, लेकिन कोटे के भी फोन नहीं लग रहे हैं। आप कोटे की मोनेटरिंग करके बतायें, अगर हमारा काम नहीं होगा तो और किसका होगा। देहात के सारे लोग तबाह हैं, फोन की मांग बढ़ गई है। हम लोगों के भी नहीं लगता है। हमारे पास मोबाइल नहीं है, लोग आश्चर्य करते हैं कि आपके पास मोबाइल नहीं है। हम लोगों का अभी तक कल्चर नहीं आया है, जिस तरह सब लोग आधुनिक हो गये हैं, लेकिन जनता के मुताबिक ही हमको चलना पड़ेगा। जनता में बड़ी जागरूकता है कि हमें फोन चाहिए, हमने पैसा जमा कर दिया।

एक तो आपने रूरल और अर्बन का क्या बंटवारा कर दिया—जो निरा देहात है, उसे अर्बन लिख दिया है, उसकी फीस ज्यादा लगेगी। जनता का यह कष्ट है कि टेलीफोन की फीस ज्यादा रखी गयी है। उन्होंने टेलीफोन का पैसा भी जमा कर दिया है लेकिन उनका अफसर बोलता है कि हमको एक्सचेंज खोलने पर रोक है, केबल तार बिछाने में रोक है इसलिए आप डब्ल्यू.एल.एल. ले लो। अब सब सदस्य बतायें कि डब्ल्यू.एल.एल. कहां सफल हैं? क्या वह कहीं ठीक काम कर रहा है? जनता डब्ल्यू.एल.एल. का नाम सुनते ही भाग रही है। उसका नाम सुनते ही लोग चीत्कार कर भाग उठते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने क्या दूरसंचार नीति बनाई है कि एक्सचेंज को बंद करो, एक्सचेंज नहीं खोलो, एक्सचेंज की क्षमता का विस्तार न करो, केबल नहीं बढ़ाओ तथा केबल को जहां का तहां रोक दो—फिर कौन कैसे लगेगा? मंत्री जी बतायें कि कितनी वेटिंग लिस्ट है। एक राज्य का मुझे मालूम है। बिहार में एक लाख से ज्यादा वेटिंग लिस्ट है। यह वेटिंग लिस्ट दो-तीन या चार साल से पेंडिंग है। अब नेशनल एवरेज टेलीडेन्सिटी क्या है और स्टेट वाइस टेलीडेन्सिटी क्या है?

अब कहा जाता है कि हमने बड़ा विकास कर लिया है, तरक्की कर ली है क्योंकि इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आदि सब जगह हमारे देश के लड़के काम कर रहे हैं। हमारे यहां के लड़के मेधावी हैं इसलिए दुनिया के तमाम लोग उन्हें खोजकर अपने यहां ले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां क्या हालत है? चीन की टेलीडेन्सिटी क्या है और हमारी टेलीडेन्सिटी क्या है, राज्य स्तर पर टेलीडेन्सिटी क्या है? इन सभी बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा।

अब मंत्री जी कहते हैं कि रूरल टेलीफोनिक के लिए हम 100 करोड़ रुपये जमा करना चाहते हैं। देहात के लोगों को टेलीफोन देना चाहते हैं। आप देहात के लोगों को क्या दे रहे हैं? देहात के लोग डर रहे हैं कि उनका टेलीफोन लगेगा या नहीं लगेगा। उन्होंने दो-तीन साल से पैसा जमा किया हुआ है। वहां के अफसर कहते हैं कि तार नहीं है, फोन नहीं है, टावर नहीं लग रहा है इसलिए देर हो रही है। इस कारण देहात के लोग बेचैन हैं। मंत्री जी दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपये से क्या होगा। ये लोग धन पशु, मल्टी नैशनल, प्राइवेट आपरेटर्स के प्रभाव में नीतियां चला रहे हैं। बी.एस.एन.एल. पर भार बढ़ गया है। प्राइवेट वालों से ये लोग लाभ उठायेंगे। अब रिलायंस आदि न मालूम कितने नाम हैं जिनको मैं नहीं जानता, वे जब चाहें तब कानून बदलवा देते हैं, नियम बदलवा देते हैं, जो चाहे कानून पास करवा लेते हैं, जो चाहे नीति बनवा लेते हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा? गांव के लोग बेचैन

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

होकर दौड़ रहे हैं कि हमें टेलीफोन दीजिए। उन्होंने पैसा जमा किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका क्या होगा? देहात के सारे लोग तकलीफ में हैं। जब हम पटना में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन करवा दीजिए। हमारे पांच काम हैं। पहला, रेलगाड़ी में रिजर्वेशन करवा दीजिए, अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, स्कूल और यूनीवर्सिटी में नाम लिखवा दीजिए आदि, जब हम गांव में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने हैडक्वार्टर में रहते हैं तो वे हमारे पास आकर कहते हैं कि आप टेलीफोन के लिए लिख दीजिए। जब हम उनसे पूछते हैं कि कब से पैसा जमा कराया हुआ है तो कहते हैं कि दो-तीन साल से पैसा जमा किया हुआ है। मंत्री जी ने क्या कभी इस बात की मौनीटरिंग की है? हमने इस संबंध में पत्र भी लिखा है कि आप क्यों नहीं एक्सचेंज बढ़ा रहे, क्यों आपने यह काम रुकवा दिया, क्यों आप केबल नहीं बिछवा रहा है? वहां से पत्र आता है कि हम एग्जामिन करवा रहे हैं, हम परीक्षण करके बाद में आपको खबर भिजवा देंगे। आप बताइये कि इसमें कितना समय लगेगा?

मंत्री जी ने यह भावना व्यक्त की है कि हम रूरल टेलीफोन के लिए यूनीवर्सल सर्विस औब्लीगेशन फंड के रूप में 100 करोड़ रुपये जमा करेंगे। इसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री जी इसके तहत देहात के लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हमें देहात के लोगों के लिए चिंता है लेकिन क्या आप असल में देहात के लिए बेचैन हैं या उपेक्षा के शिकार हैं क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब बड़े लोग तो सेलुलर आदि फोन लेकर घूमते रहते हैं लेकिन देहात के लोग जो फोन पर बातें करना चाहते हैं, उनको फोन नहीं मिल रहा है। मैं उनकी पीड़ा बताना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र वैशाली में ...*(व्यवधान)* मैं सब देहात वालों की बात बता रहा हूं, सारे लोगों की बात बता रहा हूं। इनकी पार्टी वाले तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनको कुछ कहने का मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबकी बात को मैं यहां उठा रहा हूं। अब सरजमीं पर जो घटना घट रही है, जो लोगों की तकलीफ है, उसे मैं बयान कर रहा हूं।

मैं एक उदाहरण देता हूं। वैशाली संसदीय क्षेत्र का हैडक्वार्टर हाजीपुर है। वह हमारे टाउन एरिया में नहीं है। मुजफ्फरपुर में चार असैम्बली क्षेत्र हैं। देहात-देहात छांटकर वैशाली पार्लियामैंट्री क्षेत्र बना है। किसी जगह सैलुलर फोन लगता ही नहीं है। एक टावर हाजीपुर में है और एक मुजफ्फरपुर में है। वह शहरी एरिया में आता है। हमें कहा गया कि गरुड़ फोन देंगे, डॉल्फिन फोन देंगे। हमने पूछा कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पांच किलोमीटर तक इससे वार्ता होगी। क्या यहां हमारा कोई कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है जो हम पांच किलोमीटर में किसी से बात करेंगे? हमने कहा कि हम देहात में रहते हैं, और गांव के लोग अपनी समस्या बताना चाहें तो वहीं से हम कलैक्टर या संबंधित अधिकारी को उनकी समस्या बता सकें। देहात में सेलुलर, मोबाइल, न जाने किस-किस नाम से प्रचलित है, जिसमें फोटो दिखती है, न्यूज आती है, कैसी-कैसी टैक्नोलॉजी का विकास हो गया है, उस टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। ये हम लोगों को गरुड़ दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* हमें सुनने में आया है कि वह ठीक से काम नहीं करता। प्राईवेट सैलूलर, बीएसएनएल की रोमिंग करवा दें तो लोग देश और दुनिया में बात कर सकते हैं। मैं सब मोबाइल फोन रखने वाले लोगों से पूछता रहता हूं। हम देहात में रहें और जनता कहे कि हमारी यह तकलीफ है तो हम वहीं से फोन करके बता दें, ऐसा फोन लगवाइए और देहात में भीटावर लगवाइए। सैलुलर, मोबाइल, हमारे एरिया में चलता ही नहीं है। हमने लिखकर पूछा कि टावर कब लगेगा तो आपने ऐग्जामिन करने का वचन दिया। उस बात को भी दो महीने हो गए। एक्सचेंज बैढ़ाने, क्षमता बढ़ाने और केबल बिछाने का हुक्म कराइए। हर राज्य की मौनीटरिंग करवाइए कि कितने दिन से लोगों का पैसा जमा है। आपने हमें जो सहयोग दिया, मान लें कि हमने किसी को लिखकर दे दिया, वह जब आपके पास जाता है, तो कहा जाता है कि उनका कोटा खत्म हो गया। अगर हम जनता को लिखकर नहीं देते तो वे नाराज हो जाते हैं और अगर लिख देते हैं तो आपके अधिकारी उसे लौटा देते हैं और कहते हैं कि उनका कोटा खत्म हो गया। अब हम क्या करे। कैसा-कैसा संकट हम झेल रहे हैं। इसलिए आप इस पर विचार कीजिए। आपने कभी इलैक्शन नहीं लड़ा। आप लिखा-पढ़ी वाले विद्वान लोग है। अखबार में काम करते-करते यहां आ गए। लेकिन हम लोग जनता की पीड़ा झेलकर आ रहे हैं। जनता की पीड़ा को समझना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहां जनता के बारे में ही सवाल उठाये जाते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लक्ष्यद्वीप दुनिया से कटा हुआ है, पानी के बीच मे है, जलमार्ग है। ...*(व्यवधान)* सब जगह दूरसंचार की व्यवस्था होनी चाहिए खासकर रिमोट एरियाज में, जिससे देहात में लोग बात कर सकें। सबके घर के लोग बाहर रहते हैं। देहात के लोगों के सगे-संबंधी बाहर रहते है। वे फोन से बात करना चाहते हैं और जब टेलीफोन बूथ पर टेलीफोन करने जाते हैं तो उनको वहां घंटों बैठना पड़ता है क्योंकि टेलीफोन मिलता ही नहीं है। अगर उनके घर में टेलीफोन होगा तो वे बात कर सकते हैं। हम गांव में घूमते हैं तो लोग बताते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: टैलीग्राफ में सौ करोड़ रुपये से क्या होगा। आप इसे यूनीवर्सल सर्विस औब्लीगेशन फंड में जमा करेंगे।

आपने 2003-2004 के बजट में सौ करोड़ रुपये किये। आप हमें बताते तो हम कहते कि इसे बढ़ाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए लेकिन हमने जो सवाल उठाए हैं, मंत्री जी उनका उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारतीय तार अधिनियम में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर संशोधन की मांग की गई है। यह अनुबंध किया गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस लेवी लाइसेंस शुल्क का एक भाग होगी। नई दूरसंचार नीति क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2002 से एक कोष की स्थापना करने का निर्णय किया गया है जिसे व्यापक सेवा (यूनिवर्सल सर्विस) दायित्व कोष कहा जाएगा।

महोदय, यह इस बात का संकेत है कि यह विधेयक सामर्थ्यकारी विधान है।

महोदय, चौरानवें खंडों वाला अभिसारिता विधेयक पहले से ही है। इसका उद्देश्य विद्यमान तार अधिनियम, 1885, बेतार अधिनियम 1994 और ट्राई अधिनियम, 2000 का निरसन करना है। अब भारतीय संचार आयोग की स्थापना होने जा रही है। माननीय मंत्री इस कोष के लिए एक अन्य खंड को शामिल कर सकते थे ताकि अब इस प्रकार की दुर्दशा का सामना न किया जाये।

प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए कि अभी भारत के आम आदमी की सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है। जहां तक वी.पी.टी. का संबंध है तो इसका कार्य निराशाजनक रहा है। वी.पी.टी. का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और मंत्रालय ने सदैव इसका कारण प्रौद्योगिकी का चयन न किया जाना और उपकरण प्राप्त न करना बताया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि एमएआर प्रणाली को बदला जाएगा। किन्तु कितने ग्रामों में अब तक एम.ए.आर. प्रणाली प्रदान की गई है। कम दूरी वाले प्रभार क्षेत्र को इस कोष से अलग रखा जाएगा। यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र के प्रति सरासर बेमेल और सरासर भेदभावपूर्ण है। मंत्रालय ने पहले ही केबल की लंबाई में कमी की है जिसकी दूरी पहले दूरभाष केन्द्र से पांच किलोमीटर थी अब यह दूरी ढाई किलोमीटर तक कम कर दी गई है। ढाई किमी से आगे सरकार डब्ल्यू.एल.एल. सुविधाओं का प्रस्ताव कर रही है। किन्तु सरकार को यह पता होना चाहिए कि जहां तक भारत में विद्युत परिदृश्य का संबंध है तो पर्याप्त और भरोसेमंद विद्युत की आपूर्ति करना किसी राज्य के लिए सम्भव नहीं है ताकि डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली कार्य कर सके।

तथापि, इंटरनेट टेलीफोनी काफी लाभदायक हो सकती है जिसे पहले ही गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। हमारे देश में पीसी की प्रतिशतता बहुत खराब है। क्या मैं सरकार को ग्रामीण स्तर पर इंटरनेट टेलीफोमी की व्यवस्था करने का सुझाव दे सकता हूं ताकि हम ज्ञान आधारित समाज की रचना कर सकें क्योंकि वैश्वीकरण से सूचना और ज्ञान तक पहुंच का संभावित लाभ हुआ है। भारत को सूचना और ज्ञान के संसार तक अपनी पहुंच को सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि इस वैश्वीकृत परिदृश्य में हम स्वयं को पीछे नहीं रख सकते। यदि वैश्वीकरण के लाभ को प्रोद्भूत करना है तो हमें पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाएं रखनी होंगी। इसके अतिरिक्त, हमने और अधिक अवसंरचनात्मक विकास करने का प्रयास किया क्योंकि गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा दी गई सेवाओं से अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इंटरनेट टेलीफोनी की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त, एकमात्र प्राकृतिक संसाधन जिसका भारतीय लाभ उठा सकते हैं, वह एक स्पैक्ट्रम (प्रतिबिम्ब), अर्थात रेडियो स्पैक्ट्रम है। यदि हम रेडियो और इंटरनेट को अभिसारित कर पाते हैं तो वे प्रत्येक गांव में ज्ञानाधारित समाज बना सकेंगे जो भारत की समृद्धता को सुनिश्चित करेगा।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकता।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान देश के आदिवासी क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां दूरसंचार बहुत कठिन है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं भी ऐसे ही क्षेत्र से आया हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: दूसरी बात यह है कि अनेक वी.पी.टी. यंत्रों की आवश्यकता है किन्तु सरकार ने उन्हें नहीं खरीदा है। परिणामस्वरूप, उन क्षेत्रों को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। मैं उनसे यह देखने का अनुरोध करता हूं कि क्या इन यंत्रों को समय पर खरीदा गया है और देश के विभिन्न भागों विशेषकर गुजरात के मुख्य महाप्रबंधकों को इनकी आपूर्ति की गई है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री को यह अवगत कराना चाहता हूं कि दूरसंचार सेवा के अंतर्गत जो मोबाइल सेवा है, उसमें सिम कार्डों की अनुपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर सिम कार्डों की कालाबाजारी है। इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना

[कुंवर अखिलेश सिंह]

चाहता हूं कि मांग के अनुरूप आप आपूर्ति सुनिश्चित करें, तब जाकर इस कालाबाजारी को रोका जा सकता है। यह मेरी ही नहीं, पूरे सदन के सदस्यों की भावना है।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, केरल सर्किल केबल की कमी का सामना कर रहा है। तीन लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य में केबल की कमी की समस्या हल करने के लिए तत्काल उपाय कर रही है *...(व्यवधान)* तीन लाख से अधिक लोग प्रतीक्षा सूची में है *...(व्यवधान)* समस्या क्या है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): कई जगहों पर लोगों ने डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के कनेक्शन के लिए दो-दो साल या तीन-तीन साल से पैसा डिपाजिट किया हुआ है, लेकिन उनको इस सेवा की सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि उनको यह सुविधा दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात सही है कि लोगों ने काफी समय से पैसे जमा करा दिए हैं, लेकिन उनको यह सुविधा नहीं मिली है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्रवाई-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: हम संविधान संशोधन विधेयक को लेंगे। यह विधेयक राज्य सभा में भी जाएगा। अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: मेरा निवेदन है कि जहां लोगों ने दो-दो साल और तीन-तीन साल से पैसे जमा करा रखे हैं, उनको कब तक यह सुविधा मुहैया कराएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने सुन लिया है, मैंने भी कहा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, कृपया इसे ध्यान में रखिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल नहीं है। अब मंत्री जी अपना उत्तर देंगे। उन्होंने आपके विचार सुन लिए हैं और वह उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं सभा में सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने उन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया जिन्हें भविष्य में किए जाने की आवश्यकता है और सभा में सभी दलों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस कोष की स्थापना करने और यह विधेयक पारित करने की आवश्यकता का समर्थन किया है।

यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं वाद-विवाद का उत्तर पूरा करने और उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने में पांच मिनट लूंगा।

महोदय, तीन सदस्यों द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर श्री बंसल ने जोर दिया है कि इसके लिए भारत की संचित निधि के अलावा एक पृथक कोष बनाया जाए। वास्तव में यह संसद की जवाबदेही का तरीका नहीं है। जवाबदेही का तरीका भारत की संचित निधि है। बजट में इसकी समीक्षा और संसद द्वारा इस पर मतदान करना है और इसके माध्यम से संसद से इसकी मंजूरी लेना है। यह संसदीय जवाबदेही और नियंत्रण का आवश्यक यंत्र है। दूसरे, माननीय सदस्यों को आश्वस्त करने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में यह पृथक शीर्ष होगा और इस धनराशि को यूनिवर्सल सर्विस दायित्व निधि को हस्तांरित के रूप में दर्शाया जाएगा। इसके लिए पृथक प्रशासनिक, पृथक विनियामक और पृथक लाइसेंस होगा। मुझे आशा है, संसद में भी इस पर चर्चा करने हेतु हमारे पास अवसर है। संचित निधि से बाहर इसकी स्थापना करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे वास्तव में संसदीय नियंत्रण और जवाबदेही का घालमेल होगा।

मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि शब्द बुनियादी सेवाओं के बारे में गलत कहती है। इसका अर्थ केवल प्राथमिक सेवा से है और कुछ नहीं। यहां विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. जैसे असली लाइसेंस वाले लोगों को प्राथमिक आपरेटर कहा जाता है जो फोन फिक्स्ड लाइन सर्विस प्रदान कर रहे हैं। आपके पास नए उपकरण हैं जहां

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप देखेंगे कि ई-मेल और कालर आइडेंटीफिकेशन जैसी नई फिक्स्ड लाइन उपकरण सुविधाएं आ गई हैं और जो फिक्सड लाइन सर्विसेज के साथ चलेंगी। हमारा इरादा इसकी व्यवस्था करना है।

मेरा सभा से अनुरोध है कि इसे देश की एक उपलब्धि के रूप में मान्यता दी जाए। जो कुछ कांग्रेस के मेरे मित्रों ने कहा है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि श्री राजीव गांधी ने भविष्य के बारे में सोचा था और उनके मार्गदर्शन से श्री सैम पित्रोदा जैसे लोगों में इस संचार क्रांति में बहुत योगदान दिया और इस संबंध में हम उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं और मैं इसे स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति हूं कि अनेक लोगों ने इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाया है जैसाकि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, विशेषकर बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों ने।

श्री बंसल ने पूछा था कि बी.एस.एन.एल. को क्या सहायता दी गई। महोदय, वास्तव में मुझसे विपरीत शिकायत की गई है। सेल्युलर आपरेटर मेरे पास आए—मैं इस सभा को यह सूचना देना चाहता हूं—और शिकायत की कि वे स्वायत्ता, स्वतंत्रता और रिआयतों से बर्बाद हो जाएंगे जो हमने बी.एस.एन.एल. को दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बी.एस.एन.एल. इतना तेज चलने में सक्षम है कि उदाहरण के तौर पर, एक वर्ष में ही उन्हें 43 लाख सेल्युलर ग्राहक मिल गए हैं। उन्होंने यह उन बड़े शहरों में नहीं किया है जहां अन्य गैर-सरकारी आपरेटर ध्यान दे रहे हैं। किन्तु उन्होंने यह कार्य बड़े शहरों को छोड़कर छोटे कस्बों में किया है और यह उपलब्धि सम्भव हुई है। लाइसेंस शुल्क और लगभग 2300 करोड़ रु. के स्पेक्ट्रम शुल्क से छूट दी गई है और उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति की गई है। वे इसका उपयोग करते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार को लाभांश का भुगतान करें। इसमें पहले पचास प्रतिशत कमी की गई थी किन्तु मेरे अनुरोध पर अब मंत्रीसमूह ने मंत्रिमंडल से सिफारिश की है और मंत्रिमंडल ने यह अनुमोदित कर दिया है कि बी.एस.एन.एल. को किसी न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने की जरूरत नहीं है और बी.एस.एन.एल. का बोर्ड इस पर पूर्ण रूप से निर्णय करेगा। गत दो वर्षों में भी इस संबंध में बी.एस.एन.एल. को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई है। दूसरों की शिकायत का यही कारण है।

एक खूबी है जिसको हम देख सकेंगे कि गत वर्ष सार्वभौमिक सेवा दायित्व विधि से दिए गए 300 करोड़ रुपए का 99 प्रतिशत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के पास वापस चला गया। ऐसा प्रतिस्पर्धा बोली के द्वारा हुआ। हमने यह सुनिश्चित किया कि बोली इतनी प्रतिस्पर्धात्मक हो कि जिस क्षेत्र में वे विद्यमान थे और अन्य आपरेटर्स जो नहीं थे, उसके 300 करोड़ रुपए का 99 प्रतिशत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के पास वापस चला गया। यह सिर्फ ग्रामीण टेलीफोनी के लिए ही प्रमुख उपकरणों में से एक नहीं था बल्कि कुछ और है जिससे स्वयं बी.एस.एन.एल. की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकेगी।

मैं श्री बंसल की एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं। यदि समय होता तो मैं आंकड़े बता सकता था कि निजी आपरेटरों ने निर्धारित दायित्वों का निर्वाह नहीं किया। इस बात का खुलासा करने के लिए पहले भी कई अवसर आए थे। वर्ष 1996 में ही एक आशय पत्र जारी किया गया था और लाइसेंस वर्ष 1997 में दिया गया। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि उस समय मंत्री कौन थे और कौन-सी सरकार थी। लेकिन परिणाम यह था कि लाइसेंस शर्त में ...*(व्यवधान)*

• **श्री पवन कुमार बंसल:** यह गैर-निष्पादन में कब असफल हुआ? वर्ष 1996-97 में लाइसेंस दिए गए थे। निष्पादन और गैर-निष्पादन कब आरंभ हुआ?

श्री अरुण शौरी: गैर-निष्पादन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह वार्षिक बाध्यता नहीं थी जिसे उन्हें इन बाध्यताओं को दूर करना था। यदि आप ग्रामीण वी.पी.टी. के लक्ष्य को पूरा नहीं करते तो 4 करोड़ रुपये और यदि आप नेटवर्क को समय पर चालू नहीं करते तो 4 करोड़ रुपए के दंड का प्रावधान किया गया था। ये 8 करोड़ रुपये प्रत्येक निजी आपरेटरों से संग्रह किए गए थे। तब मैंने स्वयं लाइसेंस समझौते के अंतर्गत जांच करवाई और इस बात की भी जांच की कि अतिरिक्त दंड लिया जा सकेगा। केवल एक ही बात जो आप उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, वह है उच्च कार्यनिष्पादन गारंटी। हमने उन निजी आपरेटरों से पूछा तो उनमें से चार या पांच ने राशि जमा करने पर अपनी सहमति दी। पंजाब के एच.एफ.सी.एल. के मामले में उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन बी.एस.एन.एल. ने उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया है। इसलिए, हमारे पास वी.पी.टी. में और कोई बाध्यताएं नहीं हैं।'' राजस्थान के श्याम टेलीकाम के मामले में, मामला उच्च न्यायालय में चला गया और अतिरिक्त कार्य निष्पादन गारंटी देने के बाद भी स्थगन आदेश मिल गया। इसलिए, इस मामले में जाने के लिए हल्के-फुल्के शब्दों वाला लाइसेंस समझौता अच्छा विचार नहीं है।

कई अन्य बातें भी उठाई गईं। यहां मैं केवल एक बात का जवाब दूंगा और तब आपके अनुमोदन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एस.डी.सी.ए.एस. के बारे में कई आंकड़े दिए गए। यह केवल गलतफहमी है। आमतौर पर तहसील स्तर पर ही राशि संग्रहित की जा रही है।

अपराह्न 3.59 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं उस बात को समझ गया हूं। लेकिन यह सही है कि आप अपनी बात को केवल 500 एस.टी.सी. तक ही सीमित रख रहे हैं?

अपराह्न 4.00 बजे

श्री अरुण शौरी: वह गलत नाम है ...*(व्यवधान)* बिल्कुल नहीं। 487 का यह आंकड़ा लगाई जाने वाली बाध्यताओं को खत्म करने के बारे में मंत्री समूह का था। उसे छोड़ दिया गया है। वस्तुत: दो-तीन सत्र पूर्व सभा में एक चर्चा हुई थी। गणना की ग्रामीण परिभाषा को अपनाया गया और वही अब भी जारी है। इस आंकड़े को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।

मैं केवल एक आंकड़ा दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। कुल 6,07,491 राजस्व गांवों में से आज वी.पी.टी. लगे गांवों की संख्या 5,17,814 है; कम जनसंख्या वाले और जिनमें 100 से कम आबादी है, उन गांवों की संख्या 27,000 है; नक्सलवाद या उग्रवादी प्रभावित 6000 गांव है; जैसा कि श्री महेश्वर सिंह कह रहे थे, ये वे गांव हैं जो गांव सुदूरवर्ती हैं उन्हें सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा जाएगा और उनकी संख्या 25,668 है। शेष गांवों की संख्या करीब 30,000 है।

मेरा प्रयास पहले शेष गांवों पर ध्यान केन्द्रीत कर इन्हें पूरा करना है। ऐसा इसलिए कि कोशिश करें और यह कहें कि हम नक्सल प्रभावित गांवों और उग्रवाद प्रभावित गांवों को कवर करने का लक्ष्य अव्यवहारिक है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, यह व्यवहारिक नहीं है।

इसलिए, कृपया मेरा विश्वास करें, आपकी इच्छा और मामले की महत्ता के कारण सरकार ग्रामीण टेलीफोनी पर ध्यान केन्द्रीय कर रही है। यह ऐसा करने का उपकरण है।

मैं सब तरफ से विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: गांवों में अतिरिक्त वी.पी.टी. की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि गांवों में केवल एक वी.पी.टी. है और उन्हें और जरूरत है। हमें वी.पी.टी. में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

श्री अरुण शौरी: सर्वप्रथम, हमें सभी को मुख्य सुविधा देने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित रूप से सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि के दूसरे चरण में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना। उस अतिरिक्त या दूसरे वी.पी.टी. प्रदान करने के लक्ष्यों में से एक है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक वीपीटीज का संबंध है, पालिसी के अनुसार 2000 वाली आबादी के गांव को कवर करेंगे। पहाड़ों पर तो दो हजार की आबादी वाला गांव मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राजस्व गांव के स्थान पर इनहैबिटेट विलेज यानि 500 की आबादी वाला गांव, जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में किया जाता है, इस तरह का कोई प्रावधान करेंगे?

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। प्रधान मंत्री के ''ग्राम सड़क योजना'' में यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय: समय आने पर आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: मैं इस पर विचार करने का निश्चित रूप से अपना बेहतर प्रयास करूंगा।

मैं विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपका जवाब देने का अधिकार।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस पर अब कोई प्रश्न नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विचार के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक को लिया जाना है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यद्यपि मैं अध्यादेश लाने के लिए माननीय मंत्री द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस तथ्य के मद्देनजर कि माननीय मंत्री ने हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की कार्यवाही-वृत्तांत में दूरसंचार क्रांति में उनकी उपलब्धियों को माना है, मैं अस्वीकृति की सूचना को वापस लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मैंने किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य को अपने संकल्प वापस लेने की सभा की तरफ से अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5

संशोधन किया गया — *सार्वभौमिक सेवा दायित्व बाध्यता निधि की स्थापना*

पृष्ठ 2, पंक्ति 17,-

संख्यांक 2 का लोप किया जाए। (2)

(श्री अरुण शौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 5 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किया गया — संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

'संख्यांक 1' का लोप किया जाए। (1)

(श्री अरुण शौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.07 बजे

[अनुवाद]

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय: एक दूसरी अनुपूरक कार्यसूची भी है-दो विधेयक पुर:स्थापित किये जाने हैं। पहले, मैं माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से अनुरोध करूंगा कि वे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करें।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित।

और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1940 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 4.08 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.09 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 9 मई, 2003 को सभा पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन पर चर्चा को श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री विलास मुत्तेमवार के नाम स्वीकृत किया है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि श्री मणि शंकर अय्यर को उनकी ओर से चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्षपीठ ने श्री प्रियरंजन दासमुंशी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

क्या आप चाहते हैं कि अब चर्चा आरंभ की जाये?

श्रीमती सुषमा स्वराज: पहले, हमें संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करना चाहिए और तत्पश्चात् हम की-गयी-कार्यवाही पर चर्चा आरंभ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अगर सभा सहमत हो, तो पहले हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: विधेयक पारित हो जाने के बाद, हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करेंगे।

अपराह्न 4.10 बजे

संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक—*पारित*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 23 पर चर्चा आरंभ करेगी।

उपप्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह विधेयक स्वयं में संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करने के संबंध में है, जिसमें मान्यताप्राप्त भाषाओं की सूची दी गयी है। यह विधेयक आठवीं अनुसूची में संथाली सहित बोडो भाषा को शामिल करने के संबंध में भी है। इस भाषा को और अन्य कतिपय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है।

जहां तक अन्य भाषाओं को शामिल करने का संबंध है। मैं यहां कुछ शब्द कहना चाहूंगा। लेकिन जहां तक बोडो का संबंध

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित।

है, बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय अति महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन में कुछ समय पहले लिया गया था, जिसमें बोडो समुदाय के प्रतिनिधि, असम सरकार और भारत सरकार शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप कुछ दिन पहले असम में एक भारी बैठक हुई जिमसें असम के मुख्यमंत्री और इस समझौते के अन्तर्गत स्थापित की गयी स्वायत्त परिषद के सदस्य उपस्थित थे। वहां उन्हें शपथ दिलायी गयी। वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्नता से सराबोर थे। बोडो आतंकवादियों ने अपने हथियार डाल दिये, अपने हथियार सौंप दिए और सभी ने यह महसूस किया कि इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द स्थापित होना चाहिए।

महोदय, इस समझौते का एक भाग यह भी था कि भारत सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल करने पर विचार करेगी। तत्पश्चात्, विपक्षी दलों के दो वरिष्ठ सदस्यों, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री बसुदेव आचार्य ने यह नोटिस दिया कि संथाली भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार ने सभी बातों पर विचार किया और हम तीन अन्य भाषाओं नामत: संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल करने के लिए राजी हो गए हैं और इस आशय का एक सरकारी संशोधन शीघ्र ही प्रस्तुत कि या जायेगा। लेकिन इस समय जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें बोडो भाषा को शामिल करने की बात कही गयी है और मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हमें अपराह्न 4.30 बजे एक अन्य महत्वपूर्ण चर्चा आरंभ करती है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक पर यथासंक्षिप्त बोलने का अनुरोध करूंगा ताकि अपराह्न 4.30 बजे हम इस विधेयक पर मतदान आरंभ करा सकें।

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समुदाय के नेताओं के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को सम्मिलित किए जाने का स्वागत करते हैं।

यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक शुभ शगुन है। जहां हमें आशा है कि इस समझौते से इस अशांत क्षेत्र में और अधिक शांति सद्भावना और अमन-चैन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। हम पूर्वोत्तर की बोडो भाषा को शामिल करने वाले संशोधन विधेयक का स्वागत करते हैं। आठवीं सूची में मणिपुरी भाषा शामिल है। असमिया शामिल है और अब बोडो भाषा भी सम्मिलित हो गई।

भारत के प्रमुख भाषा वर्गों में से एक आस्ट्रो एसियाटिक वर्ग खासी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वर्षों से मांग की जा रही है। यह सुरुचिपूर्ण भाषा है। खासी भाषा उमांक मुख्य धारा से संबंधित है जो कम्बोडिया और म्यामार में बोली जाती है। खासी भाषा का सैकड़ों वर्षों के काल क्रम में अपना विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित हो गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय वर्ष 1901 की प्रवेश परीक्षा में इसे विशेष रूप से मान्यता दी थी। अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने वर्ष 1919 में इसे डिग्री स्तर पर मान्यता दी थी।

अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर भाषा के रूप में मान्यता दी थी। आज पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय में खासी भाषा में एम.ए., एम.फिल और पी.एच.डी. उपाधियां प्राप्त की जा रही हैं। यह देश की समृद्ध आदिवासी भाषाओं में से एक है, जो मेरे राज्य मेघालय के साथ असम और बंगलादेश के कुछ भागों में बोली जाती है। इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करना उचित होगा। ये विश्वविद्यालय मुश्किल से ही किसी आदिवासी भाषा को मान्यता देते हैं।

वास्तविकता तो यह है कि मैंने राज्य मंत्री श्री आई.डी. स्वामी से एक बार बात की थी और मुझे यह इशारा किया गया था कि यह विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपा जाएगा। जब तक मामले के आधार को मान्यता दी जाती है तब तक हमें आपत्ति नहीं होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति रखें।

श्री पी.आर. किन्डिया: इस भाषा के सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक होने के बारे में कोई संदेह नहीं है। यहां तक कि साहित्य सभा ने भी इसे मान्यता दी है। मैं अध्यक्ष महोदय और सरकार से खासी भाषा पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह उन कुछ आदिवासी भाषाओं में एक भाषा है जो इस योग्य है। आप सभी तथ्यों से अवगत होंगे। मैंने सभी तथ्यों का हवाला देते हुए श्री स्वामी को एक पत्र लिखा है।

अत: बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए तात्पर्यित इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार से खासी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है। जैसाकि इंगित किया गया है, यह समायोजन ज्ञापन ही है, जिससे असम और विशेषकर बोडोलैंड में शांति आई है।

[श्री अनादि साहू]

श्री बैसीमुथियारी जो इसके प्रबल समर्थक हैं, ने इस बारे में काफी कदम उठाए हैं और उप प्रधानमंत्री ने इसे आरम्भ किया था। अध्यक्ष महोदय, अब इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द्रता है।

अध्यक्ष महोदय, उपप्रधान मंत्री महोदय ने बताया कि अन्य भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना है। संविधान को बनाते समय 14 भाषाओं को शामिल किया गया, परन्तु शामिल करने के वस्तुपरक कारणों को नहीं दर्शाया गया, तत्पश्चात 4 अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया था। अब यह आवश्यक है कि बोडो भाषा के समान ही अन्य भाषाओं को भी शामिल किया जाए। संथाली भाषा को भी अनुसूची में शामिल किया जाए क्योंकि यह एक समृद्ध भाषा होने के साथ ही साथ इसकी अपनी लिपि भी है। उड़ीसा के मयूरभंज से पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसके लिए कार्य शुरू किया है, और उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इस वजह से यह काफी सम्पन्न भाषा है।

आप भी इस बात को मानेंगे कि संथाली स्वाभिमानी और अच्छे व्यक्ति होते हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित में भी संथालियों का जिक्र किया गया है। बहुत पहले, इसका जिक्र किया गया था। इन पर उदारतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बोडो भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है एक अच्छा नया प्रयास है और यह आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि जो भी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की जाए वह देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करना सभी भारतीय लोगों के बीच एकीकरण में सहायक होगा। मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में यह साधारण विधेयक है, लेकिन जिस तरीके से सरकार यह विधेयक लाई है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। सरकार ने पहले बोडो चरमपंथियों के साथ समझौता किया। सरकार इस तरीके से विधेयक लाई है। वे इस तरह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता।

देश में बहुत सी विकसित और समृद्ध भाषाएं हैं। उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। मेरे वरिष्ठ मित्र श्री किन्डिया जी ने उल्लेख किया था कि खासी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। खासी ही नहीं, अपितु त्रिपुरा के स्थानीय आदिवासी बहुसंख्यकों द्वारा कोक बारक भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से कुछ लोग इसे कौ बरु कहते हैं। यह इस समय राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

जहां तक मुझे जानकारी है, बोडो भाषा असम की राजभाषा नहीं है। असम राज्य के कुछ लाख व्यक्ति ही इसका प्रयोग करते हैं। हमारे देश में ऐसी कई भाषाएं हैं, जो लाखों-करोड़ों व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं परन्तु उनकी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार नहीं किया गया। इन भाषाओं का विकास करने के लिए उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करना आवश्यक है। यह धन प्राप्त करने और अन्य प्रयोजनों से भी आवश्यक है। इससे उनकी संस्कृति और भाषा के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अत: यह आवश्यक है। मैं इस अच्छे कदम का स्वागत करता हूं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी लेंग्वेज के बारे में हमारी बहुत पुरानी डिमांड है ...*(व्यवधान)* उसका नाम इस बिल में कहीं नहीं आया है। ...*(व्यवधान)* हम आज से नहीं बल्कि सालों से इसकी डिमांड कर रहे हैं। असेम्बली में भी हमने डिमांड की थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री बाजू बन रियान: पहले एक भाषायी अल्पसंख्यक आयोग था। उसने कतिपय सिफारिशें की थी ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: हम इस बारे में काफी क्षुब्ध हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बाजू बन रियान: एक सिफारिश में यह कहा गया था कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए यदि विद्यार्थियों की संख्या 40 या उससे अधिक हो तो विद्यालय में शिक्षा का माध्यम उनकी भाषा होनी चाहिए। अत: इस प्रकार की रियायत होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इन अल्पसंख्यक भाषाओं को किस प्रकार आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अति महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात् ''संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक, 2003, जिसे माननीय उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने संविधान की आठवीं अनुसूची में 'बोडो भाषा' को शामिल करने में सहायता करने हेतु प्रस्तुत किया है, पर बोलने का अवसर देने के लिए आपकी अति आभारी हूं।

चर्चा के आरंभ में, मैं सारी राजग सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी और राजग सरकार के अन्य सहयोगियों का धनय्वाद करना चाहता हूं जिन्होंने संविधान की आठवीं अनुसूची में 'बोडो भाषा' को भी शामिल करने का ऐसा बड़ा निर्णय लिया है।

इसके साथ-साथ मैं इस सम्माननीय सभा के सभी विद्वान सदस्यों को इस अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन पर इस सम्माननीय सभा में यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने में सहायता और सहयोग करने के लिए प्रणाम करता हूं। आज मैं व्यक्तिगत तौर पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सारे संसार के सारे बोडो लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। यह काफी लंबे समय से प्रतीक्षित था और आज निस्संदेह यह वादा पूरा हो जाएगा। यह एक स्वागतयोग्य कदम है।

बोडो भाषा एक काफी समृद्ध और प्राचीन भाषा है। यह महान चीनी-तिब्बत भाषायी परिवार से संबंधित है। सारे देश में लगभग 90 लाख बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं और सारे विश्व में लगभग 10 मिलियन बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं। अत: यह सारे संसार के सारे बोडो लोगों के लिए एक गौरव की बात है। इसके लिए मैं एक बार फिर वर्तमान राजग सरकार को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए जो सख्त कदम उठाए गए, उसके लिए मैं वर्तमान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी ओर से और लाखों बोडो नागरिकों की तरफ से खासकर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री श्री आडवाणी, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री आई.डी. स्वामी, श्री चिन्मयानन्द स्वामी और एनडीए सरकार के सब पार्टनर्स को दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सारे सांसदों को बोडो नागरिकों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पूरी ताकत से समर्थन करता हूं और आप सब लोगों को बोडो की आम जनता की तरफ से और एक बार हजारों बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

मैं इस विधेयक को पारित करने में अपनी सहायता और सहयोग करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोडो भाषा का आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने का स्वागत करती हूं लेकिन अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहती हूं कि यदि राजस्थान की कला, संस्कृति और राजस्थान के अन्य विकास की तरफ देखें तो उसी तरह राजस्थान की भाषा भी समृद्ध भाषा रही है जिसमें इतिहास लिखा गया है और जिसका साहित्य भी समृद्ध है। हमने केन्द्र सरकार से बार-बार अपील की कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए लेकिन जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे कि राजस्थानी भाषा के साथ हमेशा दुर्व्यवहार हुआ है। इसलिए मैं उन इतिहास वेत्ताओं, साहित्यकारों की तरफ से अपील करती हूं कि राजस्थानी भाषी लोगों की राजस्थानी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): अध्यक्ष महोदय, हमारी एक मांग थी। तुलू भाषा बहुत दिनों से लंबित है और श्री आईडी स्वामी ने सभा के अंदर यह वादा किया था और कहा था कि एक कमीशन बिठाया है। उस कमीशन की रिपोर्ट आने पर इसके बारे में देखेंगे। मैं उप प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि तुलु भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपराह्न 4.30 बजे मतदान होगा। इससे पहले माननीय मंत्री को चर्चा पर अपना उत्तर देना होगा। अब 4.29 बज चुके हैं। मैं हरेक को बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी ओर से और मिथिला के साढ़े चार करोड़ लोगों की ओर से प्रधान मंत्री जी को अपना सहकार व्यक्त करता हूं जो मैथिली भाषा को भी आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए यहां प्रस्ताव लेकर आए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, मैं सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल करने हेतु यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार ने इसको नोट कर लिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद: मिथिला बड़ी पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह रही है। राजा जनक *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक वाक्य में सुझाव दीजिए, बाकी समय नहीं है।

श्री कीर्ति झा आजाद: सब अयोध्या की बात करते हैं, मुझे एक बार मौका मिला है तो मैं एक मिनट का समय लूंगा। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। साथ-साथ मैं कहता हूं कि मिथिला और मैथिली ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत पुरानी भाषा रही है।

मैथिली भाषा की अपनी लिपि रही है, अपनी भाषा है। बंगाली में भी जो लिपि का उपयोग किया जाता है, वह भी मैथिली का है। सिर्फ अ, ब और र में अंतर है। मिथिला एक ऐसी जगह है जहां पर आदि शंकराचार्य जी थे जो कभी मंडल मिश्र से हारे थे। अधिक समय नहीं है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभी आभार प्रकट करने के लिए कहते हैं। मैं मैथिली भाषा में आभार प्रकट करना चाहूंगा और आपका साहकार भी करूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करता हूं। मैं मैथिली भाषा में माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सभी मिथिला वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सालखुन मुर्मू (मयूरभंज): अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के तमाम संथालों की तरफ से और भारत के तमाम आदिवासियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और इस सदन को संथालों की तरफ से और आदिवासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। चूंकि भारत के संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उसमें एक भी आदिवासी भाषा नहीं थी। आज पहला दिन है कि बोडो भाषा और संथाली भाषा के रूप में इन दो आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिल रही है। इनको मान्यता मिलने से आदिवासियों के बीच में शिक्षा का प्रचार होगा और उनके बीच जो ड्रॉप-आउट रेट है, वह खत्म होगी और मुझे लगता है कि उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हम लोग हाल ही में भारत के राष्ट्रपति और विरोधी दल के नेता से भी मिले हैं और पार्लियामेंट को मैं संथाली भाषा में बोलकर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी और तमाम संथालों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

आज मैं यह संविधान संशोधन लाने के लिए भारत के सभी संथालों की तरफ से इस संसद तथा इस सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर यह कदम उठाने के लिए उन्हें नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

*...*मूलत: संथाली में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय: अब मुझे मतदान कराना है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): कृपया उन्हें अनुमति दें। यह उनकी अपनी मातृभाषा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): मैं बोडो तथा तीन अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उप प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। हमारी यह प्रबल इच्छा है कि तेलुगू भाषा को भी राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। यह पहले से ही आठवीं अनुसूची में है। हमें संविधान के अनुच्छेद 351 में संशोधन करना पड़ेगा।

अब, हमारी भाषा देश में लगभग 14.5 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। विजयनगर के लोकप्रिय सम्राट श्री कृष्ण देवराय ने तेलुगू को सबसे अच्छी भाषाओं में से माना था। प्रतिष्ठित तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती इस भाषा की सम्पन्नता और माधुर्य से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने इसे 'सुदैरा तेलुगू' कहा था *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह अगली सभा के गठन की प्रकृति पर निर्भर करेगा *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: इसलिए, इस अवसर पर मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय उप प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि तेलुगू भाषा को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा देने हेतु अनुच्छेद 351 में संशोधन किया जाए। मेरा यह विनम्र अनुरोध है। 28 अगस्त, 2002 को माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र संबोधित किया था *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह अगली सभा में होगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, 18 भाषाएं पहले से आठवें शैड्यूल में हैं और चार डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को आज जुटाया है। अब 22 हो गई हैं और भोजपुरी देश की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और धनी भाषा है जो विदेश और देश के बड़े भू-भाग हैं, वहां सबसे मशहूर और धनी भाषा है, वह कैसे छूट गई? यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भोजपुरी भाषा के संबंध में क्या अनदेखी हुई? श्री ठाकुर जो भोजपुरी के कालिदास थे, यह मेरी समझ में नहीं आता कि भोजपुरी भाषा कैसे छूट गई? भोजपुरी, अंगिका, बचिका और मलिही ये सभी मशहूर भाषाएं हैं। इस सभी पर सरकार को विचार करना चाहिए और भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में डाला जाना चाहिए।

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): अध्यक्ष महोदय, संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में डालने की मांग हमारे लोगों की बरसों पुरानी मांग थी। इस मांग को सरकार ने मान लिया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं संथाली भाषा में बोलूंगा। तहेन दिन द ऐतिहासिक दिनाकाना। भारत दिशाम रेन संथालक आदिक रासका एना/मउबाद काना। इंटरनेशनल भाषा नेपाल रे, बांग्लादेशा रे हं सानताल मेना: कमा।–उनकु ह क रासका एना। –अना खातिर सरकार धन्यवाद। हूं समाम काना।

अध्यक्ष महोदय: मुझे बता दें कि आपने क्या बोला है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, अब अनुवाद भूतलक्षी प्रभाव से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू: इसका मतलब है कि भारत में जितने भी संथाली लोग हैं और जितने भी विदेशों में रहने वाले संथाली लोग हैं, वे खुश हैं। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी डीएमके की तरफ से मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। हमारे नेता डा. कलैगनार करुणानिधि ने कई बार माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया कि आठवीं अनुसूची में शामिल इन सभी भाषाओं को राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए विशेषकर तमिल को एक उत्कृष्ट क्लासिकल भाषा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी इससे सम्बद्ध किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल आया है, उसके हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए एक निवेदन करना चाहते हैं। इसी सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, जिसका गृह राज्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि एक कमेटी बनने जा रही है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाएगा, इसका निर्णय होगा। 20 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, जिसमें से 16 करोड़ लोग भारतवर्ष में रहते हैं। आखिर किस आधार पर भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाता है, क्योंकि देश के 16 करोड़ लोगों द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती है और दुनिया में 20 करोड़ लोग हैं। इनके मन में एक भारी बोझ जैसा है कि आप चार भाषाओं को तो अष्टम अनुसूची में शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी को नहीं कर रहे हैं। उप प्रधानमंत्री जी अपना जवाब देते हुए कृपया बताएं कि आप भोजपुरी भाषा को, जो 16 करोड़ लोगों द्वारा इस देश में बोली जाती है उसको भी अष्टम अनुसूची में शामिल करेंगे।

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा): महोदय, इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह विधेयक लाने के लिए उप प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। इसके साथ ही मेरा कहना है कि आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हम संथाली और मैथिली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करते रहे थे। अब ऐसा कर दिया गया है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। जहां तक उत्तर बंगाल का संबंध है तो राजबोंगशी भी एक महत्वपूर्ण भाषा है और इसे भी शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं भोजपुरी को भी शामिल करने का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): स्पीकर साहब, मैं एक जुमले में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं सरकार के इस कदम का वैलकम करता हूं। इसके साथ-साथ मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि उर्दू आठवें शिड्यूल में शामिल है, लेकिन हिन्दुस्तान का एक बड़ा तबका उर्दू जुबान बोलता है। मैं मुतालबा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देना चाहिए और आठवें शिड्यूल में पर्शियन को भी शामिल करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं उनके साथ सम्बद्ध हो रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसे सरकार हमारे लम्बे आग्रह और सभा के बाहर किए गए संघर्ष के पश्चात लाई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस संबंध में मांग की है और दो वर्ष पूर्व ही पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से भी मिला था। मेरी पार्टी ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल करने की मांग की है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, हमारी पार्टी ने भी इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और भारतीय भाषाओं में इसके दर्जे की गणना की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी इससे पहले ही सहमत हैं और उन्होंने ऐसा पहले ही कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: आज, मैं सरकार को 'संथाली' भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए इस संशोधन को लाने हेतु धन्यवाद देता हूं। यद्यपि यह सरकार द्वारा देर से उठाया गया कदम है। इस भाषा को लगभग एक करोड़ संथाली आदिवासियों द्वारा बोला जाता है जो कि हमारे देश की आजादी के लिए लड़े थे। सिदू-कानू लोग जो इस संथाली समुदाय से संबंधित हैं, हमारे देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज, उनकी भाषा को अब मान्यता दी जा रही है और इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है।

मैं सरकार को इस कार्रवाई हेतु धन्यवाद देता हूं। मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने 'संथाली' को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष किया।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, चार नयी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ने वाले बिल का हम समर्थन करते हैं। विभिन्न भाषाओं और बोलियों को आठवीं अनुसूची में जोड़ने की सदस्यों ने जो मांग की है, उनको भी आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए। बुंदेली भाषा का अपना इतिहास और साहित्य है जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बुंदेली भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में एक समिति बनाई जाए जिससे कोई झगड़ा या विवाद न रहे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो बोलियां या भाषाएं हैं उनकी मांग और आवश्यकता को देखते हुए समिति द्वारा उन पर समग्र रूप से चिंतन और अध्ययन किया जाए और व्यावहारिक दृष्टि से जो भाषाएं आठवीं अनुसूची में जोड़ने योग्य मानी जाएं, उन पर एक साथ निर्णय लेकर उनको आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय आडवाणी जी जो बिल लाए हैं शिवसेना की ओर से मैं उसका समर्थन करता हूं। बोडो भाषा को जो न्याय मिला, उसके लिए धन्यवाद। हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने हिंदी भाषा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है और उस पर भी अच्छी तरह से विचार होना चाहिए। हिंदी भाषा देश की प्रधान भाषा है, इसलिए उस पर भी विचार होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): इस संशोधन पर बोलते हुए, मैं मांग करता रहता हूं कि तमिल को भी उत्कृष्ट भाषा घोषित किया जाना चाहिए और इसे राजभाषा के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए। तमिल प्राचीनतम भाषा है। इसकी परम्परा और साहित्य समृद्ध है, यह तीन हजार वर्ष पुरानी है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य के अनुसार थिरुकुराल और तमिल प्राचीनतम लोग हैं, इसे तमिलनाडु और भारत भर में लगभग 10 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है। इस संबंध में मेरे नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, डा. जयललिता ने प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था कि तमिल को उत्कृष्ट भाषा घोषित किया जाए। मैं सरकार से इस संबंध में घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, 18 भाषाओं के अतिरिक्त 4 और भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़े पर हम सरकार का समर्थन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं उस ब्रज-भाषा को न्याय नहीं मिला है। ब्रज वह क्षेत्र हैं जहां कृष्ण पैदा हुए और ब्रज-भाषा एक समृद्ध भाषा है। वह इलाका कितना खूबसूरत है और करोड़ों लोग उस भाषा को बोलते हैं। रसखान ने लिखा है कि "मानस हो तो वही रसखान बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनू मंझारन।" प्रधान मंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं उस ब्रज भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए, इससे उस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय होगा।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष महोदय, पिछले सौ सालों से निकोबारी ट्राइबल भाषा और कोरन भाषा बोली जा रही है। मेरा अनुरोध है कि इन दोनों को संविधान के 8वें शैड्युल में जोडा जाए।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। यह भाषा करोड़ों लोगों की भाषा है और 8वें शैड्युल में बहुत पहले शामिल हो जाना चाहिए। हम सरकार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। डोगरों ने लड़ाई के मौके पर देश का नाम ऊंचा किया है। इस भाषा को 8वें शैड्युल में शामिल करके सरकार ने उन सब कुर्बानियों को सम्मान दिया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं सभी दलित लोगों की ओर से सरकार का अभिनन्दन करता हूं। इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग बहुत पहले से थी। अभी आपको तीन राज्यों में सफलता मिली है, इसलिए आप खुश हैं। अमरीका के अध्यक्ष बुश हैं और अटल जी हमारे बहुत खुश हैं। आपने खुश होने के बाद जो निर्णय लिया है, वह बहुत अच्छा निर्णय है। मैं सरकार का फिर सभी दलितों की ओर से अभिनन्दन करता हूं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा तो पहले से ही है, लेकिन मालबनी को भी शामिल करना चाहिए। इस भाषा को शामिल करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं इस बिल का खैरमकदम करता हूं। इस सूची में और भी जुबानें शामिल की जायें। इसके अलावा मेरा कहना है, जो जुबानें 8वें शैड्युल में हैं, उनके फैलाव, उनकी तरक्की के लिए सरकार को कुछ काम करना चाहिए, वरना सैंटिमेंटल बनकर बात रह जाएगी। सरकार इसके लिए काम करे। परशियन को भी शामिल करना चाहिए। उर्दू को आफिशयल लैंग्वेज में शामिल होना चाहिए। इस बारे में प्राइवेट मैम्बर बिजनैस के तहत बिल पेश किया गया है।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونناني): جناب اسپیکر صاحب، میں اس بل کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس لسٹ میں اور بھی زبانیں شامل کی جائیں۔ اس کے علاوہ میرا کہنا ہے، جو زبانیں 8ویں شیڈول میں ہیں، ان کے پھیلاؤ، ان کی ترقی کے لئے سرکار کو کچھ کام کرنا چاہیے، ورنہ سینٹی مینٹل بن کر بات رہ جائے گی۔ سرکار اس کے لئے کام کرے۔ فارسی کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اردو کو آفیشیل لینگویج میں شامل ہونا چاہیے۔ اس بارے میں پرائیویٹ ممبر بزنس کے تحت بل پیش کیا گیا ہے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम इस पर विचार करेंगे। विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को मतदान हेतु रखने से पहले, मैं सभा को सूचित करता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के नाते इस पर मत विभाजन द्वारा मतदान किया जाना है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं मतदान से पूर्व भाषण दें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक का सर्वसम्मति से ही समर्थन किया है। यद्यपि, अपनी-अपनी इच्छाओं के अनुसार और जो-जो बातें कही गई हैं, उन सबमें वजन का कारण है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मूल संविधान 1950 में जब बना था, उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषायें थीं, जिनको मान्यता दी गई थी। इसी प्रकार 1967 में एक भाषा और जोड़ी गई, जिसके लिए वाजपेयी जी, जयराम दासजी और दौलत राम जी ने बहुत योगदान दिया था। वह भाषा सिन्धी थी। 1992 में संसद ने तीन और भाषायें जोड़ी थीं। वे भाषायें थीं—कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तीनों ही अवसरों पर, मुझे लगता है, सभी सदस्यों ने उन भाषाओं को जोड़ने का समर्थन किया, लेकिन इस बात पर खेद प्रकट किया कि अमुक भाषा को क्यों नहीं जोड़ा गया। उसी प्रकार से मैं आज भी सुन रहा था, राजस्थान के बारे में, खासी के बारे में, भोजपुरी के बारे में, बृजभाषा के बारे में, टुलु भाषा के बारे में, मघई के बारे में, बुन्देली के बारे, निकोबारी के बारे में।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार): भील भाषा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने अन्य भाषाओं की सूची भी देखी है। ऐसी 33 भाषायें हैं जिनकी डिमांड है जिनके नाम आठवीं अनुसूची में जोड़े जाने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि किसी न किसी दिन वे भी इनमें जोड़ दी जायेंगी।

अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इन चार भाषाओं का समर्थन किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अत:, मैं मतदान की कार्यवाही आरंभ करता हूं। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब शांत रहिए। यदि मैं स्पष्टवादी हूं तो आप यह नहीं कह सकते।

अब, हम दीर्घाएं खाली होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही दीर्घाएं खाली होती हैं, हम मतदान प्रक्रिया आरंभ कर देंगे।

मैंने अधिकतम सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: असम के सदस्यों के प्रति कोई शत्रुता नहीं है। कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर पार्टी आपका नाम देती है तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने उनका नाम दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अगले अवसर के बारे में बता रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री राजवंशी का नाम दिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी पार्टी के चार माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने उस सदस्य का नाम पुकारा है जिसका नाम मैंने नहीं दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं सोचता कि 'मतदान की प्रक्रिया की पुन: घोषणा' करने की कोई आवश्यकता है। इसलिए, अब हम मतदान करेंगे।

अब, दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 9] पक्ष में [अपराह्न 4.56 बजे

*अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणिशंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लालकृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कृष्णस्वामी, श्री ए.

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराज सिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जाहेदी, श्री महबूब

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर.एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोस, श्री ए.सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावुकरसर, सु. श्री

तिवारी, श्री लालबिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चन्द

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री बज किशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी.सी.

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री अलकेश

दास, श्री खगेन

दास श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

*नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नागमणि, श्री

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पण्डा, श्री प्रबोध

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

*पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंसल, श्री पवन कुमार

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी.एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे.एस.

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

*भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

*मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मान, श्री जोरा सिंह

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह

*माने, श्री शिवाजी

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनिलाल, श्री

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए.के.

मेघवाल, श्री कैलाश

महेता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहिते, श्री सुबोध

*मोहिते पाटील, श्री प्रताप सिंह

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

*रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

षणमुगम, श्री एन.टी.

संघाणी, श्री दिलीप

सईद, श्री पी.एम.

सनदी, प्रो. आई.जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचन्द

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

*सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिन्हा, श्री यशवन्त
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुनील दत्त, श्री
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सुरेश, श्री कोडीकुनील
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हक, मोहम्मद अनवारूल
हमीद, श्री अब्दुल
हान्दिक, श्री विजय
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कोई नहीं।

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 335

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पक्ष में : 335 + श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल, प्रो. दुखा भगत, श्री सवशीभाई मकवाना, श्री शिवाजी माने, श्री प्रतापसिंह मोहिते पाटील, श्री नागमणि, श्रीमती रानी नरह, श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल), श्री एन. जनार्दन रेड्डी और श्री के.पी. सिंह देव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया = 345

विपक्ष में : कोई नहीं।

खंड 2

आठवीं अनुसूची का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5-10 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:

(क) विद्यमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार प्रविष्टि 5 को पुन: संख्यांकित किये जाने के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:

"3 बोडो

4 डोगरी।"

(ख) विद्यमान प्रविष्टियों 4 से प्रविष्टि 7 को क्रमश: प्रविष्टि 6 से प्रविष्टि 9 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा:

(ग) विद्यमान प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 11 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टि 11 को इस प्रकार पुन:संख्यांकित किए जाने कि पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:

"10 मैथिली।":-

(घ) विद्यमान प्रविष्ट 9 से प्रविष्टि 14 को क्रमश: प्रविष्टि 12 से प्रविष्टि 17 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा:

(ङ) विद्यमान प्रविष्टि 15 को प्रविष्टि 19 के रूप में पनु: संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टि 19 को इस प्रकार पुन:संख्यांकित किये जाने के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"18 संथाली।"

(च) विद्यमान प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 18 के क्रमश: प्रविष्टि 20 से प्रविष्टि 22 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।

(श्री लालकृष्ण आडवाणी)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री बसुदेव आचार्य द्वारा खण्ड 2 में दिए गए संशोधन सं. 1 और 2 की सूचना के संबंध में मुझे एक टिप्पणी करनी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री बसुदेव आचार्य ने खण्ड 2 पर एक समान संशोधन की सूचनाएं दी है। उनके संशोधनों में संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल करने की मांग की गयी है। सरकारी संशोधन सं. 4 की स्वीकृति के साथ आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अतएव, मैं सदस्यों को संशोधन सं. 1 और 2 प्रस्तुत करने के लिए नहीं बुला रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं संशोधन को स्वीकार करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। चूंकि आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया, अत: मैं माननीय गृह मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध मात्र करता हूं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान रख रहे हैं। उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय में जहां कम्थापुरी आन्दोलन चल रहा है और लोग दिन-रात नारे लगा रहे हैं उन लोगों के बीच एक जातीय जज्बा है। मैं माननीय गृह मंत्री से इस आन्दोलन को नियंत्रित करने और इस पर विचार करने का भी अनुरोध करता हूं। यदि सभा अगले सत्र से पूर्व भंग नहीं होती, तो वह कृपया राजबंशी समुदाय और उनकी भाषा के मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करें।

अत: मेरा विनम्र निवेदन यह है। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं; लोग प्रतिदिन धमकी दे रहे हैं। माननीय गृह मंत्री को इस मामले पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए? मैं माननीय गृह मंत्री से इस पर विचार करने की विनम्र अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। दीर्घाएं पहले से ही खाली हैं। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-10] पक्ष में [अपराह्न 4.58 बजे

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणिशंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

*आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कृष्णस्वामी, श्री ए.

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

*गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराज सिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जाहेदी, श्री महबूब

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर.एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोस, श्री ए.सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरूनावुकरसर, श्री सु.

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी.सी.

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री अलकेश

दास, श्री खगेन

दास, श्री नेपालचन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नागमणि, श्री

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

*पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पण्डा, श्री प्रबोध

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

*पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी.एम.

बरवाल, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे.एस.

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

*मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

माझी, श्री रामजी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मान, श्री जोरा सिंह

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह

माने, श्री शिवाजी

मिश्रा, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसुदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जसकौर

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनिलाल, श्री

मुरुगेसन, श्री एस.

*मुर्मू, श्री रूपचन्द

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए.के.

मेघवाल, श्री कैलाश

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहिते, श्री सुबोध

*मोहिते पाटील, श्री प्रताप सिंह

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंत सिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के. एस.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्रन

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

षणमुगम, श्री एन.टी.

संघाणी, श्री दिलीप

सईद, श्री पी.एम.

सनदी, प्रो. आई.जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचन्द

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंहदेव, श्री के.पी.

सिंहदेव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुनील दत्त, श्री

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हक, मोहम्मद अनवारूल

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष

कोई नहीं

अपराह्न 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 337

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*पक्ष में : 337 + श्री रमाकांत आंग्ले, प्रो. चमन लाल गुप्त, श्री सुरेश रामराव जाधव, श्री सवशीभाई मकवाना, श्री प्रताप सिंह मोहिते पाटील, श्री रूपचन्द मुर्मू, श्री नागमणि, श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) और श्री सुन्दर लाल पटवा ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया - 346

विपक्ष में : कोई नहीं

खंड 1

संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ट 1, पंक्ति 2,

"सौवां" के स्थान पर "बयानवेवां" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

(श्री लालकृष्ण आडवाणी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव किया जाए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 11] पक्ष में [अपराहन 5.02 बजे

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लालकृष्ण

आदिशंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ गुलाम

ए. नरेन्द्र,

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णस्वामी, श्री ए.

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणूंका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराज सिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जाहेदी, श्री महबूब

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर.एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोस, श्री ए.सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावुकरसर, श्री सु.

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी.सी.

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री अलकेश

दास, श्री खगेन

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नागमणि, श्री

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पण्डा, श्री प्रबोध

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

*पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

*पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनातवाला, श्री जी.एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोस, श्रीमती कृष्णा
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री आर.एल.
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री कांतिलाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
*मकवाना, श्री सवशीभाई
मल्याला, श्री राजैया
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
महेता, श्रीमती जयवंती
मांझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधु सूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुनिलाल, श्री
मुरुगेसन, श्री एस.
मुर्मू श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
मोहिते, श्री सुबोध
*मोहिते पाटील, श्री प्रताप सिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.
रामशकल, श्री
राय, श्री विष्णु पद
राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री वाई.वी.
राव, श्री सीएच. विद्यासागर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावत, श्री रामसागर
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, डा. साहिब सिंह
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाघेला, श्री शंकर सिंह
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
विजयन, श्री ए.के.एस.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकेटस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकेटस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संघाणी, श्री दिलीप
सईद, श्री पी.एम.
सनदी, प्रो. आई.जी
सर, श्री निखिलानन्द
सरकार, डा. बिक्रम
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचन्द
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री टीएच. चाओबा
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राधामोहन
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह देव, श्री के.पी.
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुनील दत्त, श्री

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हक, मोहम्मद अनवारूल

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 338

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पक्ष में: 338 + श्री सवशीभाई मकवाना, श्री प्रताप सिंह मोहिते पाटिल, श्री नागमणि, श्री राजनारायण पासी और श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटील (यत्नाल) ने पर्ची के माध्यम से मतदन किया = 343

विपक्ष में : कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय: हम अब अगली मद लेंगे। वाद विवाद शुरू करने के लिए श्री मणिशंकर अय्यर को पुकारने से पहले, माननीय सदस्यों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने मुझसे अनुरोध किया है कि आज की कार्यसूची में शामिल आधे-घंटे की चर्चा को 23 दिसम्बर, 2003 के लिए स्थगित किया जाए। इस चर्चा को उठाने वाले श्री मणिशंकर अय्यर भी इससे सहमत हो गये हैं। आधे घंटे की चर्चा 23 दिसम्बर, 2003 को की जाएगी। मुझे आशा है कि सदन इससे सहमत होगा।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैं सदन में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य बाहर जाना चाहते हैं, वे बाहर जा सकते हैं। सदन में व्यवस्था बनाए रखें। अब एक महत्वपूर्ण बहस शुरु होने वाली है। अब मैं सदस्यों से शांति बनाए रखने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वित्त मंत्री कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित हैं।

अपराह्न 5.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): अध्यक्ष महोदय, की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के साथ पठित संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, वित्त मंत्री जी बैठे नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: प्रधानमंत्री जी बैठे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के साथ पठित संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन सांविधानिक न्यायशास्त्र, संसदीय मर्यादा और राजनैतिक नैतिकता के मुद्दे उठते हैं। महोदय,

[श्री मणिशंकर अय्यर]

मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है कि आज माननीय प्रधान मंत्री हमारे साथ उपस्थित हैं क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में सांविधानिक न्यायशास्त्र, संसदीय मर्यादा और सार्वजनिक नैतिकता के सभी तीनों मुद्दों का बहुत अच्छे ढंग से सारांश प्रस्तुत किया था जब वह 29 दिसम्बर, 1993 को संयुक्त संसदीय समिति के गत प्रतिवेदन के बारे में इस सभा में बोले थे। मैं सभा को माननीय प्रधान मंत्री और अन्य सदस्यों को उन बातों की याद दिलाना चाहता हूं जो विपक्ष के तत्कालीन नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त संसदीय समिति की पिछले प्रतिवेदन के संबंध में कही थीं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था:

[हिन्दी]

> ''देश में एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है, उत्तरदायित्वहीनता का, क्या इसमें कोई सुधार चल सकता है, क्या इसमें राज्य अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकता है? इस संस्कृति का विकास कैसे हुआ? वित्त मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, यह कहने को तैयार नहीं हैं कि मेरा अनुमान गलत था, मैंने भूल की, यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं।'' आगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा: ''मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वित्त मंत्री ने इसमें कोई लाभ उठाया, धन का कोई लाभ उठाया है, उनकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन'' श्री वाजपेयी जी ने कहा: ''वे वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्रालय की विफलता के लिए, आर.बी.आई. की विफलता के लिए पूरी व्यवस्था को, जो सड़ी हुई निकली है, उसकी सडांध के लिए वित्त मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी।''

[अनुवाद]

मेरा यही अनुरोध है कि पिछले वर्ष प्रस्तुत की गई संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन को यह सरकार और विपक्ष ध्यान दें क्योंकि सांविधानिक न्यायशास्त्र, संसदीय मर्यादा और राजनैतिक नैतिकता के ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर विपक्ष के तत्कालीन नेता, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, ने ही इस सभा और इस देश के समक्ष अपने विचार रखे थे। साथ ही, मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने वर्तमान माननीय प्रधान मंत्री, अर्थात तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए वक्तव्य का कैसे उत्तर दिया था। अगले दिन अर्थात 30 दिसम्बर, 1993 को डा. मनमोहन सिंह ने श्री वाजपेयी को उत्तर देते हुए कहा था:

'मैं उन कार्यों अथवा घटनाओं, उनका संबंध उत्तरदायित्वों के उन क्षेत्रों से है और जिनकी देखभाल का कार्य वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है, के लिए पूर्ण सांविधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूं। मंत्रालय के उत्तरदायित्व की विभिन्न व्याख्याएं हैं। किन्तु मैं सांविधानिक बारीकियों के अन्तर्गत शरण नहीं ले रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि वित्त मंत्री के रूप में मेरी इस सभा, प्रधान मंत्री और इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेही है और यह सभा मेरे लिए जिस किसी भी दंड का चयन करती है तो उसे मैं प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा।

इसलिए उन सिद्धांतों के अतिरिक्त जिनकी रूपरेखा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्तुत की है यदि हम डा. मनमोहन सिंह द्वारा उस समय दिए गए उत्तर को इसमें जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि हमारे पास ऐसा आधार है जिस पर सर्वसम्मति से यह सभा इस बात पर सहमत हो सकती है कि नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्न के बारे में क्या किया जाना चाहिए? वित्त मंत्रालय के संबंध में क्या किया जाना चाहिए? वित्त मंत्री के संबंध में क्या किया जाना चाहिए जिसका अनुमान गलत था? प्रधान मंत्री के अपने कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए चूंकि वह सीबीआई और कम्पनी मामलों के प्रभारी हैं, जिनमें से दोनों को संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में शामिल किया गया है?

[हिन्दी]

प्रायश्चित करने के लिए क्या आप तैयार हैं, बताइये। मैं श्री यशवन्त सिन्हा जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं मानता हूं कि उन्होने कोई लाभ नहीं उठाया, धन का कोई लाभ नहीं उठाया, उनकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं यशवन्त सिन्हा जी से कहना चाहता हूं और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, लेकिन वे, मतलब यशवन्त सिन्हा जी वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्रालय की विफलता के लिए, आरबीआई की विफलता के लिए पूरी व्यवस्था को जो सड़ी हुई निकली है, उसके सिद्धान्त के लिए मैं प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके वित्त मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं या नहीं?

[अनुवाद]

महोदय, मैंने आपको तत्कालीन वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया बताई है। वर्तमान वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने 368 दिन के बाद इस प्रतिवेदन के आने पर क्या कहा? उनसे पूछा गया, अपना पद त्याग करने के बारे में विपक्ष की मांग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उन्होंने कहा मैं पदत्याग क्यों करूं? मेरे पदत्याग की मांग करना विपक्ष का काम है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए हम जानते हैं कि श्री यशवंत सिन्हा अपने पूर्ववर्ती द्वारा निर्धारित परम्पराओं को नहीं निभा सके। जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि क्या प्रधान मंत्री 1993 के विपक्ष के माननीय नेता द्वारा

स्थापित परम्पराओं को निभाने के लिए तैयार हैं? दोनों व्यक्ति एक ही हैं। लेकिन आज जो कदम श्री वाजपेयी ने उठाया वह एक अलग बात है जो वह कदम जो उन्होंने 368 दिन पहले उठाया था वह अलग बात है। मैं जो कुछ प्रधानमंत्री से करने के लिए जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जो बात दूसरों के लिए सही है वही आपके लिए भी सही है जो वह 1993 के वित्त मंत्री से कराना चाहते थे क्या वह इसके लिए तैयार हैं कि वित्त मंत्री, शेयर बाजार और यू.टी.आई. घोटाले के जिम्मेदार हैं, को ठीक वही दंड दिया जाना चाहिए जो डा. मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति ने घोटाला और घोटाले की अवधि दोनों के बारे में परिभाषाएं दी हैं। समिति ने पैरा 2.7 पर घोटाले को परिभाषित करते हुए कहा, ''सार्वजनिक धनराशि का निरन्तर और व्यापक दुर्विनियोजन होना है और इसमें अभिशासन के मुद्दे शामिल होने चाहिए। घोटाले की इस प्रकार परिभाषा करने के बाद यह पैरा 3.1 में घोटाले की अवधि के बारे में दर्शाती है जिसमें यह कहा गया है ''मार्च 2001 में घोटाले में सामने आई घटनाएं लगभग अठारह महीने पूर्व शुरू हुई थी।'' मार्च 2001 से 18 माह पूर्व क्या है? यह अक्तूबर 1999 था। अक्तूबर 1999 में क्या बड़ी घटनाएं हुई? श्री अटल बिहारी पुन: प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने पुन: श्री यशवन्त सिन्हा को अपना वित्त मंत्री बना लिया। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा घोटाले की अवधि की जो व्याख्या की गई है वह 1999 की सरकार के सत्ता में पहले अठारह माह के बराबर है जिसने प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रभार संभाला था।

महोदय, घोटाले की प्रकृति क्या है? घोटाले की जो प्रकृति संयुक्त संसदीय समिति ने बताई है उसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं; अनेक बैंकों की विस्मयकारी संख्या दलालों और कंपनियों का शामिल होना, जिन्होंने सरकारी विनियामकों द्वारा उपलब्ध हर कमी का दोहन किया; इसके पश्चात् सभी बड़े शेयर बाजारों में व्यापक अनियमतताएं। तत्पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद भी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वयं की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता के कारण कुछ बैंकों में निरन्तर अनियमितताएं हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री को वह बात स्मरण कराता हूं जो उन्होंने कही थी:

[हिन्दी]

आर.बी.आई. की विफलता के लिए वित्त मंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी।

[अनुवाद]

तत्पश्चात बैंकों, दलालों और कार्पोरेट कंपनियों की सांठगांठ का नम्बर आता है। निश्चित रूप से केतन पारीख का भ्रष्टाचार है। अब उस व्यक्ति पर शेयर बाजार में चौदह वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब इस देश में प्रत्येक व्यक्ति केतन पारीख का नाम जानता था, जब प्रत्येक वित्तीय समाचार पत्र उन्हें अगला बड़ा तेजड़िया स्थापित कर रहा था किन्तु इस सरकार ने उन्हें बिना जांच, बिना निरीक्षण के अपना काम, जो वह कर रहे थे, करने की अनुमति देने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज आपने प्रायश्चित किया है किन्तु इस बीच जब आपको कार्रवाई करना चाहिए थी तो क्या आपने कार्रवाई की अथवा नहीं?

महोदय, अन्त में इस बात पर बल देता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घोटाले में प्रमुख वह धोखाधड़ी हैं जो दो शहरी सहकारी बैंकों में हुई।

इन बैंकों में से एक बैंक माधवपुरा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक है जो माननीय उप प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में स्थित है जो उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर के पास है और गांधीनगर के निवासी होने के कारण माधवपुरा में गांधीनगर के जमाकर्ता बहुत अधिक हैं। इस घोटाले का दूसरा मुख्य केन्द्र सिटी कोआपरेटिव बैंक है जो माननीय प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में स्थित है। इस घोटाले के मुख्य केन्द्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री और भारत के माननीय उप प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र थे और प्रधानमंत्री ने किसी सांसद की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में कुछ नहीं कहा। महोदय, यह उनका निर्वाचन क्षेत्र है। उस समय कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज में भुगतान संकट था और मारीशस मार्ग का दुरुपयोग हो रहा था। रिपोर्ट यह भी बताती है कि विदेशों से करोड़ों रु. का अनियमित मुद्रा प्रवाह हो रहा था। अकेले मारीशस से होकर ही 15,000 करोड़ रु. की राशि आई थी लेकिन सरकार से जो घटित हो रहा था, उसकी जांच करने की बजाए मारीशस मार्ग को औपचारिक रूप से विनियमित छोड़ दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं है। एसईबीआई (सेबी) और डी.सी.ए. ने विनियमन बहुत ही लापरवाही से किया था। सी.बी.आई., जो प्रत्यक्ष रूप से प्रधान मंत्री के अधीन है, का कार्य काफी निम्नस्तरीय था और प्राथमिक बाजार में स्थिरता थी एवं द्वितीय बाजार में उछाल था। आज एक बार फिर यही स्थिति दिखायी दे रही है। माननीय वित्त मंत्री अथवा मैं कहूं तो हमारे अनुपस्थित माननीय वित्त मंत्री को बेहतर होगा कि जब मैं बोलता हूं तो वे यहां बैठने की बजाए कहीं बाहर जाकर सो जाएं, माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष मध्यावधि समीक्षा जारी की है। समीक्षा में बताया गया है कि प्राथमिक बाजार में अप्रैल से सितम्बर 2003 की अवधि में कुल

[श्री मणिशंकर अय्यर]

कारोबार मात्र 1300 करोड़ रुपये था। जबकि उसी वाक्य में आगे बताया गया है कि म्युचुअल फंडों ने स्टाक मार्केट में अकेले ही 33,300 करोड़ रु. का निवेश किया था। विदेशी संस्थागत निवेश की धूम मची हुई है। मुझे नहीं मालूम कि विदेशी संस्थागत निवेशकों से कितने हजार करोड़ रुपए भारत आए।

किन्तु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्षेत्र में क्या हो रहा है। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में भारी असंतुलन है। माननीय जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष जे.पी.सी., जिनसे हम सब सहमत हैं ने इसके सबसे बड़े कारण का पता लगाया। एक बार फिर वही घटित हो रहा है क्योकि न तो किसी मंत्री को दंडित किया गया और न ही किसी मंत्री को फिक्र है। ऐसा होते हुए भी, मैं संयुक्त संसदीय समिति की बात को दुहराना चाहता हूं:

सरकारी क्षेत्र में विशेषकर वित्त मंत्रालय जो अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति का अभिरक्षक हैं, के द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

सरकार और विनियामकों के मध्य सुव्यवस्थित पारस्परिक संबंधों को सुनिश्चित नहीं किया गया, अनथ्या इसने सदोष कार्यों को शुरुआती दौर में पता लगाकर घोटाले को रोकने अथवा उसके प्रभाव को सीमित करने के पूर्वक्रयाधिकार तथा सुधारात्मक उपायों को लागू करके महत्वपूर्ण योगदान दिया होता। मुझे मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों में से एक होने का सौभाग्य मिला है जिस समिति ने कहा:

''विनियमों के जारी करने और अच्छे प्रशासन के ढंग में अनियमितता''

यह स्वत: कई तरीकों से स्पष्ट हुई है:

''जब स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही थी, तो खुशनुमा अहसास' का आनन्द लेने के कारण किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाजार में तेज गिरावट हुई तो सभी लोग एकाएक चिंतित हो गए।

उन्हें बाजार के स्थायित्व में रुचि नहीं थी। वे पीठ थपथपा रहे थे क्योंकि सेंसेक्स 6000 के अंक को पार कर रहा था और उसके बाद वित्त मंत्री ने अचानक कहा कि उनका तो विचार था कि यह अच्छा बजट था और प्रत्येक व्यक्ति यह पता लगाने का प्रयास करने लगा कि आखिर गलती कहां हुई। क्या यही अच्छा शासन है? क्या अच्छा विनियमन यही होता है? क्या पूंजीवादी का असली चेहरा यही है।

महोदय इस सभा में घोटाले के बारे में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में दिनांक 13 मार्च, 2001 को तथा राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने जो कहा, वह अत्यधिक आघात पहुंचाने वाला है।

उन्होंने कहा था कोई बड़ा घोटाला नहीं है प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक टीकाकार और इस देश के शासन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को मार्च, 2001 में यह मालूम था कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन वित्त मंत्री ने संसद, उच्च सदन के माध्यम से देश को बता रहे थे कि कोई बड़ा घोटाला नहीं है। बेशक, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय अक्षम हो सकते हैं और मैं प्रधान मंत्री से यह आशा करता हूं कि वे यह ध्यान दें कि उन्हें कम से कम अब तो मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाए। नए वित्त मंत्री ने सभा में कार्यवाही रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा था–पैराग्राफ 2.7 के प्रत्युत्तर में है–मैं अपनी समिति के माननीय अध्यक्ष, जो आज हमारे साथ हैं, से यह नोट करने का अनुरोध करता हूं कि बुनियादी तथ्यों के बारे में की गई कार्यवाही रिपोर्ट में बड़ा घोटाला बताया गया है–कि अनियमितताओं से कोई क्रमबद्ध दोष स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने यह कहा है। हमारे द्वारा 700 पेज की रिपोर्ट पेश करने के बाद भी उन्हें कोई क्रमबद्ध दोष दिखाई नहीं देता। इसमें आगे बताया गया है यह सम्पूर्ण समस्या मूलत: भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है और कुछ निजी कंपनियों/बैंकों द्वारा बेईमानीपूर्ण प्रकृति के लेनदेन शामिल हैं।

मैं संयुक्त संसदीय समिति के माननीय अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं और उसे आशा है कि वह यह कहेंगे कि आर.बी.आई. के गवर्नर, जो अब संसद के माननीय सदस्य हैं, ने समिति के समक्ष बड़ा शानदार चाल चली थी संयुक्त संसदीय समिति ने इस तर्क को नहीं माना। हमारा कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में क्रमबद्ध कमियां है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए था, अब दूर किया जाए।

संसदीय समिति अर्थात संसदीय प्रणाली के लघुरूप के प्रति इस लापरवाही, इस मानहानि के बारे में इन व्यक्तियों का कहना है कोई बात नहीं। हम इसका समाधान कर लेंगे। कुछ बैंकों में नाम मात्र की धोखाधड़ी हुई है।'' मैं भारत के आज के उप प्रधानमंत्री जो उस समय प्रतिपक्ष के उपाध्यक्ष थे–दुर्भाग्य से आज पक्ष में नहीं हैं–को उनके द्वारा इस सभा में 27 जुलाई, 1994 को पहली संसदीय संयुक्त समिति की रिपोर्ट में जो कहा था, उसकी याद दिलाना चाहता हूं। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था ''संसदीय समिति, आखिरकार, लघु संसद है'' तत्पश्चात उन्होंने श्री कौल और शकधर का उल्लेख किया और बताया कि संसदीय समिति की सिफारिशों को आमतौर पर स्वीकार और कार्यान्वित

किया जाता है तथा उन्होंने आगे यह भी बताया ''यदि सरकार सिफारिशों को अस्वीकृत करती है, तो मेरे विचार में यह सभा की सुस्थापित परम्पराओं से असंगत होगा। वे रिपोर्ट देने के नाम पर, संसदीय समिति की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। संसद की अवमानना की गई है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया कि यह संसद का अपमान है।

क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने श्री जसवंत सिंह के कर कमलों से इस रिपोर्ट के माध्यम से संसद का अपमान नहीं किया। यह देश व्यापक क्रमिक दोषों के बारे में जे.पी.सी. के निष्कर्षों को किस प्रकार आसानी से पचा सकता है, माननीय वित्त मंत्री ने भूतपूर्व आर.बी.आई. गवर्नर जिनकी गलती से इतना अधिक संकट उत्पन्न हुआ है, के कथन को रट्टू तोता के भांति दोहराकर बड़ी चालाकी से अस्वीकृत कर दिया।

मैं यह नहीं मानता कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी अथवा प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी अथवा उनके वित्त मंत्री माननीय जसवंत सिंह जो पहली संसदीय संयुक्त समिति के सदस्य थे और जिन्होंने न केवल अपनी राय थोपी अपितु जे.पी.सी. में अपेक्षाकृत भारी भरकम भाषा का प्रयोग किया था ने विपक्ष के तत्कालीन नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष को कोई मान सम्मान दिया था।

डा. मनमोहन सिंह ने पिछले घोटाले के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण नई संस्थागत पहल यह की थी कि उन्होंने इस सभा के माध्यम से 1994 में पूंजी बाजार के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एच.एल.सी.सी.) गठित की थी, जिसका दोनों कार्यवाही रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है।

इसको सामान्यत: एच.एल.सी.सी. कहा जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित की गई थी। हमें 1994 में जो कार्यवाही रिपोर्ट दी गई थी, उसमें डा. मनमोहन सिंह ने बताया था कि एच.एल.सी.सी. के अधिकार क्षेत्र में वित्तीय और पूंजी बाजारों की स्थिति को नियमित समीक्षा करना शामिल है। एच.एल.सी.सी. को यही मुख्य कार्य सौंपा गया था। मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी समिति ने रिपोर्ट के पैरा 13.50 में सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि एच.एल.सी.सी. ने पूंजी/वित्तीय बाजारों की स्थिति की नियमित समीक्षा संबंधी अपने कार्य को सम्पन्न नहीं किया। हम सभी ने एकमत से यह लिखा है। यह उन्होंने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हमने उसी पैराग्राफ में लिखा है:

> ''वित्त मंत्रालय ने अपनी ओर से ऐसे महत्वपूर्ण मामले एच.एल.सी.सी. को नहीं सौंपे''

न, तो एच.एल.सी.सी. ने वित्त बाजार की समीक्षा का कार्य किया और न ही वित्त मंत्रालय ने उससे ऐसा करने के लिए कहा। अत: एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसी) होने का क्या अर्थ है जिसका चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक और इस देश के सबसे बड़े आर्थिक और मौद्रिक प्राधिकरण का गवर्नर है और कुछ नहीं कर रहा है। प्रत्येक विनियामक प्राधिकरण के प्रत्येक चेयरमैन और मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का इस समिति में प्रतिनिधित्व है। समिति का काम वित्तीय और पूंजी बाजार की समीक्षा करना है। मंत्री अपने से संबंधित किसी मुद्दे को एचएलसीसी को भेजने हेतु अधिकृत है। अक्तूबर 1999 से मार्च 2001 तक घोटाले की समस्त अवधि के दौरान एचएलसीसी ने वित्तीय और पूंजी बाजार की समीक्षा के लिए एक भी बैठक नहीं की। ये लोग एकत्र क्यों किए गए थे? क्या वे पकोड़े खाने, सैंडविच चबाने और चाय पीने के लिए एकत्र किए गए थे अथवा वित्तीय और पूंजी बाजार की समीक्षा करने के लिए?

की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन की बात करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जेपीसी ने तब यह कहा था कि इन लोगों ने क्या जांच नहीं की। जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी और श्री किरीट सोमैया इस वाक्य से उतने ही संबद्ध है जितना की मैं। मैं यह उद्धृत करता हूं:

> ''यदि इन मुद्दों'' अर्थात् पूंजी और वित्तीय बाजार से संबंधित मुद्दे, पर एचएलसीसी द्वारा आवधिक रूप से विचार किया जाता, तो इससे निश्चित रूप से वर्तमान घोटाले में हुई अनियमितताओं को यदि टाला नहीं जा सकता, तो कम करने में सहायता मिलती।''

डा. मनमोहन सिंह ने एचएलसीसी का गठन किया था इसके प्रत्युत्तर में की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में जो कहा गया है, वह काफी चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है। राजग में की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में कहा गया है:

> ''वर्तमान विचारार्थ विषयानुसार, एचएलसीसी से केवल नीतिगत मतभेदों पर विचार करने की आशा की जाती है।''

यह आश्चर्यजनक है। डा. मनमोहन सिंह ने एचएलसीसी के अधिदेश को संसद के समक्ष लाए। उन्होंने कहा कि वे जुलाई 1994 का की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन नहीं चाहते हैं और 13 दिनों तक सभा से बाहर चले गए। उन्होंने डा. मनमोहन सिंह को दिसम्बर 1994 में एक और की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया। गरीब आदमी उपकृत हुआ। उनका मुख्य नवीन तंत्र एचएलसीसी है। इसका अपना महत्व है। फिर यह अपने अधिदेश के काफी महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करने

[श्री मणिशंकर अय्यर]

के लिए कभी एकत्र नहीं हुई। यह स्वीकार करने की बजाय कि हमने भारी गलती की है, नैतिक जिम्मेदारी लेने की बजाय, प्रधान मंत्री जी प्रायश्चित, कहने की बजाय उन्होंने क्या कहा? मैं उद्धृत करता हूं:

"वर्तमान विचारार्थ विषयानुसार, एचएलसीसी से केवल नीतिगत मदभेदों पर विचार करने की आशा की जाती है।"

उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वास्तव में वे ऐसा महसूस करते हैं कि एचएलसीसी को वित्तीय और पूंजी बाजार की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केतन पारिख आया और उसने पैसा कमाया। वे इसे कैसे बदल सकते हैं? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता है। वे संसद को सूचित किए बिना या परामर्श किए बिना संसद द्वारा अनुमोदित एचएलसीसी के विचारार्थ विषय को किस प्रकार बदल सकते हैं?

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे उप-प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्ष के उपनेता के इस बयान के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेंगे कि जेपीसी छोटे रूप में एक संसद है और इसका प्रतिवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता तथा इसे अस्वीकार करना ससद का अपमान करना है।

महोदय, एटीआर संसद का अपमान करती है। एटीआर में कहा गया है कि उन्होंने एकमत से एचएलसीसी के विचारार्थ विषयों को बदला है ताकि एचएलसीसी के क्षेत्राधिकार से बाहर पूंजी बाजार की समीक्षा की जा सके। यह संसद का अपमान है और श्री केतन पारिख तथा अन्य सभी, जिन पर उनके अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है, का मुख्य सहोयगी होने के बराबर है। अत: हमारे पास तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को जवाबदेह और जिम्मेदार, दोनों ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, जेपीसी प्रतिवेदन में-मैं आशा करता हूं कि जनरल त्रिपाठी मेरे गणित की पुष्टि करेंगे-मेरी गणना के अनुसार वित्त मंत्रालय पर कम से कम 52 जगह पर आरोप लगाया गया है अर्थात् वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में एक आरोप लगाया गया। औसतन हरेक सप्ताह वित्त मंत्रालय को मुंह की खानी पड़ती है किंतु सत्तापक्ष के हमारे दोस्त यह कहते हैं कि आरोप मंत्रालय पर लगा है मंत्री पर नहीं। महोदय, क्या आपने किसी मंत्री के बिना मंत्रालय होने की बात सुनी है?

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): एक मंत्री बिना मंत्रालय के हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: हां, हमने बिना मंत्रालय के मंत्रियों की जैसे कुमारी ममता बनर्जी के होने की बात सुनी है। किंतु क्या आपने एक मंत्री के बिना मंत्रालय होने की बात सुनी है?

कोई भी मंत्री इन गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं श्री जसवंत सिंह-जो दुर्भाग्य से यहां नहीं हैं, को यह याद दिलाना चाहता हूं जो उस समय विपक्ष के उपनेता के बाद नेता थे और यहां आगे की सीटों पर बैठे हुए थे तथा मैं उस सीट पर बैठा हुआ था जिस पर अब बिक्रम केशरी देव बैठे हुए हैं, और उन्होंने उस समय क्या कहा था। 27 जुलाई, 1994 को उन्होंने कहा था: "समिति का एकमत स्वर उसके निष्कर्ष लघुत्तम अंश है। यह हमारे द्वारा पाई गई गलतियों का छोटा सा ही भाग है। यह महत्तम अंश नहीं है" *...(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की नकल पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं। कृपया नकल करने का प्रयत्न न करें।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैं अपनी आवाज पर वापस आता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, हम एकाग्रचित होकर उनकी बात सुन रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस प्रकार की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी होगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें पहले ही यह कह दिया है और उन्होंने दुबारा ऐसा न करने की बात मान ली है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे कहा और उन्होंने मान लिया है कि अब वे ऐसा नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, श्री जसवंत सिंह ने यह भी कहा:

"यदि हमने एक एकमत रिपोर्ट दी तो वह हमारे निष्कर्षों का लघुत्तम अंश है। इस लघुत्तम अंश रूप में यह की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन इस संसद और हमारी चिंताओं, दोनों का अपमान है।"

अब मैं श्री जसवंत सिंह से उनकी अनुपस्थिति में यह पूछता हूं: क्या उनके द्वारा हमें दी गई एटीआर, जो हमारी समिति के सर्वाधिक मौलिक निष्कर्षों को अस्वीकार करती है, संसद और हमारी चिंताओं का अपमान नहीं है?

महोदय, जैसाकि श्री जसवंत सिंह, श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें बताया था कि संवैधानिक न्यायशास्त्र, संसदीय मर्यादा और राजनैतिक नैतिकता एकमत के लघुत्तम अंश पर आधारित नहीं की जा सकती है उसे भारत के संविधान और भारतीय संसद में संसदीय प्रक्रिया के महत्तम अंश पर आधारित होना होगा जैसाकि आधी सदी से होता रहा है और नैतिक जिम्मेदारी, राजनैतिक नैतिकता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री और एक प्रतिष्ठित कवि दोनों हैं, की एक अनश्वर उक्ति है।

[हिन्दी]

नैतिक जिम्मेदारी कहां गई।

[अनुवाद]

महोदय, घोटाले का वित्त मंत्री होने के नाते श्री यशवंत सिन्हा को निम्नलिखित चार प्रकार की जिम्मेदारी लेनी होगी।

पहले, उन्हें 13 मार्च, 2001 को राज्य सभा में शेयर बाजार यूटीआई घोटाले के बारे में तथा उसी साल लोक सभा तथा राज्य सभा में जुलाई और अगस्त को उनके द्वारा कही गई बात की जिम्मेदारी लेनी होगी।

दूसरे, श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के रूप में अपने तथा अपनी समकक्ष रहे विदेशी वित्त मंत्री अर्थात् मारीशस के माननीय और प्रतिष्ठित वित्त मंत्री, जिन्होंने मार्च 2000 में श्री यशवंत सिन्हा को किसी नवीनतम चिंता पर भारत के साथ बातचीत करने का न्यौता दिया था, के बीच हुए संवाद के बारे में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। एकमत वाली जेपीसी रिपोर्ट के अनुसार श्री यशवंत सिन्हा ने नवीनतम चिंताओं पर भी चर्चा करने के न्यौते पर ध्यान नहीं दिया और श्री यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्रालय से हटाए जाने और श्री जसवंत सिंह के हमारे वित्त मंत्री बनने के बाद भारत और मारीशस के बीच चिरप्रतीक्षित बातचीत हुई और उसने इस समस्या को सुलझाया। मारीशस वालों ने मार्च, 2000 में इस मामले पर हमसे चर्चा करने की पेशकश की। भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह कहा था कि यद्यपि, मारीशस से 15,000 करोड़ रुपए बाजार में आये थे और सबको इसका पता था–बाजार को पता था, विनियामकों को पता था, भारतीय रिजर्व बैंक को पता था, जनरल पी.एम. त्रिपाठी नामक बैंक बेंचर को भी पता था और एक अन्य बैंक बेंचर संसद सदस्य, मणि शंकर अय्यर को भी पता था कि यह अनियंत्रित है फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। यह भारत में आने वाले धन का एक तिहाई है। 45,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए मारीशस से आ रहे है। हम सबको पता था कि उनके अधिनियम अर्थात मारीशस के अधिनियम की प्रकृति के अनुसार इसके दुरुपयोग की भारी संभावनाएं हैं। उस दुरुपयोग का अब पता लग चुका है। मैं सरकार को बहुत सी कमियों को दूर करने के लिए बधाई देता हूं। मैं सरकार को ऐसे विनियम लाने के लिए बधाई देता हूं जिनसे भारतीय धन काले धन के रूप में बाहर जाने से रुकेगा और हमारे बाजार में मारीशस से वैध धन के रूप में वापस आने से रूकेगा। किंतु यदि वह अब ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें तब ऐसा करने से किसने रोका? मेरा यही एकमात्र प्रश्न है।

जब यह ठीक चल रहा था तो कैसे? क्या यह केतन पारीख के लिए था? क्या यह लघु निवेशकों के लिए उनका था। फिर वित्त मंत्री कहते हैं: 'ओह, मेरी आंखे बंद, मेरे कान बंद तथा मेरे मुंह बंद, पूरा गांधीवादी।' अब, जब समस्या तो उन्होंने मारीशस से बात की और उनकी समस्या का समाधान किया। अत: वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी से नहीं बच सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको और कितना समय चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर: मुझे दस से पन्द्रह मिनट और चाहिए। कृपया मुझे इतना समय और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर दल को समय आवंटित किया गया है। आपके दल के दो सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। ठीक है आप दस मिनट और ले सकते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, तीसरा मामला जिसके लिए हम मानते हैं श्री यशवन्त सिन्हा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए वह है उनके मंत्रालय द्वारा की गई गलतियों के लिए उनकी रचनात्मक जिम्मेदारी। आप बिना मंत्री का मंत्रालय नहीं रख सकते।

अंत में उन्हें दो कारणों से विनियामकों की गलतियों और अपने सांविधिक विनियामकों की तथा अपने स्वतंत्र विनियामकों की गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। एक कारण दिसम्बर, 1993 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था, आरबीआई की विफलता के लिए वित्त मंत्री को जिम्मेदारी लेनी है। यदि 1993 में आरबीआई एक सांविधिक विनियामक के रूप में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आज भी निश्चय ही वह नियम लागू होता है कि सेबी जैसे अन्य सांविधिक विनियामकों, जो कि अब सांविधिक विनियामक बन गए हैं, की गलतियों के लिए भी केवल मंत्री ही इस सभा के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी हो सकता है।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

ऐसा इसलिए है क्योंकि वाजपेयी प्रतिपक्ष के नेता थे तो सेबी के अध्यक्ष को इस सभा में नहीं बुलाया जा सकता और इसी प्रकार आप आरबीआई के गवर्नर को भी यहां नहीं बुला सकते इसलिए हम हमेशा मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं।

महोदय, चार प्रकार की जिम्मेदारी हैं–श्री सिन्हा की कही हुई बात के लिए जिम्मेदारी, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों के लिए जिम्मेदारी, उनके मंत्रालय की गलतियों के लिए रचनात्मक प्रकृति की जिम्मेदारी और एकमात्र प्राधिकारी के रूप में संसद के प्रति जिम्मेदारी। अब हमारी संसदीय प्रणाली में वह सांविधिक विनियामक के कार्यों के लिए भी संसद के प्रति जिम्मेदार है। फिर भी इन मोर्चों पर उनकी क्या उपलब्धि रही? तीन मामले हैं जिन पर हम स्पष्ट तौर पर श्री यशवन्त सिन्हा पर आरोप लगा सकते हैं नामत: पहला मारीशस मार्ग, दूसरा यूटीआई यूएस-64 योजना तथा तीसरा कलकत्ता शेयर बाजार भुगतान संकट जहां मैं जो अब कह रहा हूं उसका हरेक शब्द सर्वसम्मत जेपीसी रिपोर्ट से सीधा आता है।

ये तथ्य संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से हैं। मैंने पहले ही आपको निष्कर्ष दे दिया है जो यह है कि भारत के लोगों के प्रति जिम्मेदार तथा उत्तरदायी हमारे लोकतंत्र के इस उच्चतम मंच पर एक जिम्मेदार संसद सदस्य के रूप में हम ऐसा मंत्री नहीं रख सकते जो कहता है कि वह जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले मैं मारीशस मार्ग पर आता हूं। हमारी संयुक्त संसदीय समिति ने पैरा 8.97 पर कहा है कि समिति यह नोट करके व्यथित है कि हाल ही की बातों पर भारत की चिंताओं का समाधान करने के लिए मार्च, 2000 में मारीशस के वित्त मंत्री द्वारा वित्त मंत्री को दी गई पेशकश के होते हुए भी मंत्रालय द्वारा अथवा मंत्री द्वारा इन मुद्दों को मारीशस के साथ उठाने के लिए बहुत कम किया गया अथवा कुछ नहीं किया गया।'' यदि कोई मंत्री वास्तव में मित्र देश से और विश्व में हमारे सबसे निकट मित्र से वार्ता की पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकता तो यह सरकार क्या कर रही है?

रिपोर्ट में पैरा 8.79 पर जो कहा गया है उसे मैं यहां उद्धृत करता हूं:

> ''वित्त मंत्रालय ने मारीशस मार्ग से संबंधित मामलों की ओर स्वयं पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।''

इसमें पैरा 8.97 पर निम्नवत कहा गया है:

> ''इस मार्ग का दुरुपयोग 1999-2000 के बूम, जिससे 2001 का धमाका हुआ, के दौरान बाजार की कारगुजारियों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार रहा है। मंत्रालय द्वारा कोई विनियामक ढांचा तैयार नहीं किया गया था।''

मंत्रालय द्वारा कोई विनियामक ढांचा तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप सेबी ने कहा कि विनियमन आरबीआई की जिम्मेदारी है। आरबीआई ने कहा था, ''नहीं, वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है।'' आरबीआई के गवर्नर ने कहा था, ''हां हम, इसे विनियमित कर सकते हैं बशर्ते कि मंत्रालय ने एक विनियामक ढांचा तैयार किया हो।'' केतन पारीख जैसे लोगों से अधिकांश अवैध पैसे के रूप में 15,000 करोड़ रुपए इस देश में आए और उस आगम को नियंत्रित करने के बजाय मंत्री अपने हाथ हिलाते हैं और कहते हैं कि एक सांविधिक विनियामक है और मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या यह सभा इस बात को स्वीकार कर सकती है।

यूटीआई के संबंध में, यूटीआई के अध्यक्ष श्री पी.एम. सुब्रमण्यम को पद से हटा दिया गया था। मेरे विचार से उन्हें कभी नियुक्त ही नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने उन्हें हटा दिया। परन्तु किस आधार पर हटाया? वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा था कि उन्हें बार-बार भरोसा दिलाया गया था कि सब कुछ ठीक-ठाक था।'' अब मैं इसे दोहराता हूं। वित्त मंत्री कहते हैं कि उन्हें बार-बार यूटीआई के अध्यक्ष द्वारा भरोसा दिलाया गया कि सब कुछ ठीक-ठाक था। फाइल के हमारे परीक्षण ने क्या दिखाया है? जब तक हरेक की गवाही नहीं हुई तब तक वित्त मंत्री ने वह फाइल, हमें जेपीसी में नहीं दी। इसलिए, हम इस पर मंत्री से प्रश्न नहीं कर सके *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे पास जेपीसी थी। जो तर्क अब दिए जा रहे हैं उनके कारण जेपीसी का गठन किया गया था। अब हम की गई कार्यवाही प्रतिवेदन की चर्चा कर रहे हैं, जेपीसी की नहीं और न ही वित्त मंत्री के इसमें शामिल होने की चर्चा कर रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मैं प्रश्न जानता हूं। उनके पास इसका खंडन करने का मौका है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: यहां हम वित्त मंत्री के इसमें शामिल होने पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। हम की गई कार्यवाही प्रतिवेदन की चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि वह नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूं? कृपया बैठ जाइये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: वह वापस जा रहे हैं। इसीलिए, हमने जेपीसी बनाई।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, हम की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। अब तक आपने उनकी बात ध्यान से सुनी। आप अब उन्हें क्यों रुकावट पैदा कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: सर्वसम्मत प्रतिवेदन में तत्कालीन वित्त मंत्री पर दोषारोपण नहीं किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति ने दोषारोपण नहीं किया था ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: वित्त मंत्री ने यूटीआई के अध्यक्ष को, उन्हें बार-बार यह आश्वासन देने के बावजूद कि सब कुछ ठीक है, पद से हटा दिया। हमें जो फाइल मिली है उसमें पता चलता है कि इस विषय पर फाइल भी संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बाद खुली थी। ...*(व्यवधान)* इसमें कोई नोटिस नहीं है। इसमें कोई आकलन नहीं है। इसमें बाजार की स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं है। यूटीआई के अध्यक्ष द्वारा 18 मई 2001 को वित्त मंत्री का भेजे गए एकमात्र पत्र को एक तरफ रख दिया गया। उसके अलावा, संयुक्त संसदीय समिति ने पाया है कि कोई टेलीफोन नहीं किया गया, कोई परस्पर बैठक नहीं हुई और वित्त मंत्री ने यूटीआई के अध्यक्ष को टेलीफोन करने की भी जहमत नहीं उठाई। ...*(व्यवधान)* यदि बार-बार बातचीत नहीं हुई तो बार-बार आश्वासन कैसे दिया जा सकता है। बार-बार आश्वासन तो बार-बार बातचीत से ही मिल सकता है। चूंकि बार-बार बातचीत ही नहीं हुई थी तो बार-बार आश्वासन की बात ही नहीं आती ...*(व्यवधान)*

दूसरी बात 18 मई 2001 के एकमात्र पत्र में सब ठीक है कहने की जगह पर यूटीआई के अध्यक्ष ने कहा था कि वे यूएस-64 पर अपने लाभांश बनाए रख पाएंगे, यदि-और दो शर्तों का उल्लेख किया गया होता-जून के अंत तक सेन्सेक्स 4,300 के अंक को पार कर जाए। 4,300 के अंक तक पहुंचने में इसे अगले दो वर्ष लग गए। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सेन्सेक्स में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है तो, लाभांश को बनाए रखा जा सकता है, यह दूसरी शर्त थी। 4,300 अंक के सामने मंत्रालय के एक अधिकारी ने प्रश्नचिह्न लगाया है। ...*(व्यवधान)* इतना ही जेपीसी रिपोर्ट में दिया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, उनकी बात अभी समाप्त नहीं हुई। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, इस पर बोलने जा रहे है। वह इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कृपया बैठ जाइए।

श्री मणिशंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि यह महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसमें टोकाटाकी नहीं की जा रही है।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का समय पाने में हमें 368 दिन लगे हैं। कृपया मुझे समाप्त करने की अनुमति दी जाए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है ...*(व्यवधान)*

फाइल पर और यह सब जेपीसी रिपोर्ट में है-4,300 अंक के सामने प्रश्न चिह्न है, और 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के सामने प्रश्नचिह्न और एक विस्मयादिबोधक चिह्न भी है किन्तु उसी कागज पर किसी वाई. सिन्हा के हस्ताक्षर भी हैं। इन्होंने उस पर हस्ताक्षर मात्र करने का काम किया है न तो फाइल पर उनके सामने पेपर रखे गए; ना ही उन्होंने उसकी जांच के लिए कहा। यूटीआई के अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और वित्त मंत्री ने तत्काल आपात कार्यवाही करने के स्थान पर फाइल को पड़े रहने दिया।

जब मैंने जेपीसी में उनसे पूछा था-यह प्रतिवेदन में दिया हुआ है-''आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा, ''मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नाटकीय नहीं दिखा।'' यहां शेयर बाजार गिर रहा है। यहां यूटीआई है जिसने यूएस-64 योजना की 75 प्रतिशत आस्तियां शेयर बाजार में निवेश की हैं। बाजार में 6000 अंक से 3000 अंक तक गिरावट आ चुकी है, किन्तु क्या हुआ इसका पता लगाने को कहने की बजाए वित्त मंत्री ने एक हस्ताक्षर मात्र करके रिपोर्ट को अपनी मेज से जाने दिया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वह फाइल उनके सामने क्यों नहीं रखी जा रही है।

जब वित्त मंत्री से जेपीसी में पूछा गया और यह पूरी बातचीत रिपोर्ट में दोहराई गयी है-यूटीआई की स्वायत्तता के विषय में, उन्होने कहा, 'हमने यूएस-64 की स्थिति के संबंध में सक्रियता से अनुवर्तन किया है। हमारी समिति के सामने यह मामला रखा गया। तब उनसे पूछा गया था कि यह कैसे हो गया कि उन्होंने सक्रियता से अनुवर्तन किया और फिर भी वह अंधेरे में रहे, जिसके जवाब में उस समय वित्त मंत्री ने हमसे कहा, 'क्योंकि यूटीआई के अध्यक्ष द्वारा हमें बार बार बताया गया था कि कोई समस्या नहीं है।' यह प्रतिवेदन के पैरा 17.22 में देखा जा सकता है। अब उन्होंने यह राज्य सभा में कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: अब उन्हें स्वीकार करने दीजिए कि यूटीआई में सुधार आया है और सेन्सेक्स में सुधार आया था *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं स्वीकार करता हूं *...(व्यवधान)* अब कृपया बैठ जाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: उन्होंने जुलाई-अगस्त 2001 में राज्य सभा में कहा था कि उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया था। वह नवम्बर 2002 में हमारे सामने आए और दोहराया कि उन्हें बार-बार बताया गया था और पूरे साक्ष्य से यह पता चलता है कि उन्हें बार-बार बताया या आश्वासन दिया ही नहीं जा सकता था क्योंकि उन्होंने बार-बार पूछा ही नहीं था। वे कभी संपर्क में नहीं थे और वित्त सचिव तथा उनके सहकर्मियों द्वारा यह बचाव किया गया कि हमें सूचित नहीं किया गया था और यहां वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अधिकारियों से बार-बार पूछा। अब, यह कैसे मंत्री हैं जो अपने अधिकारियों से बार-बार पूछते हैं और उनके अधिकारियों ने अध्यक्ष से बार-बार नहीं पूछा और मंत्री को उस समय नहीं बताया जब वह सदन जा रहे थे और जेपीसी के समक्ष जा रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया और यह दावा कर रहे थे कि सब ठीक (हांकी डोरी) है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जेपीसी ने निष्कर्ष निकला है, मेजर जनरल त्रिपाठी ने निष्कर्ष निकाला है, श्री वी.पी. सिंह ने निष्कर्ष निकाला है और मैने निष्कर्ष निकाला है।

अब मैं प्रतिवेदन के पैरा 17.22 से उद्धृत करता हूं:

> ''यदि चेयरमैन यूटीआई ने सबको अन्धेरे में रखा भी हो, जैसाकि वित्त मंत्री ने राज्य सभा को बताया, समिति पाती है कि मंत्रालय ने इसे अन्धेरे से बाहर लाने के लिए कम प्रयास किया।''

कृपया मुझे बताइए कि हम एक जिम्मेदार संसद के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं जहां श्री पी.एस. सुब्रमणियन की नौकरी जाती है और श्री यशवंत सिन्हा की बनी रहती है? जब सिन्हा को अन्धेरे में रखने के कारण सुब्रमणियन की नौकरी जाती है तो जेपीसी कहती है कि सिन्हा ने स्वयं को या अपने मंत्रालय को अन्धेरे से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया।

और तीसरा मुद्दा कोलकाता स्टाक एक्सचेंज का है *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, हम घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं या जेपीसी पर या एटीआर पर? वह जेपीसी के गठन के कारणों पर दुबारा चर्चा कर रहे हैं। सेन्सेक्स में सुधार आया है और यूटीआई में भी सुधार आया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें आगे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आपको समाप्त करना है। अब आपके दल का और आपका समय भी समाप्त हो गया है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैंने आपको बताया था कि तीन विषय हैं। मैंने दो विषयों पर बोल लिया है और तीसरे पर बोल रहा हूं।

कलकत्ता शेयर बाजार के संबंध में, जेपीसी कहती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आगे बढ़िए। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय जेपीसी कहती है *...(व्यवधान)* यह बहुत गलत है। उन्हें अपना अवसर मिलेगा। इसके बाद अब उन्हें अवसर मिलेगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के संबंध में, जेपीसी *...(व्यवधान)* मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के संबंध में मैं पैरा 6.19 उद्धृत करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

> ''समिति का विचार है कि सीएसई में आखिर भुगतान के संकट का मूल कारण यह था कि सेबी ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से बाजार के बाहर व्याप्त आंतरिक बदला को खत्म किये बिना या नियमिति करने की कोई व्यवस्था किए बिना ही बदला को शुरु करने की अनुमति दे दी थी।''

मैं पुन: उद्धृत करना चाहूंगा कि: जब काम ठीक-ठाक चल रहा था तो किसी ने भी इसमें हस्ताक्षर करने में दिलचस्पी नहीं ली।

मैं राज्य सभा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के इस मुद्दे पर वित्त मंत्री के उत्तर जिसमें तीन वाक्य थे, देना चाहूंगा। मंत्री जी ने 13.3.01 को राज्य सभा में जो कहा था मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

''जहां तक भुगतान की समस्या की बात है, अभी तक भुगतान की समस्या नहीं हुई है।''

संयुकत संसदीय समिति ने पाया है कि भुगतान की समस्या थी और यह पहले ही पैदा हो चुकी थी। उनका अगला वाक्य था:

''इस तथ्य के कारण केवल विलम्ब हुआ था क्योंकि कुछ बैंक बंद हो गए थे, आदि; केवल एक दिन का विलम्ब हुआ था।''

संयुक्त संसदीय समिति ने पाया है कि विलम्ब एक दिन का नहीं था और यह इस कारण नहीं हुआ था कि कुछ बैंक बंद हो गए थे। विलम्ब का कारण यह था कि धूर्त दलालों और सी.एस.ई. और पराधिक रूप से संज्ञेय एक सार्वजनिक क्षेत्र का म्युचुअल फंड, यू.टी.आई. के धोखेबाज बैंकरों, धोखेबाज समर्थकों, धोखेबाज दलाल-निवेशकों के बीच के षडयंत्र का भेद खुल गया था

[अनुवाद]

जिसके लिए विशेषकर यूएस-64 के लिए मंत्री महोदय सीधे तौर पर संसद के प्रति जिम्मेदार था।

महोदय, यू.टी.आई. ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के एक दोषी दलाल को बचाने के लिए यू.टी.आई. ने नाजायज रूप से 25 करोड़ रुपये मूल्य के बेकार डी.एस.क्यू. शेयर खरीदे और इस प्रकार भुगतान की समस्या को दुरुह बनाया या बनाने की कोशिश की थी। मैं उस .दिन का आरोप वित्त मंत्री पर लगाना चाहूंगा क्योंकि यू.टी.आई. का हस्तक्षेप आम बात थी। इसकी पुष्टि यू.टी.आई. के मुम्बई अवस्थित कार्यपालक निदेशक ने स्वयं की थी और मैं इसे रेखांकित करना चाहूंगा कि 11 मार्च, 2001 को प्रकाशित द बिजिनेस स्टैंडर्ड में सूचित किया गया कि यू.टी.आई. ने इन 25 करोड़ रुपये मूल्य के बेकार शेयरों को खरीदा था अर्थात दो दिन पूर्व।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर: थोड़ा सब्र कीजिए। मैं अब समाप्त करने वाला हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपका समय बहुत पहले समाप्त हो चुका था। चूंकि आप महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। मैंने आपका भाषण जारी रहने दिया।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मेरा समय समाप्त हो गया है लेकिन समय तो इस सरकार का खत्म होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: उसका निर्णय जनता करेगी। आप कैसे फैसला करेगे।

श्री मणिशंकर अय्यर: वित्त मंत्री को प्रेस द्वारा यह सूचना उनके राज्य सभा में बोलने के दो दिन पूर्व ही मिल गई थी। इसलिए उनके लिए संसद को बताना आवश्यक था।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं इसका अंतिम वाक्य सुना रहा हूं इन सभी चीजों को देखते हुए और समयाभाव के कारण आपने मुझे बोलने से रोक दिया इसको ध्यान में रखते हुए, जिसे मैं अन्यथा जनता के समक्ष रखना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से इस सभा के समक्ष, इस सरकार के समक्ष तीन मांगें रखता हूं। मेरी पहली मांग है यसवंत सिंह मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दें, और लोक सभा में 29 दिसम्बर, 1993 को प्रधान मंत्री ने जो कदम उठाया था उसके अनुरुप वे उन पर कार्रवाई करें। मेरी दूसरी मांग है कम्पनी मामले विभाग द्वारा प्रायश्चित किया जाए। यदि आपने मुझे समय दिया होता तो मैं स्पष्ट कर पाता, संयुक्त संसदीय समिति के अनुसार, कि कैसे इन लोगों ने अपने नियामक कार्यों का निष्पादन बुरी तरह किया।

प्रधान मंत्री कार्यालय का वह प्रायश्चित जिसके अंतर्गत सी.बी.आई. आती है, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने पाया कि हर्षद मेहता घोटाला के बाद सी.बी.आई. द्वारा 72 मुकदमे दर्ज करने के 10 वर्ष बाद भी 25 को न्यायालय में नहीं लाया जा सका है। जो 47 व्यक्ति न्यायालय में आए उनमें से केवल छ: के बारे में ही निष्कर्ष आया जिसमें से तीन को सजा हुई। प्रधान मंत्री कार्यालय की लापरवाही का यह आलम है। इसलिए मैं प्रायश्चित चाहता हूं जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधान मंत्री डी.सी.ए. और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया था। अंत में, मैं एक अन्य की गई कार्यवाही रिपोर्ट रखने की मांग करता हूं जैसाकि इन लोगों ने 1994 में मांग की थी, जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन की असफलता के सिद्धांत के आधार पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

अध्यक्ष महोदय: इसके पहले की हम दूसरे का नाम पुकारे मैं श्री मणिशंकर अय्यर के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि

[अध्यक्ष महोदय]

आपकी पार्टी के लिए आवंटित समय 24 मिनट का था और मैंने आपको 55 मिनट का समय दिया है। यह केवल आपके रिकार्ड के कारण है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचें कि मैंने आपके साथ कोई अन्याय किया है।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, आपकी सदा मेरे ऊपर दया रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। पिछले सप्ताह मैंने जिस एक बात का उल्लेख किया था, मैं पुन: आज वह उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि आज वह अधिकृत हो गया है भारत ने एक और शतक बनाया। अबकी बार यह क्रिकेट के क्षेत्र में न होकर विदेशी विनिमय भंडार के क्षेत्र में है। हिन्दुस्तान ने 100 बिलियन डालर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लक्ष्य क्रास किया है। जापान, चाइना और साउथ कोरिया के साथ हम जा बैठे हैं। वास्तव में जब हम श्री मणिशंकर अय्यर जी की बातें सुनते हैं, गत बार पहले भी उनकी और मेरी जोड़ी थी, लेकिन इस बार श्री मणिशंकर अय्यर जी ने जो बातें रखी हैं, उसके बदले में, मैं एक अलग एंगल से इस ए.टी.आर. और इस डिबेट को देखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, आप भी मुम्बई के हैं और मैं भी मुम्बई का हूं, कि स्माल इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में हैं। वास्तव में इस डिबेट के पीछे कल्पना यह होती है या एटीआर के पीछे भी कल्पना यह होती है कि भूल सिस्टम से होती है या व्यक्तियों से होती है। लेकिन कैसे हम रिफार्म करैक्विं स्टेप लेकर कैपीटल मार्केट को उस एटीआर के बैकग्राउंड में मजबूत करेंगे, इस बारे में ज्यादा चर्चा करनी चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं। मैंने और बाकी लोगों ने जेपीसी में लगभग डेढ़ साल तक श्री मणि शंकर अय्यर जी के जो आर्ग्यूमैंट सुने, वह वापिस आज हमें सुनने को मिले। मुझे अच्छा लगा कि उस डेढ़ साल की याद श्री मणिशंकर अय्यर जी ने दिला दी।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): आपकी जानकारी ताजी हो गई है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: जो कुछ वह जेपीसी में जो बोलते थे, वही आज उन्होंने याद करा दिया।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि इस प्रसंग को करैक्टिवनैस क्योंकि आप जानते हैं, अपनी मराठी में एक कहावत है कि "जो थामला सो समपला" यानी जो ठहर जाता है, उसका भविष्य वही समाप्त होता है। यह आर्ग्यूमैंट हो सकता है कि पहले कैपीटल मार्केट को डेवलप करना चाहिए, रेगुलेटरी नेटवर्क सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना चाहिए था या पहले सभी रेगुलेटर्स को एकाउंटेबल बनाना चाहिए था, जो पालिसी मेकर्स यहां और विधान सभा में बैठे हैं, उनको अधिक मजबूत बनाना चाहिए था और स्माल इन्वेस्टर्स को पहले अधिक एजुकेट करना चाहिए था। उसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी को 1991 में कैपीटल मार्केट ओपन करनी चाहिए थी, यह आर्ग्यूमैंट हो सकता है। लेकिन इसके साथ गुजराती में एक कहावत है कि "पानी मा परसो तो तरता सिखसो" यानी पानी में कूदोगे तो तैरना सिखोगे। अभी कोई यह कहेगा कि नहीं, नहीं, 1991 से लेकर 2000 तक इस देश में एक के बाद एक कैपीटल मार्केट के शेयर बाजार संबंधित स्कैम होते हैं, इसलिए इसको ताला चाबी लगा दो। यह कोई कर सकता है? कोई यह भी कह सकता है कि जी हां। हमें सीखना है, हमें सुधार लाना है, और हमें एक दोषरहित प्रणाली विकसित करने का प्रयास करता है।

जैसा मैंने कहा कि उस समय पर श्री मनमोहन सिंह जी ने यह आर्ग्यूमैंट दिया था। हर वक्त आता था कि हम प्राइवेटाइजेशन शुरू करें, डिसइन्वेस्टमैंट शुरू करें, लिब्रलाइजेशन शुरू करें, डी-लाइसेंसिंग शुरू करें तो यह भी बात होती थी कि पहले हम पीएसयूज को अधिक मजबूत बनायें। फिर साथ में यह आर्ग्यूमैंट आता था कि एक बार प्रारंभ करो और धीरे-धीरे हम सीखेंगे और सिस्टम को अधिक मजबूत बनाते जायेंगे। जे.पी.सी., जे.पी.सी. की रिपोर्ट और ए.टी.आर. का वास्तविक मतलब यही है। हमने तय किया, कैसे किया, यूटीआई की चर्चा के बारे में फाइल के बारे में जेपीसी डेढ़ साल चर्चा करती रही।

जैसा अभी यह कहा कि मुझे डर लगता है। अब डर लगता है कि तुम पानी में नहीं कूदोगे तो कहा कि नहीं, मैं पानी में नहीं कूदूंगा लेकिन मुझे तैरना आना चाहिए। वास्तव में मैं कहना चाहूंगा-

[अनुवाद]

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रणाली के प्रत्येक पक्ष और भाग में मुख्य मूलभूत मुद्दा आदि शासन ही है आज हम सुशासन और

कोआपरेट अभिशासन की बात कर रहे हैं तथापि, आर्थिक पक्ष के प्रत्येक क्षेत्र में अभिशासन की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

गवर्नेंस चाहिए, कारपोरेट भी चाहिए। हमने एक और सेबी की कमेटी बनाई। इस एटीआर में दिया है। एक डीसीए की कमेटी बनाई। दोनों ने अपने अपने पास जो अधिकार हैं, उसमें कारपोरेट में गुड गवर्नेंस किस प्रकार स्टैबलिश किया जाये, उसके बारे में सुझाव दिये हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी चर्चा हो तो एटीआर के संबंध में इसके ऊपर हो कि–कारपोरेट क्षेत्र में सुशासन के लिए एक प्रणाली का विकास हम कैसे कर सकते हैं? आज कारपोरेट सैक्टर में अच्छी कम्पनियां हैं, फार्चून 500 में आज हमारी कम्पनियां जा बैठी हैं। बदमाश कम्पनियां भी हैं लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो अच्छी कम्पनियां हैं, उनको और अधिक मजबूत करें, कैपिटल मार्किट के दरवाजे उनके लिए अधिक खोलें जिसके कारण कैपिटल मार्किट में स्मॉल इन्वैस्टर्स का आया हुआ पैसा उन कम्पनियों में जाए, वे कम्पनियां उसको इंडस्ट्रियल एक्सपैंशन के लिए लगाए जिसके कारण टोटल प्रोडक्शन बढ़े, ग्रोथ बढ़े, ज्यादा इम्प्लॉयमेंट दें और वापिस इकोनौमिक साइकिल पॉजिटीव दिशा में आगे बढ़े। जो बैड गवर्नैंस वाली कम्पनियां हैं, उनके लिए कारपोरेट गवर्नैंस के प्रिंसिपल डिसाइड करें।

[अनुवाद]

नियामकों के अभिशासन का मुद्दा है। नियामक अभिशासन पर निश्चित तौर पर मैं एक चर्चा चाहता हूं। मैं माननीय श्री शिवराज पाटील से अनुरोध करूंगा कि नियामक अभिशासन पर समाज में चर्चा हो।

[हिन्दी]

उनके ऊपर हमने यहां चर्चा की है। एक के बाद एक रेगुलेटर ऐप्वाइंट करते जा रहे हैं। हमारे सामने पेट्रोलियम अथॉरिटी का एक और बिल है। वहां हम रेगुलेटर डैवलप करने वाले हैं। हमारे पास टेलिकाम अथॉरिटी है, अनेक अथॉरिटी हैं।

[अनुवाद]

मुझे नहीं पता हमने कब नियामकों के सुशासन और उनकी जवाबदेही पर चर्चा की है।

सायं 6.07 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए।]

[हिन्दी]

रैगुलेटर्स की एकाउंटेबिलिटी के बारे में अय्यर जी जो कह रहे थे, मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं। वे जो ए.टी.आर. की बात कर रहे थे यही जे.पी.सी. ने दिया है। रिपोर्ट के पैरा 2.17 में कहा गया है:

[अनुवाद]

> ''समिति यह महसूस करती है कि की गई कार्यवाही संबधी रिपोर्ट को अगस्त और दिसम्बर, 1994 में संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद...''

मैं समझता हूं कि अगस्त और दिसम्बर, 1994 के बाद भी 12 महीने से ज्यादा सरकार चली थी। मैं समझता हूं कि लोक सभा चुनाव 1996 में हुए थे।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस चर्चा का कौन जवाब देगा ...*(व्यवधान)* सभापति किसी चर्चा का उत्तर नहीं देते हैं।

श्री किरीट सोमैया: कैबिनेट मंत्री यहां बैठे हैं और वे अवश्य ही नोट कर रहे होंगे ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: वित्त मंत्रालय की ओर से सभा में कोई नहीं बैठा है। इस चर्चा का उत्तर कौन देगा? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर: वे अभी आ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, उपेक्षापूर्ण व्यवहार से मेरा तात्पर्य इतना ही था। न तो वित्त मंत्री महोदय और न ही उनके उप मंत्री यहां उपस्थित है। इस सभा के प्रति इसी प्रकार का उनकी अवमाननापूर्ण व्यवहार है। यह संसद का अपमान है। यह देश का भी अपमान है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हुए थे और सुन रहे थे। मैं समझता हूं कि अभी-अभी, एक दो मिनट पहले ही वह बाहर गए हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: कौन से वित्त राज्य मंत्री?

श्री किरीट सोमैया: श्री आनंदराव विठोबा अडसुल यहां बैठे थे। उन्होंने आपका पूरा भाषण सुना है। वे अभी-अभी बाहर गए हैं। ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री किरीट सोमैया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हुआ है। कृपया अपनी सीट पर बैठें। श्री किरीट सोमैया, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, माननीय सदस्य के प्रति किए गए व्यंग के लिए उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैंने उनका केवल स्वागत किया है *...(व्यवधान)* मैंने केवल कहा है कि उत्तर देने के लिए वित्त मंत्रालय का कोई भी प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, उन्हें अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)* यह एक सदस्य का अपमान है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री बदनोर, आप कृपया अपनी सीट पर बैठें। श्री किरीट सोमैया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, चर्चा का उत्तर कौन देगा?

सभापति महोदय: जी हां, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। केवल अध्यक्षपीठ की अनुमति से ही किसी को बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसके अतिरक्त उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनते हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति जी, सबसे पहले मैं पवन कुमार बंसल जी की बात का जवाब दे दूं कि बहस का जवाब कौन देगा? वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह जी, चर्चा का उत्तर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसी से शांति हो जाएगी। जसवंत सिंह जी को किसी एक लेक्चर के लिए जाना था। उन्होंने हम लोगों से कहा कि अडसुल जी जो उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, वह यहां बैठेंगे, नोट्स लेंगे और वह स्वयं बहस का रिप्लाई देंगे। प्रधान मंत्री जी को जब मैंने यह बताया तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जब मणि शंकर अय्यर जी ओपनिंग स्पीच करेंगे तो अगर वित्त मंत्री जी नहीं हैं तो मैं स्वयं बैठूंगा। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। स्वयं प्रधान मंत्री जी यहां बैठे रहे। उन्होंने पूरी मणि शंकर अय्यर जी की स्पीच सुनी। मुझे नहीं मालूम कि अडसुल जी पानी पीने कहीं दो मिनट के लिए गये होंगे। वह बाकायदा यहां राज्य मंत्री जी को बिठाकर गये हैं। दो-दो कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां आलरेडी बैठे हैं। मुझे तो जैसे ही पता चलता है, जैसे ही टी.वी. पर देखती हूं, यहां तुरंत आती हूं क्योंकि मैं परिसर से बाहर कभी जाती नहीं हूं। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं। शायद वह पानी पीने के लिए गए होंगे, वह आते ही होंगे। वह यहां से कहकर गये हैं कि अडसुल जी यहां बैठेंगे लेकिन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह जी स्वयं बहस का जवाब देंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं कारपोरेट अभिशासन के बारे में बात कर रहा था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, उन्हें अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनका अपमान किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने अपमान नहीं किया। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जिस ढंग से उन्होंने बोला है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई बात नहीं है। छोड़िए। जिस ढंग से हमने लिया है, यह भी एक बात है। *...(व्यवधान)* आप इसे व्यंग्यात्मक नहीं समझिए। *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: इसमें गलती किसकी है? *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई बात नहीं। अब हर जगह गाड़ी अटकानी है क्या? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, शिष्टतापूर्वक, श्री मणिशंकर अय्यर को क्षमा मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, उन्हें अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अरे छोड़िए। *...(व्यवधान)* अब हर चीज को निष्ठा का प्रश्न जरूर बनाना है क्या? आप बैठिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: माननीय सदस्य की भावना आहत हुई है। वे भी लोक सभा के सदस्य हैं। *...(व्यवधान)* उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। श्री किरीट सोमैया को अपना भाषण जारी रखने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: किरीट जी, आप बोलिए। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: सभापति जी, यदि मेरा आपका स्वागत करने से आपका अपमान हुआ है, *...(व्यवधान)* तो मैं माफी मांगता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: मैं कार्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहा था। मैं ए.टी.आर. या विनियामक के कार्यकरण या कार्यकारिणी के कार्यकरण के बारे में श्री मणिशंकर अय्यर की चिंता को समझता हूं। वह सही है।

मैं उसी पैराग्राफ का उल्लेख करना चाहूंगा जिसको उन्होंने उद्धृत किया है और जो जे.पी.सी. रिपोर्ट में है। मैं पृष्ठ 9 के पैरा 2.17 को उद्धृत करना चाहूंगा:

> ''समिति महसूस करती है कि प्रतिभूतियों एवं बैंकिंग लेन-देन में हुई अनियमितताओं से संबंधित घोटाले पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन के अगस्त और दिसंबर, 1994 में संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद पूर्व समिति के विभिन्न सुझावों को क्रियान्वित करने की इच्छा खत्म हो गई।''

जे.पी.सी.-ए.टी.आर. कब प्रस्तुत की गई इसे वर्ष 1994 में प्रस्तुत किया गया था। इस सरकार ने कब सत्ता संभाली? मुझे याद है कि श्री मनमोहन सिंह वर्ष 1995 या 1996 में सेवानिवृत्त हुए थे।

मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहूंगा। उसी जे.पी.सी. रिपोर्ट के पृष्ठ 11 में यह भी कहा गया है कि:

> ''पूर्व समिति की सिफारिशों के अनुपालन में दलालों और औद्योगिक घरानों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए जून, 1994 में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित विशेष प्रोकष्ठ 22 मई, 1995 से समाप्त हो गया है''

उस समय किसकी सरकार थी? उसे वहां नहीं रोका गया। मैं यहां राजनैतिक लाभ नहीं हासिल करना चाहता। मैं आपके ध्यान में कार्यकरण जवाबदेही प्रणाली, शासन प्रणाली आदि को लाना चाहता हूं। दिसंबर 2003 की ए.टी.आर. में किस बात का उल्लेख है? पैरा 2.17 में कहा गया है:

> ''बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए वर्ष 1992 में गठित जे.पी.सी. की रिपोर्ट में सूचीबद्ध टिप्पणियों, निष्कर्षों, सिफारिशों की 273 व्यक्तिगत मदों में से, सरकार द्वारा केवल 107 मदों की ही पहचान की गई है।''

अद्यतन रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अभी भी 22 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है।

महोदय, हमें किसी समय विनियामकों के बीच शासन पर चर्चा करनी पड़ेगी। हमें प्रोमोटरों के बीच, उद्योगपतियों के बीच कार्पोरेट शासन पर चर्चा करनी होगी। हमें सांसदों के बीच अच्छी कार्पोरेट शासन प्रणाली के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। शासन प्रणाली, विनियामकों की जवाबदेही की प्रणाली पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

1992 में रिकमंड हुआ है। यह पोलिटिकल विल नहीं था, नहीं तो नहीं होता। इस सरकार में श्री जसवंत सिंह वर्ष 1998 के बाद वित्त मंत्री बने लेकिन वर्ष 1998 तक क्या हुआ? वर्ष 1998 तक सत्ता में कौन था? पुन: मैं कहूंगा कि मैं कोई राजनीतिक लाभ नहीं हासिल करना चाहता।

[श्री किरीट सोमैया]

यहां एक और बात की जरूरत है और वह है न्यायपालिका के सदस्यों के बीच शासन।

[हिन्दी]

1992-1993 में हर्षद मेहता के ऊपर केस होते हैं। 2002 में हर्षद मेहता एक्सपायर हो जाते हैं। अभी तक चार्ज शीट किसी केस में फाइल नहीं होती है। चार्ज शीट फाइल होती है तो हीयरिंग नहीं होती है। हीयरिंग होती है तो प्रोसिडिंग चलती रहती है।

[अनुवाद]

मैं न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से, मैं इसकी स्थिति के बारे में अपनी चिंता को व्यक्त करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अगर आज हमें एटीआर डिसकस करना है, केपिटल मार्केट को और मजबूत बनाना है तो हमें सिस्टम डवलप करना पड़ेगा कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, तो तुरंत नेल डाउन करो और छ: महीने या 12 महीने में उसको सजा हो। आज जो वैस्टर्न कंट्रीज या अन्य विकसित देश हैं, वहां गड़बड़ी-घोटाले होते हैं, उसकी तुरंत जांच होती है। वे उसको पोलिटिकली नहीं देखते। सरकार तो आएगी, जाएगी। मणि शंकर जी ने कहा कि छ: महीने में एक एटीआर आया है। मैं उनके इस विचार का स्वागत करता हूं। यह दूसरा एटीआर दिया गया है। हमारी सरकार और वित्त मंत्री जी इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और दसवां एटीआर हर छ: महीने के बाद देते रहेंगे। आपको मंजूर है, लगता है आपको मंजूर है।

[अनुवाद]

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

मुझे कभी-कभी लगता है कि कैपिटल मार्किट से इतना डरते क्यों हैं? हर्षद मेहता से प्रारम्भ होकर स्कैम तो होते रहे हैं। सन् 1991 में हमने कैपिटल मार्किट ओपन की और उसके बाद हर्षद मेहता, एनबीपीसी, सीआर भंसाली, प्लांटेशन कंपनीज, वैनिशिंग कंपनी और केतन पारिख वाला स्कैम हुआ। प्लांटेशन, नॉन-बैंकिंग और फिर मुम्बई में दो साल में एक का डबल का स्कैम हुआ। अनेकों प्रकार की कंपनियां अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर की आती हैं और पैसा लूटकर चली जाती हैं।

[अनुवाद]

हमें इससे शिक्षा लेनी होगी। हमें सिस्टम को ठीक करना है।

[हिन्दी]

एटीआर में एक बात कही गयी है और मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि एटीआर में इंवैस्टर प्रोटैक्शन के चैप्टर में कहा गया है कि

[अनुवाद]

एस.एन. मित्रा समिति गठित की गई थी और उस समिति ने अपनी चिंता व्यक्त की है और जे.पी.सी. के सदस्यों ने भी ऐसी ही चिंता व्यक्त की थी।

[हिन्दी]

यहां स्कैम होते हैं, पैसे जाते हैं और पहला स्कैम अगर 500 करोड़ का होता है तो नया स्कैम हजार करोड़, दो हजार करोड़, चार हजार करोड़ का होता है लेकिन इंवैस्टर्स को एक पैसा भी वापस नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

क्या हम कोई ऐसी प्रणाली शुरु कर सकते हैं जहां कम से कम लघु निवेशक को कुछ मिल सके।

[हिन्दी]

अगर इसको ब्याज नहीं मिलेगा, डिविडेंट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपना मूल रूपया तो वापस मिले। महाराष्ट्र विधान सभा ने इंवैस्टर प्रोटैक्शन एक्ट पास किया है कि अगर कोई उसके तहत गुनाह करता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार है और उस प्रॉपर्टी को बेचकर इंवैस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा।

[अनुवाद]

विशेष निवेशक न्यायालय होगा। हमने जे.पी.सी. में सुझाव दिया है कि सभी राज्यों को उस अधिनियम को कार्यान्वित करना चाहिए और तदनन्तर सेबी अधिनियम को भी उस हद तक सही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मुझे जानकारी मिली है कि इस एटीआर के द्वारा आरबीआई और सेबी ने इसकी रिक्मेंडेशन स्वीकार करके इस प्रकार का अमेंडमेंट

मूव किया है। राज्य सरकारों को मौटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार

[अनुवाद]

तमिलनाडु ने निवेशक संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया है। कुल सात राज्यों ने इस अधिनियम को पारित कर दिया है और उनमें से चार इसे लागू कर रहे हैं। हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

माननीय अडसुल जी यहां बैठे हैं जो कोऑपरेटिव्ज सैक्टर के जानकार है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस एटीआर में लिखा है कि

[अनुवाद]

निगम बैंकिंग प्रणाली विशेषकर शहरी बैंकिंग प्रणाली का सबसे नकारात्मक पक्ष क्या है? कुछ व्यक्ति हो सकते हैं।

[हिन्दी]

लेकिन हर्षद मेहता के समय पर भी कोऑपरेटिव बैंकों में और सीआर भंसाली के समय पर भी और इस समय भी कोऑपरेटिव्ज बैंकों में ये गैंगेस्टर्स मैन्युपुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं फिर चाहे वह माधोपुरा कोऑपरेट्व बैंक हों या कोई अन्य हो। उसके बाद होम-ट्रेड घोटाला हुआ और उसमें दो-चार बैंक्स बंद हो गये लेकिन डिपोजिटर्स को पैसा वापस नहीं मिलता है। राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना है कि ये कोऑपरेटिव्ज बंद हो गयी हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के तीन और लोगों को बोलना है। आपकी पार्टी को 5-5 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

श्री किरीट सोमैया: मुझे सदस्यों द्वारा 10 मिनट तक बाधित किया गया था। उस समय को अवश्य समायोजित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कोऑपरेटिव्ज बैंक्स की बात हो रही है तो अनेक बैंक्स ऐसे हैं जिनकी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, आरबीआई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है। आरबीआई का जो डिपोजिट इंश्योरेंस गारंटी कारपोरेशन है उसके पास 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा बैलेंस है। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव्ज बैंक्स बन जाते हैं ये 6 महीने, 12 महीने या दो-चार साल चलते हैं और डिपोजिटर्स का, आर्मी पर्सनल्स का, विधवा का 50-60-80 हजार रुपया लेकर भाग जाते हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिलता है। भारत सरकार को आगे आना चाहिए। आपने एटीआर में लिखा है कि

[अनुवाद]

आप विधेयक लाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारी प्रणाली में कार्पोरेट गवर्नेंस सहित छोटे निवेशकों की शिक्षा, अधिकारिता और उनकी सम्पन्नता की ज्यादा जरूरत है। इसे तीन 'ई' कहा जाता है।

[हिन्दी]

मैं आपको नाम नहीं दूंगा लेकिन यहां गैलरी में कुछ सांसद मिलते हैं और कहते हैं कि किरीट भाई, मेरे पति रिटायर हो गये हैं, डेढ़ लाख रुपया प्रोविडेंट फंड का, ग्रैचुटी का पहले नेशनल सैविंग सर्टिफिकेट में इंवैस्ट किया था। पैसा वापिस आ गया, कहां लगायें। सरकारी इन्वैस्टमेंट में तो 8-10-12 परसेंट ब्याज मिलता है, जबकि प्राइवेट में 15-18-20 परसेंट मिलता है। शिक्षा की आवश्यकता है। स्माल इन्वैस्टर्स को एट्रैक्ट किया जाता है। दो-चार परसेंट ब्याज ज्यादा देकर। इससे होता यह है कि ब्याज की बात तो अलग, मूल भी नहीं मिलता है, वह गायब हो जाता है। इन्वैस्टर एजुकेशन प्रोटैक्शन फन्ड इसी सरकार ने बनाया है। यह अच्छा है और मैं सरकार को बधाई देता हूं। जिस किसी कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंट है, वह

[अनुवाद]

सात साल के बाद इसे निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दो साल से इसकी फंगशनिंग प्रारम्भ हुई है। लेकिन यह डीसीए के पास है और डीसीए के पास सिस्टम नहीं है।

[अनुवाद]

जे.पी.सी. ने एक मत से सिफारिश की कि इस कोष को सेबी को सौंप दिया जाना चाहिए।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

क्योंकि सेबी के पास सिस्टम है। सेबी नेशनल स्टाक एक्सचेंज ने इन्वैस्टर एजुकेशन ड्राइव प्रारम्भ की है। वह फन्ड यूज नहीं होता है और पैसा पड़ा रहता है।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस सभा में यह घोषणा करनी चाहिए कि इसे पूरा कर लिया जाएगा। मैं और कहूंगा कि ए.टी.आर. में कहा गया है कि प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है।

[हिन्दी]

लिस्टेड कम्पनीज का प्रोवीजन डीसीए के पास है, कुछ अन्य रैग्युलेटर के पास है या सेबी के पास है, इसलिए

[अनुवाद]

हम यह सुझाव देते हैं कि सबको एक साथ स्थानांतरित कर सेबी को सौंप देना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाये।

महोदय, अब मैं स्माल इन्वैस्टर प्रोटैक्शन के लिए मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जेपीसी ने इस बारे में भी कहा है। अभी श्री मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि मार्केट पुन: ऊपर जा रही है। कैपिटल मार्केट में एफआईआई के अच्छे इशूज आए हैं। इस बारे में वित्त मंत्री जी से भी कहा था कि संसद में इस पर विचार करना चाहिए। एफआईआई अगर 30 हजार करोड़ रुपए लेकर आती है और 3 लाख रुपए मार्केट वैल्युएशन अप होता है, तो

[अनुवाद]

हमें संतुलन बनाए रखने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए और हमें एक साथ बैठना चाहिए।

[हिन्दी]

आज 30 हजार रुपए आता है, तो तीन लाख रुपए मार्केट वैल्युएशन ऊपर हो जाता है, इससे इम्बैलेंस भी हो सकता है कि वह पैसा कहां से आता है। डिसिप्लिनरी नोट को सेबी ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है।

मैं एक बात आईपीओ फाइनेंशिंग के बारे में कहना चाहता हूं। इस बारे में जेपीसी ने भी लिखा है। जेपीसी की रिपोर्ट के पेज 44 पर इस बारे में लिखा है।

[अनुवाद]

हमने सी.एस.एफ. प्रतिभूतियों के संबंध में सुझाव दिया कि उन्होंने केतन पारेख के साथ गठबंधन की कोशिश की।

[हिन्दी]

और सिटी ग्रुप की बात भी कही गई है कि वे वायोलेट कर रहे हैं। हमें एफआईआई और एफडी का पैसा चाहिए, अगर रैग्युलेटर ने बाईपास कर दिया तो

[अनुवाद]

हमने कड़ाई की। यदि वही संस्था फिर वही गलती कर रही है तो भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा सेबी से और सिस्टम प्रणाली से यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

मैं आईपीओ फाइनेंशिंग के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि सेबी और आर.बी.आई., आई.पी.ओ. पर चुप क्यों हैं।

[हिन्दी]

आईपीओ में लगभग 22 हजार रुपए कम्पनियों से आ रहे हैं। आपने देखा होगा, ''आज तक'' में पैसा चार गुना ऊपर चला गया। इन्द्रप्रस्था गैस भी अच्छे इशू लेकर आई है। लेकिन इसके पीछे बदमाश कम्पनियां भी आने लगती हैं। आईपीओ फाइनेंस के बारे में रिपोर्ट के पेज-25 पर लिखा है-

[अनुवाद]

उस समय, कुछ बैंकों ने 90 प्रतिशत वित्त उधार लिया। इसको चैक करने की आवश्यकता है। मेरे मित्र ने यू.टी.आई. के संबंध में उल्लेख किया।

[हिन्दी]

मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने कहा है कि इस बारे में डिबेट हुई है। जेपीसी के वोल्युम-1 के पेज 372 और 373 में यूएस-64 पर लिखा है। इसमें लिखा है

[अनुवाद]

वित्तीय वर्ष 1995, 1996 और 1997 में यूनिट ट्रस्ट ने उच्च लाभांश दर बनाए रखने के लिए रिजर्व रखा।

[हिन्दी]

क्या अब यह चर्चा फिर से करें? मणिशंकर जी सिन्हा जी के पत्र की बात करते हैं। मैं फिर आगे पढ़ूंगा।

[अनुवाद]

योजना पोर्टफोलियो के ऋण-इक्विटी संरचना में पिछले कई वर्षों में काफी बदलाव आया है जो कि ऋण के साथ पूर्व ऋण पोर्टफोलियो इक्विटी पोर्टफोलियो से उल्टा है। यह 1996 में 79:21 था और

[हिन्दी]

जब हमारी सरकार आई उस समय 1998 में यह 37:63 था। यह ऐसे ट्रांसफर हो गया। क्या हम यहां वापस डिबेट करेंगे? क्या फिर संसद जेपीसी बन जाएगी? इक्विटी अनुपात का कार्यनिष्पादन उस समय क्या था? मैं यहां यू.टी.आई. की चर्चा नहीं करना चाहता। इसमें किसने क्या गलतियां की, क्या किया हमें राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। यहां एक अच्छा वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है। हमने इक्विटी मार्किट में, कैपिटल मार्किट में क्या नहीं सीखा। हर्षद मेहता स्कैम से लेकर केतन पारिख स्कैम तक जो स्कैम हुए, हमने सही किया है। आज ट्रेड टू ट्रेड होने लगा है। सेबी, एन.एस.ई., विनियामकों ने कार्रवाई की।

आज इस प्रकार का सिस्टम है कि हमने गैर कैटेगिरी स्क्रिप्ट में 1500 स्क्रिप्ट ट्रांसफर किए। 1993-94 में लोग आपके और हमारे पास आकर शिकायत करते थे कि मेरा डिविडैंड बांड चोरी हो गया, शेयर ट्रांसफर करने भेजे वापस नहीं आए हैं। वे बीच में चोरी हो जाते थे।

[अनुवाद]

हमने डीमैट सिस्टम शुरु की है जोकि विश्व में सर्वोत्तम है। इसे कांग्रेसी सरकार के दौरान विकसित किया गया था और उसके अनुवर्ती सरकारों ने भी जारी रखा। हमने उस तरफ और ध्यान दिया। हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के बाद ही हमने सीखा कि पहले एकाधिकार वाली स्टाक एक्सचेंज प्रणाली थी जिसे हमने बनाया था और इसे प्रति संतुलित होना चाहिए था। हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डैवलप किया। यह सही किया गया है जिसे हमने सीखा।

[हिन्दी]

एनएससी में पिछली बार जो क्राइसिज हुए, उसमें अब एक दिन भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ। एक दिन भी मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं हुआ। हमें त्रुटियों पर ध्यान देना है और उससे सीखना है कि हम उसमें सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का आत्मविश्वास का चित्र हमें लोगों के सामने, इकॉनामिक मार्किट के सामने, स्मॉल इनवैस्टर के सामने ले जाना पड़ेगा। आज अगर यहां एटीआर डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और कहेंगे कि आप कैपिटल मार्किट में गए, म्युचुअल फंड में गए, बैंक में गए, फिर सब खत्म हो जाएगा, एक पैसा वापस नहीं आएगा। हमारी आर्थिक प्रणाली का क्या होगा? आज इकॉनमी आगे जा रही है। हमें इसे समाज, सरकार और विनियामक के ध्यान में अवश्य लाना चाहिए। आपकी यह बात अच्छी है कि आपने इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम को अलग किया। अब पोस्टल सर्विस में इसे करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है लेकिन प्रैफ्रैंशियल एलॉटमैंट का रूट अब भी बंद करने की आवश्यकता है। हम इस प्रकार अच्छी बात करते जाएं और त्रुटियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते जाएं।

मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि

[अनुवाद]

हमारे यहां विश्व का सबसे विकसित बाजारों में से एक है और वह है पूंजी बाजार।

[हिन्दी]

कैपिटल मार्किट में इतना पैसा आएगा, इस प्रकार पैसा आएगा कि इकॉनमिक ग्रोथ बढ़ेगा। आज स्माल इनवैस्टर पढ़ने लगा है, समझने लगा है। हम उसे और समझाने का प्रयत्न करें। हम उसे एजुकेट करें, अवेयरनैस का सिस्टम, डैवलप करें, उसे एनरीच करने का प्रयत्न करे।

[अनुवाद]

मैं एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां धनी बाजार की जरूरत है लेकिन यह स्वस्थ बाजार होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सभापति महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से दो स्पीकरों के नाम हैं। माननीय मणिशंकर के स्पीच के बीच क्वैरीज बहुत ज्यादा थी और यह बात सही है कि वह काफी समय बोले। इस चर्चा में मेरा भी नाम है। मुझे दस मिनट बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): मणिशंकर जी एक घंटा बोले हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको दस मिनट का समय दूंगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, भारत में आर्थिक और वित्तीय सुधारों के दशक में आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है तथा अमीर और गरीब के बीच की खाईं बढ़ी है। इस अवधि को अभूतपूर्व भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विभिन्न प्रकार के घोटालों में उच्च पदों पर आसीन लोगों की संलिप्तता और विनियामकों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह के रूप में भी देखा जाता है। वर्ष 1992 और 2000 की शुरुआत के बीच के दो प्रमुख घोटाले केवल इस बात पर जोर देते हैं कि यह सरकार और विनियामक बुरी तरह से असफल रहे हैं। अब, ए.टी.आर. में हमने देखा कि पर्याप्त तथा उचित रूप से तथा समय पर कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है।

ए.टी.आर. का अध्ययन करने से मैं निराश हूं। कतिपय माननीय संसद सदस्यों ने इस संबंध में कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने इस पर घंटों चर्चा की, साक्ष्य लिए और कुछ सिफारिशें की है। इस समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता की एक बात यह थी कि यदि पूर्व की संयुक्त संसदीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को गम्भीरतापूर्वक लिया गया होता और उनका कार्यान्वयन किया गया होता तो केतन पारेख जैसे दूसरे घोटाले से बचा जा सकता था। अब ए.टी.आर. का अध्ययन करने के पश्चात मुझे लगता है कि यहां दूसरे आसन्न घोटाले की गम्भीर आशंका है।

मैं अपने को दो या तीन मुद्दों तक सीमित रखूंगा। यहां तक कि जब दूसरी संसदीय समिति विचार-विमर्श कर रही थी तो हमने अपनी सन्तुष्टि के लिए नोट किया था कि कुछ विनियामकों और सरकार द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उन्हें पहले उठाया जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने उपाय तब किए जब हम इसके निर्णय से पहले इस पर विचार कर रहे थे। मैं क्यों कहता हूं कि यहां आसन्न घोटालों की गम्भीर आशंका है उसके पीछे भी एक कारण है। यही सेबी के चेयरमैन ने कहा कि सेबी शेयरों के बढ़ने पर आंख गड़ाए बैठी है। उनका कहना है कि उन्होंने सर्किट फिल्टरस को कम किया है, लाभ के स्तर को बढ़ाया है, व्यापार से व्यापार के माध्यम द्वारा विनियामक रोलिंग सेटलमेंट साइकिल से कंपनियां का हस्तांतरण किया और कुछ मामलों में जांच भी शुरु की।

मैं इसलिए निराश हूं क्योंकि उठाए गए कदम या प्रस्तावित कदम अपर्याप्त है और उन्हें बहुत विलम्ब से उठाया गया।

मैं एक प्रमुख क्षेत्र पर ही ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। रिपोर्ट का पैरा 7.54 कहता है:

''समिति की राय है कि इस बात में विश्वास करने के वैध कारण होते हुए भी कि कारपोरेट घरानों, दलालों, बैंकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की सांठगांठ पिछले कुछ समय से छोटे निवेशकों की कीमत पर धोखाधड़ी से मूल्यों में हेर-फेर कर भारतीय पूंजी बाजार में लूट मचाई है, अपेक्षित समर्थन न मिल पाने के कारण समिति इस संबंध में कोई सार्थक सिफारिश करने में असमर्थ रही।

समिति को समर्थन नहीं मिला। विनियामक निकायों ने कॉरपोरेट घरानों के लिप्त होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। हमने महीनों एक साथ कार्य किया है लेकिन उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि कारपोरेट हाउसों और शीर्ष कंपनियों को मुक्त कर दिया गया है।

श्री किरीट सोमैया साझेदारी नोट के बारे में उल्लेख कर रहे थे। साझेदारी नोट क्या है? बाजार में क्या हो रहा है? साझेदारी नोट के बारे में समिति ने क्या कहा है? इसमें पैरा 8.81 कहता है:

> ''सेबी ने संदेह व्यक्त किया कि कुछ भारतीय प्रवर्तकों ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के उपलेखाओं द्वारा जारी 'पार्टिसिपेटरी नोट्स'' के माध्यम से अपनी ही कंपनियों के ही शेयर खरीदे हैं। विद्यमान तंत्र धारक को अपनी पहचान छिपाने और उन्हें भारतीय पूंजी बाजार में संव्यवहार करने की अनुमति देता है। समिति ने नोट किया कि सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को निदेश दिया कि वे उनके द्वारा जारी ''पार्टीसिपेटरी नोट्स'' का ब्यौरा दें। समिति ने सुझाव दिया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ''पार्टीसिपेटरी नोट्स'' जारी करने के बारे में जानकारी देने में विफलता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लिखत का दुरुपयोग किसी भी तरह भारतीय प्रतिभूति बाजार में हेर-फेर करने के लिए न किया जाए।''

यह अभी भी जारी है। मैं भी यही कह रहा हूं। सेबी का भी यही मानना है। सेबी के अनुसार 15 सितम्बर तक कुल 509 पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों में से 12 कंपनियों या उनके उप-लेखा कंपनियां ने साझेदारी नोट जारी किए है। मद संख्या मात्र 12 है। लेकिन इसमें कितनी धनराशि लगी है? उस तिथि के अनुसार बकाया पी.एनस का कुल मूल्य 15,520 करोड़ रुपये है। यह कुछ ही दिनों के लिए था। साझेदारी नोट्स में क्या हो रहा है? सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सच ने सी.ए.एफ.डी. और विदेशी कारपोरेट निकायों जैसी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए

साझेदारी नोट्स जारी किए हैं। आपके पास उत्तर क्या है? माननीय मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। क्या यह सम नहीं है कि साझेदारी नोट्स धारक अपनी पहचान को उजागर नहीं कर रहे हैं और भारतीय प्रवर्तकों ने मारीशस के वरास्ते अपना धन वापस ले लिया है। मारीशस के वरास्ते क्या हुआ? रिपोर्ट में मारीशस के वरास्ते और ओ.सी.बीज का जिक्र किया गया है।

हमने सिफारिश की थी कि दोहरा कराधान परिवर्तन समझौता विनाशकारी है। सैकड़ों और हजारों विदेशी संस्थागत निवेशक केवल मारीशस के बरास्ते कार्य कर रहे हैं। यह सब हाट मनी है। इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यह विनाशक हो सकता है क्योंकि ऐसा कुछ और देशों के साथ घट चुका है।

इसलिए समिति ने कहा:

"समिति ने देखा कि संधि की रेजीडेन्सी क्लाज के कारण राजस्व घाटे की सटीक धनराशि बताई नहीं जा सकती है। लेकिन धनराशि के भारी अन्तर्वाह और बहिर्गमन पर विचार करते हुए, यह माना जा सकता है कि यह महत्वपूर्ण है।"

एक डालर का निवेश करके हजारों डालर बाहर ले जाए जाते हैं। यह सिफारिश की गई थी, यह बात साक्ष्य में भी सामने आई। जब समिति ने इस बात की गम्भीरतापूर्वक सिफारिश की थी कि इस आवश्यकता की जांच की जाए, तो सरकार को इस पर क्या कहना है? सरकार कहती है "जहां कहीं आवश्यक होगा हम फैसला करेंगे।" यह आवश्यक है, प्रेस और अन्यों द्वारा यह बार-बार कहा गया कि यह जरूरी है।

सरकार का कहना है:

"जहां कहीं 'रेजीडेन्सी क्लॉज' के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक होगा, आयकर विभाग मारीशस प्राधिकारियों की सहायता से आवश्यक छानबीन करेगा।"

इस कहानी को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय, चाहे आप इसे जिस तरह से भी पुकारें, ने आयकर विभाग को अनुदेश दिए है या नहीं। हम इस पूरी कहानी को जानते हैं। इन सभी चीजों को जानने के बाद समिति ने सिफारिश की थी कि इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। इसकी जांच नहीं की जा रही है। सेबी का भी ऐसा ही कहना है। यह मेरा मानना ही नहीं है, यह सेबी का मानना भी है। सेबी कहती है:

"लगभग 31 कंपनियां जोकि ओ.बी.सी. प्रतीत होती है, ने उपर्युक्त विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप खाते द्वारा जारी साझेदारी नोट में अंशदान किया है।"

उन्होंने क्या किया? इन कंपनियों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिए गए। यही कहानी है। यह किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह पुलिस एजेन्सी नहीं है और यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सेबी ने कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हमने पूछा था कि यह किसकी जिम्मेदारी है। यहां समन्वय का मुद्दा आता है। उच्च स्तरीय समन्वय समिति का कहना है कि यह पूर्व चेतावनी के लिए है, उस पूर्व चेतावनी संकेत के लिए जिसके तहत तकनीकी समिति का गठन किया जा रहा है। क्या यह उचित उत्तर है? क्या यह काफी है? रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बाजार खोल दिए हैं। चाहे हम इसका समर्थन करते हैं या नहीं यह एक अलग मुद्दा है। बाजार अर्थव्यवस्था में विनियामक की स्वतन्त्र भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती है। जहां कहीं भी विनियामकों की असफलता रही चाहे हाल में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हो या नहीं और इसने अर्थव्यवस्था में तबाही मचा दी, वहां ऐसी आशंका है। क्या प्रवर्तक अपना धन वापस ला रहे हैं? सेबी ने कहा कि उसने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। यह क्या है? यह इक्विटीज का अधिमान्य आवंटन के बारे में है, छः महीनों से किसी प्रवर्तक को अपने अधिमान्य शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इससे शेयरों में विखन्डन पैदा हो रहा है, वे कहते हैं कि उन्होंने यह कदम उठाया है, और वह कदम उठाया है। मुख्य प्रश्न है कि क्या साझेदारी नोट के दस्तावेज का दुरुपयोग किया जा रहा है या नहीं। आज पूंजी बाजार में क्या हो रहा है? क्या यह उतार-चढ़ाव चालबाजी के परिणामस्वरूप कृत्रिम है या नहीं? यह हमारी आशंका है।

मैं आपको आन्तरिक सौदेबाजी का उदाहरण देता हूं क्योंकि मेरे पास समयाभाव है। मैं समझता हूं कि मई-जून में समाचार था कि पूंजी बाजार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयर बढ़ रहे हैं। यह पाया गया था कि एक दिन वित्त मंत्रालय के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा शेयरों की पुनः खरीददारी के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी।

अगले दिन किसी दूसरे संयुक्त सचिव ने उसी बाई-बैक सिस्टम के बारे में एक अन्य सार्वजनिक टिप्पणी की थी। उसी दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्क्रिप्स के शेयर के भाव चढ़ गए। वित्त मंत्रालय में अति उच्च अधिकारियों की लिप्तता के कारण अंदर ही अंदर खरीद-फरोख्त हुई थी। जब मीडिया ने इस बात को सार्वजनिक किया, और यह मुद्दा उठाया गया तो वित्त मंत्रालय ने कहा: "हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जांच आरंभ कराई है।" भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस सरकार द्वारा छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर कृत्रिम रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए अंदर की खरीद फरोख्त में लिप्त अधिकारियों

[श्री रूपचंद पाल]

के बारे में क्या कदम उठाया है? मैं यह प्रश्न पूछता हूं। इस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? वह कहीं भी जा सकते हैं। वह वित्त मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। अब वह किसी अन्य अति उच्च पद पर नियुक्त हो सकते हैं।

निगमीकरण और डी-म्युचुअलाइजेशन के बारे में यह कहा जा रहा है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास विधेयक लंबित है। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें लिप्त कंपनियों की जांच के बारे में क्या कहेंगे? यह केवल प्रबंधक कंपनी अथवा प्लांटेशन कंपनी नहीं है बल्कि इसमें बड़े नाम भी शामिल है जिनके बारे में पूर्व नौकरशाह द्वारा यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय आरएच घटक से सदैव परेशान रहा है।

महोदय, क्या आपको इसका अर्थ मालूम है। उन्होंने बाजार के साथ कैसे चालाकी की? ओसीबी मार्ग का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह कहा जाता है कि उनकी जांच चल रही है, वे विचाराधीन है और अब वे यह और वह करने का प्रस्ताव करते हैं। लेकिन, मैं आपको साफ-साफ बताऊं, कुछ नहीं किया जा रहा है।

महोदय भारतीय रिजर्व बैंक की क्या स्थिति है? निसंदेह, भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गदर्शन केवल वित्त मंत्रालय के आदेशों से नहीं होना चाहिए। क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भूमिका निभाई है? इस महत्वपूर्ण नियामक की असफलता के बारे में पैरा-दर-पैरा टिप्पणियां और सिफारिशें की गई थी और इसका उल्लेख श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा भी किया गया है।

निरीक्षण प्रणाली के बारे में क्या कहेंगे? नेदुनगड़ी बैंक जैसे बैंकों में अनियमितताओं के बारे में क्या कहेंगे? उनका कहना है कि वे बाह्य विशेषज्ञों के कुछ समूह गठित कर रहे हैं। उन्हें बाह्य विशेषज्ञों के समूह गठित क्यों करने चाहिए? क्या उनके पास जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं है? यह इस मुद्दे को लाने का दूसरा तरीका है और इस सरकार द्वारा यही किया जा रहा है।

महोदय इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम लिप्त है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के चेयरमैन को उस उच्च पद पर क्यों नियुक्त किया गया? निसंदेह, अब उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन न केवल कारपोरेट घरानों के व्यक्तियों को बल्कि हमारे देशवासियों, हमारे निवेशकों और पूंजी बाजार के विरुद्ध गंभीरतम अपराध करने वाले सभी ऊंचे रुतबे वाले व्यक्तियों को क्या सजा दी गई है? उन्हें छोड़ दिया गया है।

कम विक्रय के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। वे कहते हैं कि बी.डी. शाह समिति इसकी जांच कर रही है। माधवपुर कोआपरेटिव मर्केन्टाइल बैंक जैसे सहकारी बैंकों के बारे में आप क्या कहेंगे और इसका किस प्रकार दुरुपयोग हुआ? अब, यह अति उच्च पद पर आसीन अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। उन्हें सजा दिए जाने के बजाय संरक्षण दिया जा रहा है और उन्हें उत्साहित भी किया जा रहा है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

अब, मुख्य अपराधियों के विरुद्ध यह कहा जाता है कि उन्हें 14 वर्षों के लिए अनधिकृत कर दिया गया है और फलां-फलां व्यक्तियों को सजा दी गई है। लेकिन उन व्यक्तियों के बारे में अन्य क्या कहेंगे जिन्होंने नार्थ ब्लाक में, कारपोरेट घरानों के कार्यालयों से मुंबई में पर्दे के पीछे की भूमिका निभाई है? उनके नाम मालूम हैं और कई महीनों की जांच के बाद भी, इस समिति को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

महोदय, 1992 की संयुक्त संसदीय समिति ने वर्ष 1994 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय यही टिप्पणी की थी। कारपोरेट घरानों की लिप्तता और संबंध का उल्लेख किया गया था लेकिन अपराधियों को सजा नहीं दी गई है। उन्हें अपराधमुक्त कर दिया गया है। हम इसे 'कोई कार्रवाई न की जाने वाली रिपोर्ट' कह सकते हैं। यह 'कार्रवाई की जाने वाली रिपोर्ट' नहीं है; यह 'कोई कार्रवाई न की जाने वाली रिपोर्ट' है और यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, बैंकों के विलय के मामले में क्या हो रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मामले में क्या हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता, गैट, सर्वोत्तम बैंकिंग कार्य आदि जैसी कई अच्छी बातें कही जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? कहीं पर, मंत्री कुछ कह रहे हैं, लेकिन, आपरेटर, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे प्रचालन आरंभ कर देते हैं मैं सिर्फ एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वे घाटे को लेकर गंभीर है? क्या वे इस गरीब देश को इनके हाथों में क्या कहूं धोखेबाजों से मुक्त कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए जरा भी गंभीर है? वे किस प्रकार से लगातार जनता के पैसे को लूट रहे हैं? हमें गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए।

महोदय, आप भी इस सरकार की भूमिका के बारे में बहुत चिंतित होंगे। मैं की गई कार्यवाही रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता। कोई प्रगति नहीं हुई है। यह टाल-मटोल करने, अपराधियों को संरक्षा प्रदान करने के तरीके हैं और केवल कुछ कृत्रिम कदम उठाए गए हैं। अधिकांशत: यह कहा जाता है मामला विचाराधीन है। यह कोई कार्रवाई नहीं है। मैं संयुक्त संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष जो यहां बैठे हैं-उनसे विनती करूंगा कि हम सबने एक

साथ काम किया है। यह सर्वसम्मत रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि यह कांग्रेस पार्टी या भा.क.पा. (मार्क्सवादी) या इस सभा के किसी विशेष वर्ग से संबंधित है।

यह सर्वसम्मत रिपोर्ट थी और यह रिपोर्ट देश के हित में, पूंजी बाजार के हित में और उन छोटे निवेशकों के हित में तैयार की गई थी, जो नुकसान उठाकर बाजार से भाग लिए। अब क्या हो रहा है, प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं। भारतीय जनता के अधिकांश लोगों को डर है कि एक अन्य घोटाला अवश्य होगा। अब क्या हो रहा है, सूचकांक चढ़ता ही जा रहा है। काफी जगह फीलगुड फैक्टर का प्रसार है। मानसून और इन सभी का मूल बातों से कोई संबंध नहीं है। यह सब एफआईआई का योगदान है।

अत:, मैं इस सरकार की भूमिका का विरोध करता हूं और एक बेहतर, फलदायी, उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण रिपोर्ट की मांग करता हूं, जिसे सरकार को यथाशीघ्र सामने लाना चाहिए।

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, हम संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन और मुख्यत: संयुक्त संसदीय समिति के की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि हम एटीआर में त्रुटियों के मुद्दों तक सीमित रखते क्योंकि हमने इस रिपोर्ट पर पूरे समय काफी मेहनत की। इस रिपोर्ट में श्री मणिशंकर अय्यर, श्री रूपचन्द पाल, श्री अखिलेश और श्री विजयेन्द्र पाल का योगदान काफी रहा है। संयुक्त संसदीय समितियों के इतिहास में कभी बिना किसी स्पष्टीकरण अथवा असहमति के और अन्य किसी बात के बिना कोई दूसरी सर्वसम्मत रिपोर्ट नहीं आई है, मैं इसका श्रेय नहीं लेता; बल्कि इसका श्रेय सदस्यों को जाता है।

इस पूरे समय में एक प्रमुख मुद्दा इसे एक आर्थिक दस्तावेज मानता रहा, न कि एक राजनीतिक दस्तावेज। यह 452 पृष्ठों का एक आर्थिक दस्तावेज है और मैं यह कहूंगा कि अन्य जो श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है-वह मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में मुझे बहुत सहायता प्रदान की-वह पूर्णत: एकतरफा है। उनकी उक्तियां पूर्णत: चयनात्मक थीं और इसमें पूर्वाग्रह था जो श्री रूपचन्द पाल के बोलते समय नहीं था।

हां, एटीआर में कमियां हैं और हमें उन कमियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें वहीं गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमने 1992 की एटीआर में की जिसमें दस्तावेज का राजनीतिकरण किया गया था। हम स्टाक एक्सचेंजों की अपने देश में आर्थिक बाजार के आर्थिक हित की बात कर रहे हैं और हम इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार अवश्य करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए।

सदस्यों द्वारा स्पष्ट किए गए कुछ मुद्दों पर सकारात्मक रूप से पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। मैं यहां यह बात पढ़ना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट का वास्तविक आशय क्या था। एक प्रमुख जो हमने पाया वह गत रिपोर्ट का कार्यान्वयन था। वर्ष 1992 की रिपोर्ट हमारे लिए केवल यह सिखाने के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 1992 की रिपोर्ट के बाद क्या गलती हुई और हमने इसके लिए विस्तार से विस्तृत रूप से विचार किया।

महोदय, आप उस समिति के सदस्य थे और अन्य इससे भलीभांति परिचित थे लेकिन केवल इस सीमा तक कि उक्त गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए। वर्ष 1992 की रिपोर्ट जो सबसे बड़ी गलती थी वह इसके कार्यान्वयन से संबंधित थी।

सायं 7.00 बजे

मैं इस विषय का राग अलापता रहा और सभी इस बात से सहमत हुए कि कार्यान्वयन बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। सरकार ने की-गयी-कार्यवाही रिपोर्ट में इस बात का समय पर बहुत अच्छा उल्लेख किया है। इसने की-गयी-कार्यवाही रिपोर्ट से कार्यवाही को अलग कर दिया है। विदेशी निगमित निकायों, विभिन्न कानूनों और इसी तरह की बातों के बारे में कतिपय कार्रवाई की गई थी। यह एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैने यहां जो लिखा था वह यह था कि सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर इस रिपोर्ट के बारे में अपनी की गयी कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इसे प्रस्तुत किया गया। लेकिन हमने यह कहकर बात समाप्त कर दी कि जब तक कि संसद की संतुष्टि के अनुरूप सभी सिफारिशों पर पूरी तरह से कार्यवाही न कर दी जाए प्रत्येक छह महीने में सरकार को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर हुई प्रगति की-गयी-कार्यवाही रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करनी चाहिए।

इसे लेकर एक भय था अर्थात् यदि इसे नौकरशाहों, विभाग के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो कुछ देर बाद गति बीच में ही रुक जाती है। बार-बार हम वर्ष 2001 के घोटाले की बात करने लगते हैं। एक बात समझनी चाहिए कि यह घोटाला कतिपय सरकार के समय में हुआ था। लेकिन आप वर्ष 1994 से 2001 के बीच 17 वर्षों के समय को देखते हैं तो पता चलता है कि विभिन्न कार्रवाई की गई और भूल-चूक का कुल मिलाकर प्रभाव यह पड़ा कि इस तरह का घोटाला फिर होगा। हमारे प्रश्न के बीच में इस सारे विवाद में यू.टी.आई. का भी मामला जुड़ गया।

जब किसी ने इसके ब्यौरे की जांच की तो पाया कि यू.टी.आई. फिर से खोखला हो गया, एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, एक वित्त मंत्री के कार्यकाल में नहीं वरन् कई वित्त मंत्रियों के कार्यकाल

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

में यह सब हुआ। जब आप उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो आप किसे दोषी ठहराते हैं? आठ वर्षों के समय में ऐसा हुआ है।

मॉरीशस रूट भी, ओ.सी.बी. और उनके बारे में, हमने प्रत्येक फाइल का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। उस समय हमने उस एक समस्या का ही समाधान नहीं किया था जो चार अथवा पांच वर्षों से अथवा श्री मनमोहन सिंह अथवा उनके सचिव के समय से यथावत थी। यह सब फाइल में दिया हुआ है। इसलिए जब आप नैतिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, मेरा सुझाव यह है कि हर छह महीने बाद संसद को बताना तभी सार्थक होगा जब आप की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट की प्रगति के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे जैसाकि मेरे मित्र ने किया है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। मैं भी इस तरह के कतिपय प्रश्न कर रहा हूं जैसेकि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यह प्रश्न किया जाना चाहिए। हमे इसमें अवश्य सुधार करना चाहिए। यदि एक अन्य की-गयी-कार्यवाही रिपोर्ट की आवश्यकता है, जिसकी सर्वत्र मांग प्रतीत होती है, की-गयी-कार्यवाही की एक अद्यतन की-गयी-कार्यवाही रिपोर्ट इन छह महीनों के भीतर यंहां लायी जानी चाहिए। यह संसद का अधिकार है। यह संसद के विशेषाधिकार के दायरे में आता है।

लेकिन आप यदि इस तरह से बात करेंगे जैसे आपने पुराने रिकार्ड का उल्लेख किया है, तो यह अब भी जारी है। श्री मणिशंकर अय्यर का श्री यशवन्त सिन्हा के लिए कितना प्रेम है उसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता और प्रेम अंधा होता है। यह इतना अंधा होता है कि गत एक वर्ष से उन्होंने एक ही राग अलापा हुआ है और वह श्री यशवन्त सिन्हा का है, श्री जसवन्त सिंह और प्रधान मंत्री जी का है। यह इसका दस्तावेज नहीं है। यह दस्तावेज भविष्य के प्रति है।

मैं यह कह सकता हूं कि उनको एक घाटा और भी हुआ है। मैं यह कह सकता हूं कि वह 1992 की घोटाला समिति के भी सदस्य थे। इसलिए, यह उनके विचारों में छाया हुआ है। 2001 का घोटाला 1992 का घोटाला नहीं था। इनमें बहुत अन्तर है। वर्ष 1992 के घोटाले में सरकार पर उत्तरदायित्वों का बहुत भार था।

विनियामक नाम की कोई संस्था नहीं थी। अगर उन्होंने आरंभ भी की थी तो वह इतनी परिपक्व नहीं थी। ये वहां दस वर्षों से कार्य कर रहे थे। इस पर बहुत चर्चा हो सकती है कि विनियामकों को कितनी स्वतंत्रता हो। सरकार को यू.टी.आई. का अध्यक्ष नियुक्त नहीं करना चाहिए। सरकार को 'सेबी' के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे 'सेबी' की नियुक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? 'सेबी' को क्या करना चाहिए, इसके अधिकार क्या होने चाहिए और सरकार को 'सेबी' से कितनी पूछताछ करनी चाहिए? क्या यह दिल्ली में होनी चाहिए–'सेबी के साथ संपर्क हो अथवा यह दिल्ली में हो और संपर्क यू.टी.आई. के साथ होना चाहिए अथवा क्या इसे मुक्त छोड़ देना चाहिए? यू.टी.आई. के पास बहुत अच्छी बुनियादी सुविधाएं हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। इन सभी बातों से दस वर्षों के समय में बाजार सरकार से दूर हो गये। इसलिए, यदि हम पीछे ही देखते रहें और कहें 'कि वर्ष 1993 में डा. मनमोहन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें यह किया वह किया और श्री यशवन्त सिन्हा ऐसा क्यों नहीं' करते तो यह खाक छानने वाली बात ही सिद्ध होगी।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि इसका मंत्री अथवा ऐसे किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हमने यह स्वीकार कर लिया है कि यथा व्यवस्था विफल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन घोटालों के प्रभावों के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका सही आंकलन किया जाना चाहिए। हमारी समस्या यह है कि इस घोटाले से कितना नुकसान हुआ और हम इसका कितना प्रचार करना चाहते हैं। इसी के साथ यह भी समस्या है कि स्टॉक मार्केट में इससे कितनी खलबली मची, वित्तीय संस्थानों में कितना आतंक फैला और इससे हमारे देश में कितना वित्तीय असंतोष फैला। जब भी कोई विपत्ति आती है, तो हमें उचित ढंग से कार्य करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? आखिर यह घोटाला था क्या? इस घोटाले के संबंध में मात्र दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक है माधवपुर सहकारी बैंक से भुगतान और दूसरी सी.एस.ई. द्वारा भुगतान। कोई अन्य घटना ऐसा नहीं दर्शाती कि कहीं दूसरे स्थान की स्टॉक मार्केट प्रभावित हुई हो। बाजार अकस्मात चरमरा गया। संयुक्त संसदीय समिति की मुख्य चिंता यह थी कि ऐसा होने से छोटे निवेशकों को सर्वाधिक नुकसान होता है और हम किस तरह व्यवस्था को सुधार सकते हैं, जांच और संतुलन किस तरह स्थापित करें और छोटे निवेशकों को सुरक्षा किस तरह की जाएं।

मैं इनमें से कुछ चीजों को संक्षेप में बताना चाहता हूं और मैं महसूस करता हूं कि पूरी बात पर सामान्य रूप से चर्चा करने से पहले इनकी समीक्षा होनी चाहिए। जैसाकि मैंने कहा, मैंने कार्यान्वयन की बात कही है।

जहां तक केतन पारिख मामले से संबंधित की गई कार्यवाही रिपोर्ट का संबंध है, केतन पारिख के कई साथियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उस पर स्टाक एक्सचेंज में किसी भी प्रकार का कार्य करने पर 14 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। वह स्टाक एक्सचेंज में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता लेकिन एक बड़ी समस्या है और वह है कार्यवाही करना और वह है न्यायिक कार्यवाही उसे पूरा किया जाना चाहिए।

आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में श्रीमती सुचेता दलाल का एक लेख छपा है–क्या 14 वर्ष का वनवास पर्याप्त है। मैं उनसे सहमत हूं और इन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा हमारी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भी इस पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। एक धारणा बन गई है कि इन अपराधियों के विरुद्ध शायद कभी कार्यवाही पूरी नहीं होगी, वे जेल नहीं जाएंगे और उनके बच्चे वातानुकूलित कारों में ही घूमते रहेंगे तथा उनसे पैसा कभी वसूल नहीं किया जाएगा।

इस कार्य को पूरा करने में लगे विभिन्न तन्त्रों के कार्यकरण से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके घोटाले से कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कार्य के लिए बहुत समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है। जैसाकि श्री मणिशंकर अय्यर ने स्पष्ट किया कि एच.एल.सी.सी. पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसकी क्या भूमिका रही? इसने क्या नहीं किया? इसने समन्वय क्यों नहीं किया? लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समन्वय एजेंसी कार्यरत होनी चाहिए, जो आखिर तक कार्य की निगरानी करें और ठीक उस समय तक नजर रखें जब तक कि ये लोग सलाखों के पीछे न चले जाएं, यह कार्यवाही तब ही पूर्ण मानी जाएगी। मैं यह कह सकता हूं कि यह बात यहां लागू नहीं हो सकती क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हम 1992 के घोटाले में दलालों, सहकारी निकायों और बैंकों के बीच सांठ-गांठ का पता नहीं लगा सके और न ही इस घोटाले के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाए। इस प्रयोजन के लिए हम सेबी द्वारा दी गई सामग्री पर ही आश्रित रहे। उन्होंने मामले में विलम्ब किया और बुराई भी मिली। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था और समय हो तो भी उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेना अनुचित होता, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत है कि सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यदि आप उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने तिकड़म लड़ाई और छोटे निवेशकों को चूना लगाया, के बारे में जानकारी नहीं जुटा सकते तो संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का क्या फायदा? उनके नाम नहीं बताए गए हैं और उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहली रिपोर्ट में भी यही हुआ और दूसरी रिपोर्ट में भी यही हो रहा है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप स्वयं ही यह कह रहे हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह संसद इतनी असहाय नहीं है कि वह सेबी से इस प्रकार की सूचना प्राप्त न कर सके।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: नहीं, यह बिल्कुल असहाय नहीं है। हम भी असहाय नहीं थे। यदि हमारे पास और समय होता तो कोई समस्या नहीं थी।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप मान रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे खेद है कि समय का प्रश्न कहां है। मैंने अपना मुंह नहीं खोला लेकिन दोनों रिपोर्टों में यही बात है। यदि वह आदमी जिसने छोटे निवेशकों को उनकी धनराशि से वास्तव में वंचित कर दिया है, जिसने संस्थान को क्षति पहुंचाई है और यदि हमारे पास समय नहीं है या हमारे पास सूचना नहीं है या यदि हम उसके विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव नहीं दे रहे हैं तो इन संयुक्त संसदीय समितियों का उपयोग क्या है?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: मैं आपसे पूरी तरह असहमत हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप स्पष्ट करें। आप मुझसे असहमत नहीं हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: इस पक्ष पर मैं आपसे पूरी तरह से असहमत हूं। हमें पर्याप्त संकेत थे कि इस तरह की चीज हुई है लेकिन इन लोगों के दोष के बारे में विस्तृत जांच, उन्होंने जो ठोस गल्तियां की हैं, वह संयुक्त संसदीय समिति के लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री शिवराज वि. पाटील: इसका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: यह संभव नहीं था लेकिन जो किया गया था और हमें बताया गया था कि अमुक-अमुक व्यक्ति इसमें शामिल थे। मैं इसे दुहरा रहा हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमने आगे कहा कि मामले की जांच अवश्य होनी चाहिए और इसे तार्किक परिणति तक लाया जाना चाहिए और लोगों को इसके लिए दंडित भी किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय की तरह बैठना और इन कार्पोरेट निकायों का साक्ष्य लेना, जिनके पास अकुत सम्पत्ति है, पर्याप्त शब्द शक्ति है, हमने रविवार सहित पांच वर्ष बिताए और हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला। इसलिए, हम व्यावहारिक बनें। न्यायालय की तरह बैठना संयुक्त संसदीय समिति का काम नहीं है, लेकिन मैं पुन: दोहराता हूं, हमारा निर्देश है कि हम प्रासंगिक एजेंसियों की कार्य प्रगति को देखना चाहेंगे, जो कि सी.बी.आई. और सेबी है और हम मामले पर सरसरी निगाह रखेंगे।

हम यहीं तक जा सकते हैं, और हम न्यायालय नहीं बन सकते।

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

बैंकों के संबंध में कुछ कार्रवाई की गई है। प्रमुख दोषी है बहुराज्यीय सहकारी बैंक। अन्य बैंक भी शामिल थे, पर ये मुख्य रूप से दोषी थे। उसमें भी मुख्य रूप से दो ही दोषी थे, वे हैं, माधवपुरा सहकारी बैंक और सिटी को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ। उनकी पहचान कर ली गई है और विशेष रूप से आपकी रिपोर्ट में हम देखेंगे कि इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जाए और क्या प्रगति हुई है। हर बार, आप आते हैं, आप इस पर जो प्रगति बता रहे हैं, हम उसे जानना चाहते हैं।

कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज में ऐसी हालत बहुत पुरानी थी। प्रत्यक्ष रूप से यह सेबी की जिम्मेदारी है। यह नहीं हो सकता कि शेयर बाजार या किसी खास स्टाक एक्सचेंज की देख-रेख सेबी से ऊपर किसी निकाय द्वारा की जाए। यह असफलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सी.एस.ई. में जो भी प्रगति हुई वह अच्छा नहीं था।

सभापति महोदय: श्री त्रिपाठी, आप कितना समय लेंगे?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: मैं पांच-सात मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं।

हम जानना चाहते हैं कि कैसे खास लोगों को दंडित किया गया था। मैंने ओ.सी.बी. और मारीशस मार्ग का उल्लेख किया। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा कि निश्चित रूप से बाहर से पैसा लाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, ऐसे निश्चित साक्ष्य थे कि इसका दुरुपयोग किया गया था और निश्चित साक्ष्य थे कि तब इसका दुरुपयोग ही नहीं किया गया था बल्कि इसका पहले भी दुरुपयोग किया गया था। हमें तर्कपूर्ण साक्ष्य मिले, निश्चित साक्ष्य नहीं, कि आगम राशि से निर्गम राशि ज्यादा थी। हमने यही स्वीकार किया था तब से, ओ.सी.बी. को रोक दिया गया था, और कई कार्रवाईयां की गई थीं, लेकिन यह सतत प्रक्रिया है और हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते।

जिम्मेदारी के बारे में, मैं सिर्फ एक या दो बातें कहूंगा। पहला जैसा मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जहां तक वित्त मंत्री की जवाबदेही की बात है, तो उसमें काफी बदलाव आया है, वर्ष 1992 में, मूल्य निर्धारण, मात्रा, शेयर जारी करने के तरीके, स्टाक एक्सचेंजों का कार्यकरण, ब्रोकरों, स्टाक एक्सचेंजों, कंपनियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई करने के मामले में वित्त मंत्रालय को सीधे जिम्मेदारी कंट्रोलर आफ कैपिटल इश्यूज एक्ट और प्रतिभूति (संविदा विनियमन) अधिनियम में विनिर्दिष्ट है। 2001 तक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका था। सेबी अधिनियम से नियामकों को पूरा अधिकार एस.ई.आर.ए. के अंतर्गत मिल गया था। स्टॉक एक्सचेंजों पर अधिकार वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से ले लिया गया और यह अधिकार सेबी को दे दिया गया। यहां तक की सेबी के अंतर्गत अपील का अधिकार, जो पहले सरकार के पास था, उसे भी नए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था। निक्षेप अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों को भी सेबी को दे दिया गया। इस प्रकार, 1992 में पूंजी बाजार संबंधी सारे अधिकार, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, मूल या अपीलीय वित्त मंत्रालय के पास थे वहीं 2001 में ये शक्तियां संसद के अधिनियमों द्वारा सृजित नियामक या अपीलीय निकायों के पास थी। यह मुद्दा श्री चिदंबरम द्वारा अपने कार्यकाल में भी उठाया गया था।

एक समय था जब इस प्रतिभूति व्यापार को विनियमित करने की प्रक्रिया का कार्य सरकार का था। इससे यह सवाल पैदा होता है कि जिसे मैं विचारार्थ संसद में रखना चाहूंगा और इस पर मेरी कोई विशेष राय नहीं है। अर्थात, "विनियामक कितना स्वतंत्र होना चाहिए?" क्या इसे स्वतंत्र कार्य करना चाहिए, क्या इसे अपना कार्य करना चाहिए, क्या वह अपनी गलतियां स्वयं करें और इसके लिए स्वयं इनकी जिम्मेदारी ले।

मैं केवल पूंजी बाजार की स्टॉक मार्केट और अन्य वित्तीय संस्थानों की बात कर रहा हूं। या क्या वित्त मंत्रालय द्वारा इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्या इसके लिए उसे जिम्मेवार बनना चाहिए, नियामकों को नियंत्रित करना चाहिए या एक ज्यादा शक्तिशाली नियामक बनना चाहिए? इसका रूप क्या होना चाहिए? यदि उन्हें पूर्णत: स्वतंत्र होना है तब, जैसाकि मणिशंकर अय्यर द्वारा बताया गया है हमारी समझ से वित्त मंत्री को संसद में आना चाहिए और प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। उस उत्तर के लिए वे व्यक्तिगत रूप से किस हद तक उत्तरदायी होंगे।

हम सभी एक शक्तिशाली नियामक एक परिपक्व नियामक, लेकिन एक स्वतंत्र नियामक चाहते हैं।

[हिन्दी]

कितनी दफा प्रधान मंत्री के घर से यूटीआई टेलीफोन गया, कितनी दफा सेबी को वित्त मंत्री ने टेलीफोन किया, ये सब सवाल कमेटी में पूछे गए थे। इसका क्या मतलब है? क्या वे फोन करें या न करें, क्या वे रैगुलेट करें या न करें, क्या उनके ऊपर नजर रखें या न रखें? अगर हम चाहते हैं कि इंडिपैडेंट रैगुलटेर है तो क्यों बार-बार हर चीज के लिए गवर्नमैंट को बीच में लाया जाता है। यह हमारी सरकार की बात नहीं है। मैं पिछले दिनों अमेरिका में था। यही समस्या वहां के एसएससी के साथ हो रही थी लेकिन कोई गवर्नमैंट की बात नहीं कर रहा था। रेगुलेटर की बात कर रहा था। आप इस चीज को अच्छी तरह समझ ले। हमारे ख्याल में इस वक्त 2001 में कहीं दूर-दूर तक वित्त मंत्री का रिश्ता इससे

नहीं था। हमें जहां मिला कि फ्राइडे को कोई चिट्ठी मिली और वह बहुत जरूरी चिट्ठी थी और वित्त मंत्री तक मंडे तक नहीं पहुंचायी गई, वहां हमने कहा है लेकिन हमें ऐसी कोई बात दिखायी नहीं दी है जो 1992 स्कैम से 2001 स्कैम के बाद की जाए। मैं एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा।

[अनुवाद]

जैसाकि मैंने कहा, पहली बार हमारे पास सर्वसम्मत रिपोर्ट है। यह व्याख्या करने का विषय है। प्रत्येक को अपना विचार रखने का अधिकार है।

श्री मणिशंकर अय्यर: वास्तव में, अंतिम रिपोर्ट भी सर्वसम्मत थी। यह दूसरी सर्वसम्मत रिपोर्ट है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: हो सकता है कि वह सैंकिड हो। कुछ भी हो। हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि सब लोग इसमें एक थे। इसे बहुत गम्भीरता से सरकार ले और जो हमारे माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसे लेते हुए और पुराने एटीआर को देख कर, उसे अपडेट करके इसे दोबारा संसद में लाएं तथा इस पर बात करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दें क्योंकि भविष्य बहुत कुछ इस एक्शन पर डिपैंड करता है, जैसा रूपचन्द पाल जी ने बताया है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि स्टॉक मार्किट के डायनमिक्स को ढीला न करें। वह बढ़ते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए। आज भी स्टॉक मार्किट ब्रॉड नहीं हो पाया है। वह उसके साथ होना चाहिए। मैं एक दफा फिर यह मौका दूंगा, अपने सारे सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इतनी बढ़िया रिपोर्ट दी। अब यह सरकार के ऊपर है कि इस पर किस तरह कार्रवाई करती है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

मान्यवर, अभी मणिशंकर जी, रूपचन्दपाल जी, किरीट सोमैया जी और आदरणीय त्रिपाठी जी ने यहां विचार व्यक्त किए। शेयर बाजार घोटाला तथा तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति का जो प्रतिवेदन है, इसमें स्पष्ट तौर पर यह बात उभर कर आई है कि यह तंत्र की विफलता रही है।

तंत्र की विफलता विभाग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जब विभाग जिम्मेदार है तो निश्चित तौर पर उस विभाग का मुखिया भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इसलिए विभाग के मुखिया पूर्णतया दोषी हैं। मैं इस बात को इसलिए भी प्रमाणित करना चाहता हूं कि हम सभी सदस्यों ने संयुक्त समिति में लगातार मेहनत की जिसे वित्त मंत्री द्वारा इस शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी विवरण 19 दिसम्बर, 2002 को सभा पटल पर रखा गया। आज एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। पहले की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 9 मई को वित्त मंत्री जी ने इस सदन के पटल पर रखी। उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन संशोधनों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार की चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने इनसाइडिंग ट्रेडिंग और विभिन्न स्क्रिप्टों के मूल्य में धोखाधड़ी में शामिल दलालों और कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सेबी की शक्तियों को बढ़ाया गया है। इन्होंने हमें धन्यवाद दिया कि हमने सेबी की शक्तियों को बढ़ाने की अनुशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और सेबी के एक्सचेंजों का निरीक्षण करने के लिए एक अलग प्रभाग स्थापित किया गया है और सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति पर अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं। इतना कहने के बावजूद शेयर बाजार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारी कमेटी इस घोटाले की जांच कर रही थी, उसी समय होम ट्रेड का घोटाला हुआ था। उस घोटाले को भी जीरो ऑवर के दौरान उठाया गया था लेकिन उस समय न सरकार ने और न वित्त मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया। सेबी के जांच अधिकारी की जो रिपोर्ट आई है, चेयरमैन ने उस पर जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें होम ट्रेड में श्रेयम सिक्युरिटीज को दोषी माना है। बाद में सेबी ने श्रेयम सिक्युरिटीज का लाइसेंस इस दौर में नवीनीकरण कर दिया। होम ट्रेड की तरफ श्रेयम सिक्युरिटीज ने सर्कुलर ट्रेडिंग का कार्य किया। उसकी जांच होनी चाहिए लेकिन जांच नहीं की गई। आयकर विभाग द्वारा भी जांच नहीं की गई।

सभापति जी, अप्रैल के महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मास्विक कम्पनी के शेयरों में 60 प्रतिशत की गिरावट आई और ऐशियन एज अखबार ने स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में समाचार प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने न केवल वित्त मंत्री को पत्र लिखा बल्कि यू.टी.आई के चेयरमैन, सेबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रेमय सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस लि. ने अपना नया नाम सार्दूल सिक्युरिटीज लि. रख लिया। मेरा राज्य मंत्री से अनुरोध है कि वे गम्भीरता से इस बात को लें क्योंकि मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। श्रेयम सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कम्पनी लि. ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और म्युचुअल फंड्स के साथ संदेहास्पद और धोखाधड़ी का कारोबार किया। साथ ही ऐसा अंदेशा है कि उन्होंने अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल किया। और छोटे निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों के करोड़ों रुपये का गबन किया। इस गोरखधन्धे को अंजाम देने के लिए एफ.एफ.एल. एवं

[कुंवर अखिलेश सिंह]

एस.एस.एल. के पब्लिक ईश्यू को चालाकी से प्रभावित किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन पब्लिक ईश्यू बाजार के पालन कराने का मकसद एक कम्पनी को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाना था। छोटे निवेशक बर्बाद हो चुके थे, उन्हें और बर्बाद किया गया। मैंने एक पत्र वित्त मंत्री जी को 14.7.03 को लिखा, यू.टी.आई. और सेबी. के चेयरमैन को 24.7.03 को लिखा। मुझे उनकी एकनौलेजमेंट प्राप्त हो चुकी है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह बात उद्धृत करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस मामले को सरकार संरक्षण दे रही है।

सायं 7.29 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय, हमने लोक सभा में 19 दिसम्बर, 2002 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद 3 जनवरी, 03 को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयर से संबंधित आदेश सैक्शन-11 और 11बी सेबी एक्ट के तहत दिनांक 13.12.02 को जारी किया गया जिसमें 50 व्यक्तियों और केतन पारीख को इसका सहयोगी माना गया। लगभग एक वर्ष होने वाला है लेकिन अभी तक इन आदेश का जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। यह सरासर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी है और केतन पारीख का घृणित प्रयास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्थिति केवल यहां तक सीमित नहीं है। अगर आपने शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन किया होता तो आप तथ्यों से अवगत होते। हमने पैरा नम्बर 2.15 पर यह कहा है कि समिति नोट करती है कि श्री केतन पारिख जो इस घोटाले में प्रमुख रूप से लिप्त पाया गया, उसने बैंकों और निगमित निकायों से जब सैंसैक्स में तेजी से गिरावट आ रही थी, अत्यधिक धनराशि प्राप्त की। इससे समिति को यह विश्वास हुआ कि केतन पारिख और बैंकों तथा निगमित निकायों के बीच सांठ-गांठ थी, तथापि इस भावना को समय के अभाव में इसके तार्किक निर्णय का रूप नहीं दिया जा सका और समिति यह सिफारिश करती है कि इस पहलू पर इस उद्देश्य हेतु एक अन्य समिति गठित करके उसके द्वारा गहराई से जांच की जाए। हमने एक अन्य समिति की सिफारिश की बात कही थी। लेकिन आपने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में इस चीज को पलटने का काम किया है। आपने कंपनी मामलों से जांच कराने की बात कही है। आप अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट को देखें, हमने सिफारिश की है कि आप एक अन्य समिति का गठन करें, जिससे वह समिति सम्पूर्ण मामले में तथ्यात्मक रूप से छानबीन करे। लेकिन आपके द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में इसकी कम्पनी मामलों से जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है।

इतना ही नहीं मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कारपोरेट सैक्टर को भी बहुत खूबसूरती के साथ बचाने की कोशिश की गई है। कारपोरेट सैक्टर में जो सबसे पहला नाम हमारी समिति ने सुझाया था वह अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड का नाम है। इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर है। 7.12 पर सेबी के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर अदानी समूह और केतन पारिख समूह की कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रतीत होते हैं। इन कंपनियों के बीच में करोड़ों रुपये की धनराशि का आदान-प्रदान हुआ और इसके लिए कोई ब्याज नहीं लिया गया। जांच में पता चला कि अदानी समूह ने केतन पारिख कंपनियों को लगभग 340 करोड़ रुपये दिये है और उनसे लगभग 208 करोड़ रुपये प्राप्त किये है। दूसरा यह है कि अदानी एक्सपोर्ट के प्रवर्तकों ने केतन पारिख समूह की ब्रोकिंग कंपनियों के माध्यम से शेयर बेचे और सारे शेयर केतन पारिख समूह की अन्य कंपनियों द्वारा निवेशकों के रूप में खरीदे गये। तीसरा इसमें यह है कि केतन पारिख समूह अदानी समूह पोर्ट्स लि. की समूह कंपनी की प्रमुख शेयरधारक था, जिनकी शेयरधारिता 19.12.2000 की स्थिति के अनुसार 32 लाख शेयर थी। यह हमारी रिपोर्ट में सेबी की जांच के आधार पर जो निष्कर्ष निकले थे, वे निष्कर्ष थे। लेकिन आपके द्वारा की गई जो कार्रवाई है, उसमें इस कंपनी को सीधे तौर पर बचाने का प्रयास किया गया है। एक वर्ष बीत गया, लेकिन अभी तक इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं संसद की ऐस्टीमेट कमेटी का भी मैम्बर हूं। पिछले दिनों दौरे पर जब मैं गुजरात गया था और वहां हमने जब वहां के आयकर विभाग की समीक्षा की तो उसमें देखा कि अदानी एक्सपोर्ट के ऊपर करोड़ों रुपये बकाया है। जब आयकर कमिश्नर जवाब देने लगे तो उन्होंने कहा कि अपील में यह सारा टैक्स माफ कर दिया गया है। मैंने कहा कि क्या आपको पता है कि अदानी एक्सपोर्ट लि. के विरुद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें करोड़ों रुपये का वित्तीय घोटाला इस कंपनी के विरुद्ध पाया गया है। क्या आपने इसे उससे क्लब करने की कोशिश की। इस सवाल पर आयकर अधिकारियों ने बिल्कुल ही मौन रहना ही उचित समझा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके आयकर विभाग को यह भी पता नहीं है कि शेयर स्कैम में कौन-कौन सी कंपनियां दोषी रही हैं और अगर आयकर की अपील के दौरान वे उसके मामले का निपटारा करती हैं तो वह किस तरह से न्याय करेंगे, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने करोड़ों रुपये बचाने का कार्य किया है।

इतना ही नहीं अगर इस की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आप देखें तो साइबर स्पेस इनफोसिस लि. के संदर्भ में सी.बी.आई. से जो जांच हुई है, उस जांच के निष्कर्षों को लिखते हुए हमारे यहां यह लिखा है कि यू.टी.आई. के पूर्व चेयरमैन श्री पी.ए. सुब्रह्मण्यम, इसके तत्कालीन कार्यकारी निदेशक स्वर्गीय एम.एम कपूर, कार्यकारी

निदेशक श्री एस.के. बसु, महाप्रबंधक श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद के खिलाफ एक माला दर्ज किया गया है। बाद में जांच के दौरान एक शेयर दलाल राकेश मेहता पर ही दोषारोपण किया गया है। राकेश मेहता साइबर स्पेस कंपनी के शेयर के भाव ऊंचे करने में पूर्ण रूप से दोषी रहा है। यह साइबर स्पेस कंपनी के डायरेक्टर और अरुण जौहरी का पार्टनर रहा है। इसी दलाली में साइबर स्पेस कंपनी के शेयर बहुत ऊंचे दाम में यूटीआई, एल.आई.सी. और जी.आई.सी. तथा अन्य बैंकों को बेचे गये। इसकी सम्पत्ति अभी तक जब्त क्यों नहीं हुई, अभी तक यह व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, यह आश्चर्य का विषय है।

इतना ही नहीं एक और कंपनी ल्यूपिन लेबोरेट्रीज के खिलाफ भी हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केतन पारिख से संबंधित कंपनियों ने अगस्त, 1999 में ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लिमिटेड से सीधे ही सिक्युरिटी कांट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए लगभग साढ़े आठ लाख शेयर अर्जित किये। जो दूसरी रिपोर्ट है, उसमें यह दिया है कि केतन पारेख से संबंधित कंपनियों ने सितम्बर-दिसम्बर, 1999 के दौरान शेयरों के लिए कृत्रिम बाजार सृजित किया और उनके मूल्यों में हेराफेरी की। केतन पारेख से संबंधित कम्पनियों और प्रवर्तकों ने तत्पश्चात् कृत्रिम रूप से ऊंचे मूल्यों पर बड़ी मात्रा में शेयर बेचे। यह ध्यान में आया कि नवम्बर-दिसम्बर, 1999 के दौरान प्रवर्तकों ने अपने उन शेयरों की धारिता को 48 लाख शेयर तक कम कर दिए, जिनमें से अधिकतर को विभिन्न विदेशी संस्थागत निवेशकों को कृत्रिम रूप से ऊंची कीमत पर बेचा गया था।

महोदय, 7.36 में सेबी ने लिखित उत्तर में बताया कि केतन पारेख से संबंधित कम्पनियों के विरुद्ध सेबी विनियमों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के लिए न्यायिक कार्यवाही चल रही है, लेकिन इसका क्या परिणाम निकला? अभी तक की गई कार्यवाही रिपोर्ट में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह कम्पनी उसी से संबंधित है या नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में 29 जुलाई को एक मामला आया था-ल्यूपिन लिमिटेड, संभवत: ल्यूपिन लैबोरेट्रीज का दूसरा नाम ल्यूपिन लिमिटेड है। ल्यूपिन लिमिटेड कम्पनी ने इसी साल जनवरी, 2003 में, जब हमने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, उसके बाद 2003 में ल्यूपिन, सिटी बैंकों का जो स्केम है, उसने शेयरों के भाव मेनुपलेट करके बढ़ाए और बढ़ाए ही नहीं, इसमें भी मेरी जानकारी के मुताबिक सेबी सीधे-सीधे ल्यूपिन को संरक्षण देने का कार्य कर रही है।

महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिन आर्थिक अपराधों ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम किया, देश के छोटे निवेशकों को लूटने का कार्य किया, वे आज अगर वातानुकूलित महलों में ऐशो-आराम की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या देश की जनता जिम्मेदार है, वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है या आपके वित्त मंत्रालय के अंदर कार्य करने वाली वे संस्थाएं जिम्मेदार हैं? इसका उत्तर आपको स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। इतना ही नहीं, आप 1.76 में देखें। ईडी के द्वारा ओसीबीज पर आदेश निर्गत किया गया, जिसमें तीन ओसीबी पर आरोप थे कि यह ओसीबी केतन पारेख द्वारा संचालित है, उन पर करोड़ों रुपये की पेनल्टी लगाई गई। क्या यह पेनल्टी वसूल कर ली गई, क्या इन कम्पनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं? मुझे आशंका है कि ये कम्पनियां फरार हो गई हैं। इनके प्रमोटर एवं संचालक फरार हैं। ऐसी स्थिति में जेपीसी की रिपोर्ट का क्या औचित्य होगा? आप एक साल बीत जाने पर इन अनुशंसाओं पर कार्यवाही करेंगे और कहेंगे कि हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पर उसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार हैं। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तारापूर कमेटी ने 70 कम्पनियों को यूटीआई को बर्बाद करने में दोषी पाया था, जिसमें श्रीयम सिक्योरिटीज भी था। तारापुर कमेटी में दोषी पाए जाने के बाद भी यूटीआई श्रीयम सिक्योरिटी से कैसे व्यापार करती रही? सेबी की जांच में जांच अधिकारी ने चेयरमैन को रिपोर्ट दी कि होम ट्रेड श्रीयम दोषी है, उसके बाद भी सेबी ने श्रीयम का लाइसेंस उसी दौर में नवीनीकरण कैसे कर दिया? उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, किस के दबाव में यह कार्यवाही नहीं हो रही है, यह निश्चित तौर पर स्पष्ट तौर से मैं आपसे जानना चाहता हूं?

महोदय, मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यूटीआई का जब घोटाला हुआ तो यूटीआई को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने करोड़ों रुपये मुहैया कराने का कार्य किया। महोदय, जब किसानों को देने की बात आती है, मैं विषय से हट कर कह रहा हूं, जैसे गन्ना किसानों के सवाल पर वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगर एसएमपी बढ़ा दिया जाएगा तो इससे चीनी उद्योग संकट में पड़ जाएगा। यूटीआई में घोटाला होगा, जनता का धन लूटा जाएगा तो उन्हें करोड़ों रुपया दिया जाएगा, लेकिन गन्ना किसानों को संरक्षण देने के लिए आपके पास धन नहीं है। इतना देने के बावजूद आज यूटीआई की स्थिति क्या है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के एक अध्यापक राम निवास मिश्रा जी ने यूटीआई की यूलिप योजना के अंतर्गत निवेश किया था, लेकिन आज तक ये दौड़ते-दौड़ते थक गए। उन्होंने कितने पत्र आपको लिखे, लेकिन अब तक उनके पैसे की वापसी नहीं हुई। आप करोड़ों रुपए यूटीआई को देते जा रहे हैं और छोटे निवेशकों का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जनता के धन को लूटने वाले लोगों को अगर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर देश के अंदर इस व्यवस्था के प्रति आक्रोष उपजेगा और वह आक्रोष लोकतंत्र के लिए अशुभ होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों की संयुक्त संसदीय समिति है, वह इसका अध्ययन करे और किसी को भी बाचने का कार्य न करे। अगर संयुक्त संसदीय समिति ने कोई गलत अनुशंसा की है, निश्चित ही तौर पर त्रिपाठी जी की भावना से हम अपने को जोड़ते हुए कहना चाहते हैं कि छः महीने के अंदर फिर आपको की गई कार्यवाही की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर लानी चाहिए और उसमें स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि इस समिति ने जो अनुशंसाएं की हैं, वे गलत हैं, हम उसे ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आप हमारी अनुशंसाओं को गलत नहीं ठहराते हैं तो हमने जो आपसे अपेक्षा की है, जो इस समिति ने अपेक्षा की है, निश्चित तौर पर उस पर भारत सरकार को, आपके वित्त मंत्रालय को काम करना चाहिए।

आज चाहे मास्टर शेयर घोटाला हो, चाहे श्रीयम का घोटाला हो, चाहे होमट्रेड का घोटाला हो, चाहे ल्यूपिन सिटीबैंक स्कीम हो, ये जितने भी स्कैम हैं, इन स्कैमों की आपकी उच्च-स्तरीय जांच कराने के लिए आगे आना चाहिए। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि सेबी को जब हमने और अधिक अधिकार दे दिये, उसके बाद भी अगर ये घोटाले हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह तंत्र की विफलता है और इस तंत्र की विफलता से वित्त मंत्रालय नहीं बच सकता है, यह सरकार नहीं बच सकती है।

इसी के साथ मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों की जो संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन है, इस प्रतिवेदन पर सरकार तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ करे और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करे। अगर ये लूटने वाले लोग अमेरिका के अन्दर, दिल्ली के अन्दर, मद्रास के अन्दर या मुम्बई के अन्दर पांच सितारा होटलों में घूमते हुए नजर आएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के प्रति जनता में आक्रोश उपजेगा और बेरोजगार नौजवानों के मन में जो आक्रोश उपजेगा और क्षोभ व्यक्त होगा, वह क्षोभ इस लोकतंत्र के लिए अशुभ होगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, इस घोटाले के कई पहलू हैं। 1991-92 में भी एक घोटाला हुआ था। यह घोटाला हाल ही में हुआ है। एक दशक में दो घोटाले हो गए हैं। एक तब हुआ जब आज की मुख्य विपक्षी दल सत्ता में थी और दूसरी वर्तमान सरकार के शासनकाल में हुआ। हम दोनों के बीच में रह गए। हम क्षेत्रीय दलों से संबंधित हैं। हमें छोटे निवेशकों के संरक्षण की चिंता है। उनका वित्तीय संस्थानों में विश्वास है। वे इसमें निवेश करते हैं और अंततः उन्हीं को ही हानि उठानी पड़ती है। 1991-92 में हुए घोटाले के बाद की गई सिफारिशों का यदि पालन हुआ होता तो यह घोटाला नहीं हुआ होता। निगमित घरानों, दलालों, समर्थकों और बैंकरों के बीच की सांठ-गांठ की पहले से जानकारी थी। यह इस कारण हो गया क्योंकि उन लोगों ने स्वयं जानकारी नहीं दी या कम्पनी कार्य विभाग ने इसे समिति की जानकारी में नहीं ला सका। यह कारपोरेट घरानों, बैंकरों, दलालों और समर्थकों के गठजोड़ के बिना नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हुआ होता यदि इन लोगों ने धन को पूंजी बाजार में नहीं लगाया होता। धन का विपथन कारपोरेट घरानों के दिमाग की उपज थी। यह सब जानते हैं। उन्होंने पैसा लगाया और फिर अचानक पैसा निकाल लिया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इससे छोटे निवेशकों को घाटा होने जा रहा है। इसलिए, यदि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों का पालन और क्रियान्वयन तत्काल हुआ होता तो इससे कारपोरेट घरानों, दलालों और बैंकरों में मन थोड़ा भय जरूर पैदा होता।

यह जानते हुए कि संयुक्त संसदीय समिति की 'की गई कार्यवाही रिपोर्ट' पर सभा में चर्चा होगी, एक वर्ष के बाद, श्री केतन पारिख को 14 साल के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। 14 साल का यह समय कुछ भी नहीं है। वह छद्म नाम से कार्य कर सकता है। वह बाहर से कार्य कर सकता है। समिति के सभापति के साथ हम मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में गए थे। हमने स्थान का निरीक्षण किया और हम ने पाया कि 'इनसाइड ट्रेडिंग' का कारोबार चल रहा था। इनसाइड ट्रेडिंग को रोका नहीं जा सकता। 1991-92 में भी इनसाइड ट्रेडिंग का कारोबार चल रहा था और वही घोटाला 2001 में भी हो गया। काम करने का ढंग एक जैसा ही है। अपराधकर्त्ताओं का चरित्र एक जैसा है, हो सकता है, नाम एक जैसे न हो। इसलिए आन्तरिक लेनदेन पर नियंत्रण करने के लिए सेबी द्वारा पहले ही कठोर उपाय किये जाने चाहिए थे।

सेबी ने अपनी जवाबदेही से जी चुराया है। उन्होंने कहा कि उनके पास शक्ति नहीं है। परन्तु अब एक समुचित विधान लाया गया है और सेबी को आन्तरिक लेनदेन पर नियंत्रण करने हेतु और

अधिक शक्तियां दी गई हैं। जहां तक छोटे निवेशकों का संबंध है तो उनका विश्वास है कि शेयर के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। उनका सच्चा विश्वास है कि वे अपने निवेश से वंचित नहीं होंगे। किन्तु कतिपय षडयंत्रकारी लोग हैं जो दलालों और औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर काम करते हैं। वास्तव में औद्योगिक घरानों को प्रमुख होना चाहिए। वे इन दलालों के अधीनस्थ नहीं होंगे। औद्योगिक घरानों को मुख्य चिंतक और प्रमुख होना चाहिए। इन मुख्य लोगों ने छोटे निवेशकों के हित की अनदेखी करने का षडयंत्र किया और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी गई। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केतन पारीख, दलाल को छह औद्योगिक घरानों से पैसा मिला है। उनकी जांच नहीं की गई है, न उनका नाम लिया गया है, न उन्हें बुलाया गया है अथवा न उनके नाम से सम्मन भेजे गए। यदि उन्हें बुलाया जाता तो वे जनता के सामने उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाता। मेरा मानना है कि औद्योगिक घराने लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। हम कितनी ही संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त कर लें, कितनी ही रिपोर्टें प्रस्तुत करें कितनी ही की गई कार्रवाई की। रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उन चर्चा करें पर उनसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसकी पुनरावृत्ति बार-बार होगी। इसलिए, मैं कहूंगा कि सरकार कम से कम ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए ठोस योजना के साथ आगे आए। वर्ष 1991 के पश्चात् इसकी पुनरावृत्ति 2001 में हुई है। इसे फिर न दोहराया जाए क्योंकि छोटे निवेशक यह नुकसान सहन नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेयर घोटाले पर जेपीसी की जो रिपोर्ट है, उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस चर्चा से काफी ज्ञानवर्धन हुआ तथा कई बातें खुलकर सामने आई। माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर जी ने चर्चा शुरू करते हुए कई चीजों पर प्रकाश डाला खासकर जेपीसी रिपोर्ट जब सबमिट हुई और उससे जुड़े हुए सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, तो हम समझते हैं कि उन्हीं सवालों पर, उन्हीं चीजों पर चर्चा करके कोई नयी बात निकलना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन बिन्दुओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। अभी कुंवर अखिलेश सिंह जी ने कुछ बातें रखीं। मैं उनके इन विचारों से सहमत हूं कि सरकार को उन आर्थिक अपराधियों पर, जिन्होंने यूटीआई घोटाले में भूमिका निभाई है, कठोर और दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जब हम किसी स्कैम की चर्चा करते हैं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे पहले आर्थिक घोटाले के संदर्भ में जेपीसी 1991 में बनी फिर उसके 12 वर्ष बाद दूसरी जेपीसी बनी। श्री हर्षद मेहता स्कैम पर जो हमारा काम हुआ, उसका जो एक्शन टेकन प्लान था, उसने किस हद तक अपनी परिणित को प्राप्त किया, इस पर हमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए।

यह ऐसा विषय नहीं है कि पार्टियों के घेरे में बांधकर उस चश्मे से चीजों को देखा जाए। जब माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर नैतिकता की बात कर रहे थे और माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नैतिकता की नसीहत दे रही थे, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। लोकतंत्र के इस मंदिर को जिन लोगों ने सींचा है, मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं कहता कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ इसलिए केतन पारिख स्कैम का होना भी उचित है। यूटीआई घोटाले से, स्मॉल इन्वैस्टर्स जिस विश्वास के साथ इसमें पैसा लगाते थे, वह विश्वास टूटा है। सरकार ने उस विश्वास को रैस्टोर करने की कोशिश की है। इस दिशा में सेबी की भूमिका, आरबीआई की भूमिका, सरकार की भूमिका, इन सारे संदर्भों में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन कहीं न कहीं हमारी एकाउंटेबिलिटी है। हम यह सुनिश्चित करें कि आगे ये घटनाएं न हों। हम करोड़ों लोगों का विश्वास जीतकर ही स्थिर आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जब हम इस पर सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बहस चलाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की आस्था हो, यह व्यवस्था कैसे फुल प्रूफ व्यवस्था बन सके, यह देखना चाहिए। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जब मणि शंकर अय्यर जी द्वारा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि नैतिकता एक ऐसा शब्द है जो जीवन के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। जब मणि शंकर अय्यर जी बोलते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि उनका मस्तिष्क काम करता है, हृदय काम नहीं करता। जब हृदय और मस्तिष्क का समावेश हो, हृदय से चीजों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति जो भावना बनती है, उसको मस्तिष्क में बांधकर हमें देखना चाहिए कि राष्ट्र के निर्माण में किस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और हम कहां खड़े हैं। जब हम इन चीजों को देखकर किसी पर आरोप लगाएंगे, मैं नहीं कहता कि सरकार बिल्कुल दूध की धुली हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसे ही घटनाएं होती रहीं, लेकिन जब आप एक फुल प्रूफ चीजों के लिए ऐसे व्यक्ति पर प्रश्न चिह्न खड़े कर रहे हैं जिसने राष्ट्र में नैतिकता को स्थापित किया, जिसने मूल्यों को स्थापित किया, जिसने एक मजबूत व्यवस्था देने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने सम्पूर्ण जीवन का अध्याय जोड़ा। वैचारिक स्तर पर हमारे, आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोगों ने इस व्यवस्था को मजबूती दी, आज इतना ट्रांसपैरेंट होने के कारण वाजपेयी जी

[श्री अरुण कुमार]

के नेतृत्व में यह सरकार है जो इन स्कैम्स को देखकर चिन्तित है और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए, बेहतर व्यवस्था देने के लिए हम सिक्स मन्थ्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसे और फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, सिर्फ इन्हीं कारणों से कि आप यहां बैठे थे, आप वहां बैठे थे, फिर आप यहां बैठकर चीजों को देखेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपको जितनी बेचैनी है, जब आप जेपीसी के सदस्य थे, यदि उन दिनों इन चीजों को तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए आपका संकल्प होता तो और बेहतर परिणाम निकलते। जैसे कई साथियों ने सुझाव दिया तो यह बेचैनी यदि उस दिन बनी होती तो निश्चित तौर से यह तार्किक परिणति पर ले जाने का एक फॉर्मूला है। लेकिन जब जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बाद से जो बेचैनी में आपकी देख रहा हूं, मुझे लगता है कि इतने दिनों तक आप क्यों सोये रहे? आपने अपनी भूमिका का निर्वाह पहले क्यों नहीं किया और यदि निर्वाह किया होता तो वह भी रिपोर्ट में अंकित होता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से जो त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, हमें उनसे सबक लेना चाहिए लेकिन सिर्फ खामियों से सबक ही नहीं लेना चाहिए, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आखिर कौन-कौन से व्यक्ति किस डिग्री तक जिम्मेदार थे? किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है?

सायं 7.56 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

यदि हर्षद मेहता स्कैम में तत्कालीन सरकार ने एक्शन लिया होता और यदि उसे दंडित किया होता तो आज समाज के ऐसे आर्थिक अपराधियों के सामने एक मानक रहता और उस मानक को यदि आप स्थापित किये रहते तो नैतिकता की बात बड़ी ऊंची आवाज में आप करते तो यह बात मुझे ग्राह्य होती। लेकिन मैं जब दर्शक दीर्घा से वर्तमान सांसद श्री शिवराज पाटिल जी जो पहले चेयर पर होते थे और लोकतंत्र में जो उनका योगदान है, मैंने एक दशक के रूप में जो उनकी भूमिका को देखा है, मैं आज भी कोट करता हूं कि निश्चित तौर से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने योगदान किया है। इसलिए आप अपनी भूमिका यदि उन नैतिक मूल्यों को भी साथ रखकर आपकी अपनी सरकार में भी जो गड़बड़ियां हुई थी, उनको भी उजागर करने का काम करते तो निश्चित तौर से आज प्रश्न के घेरे में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को रखते और तब यह बात मुझे ग्राह्य होती और मैं इस बात की प्रशंसा करता।

लेकिन दो मानक बनाकर आप उस महामानव के लिए, जिसने इस लोकतंत्र के मंदिर को सिर्फ कविताओं से नहीं, भावनाओं से नहीं, विचारों से नहीं बल्कि अपने आचरण और अपने संसदीय इतिहास से मजबूत किया है तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको लेकर हम फख्र कर सकते हैं और पूरे देश को फख्र करना चाहिए, आपको भी फख्र करना चाहिए। लेकिन जिस परिधि में आप बंधकर बार-बार नैतिकता का संज्ञान श्री अटल जी को करा रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि किस नैतिकता के जाल में आप फंस गये हैं और उसी नैतिकता के जाल में फंसकर आप लोकतंत्र के उस महामानव को जिसने अपने आचरण से, अपने कर्मों से अपने संसदीय इतिहास से एक मानक बनाया है, उनको प्रश्न के घेरे में रख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से एन.डी.ए. की सरकार ने जिस पारदर्शी तरीके से चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसे चिन्हित किया जाएगा और जेपीसी की रिपोर्ट, चूंकि इस लोकतंत्र में जेपीसी से बड़ी कोई संस्था नहीं है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था जो लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सहयोग से निर्मित होती है और इस संसदीय व्यवस्था की सबसे मजबूत संस्था में लोकतंत्र के प्रहरियों के लिए भी यह आवश्यक है कि इस संस्था को हम लोग और जो रिपोर्ट में आया है, उस रिपोर्ट के माध्यम से, ए.टी.आर. के माध्यम से इतनी तार्किक परिणति तक ले जाएं कि निश्चित तौर से हमारी नैतिक जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति और इस देश की करोड़ों जनता के प्रति जो एकाउंटेबिलिटी है, उसे सुनिश्चित करें और विश्वासजनक बना सके।

रात्रि 8.00 बजे

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जेपीसी की एटीआर पर बोलने का मौका प्रदान किया। मैं अपने को केवल एटीआर तक ही सीमित रखूंगा। हमारे साथी श्री मणि शंकर अय्यर ने बड़े विस्तार से जेपीसी के बारे में और एटीआर के बारे में हमारी पार्टी का और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैं नैतिकता की बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं डा. मनमोहन सिंह और श्री यशवंत सिन्हा के फर्क को जानता हूं। मैं उस सरकार और इस सरकार के फर्क को जानता हूं। कितना अंतर उस सरकार में और इस सरकार में है, यह मैं जानता हूं। इसलिए मैं नैतिकता की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल कुछ बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह जो एटीआरआई है, पूंजी बाजार का मुख्य उद्देश्य विकास के लिए पैसा एकत्र करना और उसका कुशलतापूर्वक आबंटन करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में हमारा पूंजी बाजार कितना सफल रहा है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आज भी हमारे देश में फोर पर्सेंट इन हाउसहोल्ड सेविंग स्कीम्स है। इसकी वजह यह है कि आम निवेशकों, छोटे निवेशकों का पूंजी बाजार में पूरे

तरीके से अविश्वास पैदा हुआ है। मोटा-मोटा अंदाजा है कि हमारे देश में छोटे निवेशकों की संख्या 40 लाख से लेकर दो करोड़ तक की है। एक खरब की आबादी और छोटे निवेशकों की संख्या एक-डेढ़ करोड़। ताज्जुब तब होता है, जब साम्यवादी व्यवस्था वाले चीन की ओर हम आंख उठा कर देखते हैं, जहां छोटे निवेशकों की संख्या चार करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन हमारे देश में अभी भी यह एक और डेढ़ करोड़ के बीच में झूल रही है। यह फर्क इसलिए है कि हमारे देश के छोटे निवेशकों में आज तक केपिटल मार्केट के प्रति विश्वास नहीं जगा है। यह विश्वास जगाने का काम सरकार कर सकती थी, आरबीआई कर सकता था, सेबी कर सकती थी। लेकिन चूंकि इन संस्थाओं ने और सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया, जिसका परिणाम यह है कि आज भी छोटा निवेशक पूंजी बाजार से दूर भागता है। जब तक पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों के हितों का संरक्षण नहीं होगा, तब तक पूंजी बाजार आगे नहीं बढ़ सकता है। यह एक सिद्धांत की बात है। आरोप-प्रत्यारोप की बात अलग है। अगर इस सरकार ने और इस सरकार की संस्थाओं ने इस ओर विशेष ध्यान दिया होता, तो आज हमारे देश का पूंजी बाजार कहीं का कहीं पहुंच गया होता।

यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि पिछले दस वर्षों में ऑन लाइन और पेपरलैस कम्प्यूटराइज ट्रेडिंग के साथ पूरे देश में इसका नेटवर्क फैल चुका है। इसके लिए मैं एन.एस.ई. को बधाई देता हूं, जिसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। एन.एस.ई. के हमारे देश में 350 शहरों में 4000 टर्मिनल्स हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लेकिन आज भी निवेशक आकर्षित नहीं होते।

एन.एस.ई. की स्थापना स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कल्पना थी। पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एन.एस.ई. की स्थापना की कल्पना की थी। इसकी स्थापना हुई नरसिंह राव जी की सरकार के समय में। लेकिन आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी निवेशक उस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। जब तक इस पर गहराई के साथ अध्ययन नहीं किया जाएगा कि छोटा इंवैस्टर क्यों नहीं आ रहा है तब तक पूंजी-बाजार का कल्याण नहीं हो सकता है। जेपीसी 2001 के घोटाले के लिए गठित की गयी थी। उसने स्वच्छ और मजबूत पूंजी-बाजार बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं लेकिन जो एटीआर देखने को आई है उसमें अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर या तो आधी-अधूरी कार्रवाई की गयी या कार्रवाई की ही नहीं गयी। ...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से कोई न कोई कम्प्रोमाइज है। जेपीसी का विश्वास था कि सेबी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में बहुत सी कंपनियों और बड़े घरानों को दोषी पाया जिन्होंने करोड़ों रुपये केतन पारिख और उसकी कंपनियों को दिये थे। यद्यपि केतन पारिख और कुछ अन्य ब्रोकरों के खिलाफ कार्रवाई की गयी लेकिन आश्चर्य है कि सभी बड़े कारपोरेट घरानों को क्लीन-चिट दे दी गयी। मैं सदन का ध्यान जेपीसी की रिपोर्ट के बिंदु 11.34 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कमेटी ने यह पाया कि 7 कंपनियों के खिलाफ कुप्रबंधन या दमन का मामला बनता है। कमेटी का यह भी मत था कि इसमें तथा अन्य कंपनियों में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन एटीआर देखने पर पता चलता है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। कमेटी ने वित्त मंत्रालय व सभी रैगुलेटरों को कहीं न कहीं दोषी पाया, जिनकी वजह से इतना बड़ा घोटाला संभव हो पाया।

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इसके मुख्य बिंदुओं में से एक था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज सालों से गंभीर अनियमितताएं चल रही थीं। सेबी ने पूरी स्थिति जानने के बाद भी आंखें बंद रखीं। इसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज दिवालिया हो गया। सरकार ने क्या कार्रवाई की? केवल एक एग्जिक्युटिव डायरेक्टर और कुछ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जबकि इसमें सेबी के तत्कालीन चेयरमैन की पूरी जिम्मेदारी बनती थी। इतना बड़ा घोटाला हो गया, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से दिवालिया हो गया और केवल एक डायरेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा पूंजी-बाजार आने वाले समय में सुधरेगा, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि छोटा इंवैस्टर हमारे पूंजी-बाजार की ओर आकृष्ट होगा। समिति ने पैरा 9.110 में सिफारिश की थी कि सेबी को लिस्टेड कंपनियों के मामलों में छोटे शेयर धारकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही एटीआर में इसका उल्लेख किया है। इसी तरह से दोषी ऑडिटर्स के खिलाफ आधी-अधूरी कार्रवाई की गयी या पिछले 10 वर्षों में की ही नहीं गयी। इसका उल्लेख भी समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 3.18 में किया था। रैगुलेटर्स को पैनल्टी लगाने की पूरी स्वतंत्रता है। इसमें गंभीर अपराधों के बावजूद अपराधी कम पैनल्टी देकर छूट जाते हैं। पहले तो रैगुलेटर्स के पास अधिकतम 5 लाख रुपये पैनल्टी लगाने का प्रावधान था लेकिन लगभग एक साल पहले 25 करोड़ रुपये तक की पैनल्टी लगाने का अधिकार इन रैगुलेटर्स को प्राप्त हो गया है। लेकिन लगेगा कैसे क्योंकि इनकी नीचे की कोई सीमा ही नहीं है। आप चाहे करोड़ों रुपये का घोटाला कर दें, कितनी भी बड़ी हेराफेरी कर लें, जब नीचे की कोई सीमा नहीं है तो आप वहां उनसे सौदा कर लीजिए, उन्हें सेट कर लीजिए और एक लाख की पैनल्टी देकर, दो लाख की पैनल्टी देकर छूट जाइये। जब पांच लाख रुपए का अधिकार था, तब बात समझ में आती थी, लेकिन जब 25

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

करोड़ की पैनल्टी का अधिकार है, तो मैं सरकार से चाहूंगा कि वह ब्यौरा सदन में उपस्थित कर दे कि अब तक कितनी पैनल्टी लगाई गई है और अधिकतम पैनल्टी सरकार ने यानि सेबी ने कितनी लगाई गई है। दूध का दूध और पानी का पानी, साफ हो जाएगा।

समिति ने 9.79(डी) में सिफारिश की है कि प्राइस डिंगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और पब्लिक इशू में अनियमितताओं जैसे सीरियस अपराधों को विस्तृत रूप से डिफाइन किया जाए व उस अपराध के अनुरूप दंड की व्यवस्था सेबी द्वारा अपने रेग्युलेशन्स से की जाए। लेकिन अभी तक एटीआर के माध्यम से कोई कार्यवाही प्राप्त नहीं हो पाई है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। सेबी एक्ट में धोखाधड़ी के कारण इन्वैस्टर्स को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि विकसित देशों में ऐसे प्रावधान हैं। समिति ने अपने बिन्दुओं 9.108, 14.54 और 14.57 में सिफारिश की है कि इन्वैस्टर्स की क्षतिपूर्ति के लिए कम्पैसेशन के कोई प्रावधान नहीं है, जो कि सेबी एक्ट में किए जाने चाहिए। अभी तक इस दिशा में सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। इन्वैस्टर्स जिसके साथ चिटिंग होती है, जिसकी गाढ़ी कमाई का पैसा जाता है, अगर उसको विश्वास नहीं होगा कि भविष्य में अगर उसके साथ चिटिंग होगी, तो उसको कुछ कम्पैंसेशन मिल जाएगा, तब तक इन्वैस्टर्स को पूंजी बाजार में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में पूंजी बाजार कैसे मजबूत होगा। सरकार यह कैसे कहती है कि पूंजी बाजार के लिए हम अमुक व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या जरूरत थी, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की, जब सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि एनएसई के द्वारा इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोई जरूरत नहीं थी।

महोदय, मैं वैनिशिंग कम्पनीज के बारे में भी कहना चाहता हूं। समिति ने पैरा 11.42 में सुझाव दिया है कि मोनिटरिंग कमेटी सुनिश्चित करायें और सभी 229 आइडेंटिफाइड वैनिशिंग कम्पनीज के बारे में तुरन्त एफआईआर फाइल की जाए। लेकिन अभी तक एटीआर के माध्यम से डीसीए ने अभी तक 95 कम्पनीज के ऊपर कार्यवाही की है। इन कम्पनियों और 336 डायरैक्टर के खिलाफ कार्यवाही की है, जिसके अन्तर्गत उन्हें पांच वर्ष तक सिक्योरिटी मार्केट से डिबार कर दिया गया है। लेकिन यह काम उनकी बीवी और उनके बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वह पांच साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से डिबार कर दिए गए हैं। इस तरह छोटी-छोटी सजाओं के माध्यम से पूंजी बाजार कैसे मजबूत होगा और कैसे स्माल इन्वैस्टर्स पूंजी बाजार में आकर्षित होंगे। हैवी पैनल्टी जब तक नहीं लगेगी और कड़ी सजायें नहीं दी जायेंगी, तब तक किसी भी तरह के अपराध को रोकने की कल्पना करना बेकार है। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि वैनिशिंग कम्पनीज की परिभाषा कांप्रिहैंसवि बनाया जाए। एटीआर के अनुसार ऐसा नहीं किया गया और केवल पुरानी डैफिनिशन का महज क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इस वजह से इन्वैस्टीगेशन का दायरा सीमित रह गया और सैकड़ों कम्पनियां इस दायरे में आने से बच गई। यह गौरतलब है कि बीएसई ने ऐसी 604 और कम्पनियां छांटी है, जो कि अपने रजिस्टर्ड आफिस के पते से गायब हैं। मेरा दावा है कि ऐसी 600 कम्पनियां नहीं, बल्कि एक हजार कम्पनियां होगी, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। समिति ने यह सुझाव दिया है कि निवेशकों में विश्वास किस प्रकार वापस आए, इसके लिए सेबी, डीसीए, सीएलबी तथा आरबीआई इस दिशा में कार्यवाही करें। जिसमें इन कम्पनियों के निदेशकों की सम्पत्ति कुर्क करनी शामिल हो। इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। असैट्स की अटैचमैंट की पावर किसी भी रैगुलेटर को प्राप्त नहीं है। अत: यह कोर्ट के आदेश से हो सकती है। इस संबंध में जो पीआईएल कोर्ट में दाखिल है यदि एमओएफ, सेबी व डीसीए इस इशू पर कोर्ट में सपोर्ट करे तो अटैचमैंट का ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन किसी भी पीआईएल में, न एमओएफ ने, न सेबी ने और न ही डीसीए ने इस पर सपोर्ट करने की कोशिश की जिसका परिणाम है कि किसी की एक पैसे की सम्पत्ति भी कुर्क नहीं की गई।

समिति के समक्ष सैक्रेटरी डीसीए ने यह माना था कि इस घोटाले में कम्पनियों के प्रमोटरों ने खुद को प्रैफ्रैंशियल बेसिस पर शेयर एलॉट करके, उसका दुरुपयोग किया और इस घोटाले में यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। प्रमोटर्स ने अपने शेयर ऊंचे दामों पर मार्किट में अथवा म्युचुअल फंड्स को बेच दिए और बहुत सस्ते दामों में नए शेयर कम्पनियों से आवंटित करा लिए। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से लीगल है। समिति ने बिन्दु 55 में यह सिफारिश की है कि इस प्रक्रिया को सख्त बनाया जाना चाहिए और ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जिनसे इनका दुरुपयोग न हो। केवल टैक्निकल कोलैबोरेटर व केवल कम्पनी के हितों में ही प्रैफ्रेंशियल एलाटमैंट की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरे किसी भी तरीके से इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

एटीआर में यह भी बताया गया है कि सेबी ने अपने टेक ओवर के रेगुलेशन्स में संशोधन किया है जिससे कम्पनीज के टेक ओवर में इसका गलत इस्तेमाल न किया जा सके। डीसीए अनलिस्टिड कम्पनीज के लिए इस बारे में नियम बनाने जा रहा है। उपरोक्त कार्रवाई से इसका दुरुपयोग नहीं रुक पाएगा। सेबी ने अपनी कार्रवाई केवल कम्पनीज के टेक ओवर में सीमित रखी है।

शेष प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इतने बड़े लूप होल्स छोड़ दिये जाते हैं। उनसे क्या होने वाला है? बुराई का इतने बड़े पेड़ को नेलकटर से काटने की कोशिश की जा रही है। उससे केवल नाखून काटा जा सकता है। इस तरीके से इतनी बड़ी बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे छोटे इनवैस्टर्स को आकर्षित किया जा सकता है?

अब कम्पनीज के प्रमोटरों ने फिर इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कोई ताज्जुब नहीं आने वाले समय में एक तीसरा घोटाला भी देश के सामने आ जाए। अनेक प्रमोटरों ने अपने शेयरों की खरीद व बेच कर यह घोटाला संभव कराया। समिति ने बिन्दु 14.57 में यह सिफारिश की है कि प्रमोर्ट यदि अपने शेयर्स की खरीद व बिक्री करना चाहते हैं तो उसका डिसक्लोजर स्टॉक एक्सचेंज व पब्लिक में करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में हमारी एक एसोसिएशन मिडास टच ने सुझाव दिया था लेकिन किसी सुझाव पर अभी तक अमल नहीं किया गया। ऐसा एटीआर से पता लगता है।

हेरा-फेरी को कॉग्निजेबल ऑफेंस जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक हिन्दुस्तान के पूंजी बाजार पर किसी भी तरीके की तरक्की करने की उम्मीद हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। समिति ने सीरियस ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाने की सिफारिश बिन्दु 14.57 में की थी जिससे कि बड़े अपराधों में लिप्त लोगों को कुछ समय के लिए जेल अवश्य हो। एटीआर में यह बताया गया है कि शेयर्स के मैन्यूप्लेशन में कारावास की अवधि को बढ़ा कर दस वर्ष तक कर दिया गया है और 25 करोड़ तक की पैनल्टी लगायी जा सकती है किन्तु मैन्यूप्लेशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनाया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया, क्या मैनीपुलेशन सही काम है? कोई भी मैनीपुलेशन करके रकम पैदा कर दे, सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती और अगर चाहती है तो मैनीपुलेशन को कौगनिजैस औफैंस क्यों नहीं बनाया?

सभापति जी, पैरा 14.57 में समिति ने सिफारिश की थी कि निवेशकों को उचित सहायता प्रदान की जायेगी चाहे वे सुचारू रूप से निवेशकों के प्रोटैक्शन में काम कर सकें। ए.टी.आर. में कहा गया है कि सेबी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और मैंने जहां तक देखा है कि सेबी ने समिति की सिफारिशों पर आर्थिक सहायता बढ़ाने की बजाये और उसमें कटौती की है। इनवैस्टर्स प्रोटैक्शन में जो संस्थान काम करना चाहते हैं, जब तक सरकार उन्हें आर्थिक सहायता नहीं प्रदान करती, वे अपने पैरों पर कितने दिन तक खड़े हो सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनवैस्टर्स प्रोटैक्शन फंड द्वारा निर्धारित सहायता धनराशि के बारे में इनवैस्टर्स को या तो पैसा नहीं दे रही हैं या कोई सपोर्ट नहीं कर रही हैं। यदि कर रही हैं तो बहुत कम कर रही हैं। जिन संस्थानों को इनवैस्टर्स प्रोटैक्शन में कोई कारोबार नहीं हो रहा है, सरकार द्वारा उन्हें लम्बी चौड़ी सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार हमारे पूंजी बाजार के सुधार के लक्षण इस देश में नहीं समझे जा सकते। यह सत्य है कि किसी देश, खासकर किसी विकासशील देश की कैपिटल मार्किट को सुधारा नहीं जायेगा, वह समृद्ध नहीं होगा तब तक उस देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार का जिक्र करना या उसकी बात कहना अपने आपको धोखा देना है इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 6-6 महीने में इसकी ए.टी.आर. को प्रस्तुत किया जाये। इसमें जो त्रुटियां रह गई हैं, जिनकी सरकार द्वारा अनदेखी की गई है या पहले जो दो ए.टी.आर. प्रस्तुत की जा चुकी है, उनमें से जो त्रुटियां रह गई हैं, उन कमियों को सुधारा जाये और सरकार को जल्दी से जल्दी नई ए.टी.आर. संसद में प्रस्तुत करनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाइं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं है और न कोई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद है। लगता है कि यह सरकार घोटाले के प्रति जागरूक नहीं है। सत्ता पक्ष की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। घोटाले में लिप्त सरकार ने मन बना लिया है कि इस ओर गंभीर नहीं रहना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: राज्य मंत्री ध्यान दे रहे हैं और वित्त मंत्री कल जवाब देने वाले हैं। यदि आप उस तरह से कहना चाहते हैं तो हमें दोनों तरफ इस ओर उस और भी देखना है। सात या आठ सदस्यों के अलावा यहां कोई नहीं है। यहां तक कि आप अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं। यह न्यायालय की तरह है। यहां सिर्फ सात या आठ अधिवक्ता हैं।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, संसदीय प्रक्रिया में, सत्ता पक्ष के सदस्यों को गणपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति जी, देश की अर्थ-व्यवस्था में जान डालने की यहां बहस हो रही है। सरकार की

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

तरफ से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वित्त मंत्री भी नहीं है। अगर सरकार गम्भीर नहीं तो यह डिबेट खत्म करा दीजिए। जो लोग रह गये हैं, उन्हें कल बुला लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री स्वाइं के साथ ही वक्ताओं की सूची समाप्त हुई। वित्त मंत्री कल जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति जी, शाम पांच बजे से वित्त मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: वित्त मंत्री कैसे किसी वाद-विवाद का जवाब दे सकते हैं जब उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया है? ...*(व्यवधान)* हमें कहा गया था कि वह भाषण देंगे। क्या यह सही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री इस पर ध्यान दे रहे है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): यह बहुत आश्चर्यजनक है कि ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, वित्त मंत्री ने ए.टी.आर. प्रस्तुत किया है और मंत्री इतने अशिष्ट हैं कि वह पांच मिनट के लिए भी नहीं आए। उन्होने यहां अपने डिप्यूटी को भेज दिया है। यहां एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि यह संसद का अपमान था और उनकी चिंता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा है।

श्री मणिशंकर अय्यर: मंत्री का पहला काम यहां जवाबदेह होना है। ठीक है, मैं समझता हूं कि वह घंटे भर के लिए कहीं गए हैं और प्रधान मंत्री हमारे साथ बैठे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। लेकिन भाषण समाप्त हो गया था, कब समाप्त हुआ, मैं नहीं जानता। वह क्या कर रहे हैं? क्या इस वित्त मंत्री के लिए यह सभा कुछ नहीं है? जब हम प्रश्न पूछते हैं, तो वह जवाब नहीं देते, और जब हम मुद्दे उठाते हैं, तो वह यहां उपस्थित नहीं होते हैं। यह सभा का अपमान है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, क्या यह मानकर चलें कि यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: यह संयुक्त संसदीय समिति है, स्थायी समिति नहीं। वित्त मंत्री यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी कोई डिबेट नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं दोनों तरफ देख रहा था। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मेरी बात के दो अर्थ है: एक, गणपूर्ति बनाए रखना सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का नहीं; दूसरी बात, पिछले साढ़े तीन घंटे से बिना माननीय वित्त मंत्री के जे.पी.सी. पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे बीच उपस्थित रहने के लिए दस मिनट का समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं।

इस संसद से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? यह सरकार जिस प्रकार से सभी की कार्यवाही चला रही है वह इस सभा का पूरी तरह से अवमानना वाला दृष्टिकोण है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: इतनी गंभीर बहस है और वित्त मंत्री जी यहां नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वित्त राज्य मंत्री श्री अडसुल यहां बैठे हैं। वे आपकी बातें नोट कर रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं?

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं चाहता हूं कि कैबिनेट मंत्री यहां मौजूद हों। मैं श्री अडसुल का आदर करता हूं। वे मेरे मित्र हैं। वे मेरी स्थायी समिति के सभापति थे। मैं उनका काफी आदर करता हूं। मैं उनका इतना अधिक आदर करता हूं कि मैं उन्हें एक कैबिनेट मंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। वे कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। जब यह सभा किसी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर नहीं

अपितु जेपीसी के एक प्रतिवेदन पर चर्चा कर रही है और ऐसा मूल प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के 368 दिनों के बाद किया जा रहा है तो क्या यह उचित है और संसदीय प्रक्रिया की मर्यादा और व्यवहार के अनुरूप है कि मंत्री साढ़े तीन घंटे तक अनुपस्थित रहें? जब वे उत्तर देंगे तो हम उपस्थित क्यों रहें?

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय सभापति महोदय, जिस शेयर घोटाले के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान छोटे निवेशकों का हुआ है और इतने गंभीर विषय पर वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। आज जिस तरह से वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं और सदन की अनदेखी कर रहे हैं, उसी तरह से जो घोटाले पर घोटाले जारी हैं, उन्हें भी वित्त मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कल हम उनका उत्तर सुनेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर: मेरा सुझाव है कि हम सभा को स्थगित कर दें क्योंकि हमें वास्तव में इसका विरोध करना चाहिए। मैं श्री स्वाइं की बात सुनना चाहता हूं। मैं और मेरे उपर सहयोगी भी श्री स्वाइं की बात सुनना चाहते हैं।

सभापति महोदय: फिर आपको उपस्थित रहना होगा। हम इसे आज समाप्त कर देंगे। कल मंत्री जी आएंगे और इसका उत्तर देंगे। तब आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: हम वित्त मंत्री की बात सुनने के लिए यहां क्यों रहें?

सभापति महोदय: वे आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं वित्त मंत्री की बात कर रहा हूं। विपक्ष वित्त मंत्री की बात सुनने के लिए क्यों बैठे जो साढ़े तीन घंटे से हममें से किसी एक की भी बात सुनने के लिए यहां नहीं आ रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाइं, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इससे देश को जो आशंकाएं थी, वे सब सही सिद्ध हो रही हैं। देश के लोग यह महसूस करते थे कि सरकार के कारण ही इतने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं *...(व्यवधान)* उन लोगों को सरकार बचाने की कोशिश कर रही हैं, यह इस बात का प्रमाण है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): जब तीन सदस्य एक ही समय बोलना शुरू कर देंगे तो मैं कैसे बोल सकता है?

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय सुषमा जी ने कहा था कि वह लैक्चर देने के लिए गये हैं। लेकिन एकाध घंटे के बाद तो वित्त मंत्री जी को आना चाहिए था।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, मैने उस समय भी कहा था जब पवन जी ने पूछा था कि जवाब कौन देगा, तो मैंने कहा था कि स्वयं जसवंत सिंह जी इसका जवाब देंगे। मैं बीच में उनका संदेश लेकर यहां आई थी, लेकिन बीच में व्यवधान करना मैंने उचित नहीं समझा। मैंने स्पीकर साहब को इस चीज की इनफोर्मेशन दी है। कल ढाई बजे श्री जसवंत सिंह जी इसका जवाब देंगे। क्योंकि कल सुबह राज्य सभा में कांस्टीट्यूशन अमैन्डमैन्ट पर वोटिंग है और राज्य सभा के सांसद होने के नाते वह वहां वोटिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपने यहां पर देखा कि एक अनिश्चितता रहती है। पहले साढ़े बारह से डेढ़ बजे तक गया और फिर यहां साढ़े बजे से साढ़े चार समय हो गया। इसलिए उन्होंने फिक्स टाइम रखा है, कल ढाई बजे वह जवाब देंगे। जो सारी नोटिंग एम.ओ.एस. ने ली है, ये सारे नोट्स उनके पास जायेंगे। यह पहली बार नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री जी के यहां भी जो सारे नोट्स जाते हैं, उन्हें लेकर अगले दिन वह जवाब देते हैं। श्री मणिशंकर अय्यर जी को तो स्वयं प्रधान मंत्री जी ने सुना है, सारे नोट्स उनके अपने एम.ओ.एस. ने बैठकर लिये है। कल एक-एक चीज का जवाब स्वयं जसवंत सिंह जी यहां देंगे, यह उन्होंने तय किया है और हमने स्पीकर साहब को इसकी सूचना दे दी है। मैं खुद बीच में इसी बात को कहने के लिए यहां आई थी, हमने स्पीकर साहब के इसकी इत्तिला दे दी है।

यह तय हुआ कि आज चर्चा समाप्त हो जाए और ऐसा हर बार होता है कि जब भी चर्चा चलती है तो चर्चा के समय कम लोग रहते हैं और लोग चाहते हैं कि रिप्लाई बाद में हो। *...(व्यवधान)* यह तय हुआ था कि देर तक बैठकर चर्चा समाप्त की जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अब हम लोग चर्चा को यही विराम दें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी कहां हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अखिलेश सिंह, जब आप बोल रहे थे, तब तो आपने यह सवाल नहीं उठाया था। अब आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। वे बोलने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी राज्य सभा की बैठक चल रही है? वित्त मंत्री जी कहां हैं? वित्त मंत्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: इस समय वित्त मंत्री जी कहां हैं? *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सरकार की उदासीनता की ओर हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जायसवाल जी, जब आप बोल रहे थे, तो आपने यह बात नहीं उठाई थी। चर्चा में सभी सदस्यों की भूमिका होती है। हालांकि लोग जैसे ही अपना भाषण समाप्त करते हैं, वे बाहर चले जाते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं यहां उन्हीं को सुनने के लिए हूं, किन्तु श्री जसंवत सिंह यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जसवंत जी के प्रतिनधि के तौर पर राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: वे स्वयं कहां हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, वित्त मंत्री जी कहां है? वे राज्य सभा में नहीं हो सकते हैं। अभी वे कहां हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे कल ढाई बजे जवाब देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप चर्चा के बिलकुल अंत में इस विषय को क्यों उठा रहे हैं?

श्री मणिशंकर अय्यर: यह सभा की अवमानना है। जसवंत सिंह मानते हैं कि उनके साथ बैठना ....*

यहां आने की अपेक्षा बाहर कहीं और होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वे राज्य सभा में भी होते तो मैं मान लेना। वे मानते हैं कि यहां आने के बजाय साढ़े तीन घंटे का समय कहीं और ही बिताया जाए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: इस समय राज्य सभा की बैठक नहीं चल रही है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: इन्होंने असंसदीय शब्द कहे हैं। उनको एक्सपंज करें। वे वरिष्ठ सांसद हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देता हूं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। क्या यह सही नहीं है कि वित्त मंत्री राज्य सभा में नहीं है, और इसलिए वे जहां कहीं भी हैं, वे संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सभा में चर्चा भाग लेने के बजाय उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं और वे इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाले जाने की मांग कर रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे कल ढाई बजे आएंगे और जवाब देंगे। *...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कुंवर अखिलेश सिंह: हम देखकर आ रहे हैं, राज्य सभा की कार्यवाही नहीं चल रही है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने नहीं कहा कि वे राज्य सभा में हैं। मैंने उस समय भी कहा कि वे लैक्चर देने के लिए गए हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: साढ़े तीन घंटे से लैक्चर चल रहा है जबकि हमने इसके बारे में शुरू में ही सवाल किया था? वे और कुछ काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मणिशंकर अय्यर जी, क्या कोई ऐसा पूर्वोदाहरण देखने को मिला है जिसमें वित्त मंत्री के इस तरह अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गई हो? आप मुझे बताएं कि आपके समय में भी कभी ऐसा हुआ हो। कोई एक भी उदाहरण मुझे बताएं, मैं तत्काल टिप्पणी करूंगा। राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: इनके पूरे भाषण में प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, पूरे समय राज्य मंत्री बैठे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: सभापति महोदय, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना है। संयुक्त संसदीय समिति पर चर्चा करने का एक मात्र पूर्वोदाहरण दिसम्बर, 1993 में आया जब क्रिशमस अवकाश के पश्चात इस सभा को विशेषरूप से बुलाया गया था इसने उस संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर दो दिनों तक चर्चा की, इन दो दिनों में वित्त मंत्री लगभग पूरे समय तक उपस्थित रहे और बाकी सरकार भी उपस्थित थी।

सभापति महोदय: मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस संबंध में कोई बाध्यता है कि उन्हें उपस्थित रहना ही चाहिए? मुझे नियम बताइए, राज्य मंत्री भी यहां बैठे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: सभापति महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसमें कोई बाध्यता है। मैं तो संसदीय औचित्य के बारे में बात कर रहा था। मैने व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया है। मैंने तो यही कहा है कि जब हम संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के जैसी किसी चीज पर अपवादस्वरूप चर्चा कर रहे हों तो साढ़े तीन घंटे वित्त मंत्री अनुपस्थित रहें यह इस सभा की परम्परा और सम्मान के अनुरूप नहीं है। यह तो इस सरकार द्वारा संसद की अवमानना जैसा लगता है।

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ क्या कर सकती है, मुझे बताइए। अब तक ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। आप किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते हैं। राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह तय हुआ था कि आज चर्चा समाप्त करेंगे, कल ढाई बजे वित्त मंत्री जी स्वयं जवाब देंगे और उनके प्रतिनिधि के तौर पर सारे समय राज्य मंत्री बैठे रहे। स्वयं प्रधान मंत्री ने मूवर ऑफ द मोशन को सुना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमें ऐसा पूर्वोदाहरण नहीं बनाना चाहिए। हमें वाद-विवाद को समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, मेरा प्रश्न केवल यह है कि आदरणीय सुषमा जी सदन में आ गई, आखिर वित्त मंत्री जी कहां पर हैं कि सदन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अखिलेश, जब आप बोल रहे थे तब आपने इसे नहीं उठाया।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाइं, अब आप अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मुझे लगता है कि मैं अंतिम वक्ता हूं ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं माननीय विपक्षी सदस्यों के संबंध में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह बैठक और लम्बे समय तक चले। मैं सीधे विषय पर आता हूं। मैं जानता हूं कि यह कोई नई चीज नहीं है। ऐसा विगत में भी कई बार हुआ है।

महोदय, मैंने इस वाद-विवाद को शुरु करने वाले श्री मणि शंकर अय्यर को तथा सी.पी.एम. के सदस्य श्री रूपचन्द पाल जी के भाषण को ध्यान से सुना। मणिशंकर अय्यर के भाषण का केन्द्र बिन्दु की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट नहीं था। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मंत्रीपरिषद से

[श्री खारबेल स्वाइं]

हटाया जाना चाहिए। उनके भाषण का यही केन्द्र बिन्दु था, श्री रूपचन्द पाल ने कहा था कि यह न की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट है। यही दो मूल मुद्दे हैं जिन पर, मैं अपने भाषण को केन्द्रित रखूंगा।

महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि श्री यशवन्त सिन्हा को मंत्रीपरिषद से हटाया जाना चाहिए मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। गत एक वर्ष में शायद उन्होंने कई समाचार पत्रों में अनगिनत लेख लिखे हैं। यहां तक कि मुझे उनके एक लेख का उत्तर देना पड़ा जिसमें उन्होंने इसी चीज का उल्लेख किया था कि श्री यशवन्त सिन्हा हर चीज के लिए पूर्णत: उत्तरदायी है। उन्होने इसी चीज का यहां उल्लेख किया है।

महोदय, यहां उन्होंने डा. मनमोहन सिंह और श्री यशवन्त सिन्हा के बीच तुलना की है। उन्होंने कहा है कि डा. मनमोहन सिंह त्यागपत्र देना चाहते थे लेकिन तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि "श्री यशवन्त सिन्हा ने त्याग पत्र देने से मना कर दिया था। उन्हें प्रायश्चित करने की अक्ल नहीं है और प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास राजनीतिक नैतिकता नहीं है" यह उन्होंने कहा था।

परन्तु यहां मैं डा. मनमोहन सिंह के समय की तुलना श्री यशवन्त सिन्हा के समय से करना चाहता हूं। संयुक्त संसदीय समिति के सभापति ले. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी, जिन्होंने अब पद छोड़ दिया है, ने पहले ही कहा था कि 1992 में विनियामक की सभी प्रकार की जिम्मेदारियां वित्त मंत्रालय की होती थी। उन्होंने कहा था और मैं पुन: इसे दोहरा रहा हूं: "कन्ट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट तथा प्रतिभूति नियंत्रण (विनियमन) अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि मूल्य निर्धारण, मात्र शेयरों का निर्गम, शेयर बाजारों का कार्यकरण, दलालों के विरुद्ध कार्यवाही और शेयर बाजारों के विरुद्ध कार्यवाही जैसे मामलों पर विचार करने की सीधी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है? उस समय यह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी परन्तु अब स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है। अब सेबी अधिनियम है। यह संसद द्वारा पारित किया गया है और इसमें सभी शक्तियां सेबी को प्रदान की गई हैं न वित्त मंत्रालय एसीआर एक्ट के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज की शक्तियां वित्त मंत्रालय से लेकर सेबी को दी गई थी। सेबी एक्ट के अंतर्गत अपील करने की शक्ति पहले सरकार के पास अर्थात वित्त मंत्रालय के पास थी परन्तु अब यह नए अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण कहा जाता है, को हस्तांतरित कर दी गई है। डिपोजिटरी एक्ट के अंतर्गत शक्तियां पहले सरकार के पास थीं परन्तु अब वे सेबी के साथ हैं।

रात्रि 8.38 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

इसलिए, डा. मनमोहन सिंह द्वारा त्यागपत्र की पेशकश स्वाभाविक ही थी क्योंकि ये सभी शक्तियां उनके पास थीं। यदि शेयर बाजार में कुछ गलत हुआ था तो वह उसके लिए सीधे जिम्मेदार थे। किन्तु अब वह बात नहीं है। श्री यशवन्त सिन्हा के साथ ऐसा मामला नहीं है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे। मेरे विद्वान सहयोगी ले. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने भी कहा है और मैं भी वही चीज पूछ रहा हूं। हम कह रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सेबी तथा सभी प्रकार के सांविधिक निकाय स्वतंत्र होने चाहिए।

अब, यदि आप चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए तो आप यह कैसे कह सकते हैं हर बार सरकार अपनी नाक फंसायेगी? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? क्या सरकार को अपनी नाक फंसानी चाहिए और हर समय सेबी की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, जो कि सभा से उठकर चले गए हैं, बता रहे थे कि सेबी द्वारा यह कार्यवाही क्यों की गई? कम सजा क्यों दी गई? इसका उत्तर कौन देगा? क्या वित्त मंत्री सेबी से विशेष कार्यवाही करने के लिए कहेंगे? मुझे भरोसा है कि एक बार वह ऐसा करते हैं तो वही विपक्षी सदस्य आरोप लगाएंगे कि सरकार अब हस्तक्षेप कर रही है। यह कैसा दोहरा मानदंड है? यूटीआई का उदाहरण लें। यह कहा गया था कि श्री यशवन्त सिन्हा ने हस्तक्षेप नहीं किया और उन्हें पता नहीं था कि यूटीआई के बारे में क्या करना चाहिए इसलिए उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था। पूर्व में, यूटीआई भारत सरकार के स्वामित्व में नहीं थी।

श्री मणिशंकर अय्यर: उन्होंने कहा था कि उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: उन्होंने नहीं कहा था।

श्री मणिशंकर अय्यर: उन्होंने राज्य सभा में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि बार-बार आश्वासन दिया गया था कि हर चीज ठीक-ठाक थी ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: मैं आपसे यही बता रहा हूं कि यूटीआई पर भारत सरकार का स्वामित्व नहीं था। यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं था। 1996 तक यूटीआई में भारत सरकार का एक नामिती था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा इसे हटा लिया गया था। इसलिए, सरकार यूटीआई को न केवल चलाने के लिए

जिम्मेदार थी बल्कि नियमित सूचना देने की भी प्रणाली नहीं थी। इसीलिए यूटीआई के अध्यक्ष द्वारा उन्हें जो भी रिपोर्ट दी जाती थी उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ता था। यह सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं था।

18 मई को क्या हुआ? तत्कालीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट के तत्कालीन चेयरमैन श्री सुब्रमण्यम ने एक रिपोर्ट दी कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्या वित्त मंत्रालय यह कहेगा कि उसे इस पर संदेह है और उसे उस पर यकीन नहीं है जो चेयरमैन ने कहा था? वह यह नहीं कह सकता क्योंकि वह एक स्वतंत्र संगठन है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले अन्य सांविधिक संगठन की तरह है। सरकार ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक इसी कारण उसने हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। उसने श्री सुब्रहमण्यम द्वारा दी गई रिपोर्ट पर यकीन करके कोई गलती नहीं की है। अत:, मंत्रालय से उनके त्यागपत्र देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रूपचन्द पाल ने कहा है कि यह कार्रवाई रहित रिपोर्ट है। क्या ऐसा है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम में सभी खंड संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से संबंधित है। अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान की गई है। पहले यह शक्ति नहीं प्रदान की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के बोर्ड सदस्यों की संख्या छह से बढ़ाकर नौ कर दी गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम में विनिर्दिष्ट दंड में इसके उल्लंघन के लिए वृद्धि की गई है। पहले ऐसा नहीं था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सर, ये मुम्बई वाले हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से उन्हें विपक्ष की दलीलों पर विश्वास नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मुझे श्री अखिलेश सिंह के व्यवहार पर आश्चर्य नहीं है। वह हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं *...(व्यवधान)* उन्हें वैसा ही रहने दीजिए लेकिन आप कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, आप मुझे हमेशा अध्यक्षपीठ को संबोधित करने के लिए कहते है। अब मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय: इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें आपकी दलील पर विश्वास नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी बहस के बाद तो वित्त मंत्री जी के जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इनकी बहस सुनकर हम लोगों को घर चले जाना चाहिए। लगता है कि इन्हें यह भ्रम हो गया है कि वित्त मंत्री यही हैं और प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को सुझाव देना पड़ेगा कि जसवन्त सिंह जी को बदलकर इन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैं भी आश्चर्यचकित हूं, वह यहां क्यों बैठे हैं? यह पिछले दो या तीन घंटों से यहां सभा में उपस्थित नहीं थे। वह घर जा चुके थे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: लगता है कि अपने इसी व्यवहार के कारण ये अभी तक सरकार में शामिल नहीं हो पाये हैं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: मैं उनके व्यवहार से बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं उन्हें जानता हूं *...(व्यवधान)*

महोदय, भारतीय यूनिट ट्रस्ट विधेयक पुर:स्थापित और पारित किया जा चुका है। यह भी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के संबंध में है। इसे दो भागों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट-I और भारतीय यूनिट ट्रस्ट-II में विभाजित किया गया है। वे कहते हैं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की परेशानियों के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं। मैं आपसे एक साधारण प्रश्न पूछूंगा? जब भारतीय यूनिट ट्रस्ट घाटे में थी, तो पूर्व सरकार ने केवल अपनी लोकप्रिय छवि का

[श्री खारबेल स्वाइं]

प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष 28 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की थी।

उन्होंने पांच प्रतिशत भी अर्जित नहीं किया लेकिन उन्होंने 26 प्रतिशत लाभांश की घोषणा कर दी। वे पॉलिसी धारकों को लाभांश कैसे प्रदान करेंगे? उन्होंने यह कार्य संचित कोष को बहुत खर्च करके किया। जो कुछ संचित कोष में था उसको उन्होंने इस प्रकार बाहर निकाला मानो वह लाभ की राशि और इसे पालिसी धारकों को दे दिया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पतन का यही मुख्य कारण है। यूएस-64 म्युचुअल फंड है लेकिन इसे सुनिश्चित प्रतिफल गारंटी योजना के अंतर्गत लाया गया था। यदि आप स्टॉक बाजार में धन निवेश करते हैं तो आप गारंटी प्राप्त प्रतिफल का आश्वासन कैसे दे सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? प्रतिभूति बाजार सुनिश्चित बाजार नहीं है। आप धन अर्जित कर भी सकते हैं अथवा धन अर्जित नहीं भी कर सकते हैं। यदि आज आप बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं, तो कल आपको घाटा भी हो सकता है। लेकिन निवेशकों से कहा गया था कि आपको प्रतिवर्ष सुनिश्चित प्रतिफल दिया जाएगा। यह कार्य किसने किया? यह किसकी भ्रामकता थी? जब ये कार्य किए गए तो उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी नही थी। यही वह मुख्य कारण है जिससे भारतीय यूनिट ट्रस्ट का पतन हुआ। बैंककारी (विनियमन) अधिनियम पुर:स्थापित किया जा चुका है। माननीय रूपचन्द पाल ने भी कहा था कि एक अन्य विधेयक, नामत:, कोरपोरेटाइजेशन और डी-म्युचुअलाइजेशन विधेयक भी पुर:स्थापित किया गया है और अब उसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को दिया जा चुका है। ये संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाइयां हैं। अत:, कोई यह कैसे कह सकता है कि यह कार्रवाई नहीं की गई है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि पहले ही विलंब हो चुका है इसीलिए आप चिंतित हैं। मैं पांच मिनटों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं बाध्य करने वाला वक्ता नहीं हूं। अत:, मैं कह रहा था कि यह कार्रवाई रहित प्रतिवेदन नहीं है।

श्री मणिशंकर अय्यर ने मारीशस के रूट के बारे में उल्लेख किया था। मैं उनकी इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि मारीशस के रूट के माध्यम से काफी धोखेबाजी की गई थी। लेकिन उन्होंने फाइलों का अध्ययन किया है और मैंने भी फाइलों का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने मारीशस के विदेश मंत्री से बात क्यों नहीं की? यदि आप फाइल का अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय उच्चायोग द्वारा मारीशस को यह बताते हुए एक के बाद एक पत्र लिखे गए थे कि भारत का 19 देशों के साथ दोहरा कराधान परिवर्तन समझौता है। अत: इसे समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मारीशस के साथ हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारे उच्चायोग ने ही इसका विरोध किया था। इसी कारण वित्त मंत्री उस समय कोई कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन अब मारीशस सरकार इस बात का ध्यान रखने के लिए सहमत हो गई है कि जो लोग वास्तव में भारत से अपना कार्य संचालन कर रहे हैं लेकिन मारीशस में छोटा कार्यालय खोल रखा है, उन पर स्वयं भारत में कर लगाया जाना चाहिए। उस समय, मारीशस सरकार इस बात पर सहमत नहीं हुई। अत:, आप श्री यशवंत सिन्हा पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे उच्चायोग ने ही इसका विरोध किया था।

महोदय, श्री जायसवाल ने यह उल्लेख किया था कि छोटे निवेशक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या छोटा निवेशक सुरक्षित महसूस नहीं करता है? यदि छोटे निवेशक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो संवेदी सूचकांक 5600 के अंक तक कैसे पहुंच गया है? यह एक रिकार्ड है। यह केवल एफआईआई द्वारा निवेशों के कारण हुआ है जिनकी वजह से संवेदी सूचकांक 5600 के अंत तक पहुंच गया है। क्या इसमें छोटे निवेशक शामिल नहीं है? इसमें छोटे निवेशक भी शामिल हैं।

महोदय, मैं अपनी बात दो मिनटों में समाप्त करूंगा। मैं माननीय मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि कार्य न करने वाले विशेष प्रकोष्ठ और कार्य न करने वाले एचएलसीसी को कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। बैंकों और दलालों के बीच के संबंध का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और लेखापरीक्षकों तथा सनदी लेखाकारों द्वारा अदा की गई संदिग्ध भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। इसी कारण सनदी लेखाकारों और लेखापरीक्षकों से गलतियों का पता लगाने की आशा की जाती है लेकिन बिलकुल इसके उलट हुआ है। संयुक्त संसदीय समिति ने पाया कि लेखापरीक्षकों ने ही घोटाला करने वालों को बचाने के प्रयास किये थे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से दंडित किया जाए। ब्रोकर-निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। आर्थिक अपराधों की जांच करने वाले व्यक्ति पूर्ण योग्यता प्राप्त होने चाहिए और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिकारियों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर नहीं की जानी चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं आना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का अपना संवर्ग होना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि किसी भी ब्रोकर को किसी स्टाक एक्सचेंज का निदेशक बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेरे विचार से

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा ये कदम सही दिशा में उठाए गए हैं।

महोदय, मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले उन माननीय सदस्यों के विचारों में पूर्णत: सहमत हूं कि छह महीनों के बाद वित्त मंत्रालय एक अन्य की गई कार्रवाई रिपोर्ट लेकर आए। क्योंकि कोई भी प्रणाली शत-प्रतिशत त्रुटिरहित नहीं है। कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता है कि यदि सभी कार्रवाइयां की जाएं, तो कोई घोटाले नहीं होंगे। घोटाले हो सकते हैं। कड़े विनियामक होने के बावजूद अन्य विकासशील देशों में घोटाले हो रहे हैं। हम यह जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए ताकि जब कभी कोई घोटाला या गलत कार्य ध्यान में आए, तो दोषी को सजा दी जा सके। अत: छह महीनों के बाद सरकार को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो या तीन हो सकती हैं। संसद और देश को यह मालूम होना चाहिए कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार एक सत्यनिष्ठ और ईमानदार सरकार है। उसे देश को एक संदेश देना चाहिए कि वह इस देश के छोटे निवेशकों की बेहतरी का वास्तव में ध्यान रख रखी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश अम्बेडकर अगले वक्ता थे। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। अब वक्ताओं की सूची पूरी हो चुकी है। माननीय वित्त मंत्री का उत्तर कल अपराहन 2.30 बजे आरंभ होगा।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 दिसंबर, 2003/2 पौष, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.38.15/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।